राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] सप्तम विधान सभा के द्वितीय सत्र का 39 वां दिवस [संख्या 23

सोमवार

दिनांक 30 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 11·00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

राज्य सरकार के हवाई जहाज का उपयोग

560. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार के पास अपना कौन सा हवाई जहाज है ? उसे कब कितने में खरीदा गया ? उस पर प्रतिवर्ष क्या व्यय होता है ?

(2) क्या वर्तमान में इस विमान का अधिकारियों को, राजधानी जयपुर में लाने ले जाने के लिये उपयोग हो रहा है ? यदि हां, तो किन-किन नगरों से किस-किस समय इसकी सेवायें उपलब्ध हैं व कब से ?

(3) क्या गत सरकार ने इस विमान को बेचने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो कब और अब तक उसे क्यों नहीं क्रियान्वित किया गया ? भविष्य में इस सन्दर्भ में सरकार का क्या विचार है ?

यातायात मन्त्री (श्री हनुमान प्रभाकर) : (1) राज्य सरकार के पास बीच-बैरन पी-58 हवाई जहाज है। इसे माह फरवरी, 1977 में 26,60,754·10 रुपये में खरीदा था। इस पर प्रतिवर्ष 3,35,000 रुपये लगभग औसतन व्यय होता है।

(2) वर्तमान में इस विमान का उपयोग अधिकारियों एवं विशिष्ट व्यक्तियों को राजधानी जयपुर से अन्यत्र परिवहन के लिये हो रहा है। दिनांक [illegible]6-8-80 से जयपुर-कोटा व दिनांक 5-12-80 से जयपुर-बीकानेर की सेवायें उपलब्ध हैं। समय सारिणी निम्न प्रकार है :—

दिन	स्थान	गमन	स्थान	आगमन
सोमवार	जयपुर से	4.00 सायं	कोटा	4.50 सायं
बुधवार	कोटा से	5.10 सायं	जयपुर	6 00 सायं
शुक्रवार				
मंगलवार	जयपुर से	11.00 प्रातः	कोटा	11.50 प्रातः
वृहस्पतिवार	कोटा से	12.30 दोपहर	जयपुर	1 20 दोपहर
शनिवार				
जयपुर-बीकानेर सेवा (सप्ताह में तीन दिन अवकाश के दिनों को छोड़ कर)				
सोमवार	जयपुर से	8.00 प्रातः	बीकानेर	9.00 प्रातः
बुधवार	बीकानेर	9.35 प्रातः	जयपुर	10.45 प्रातः
शुक्रवार				

(3) सरकार ने इसे बेचने का निर्णय माह जुलाई, 1978 में लिया था। इसे बेचने के लिए टेण्डर दिनांक 5-12-78 एवं 15-2-79 को आमन्त्रित किये थे, लेकिन दो बार टेण्डर मांगे जाने पर भी खरीददार न मिलने के कारण बेचा न जा सका। सरकार ने पत्र दिनांक 8-2-80 से इस वायुयान को न बेचने का आदेश दिया था।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या यह विमान अमेरिकन कम्पनी से खरीदा गया था? क्या यह सही है कि अमेरिकन कम्पनी वायुयान पर 10% कमीशन देती है? यदि हां, तो कमीशन किसको प्राप्त हुआ? विशिष्ट व्यक्ति कौन-कौन हैं, और कितना वेतन पाने वाले व्यक्ति उस वायुयान में यात्रा कर सकते हैं?

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, यह वायुयान मैसर्स इण्डेमार कंपनी से खरीदा था। इस विमान का उपयोग प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जो 1500 रुपये व इससे ऊपर वेतन पाने वाले हैं, कर सकते हैं तथा इस वेतन से अधिक वेतनमान वाले अधिकारीगण, जो सरकार के विभिन्न विभागों अथवा अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठान, निगमों एवं बोर्डों आदि में कार्यरत हैं, इस वायुयान में यात्रा करने के लिए सक्षम हैं।

विशिष्ट व्यक्ति भी इसका उपयोग कर सकते हैं जिनमें निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित हैं—

1. राज्यपाल महोदय
2. मुख्य मन्त्री महोदय
3. विधान सभा अध्यक्ष

(श्री हनुमान प्रभाकर)

4. अन्य मन्त्रीगण, तथा विधान सभा उपाध्यक्ष, मुख्य मन्त्री महोदय की पूर्व अनुमति द्वारा व अन्य विशिष्ट व्यक्ति जो मुख्य मन्त्री द्वारा अधिकृत किये जाते हैं।

5. मुख्य सचिव, अन्य सचिव, विभागाध्यक्ष व अन्य अधिकारीगण जिनके लिये मुख्य मन्त्री महोदय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, कोटा-जयपुर और जयपुर-बीकानेर के बीच यह वायुयान रोज चलता है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि एक दिन में कोटा-जयपुर और जयपुर-बीकानेर के बीच में कितना व्यय होता है? ईंधन कितना खर्च होता है, कितने व्यक्ति रोज सफर करते हैं? जो मेरा मूल प्रश्न था उसका जवाब नहीं दिया। ईंधन कितना लगता है और खर्चा कितना आता है, कितने लोग सफर कर सकते हैं?

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से कोटा, कोटा-जयपुर 1570 रु० प्रति उड़ान खर्च होता है।

श्री रामसिंह बिश्नोई : आमदनी कितनी है?

श्री दाऊदयाल जोशी : पांच सीटर है?

श्री हनुमान प्रभाकर : हां।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट व्यक्तियों में मन्त्री तक के व्यक्ति या दूसरे आई. ए. एस. आफिसर, जयपुर कोटा के बीच दो या तीन से अधिक नहीं जाते। पिछले तीन महीनों में तो यह विमान खाली गया है और खाली आया है, एक भी सवारी नहीं गई। आपने 1570 रु० एक तरफ का खर्चा बताया है दोनों तरफ के 3140 रु० खर्च होते हैं। आई० ए० एस० आफिसर अक्सर कहां से आते हैं और कहां जाते हैं—कोटा से जयपुर। कई बार यह विमान खाली गया है और खाली जाता है। क्या मन्त्री महोदय इसको व्यापारिक दृष्टि से लागू नहीं कर सकते? विधायकगण हैं वह कूपन लेकर, फोकट में नहीं, फर्स्ट क्लास के कूपन लेकर आ-जा सकें, इसका विश्वास दिला सकते हैं?

श्री हनुमान प्रभाकर : इस सम्बन्ध में आज मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय मन्त्री महोदय, जैसा कि आम धारणा है आप भी आई.ए.एस., आई.पी.एस. को विधायकों से ऊपर मानते हैं?

श्री हनुमान प्रभाकर : इस प्रश्न का उत्तर अभी देने में मैं असमर्थ हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या माननीय मन्त्री महोदय, इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे?

श्री हनुमान प्रभाकर : मैंने निवेदन किया इस सम्बन्ध में, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(व्यवधान)

(५)

श्री अध्यक्ष : कुमारी पुष्पा।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या वर्तमान मुख्य मन्त्रीजी ने कुछ विशेष व्यक्तियों को को इस प्लेन में बोम्बे जयपुर और जयपुर-बोम्बे की यात्रा करने के बारे में अनुमति दी थी ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री हनुमान प्रभाकर : यह इस प्रश्न में नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, यह इस सवाल से रेलेवेन्ट सवाल है। क्या विशेष व्यक्तियों को यात्रा करने की अनुमति जयपुर बोम्बे, बोम्बे-जयपुर दी गई ? मैं पाइन्टेड प्रश्न पूछना चाहूंगी कि श्रीमती पहाड़िया व उनके पुत्र को जयपुर से बोम्बे और बोम्बे से जयपुर व्यक्तिगत कारणों से यात्रा करने में इस प्लेन का उपयोग किया था ? यदि हां, तो किस प्रावधान के अन्तर्गत और किसकी अनुमति से यह यात्रा की गई ?

श्री हनुमान प्रभाकर : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : मेरा पहला प्रश्न यह कि एक महीने में इस हवाई जहाज पर कितना खर्चा हुआ और आय कितनी हुई ? दूसरे, आपने कहा विशिष्ट व्यक्ति ही उसमें यात्रा कर सकते हैं। मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि जन प्रतिनिधियों को भी हवाई जहाज में यात्रा करने....

श्री अध्यक्ष : काफी खतरा भी है।

श्री गोपाल पचेरवाल : आपने विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया। क्या विशिष्ट की सूची में माननीय सदस्य नहीं आते हैं ?

श्री हनुमान प्रभाकर : मासिक आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं लेकिन वार्षिक व्यय इस प्रकार हुआ है :

1978–79	2,45,300/–
1979–80	3,39,020/–
1980–81 (जनवरी 1981 तक)	3,32,219/–

आय का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

श्री र.जबहादुर (भरतपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि जो विशिष्ट व्यक्ति इससे सफर करते हैं आवागमन करते हैं, क्या उनका सरकारी हिसाब से किसी प्रकार का लेखा जोखा होता है कि कितना व्यय हुआ और कहां से चार्ज होता है, कोई नियम बने हुए हैं ? इसके अलावा जो भी इसमें कोटा बीकानेर आदि की सवारी ले रहे हैं, उसमें कितना घाटा और कितना मुनाफा है ?

श्री हनुमान प्रभाकर : यह तो पूछा ही नहीं गया है। मैंने वार्षिक व्यय बता दिया है।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया। Are they charged even notionally about it ? The persons who are allowed to travel in this

(श्री राजबहादुर)

plain, are they charged even notionally ?

श्री हनुमान प्रभाकर : किस किस श्रेणी के अधिकारियों और व्यक्तियों को इसमें जाने की सुविधा दी जाती है, वह मैंने निवेदन किया।

श्री राजबहादुर : इसी बजट में सफर के बजट का प्रावधान होता है, एक मंत्री और अधिकारी पर, उसका जो खर्चा होता है....

श्री अध्यक्ष : हिसाब तो रखा जाता होगा, हवाई जहाज का सफर है।

श्री रामसिंह बिश्नोई : इस विमान के घाटे की पूर्ति के लिए क्या राज्य सरकार राजकीय अधिकारी और जो आपके व्यक्ति निर्दिष्ट हैं उनके अलावा प्राइवेट व्यक्तियों के लिए खुला करेंगे ताकि घाटे की पूर्ति हो सके ?

श्री हनुमान प्रभाकर : मैंने निवेदन किया कि यह सारा प्रश्न जी०ए०डी० से सम्बन्धित है, केवल ट्रांसपोर्ट विभाग के अन्तर्गत है। बाकी किसको बिठाया जाय, क्या चार्ज किया जाय, इसका जी०ए०डी से सम्बन्ध है। इसलिए जो चर्चा यहां हुई है उसकी जानकारी जी०ए०डी० को दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैंने चार्ज लगाया है कि इस विमान को खरीदते समय 10 पर्सेन्ट कमीशन मिला है, वह किसने लिया किसकी जेब में गया ?

श्री हनुमान प्रभाकर : कमीशन का प्रश्न आपने पूछा नहीं है, नहीं तो मालूम कर लेता कि किसकी जेब में गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरे प्रश्न का अधूरा जवाब आया है, मेरा प्रश्न बड़ा था, काफी काट छांट हो गई।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

सुश्री पुष्पा जैन : इस सवाल से सम्बन्धित जितने भी प्रश्न पूछे गए, मंत्री महोदय ने कहा, जानकारी नहीं है।

(व्यवधान)

क्या इसको स्थगित किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित नहीं किया जायगा ?

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या यह सही है कि जब इस विमान को खरीदा गया उसके पश्चात् इसकी खरीद फरोख्त के संबंध में कुछ आई०ए०एस० अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत हुई थी ? यदि हां, तो किन लोगों के विरूद्ध हुई और क्या शिकायत हुई थी ? क्या जिस व्यक्ति से वह खरीदा गया उसने स्वर्गीय संजय गांधी को पिट्स विमान भेंट

(श्री नाथूसिंह)

किया था ? वह व्यक्ति इससे सम्बन्धित था ?

श्री हनुमान प्रभाकर : मुझे एतराज है, जो बात सवाल में है नहीं वह पूछी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह हवाई जहाज कई बार खाली आता है, क्या इसकी क्षतिपूर्ति के बारे में विचार किया ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी : रोज खाली आता है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न पुकारा गया है, कृपया सहयोग दें।

श्री कैलाश मेघवाल।

कामगारों के क्षतिपूर्ति सम्बन्धी प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही

561. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कामगार (वर्कमैन) क्षतिपूर्ति आयुक्त के कितने न्यायालय कहां कहां स्थित हैं, जहां कामगारों के क्षतिपूर्ति मामलों की सुनवायी की जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि कई मामले ऐसे हैं जिनमें अन्तिम रूप से निर्णय किये जाने के बाद भी रिकवरी नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो ऐसे मामलों के निर्णय की तिथि क्या है तथा रिकवरी की कार्यवाही किस स्तर पर है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) रिकवरी में देरी के क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी हैं ? शीघ्र रिकवरी के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री दिनेश डांगी) : (1) राजस्थान में कामगार (वर्कमैन) क्षतिपूर्ति आयुक्त 12 स्थानों यथा जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, बीकानेर, बांसवाड़ा, पाली, सीकर, श्री गंगानगर में है जहां क्षतिपूर्ति मामलों की सुनवाई की जाती है। इनके अतिरिक्त श्रम आयुक्त सम्पूर्ण राजस्थान के लिए क्षतिपूर्ति आयुक्त हैं।

(2) जी हां। जिन मामलों में वसूली नहीं हो पाई है उनकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) रिकवरी में देरी के कारण तालिका में अंकित कर दिये गये हैं जो सदन की मेज पर रख दी गई है। पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत सम्बन्धित जिलाधीशों को लिखकर वसूली योग्य प्रकरणों में वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा क्या औद्योगिक मजदूरों को

(श्री कैलाश मेघवाल)

बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जो वर्तमान ढांचा है, इसमें रीजनल आफिसेज हैं, डिप्टी डायरेक्टर का आफिस है और असिस्टेंट डायरेक्टर का आफिस है तो क्या इस ढांचे को आगे बढ़ाने का विचार सरकार का है ? जो आपने तालिका दी है 1968 तक के मुकदमे जो फैसल हो चुके उनकी अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई तो क्या ऐसे केसेज में ब्याज सहित चुकारा करवाने का सरकार का इरादा है ?

यह जो कामगार क्षतिपूर्ति एक्ट है क्या इसको खेत मजदूरों पर लागू करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री दिनेश डांगी : पहले प्रश्न के उत्तर में मुझे यही कहना है जहां तक क्षतिपूर्ति कार्यालयों को बढ़ाने का सवाल है, मैं अपने विभाग से मालूम करूंगा, अगर इसकी आवश्यकता है तो अवश्य बढ़ाये जायेंगे।

दूसरे, वसूली में देरी के कारण तालिका में अलग अलग दिए गए हैं लेकिन आपके क्षेत्र उदयपुर में केवल 27 मामले हैं जिनमें से केवल 7 ही ऐसे हैं।

तीसरे, खेत मजदूरों पर पहले न्यूनतम वेतन विधेयक लागू हो जाय, उसके बाद ही विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : अनावश्यक रूप से देरी हुई मुआवजे के भुगतान में तो ब्याज सहित रकम चुकाने के लिए आप विचार करेंगे ?

श्री दिनेश डांगी : इसका तो कोई प्रावधान नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : यह जो राज्य सरकार की नीति है गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की तो इन मजदूरों का वर्ग आइडेंटीफाइड गरीब है तो राज्य सरकार उनको कानूनी सहायता उपलब्ध करायेगी ? उनको मुफ्त कानूनी सहायता देने का विचार रखते हैं ?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कानूनी सहायता के प्रावधान की बात करते हैं, सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को ही कानूनी सहायता की दी जा सकती है बाकी वर्ग के लोगों को नहीं दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

जयपुर में डिग्गी हाउस के निकटस्थ भूमि का प्रकरण

562. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा), **श्री शिवराम शर्मा** (बनीपार्क), **श्री तकीउद्दीन** (जौहरी बाजार), व **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शहरी भूमि सीमाबन्दी अधिनियम प्रभावशील होने के समय डिग्गी हाउस के निकट रिक्त भूमि उपलब्ध थी ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या उक्त रिक्त भूमि की घोषणा भू स्वामी ने की ? यदि नहीं तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि सीलिंग में आने वाली भूमि को गोपनीय रखकर भू धारी

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

किराया उठा कर व्यापारिक उद्योग लगवा रहे हैं और अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण कार्य करवा रहे हैं? क्या उन्हें अवैध रूप से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है? यदि हां, तो सरकार भू-धारी, विद्युत मण्डल एवं नगर विकास न्यास आदि की संबंधित अथोरीटीज के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

राज्य मन्त्री, वित्त (श्री प्रद्युम्नसिंह): (1) डिग्गी हाउस के निकट रिक्त भूमि है या नहीं इसकी जांच हेतु प्राप्त विवरणियों की जांच की जा रही है।

(2) सीलिंग से अधिक रिक्त भूमि की घोषणा नहीं की गई है। राज्य सरकार प्राप्त विवरणियों कीजांच कर रही है।

(3) ऐसी जानकारी शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है कि सरकार जांच कर रही है तो मेरा निवेदन है कि जब सन् 76 में सीलिंग के रिटर्न भर के दाखिल हो चुके हैं उसके बाद में भी जब हमने प्रश्न पूछा उसका उत्तर आने में 15 दिन का समय मिल गया तो फिर तो कम से कम पूरा आ जाना चाहिये था।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सीलिंग के रिटर्न सन् 76 में ही दाखिल कर दिये जाने चाहिये थे पर जिन भूमि धारियों ने रिटर्न सन् 76 में दाखिल नहीं किये थे उससे सम्बन्धित जब वह प्रश्न मेरे सामने आया तो जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की गयी तो पता लगा कि कइयों ने रिटर्न नहीं भरे हैं और कइयों ने इस सीलिंग कानून के अन्तर्गत नहीं आने की बात कही। उन्होंने अपनी जमीन यह कह कर बचाने की कोशिश की कि उनकी जमीन सीलिंग से अधिक नहीं है। उन भूमि धारियों ने सन् 76 के पहले ही लोगों को वह जमीन ट्रान्सफर कर दी थी। वह लोग इस प्रकार अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मामले के अन्दर, मैंने जब देखा और पत्रावली मंगा कर उसका अध्ययन किया तो यह पता चला कि इस मामले में डिसीजन लेने में देरी की गयी है। जो भी अधिकारी इसको डील कर रहा था मैंने कल ही उसका एक्सप्लेनेशन काल किया है। यह कहा है कि विभाग द्वारा इसमें अनड्यू देरी क्यों की गयी है। उसका मैंने एक्सप्लेनेशन काल किया है।

श्री शिवराम शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सन् 76 में रिटर्न देने के बाद में ऐसी कोई जमीन उसमें है जो ठाकुर साहब नारायण सिंह ने व्यापारियों को दे दी और कई बेनामी ट्रान्जेक्शन्स भी कर दिये हैं और लोगों ने जमीन पर पजेशन करके मकान भी कन्स्ट्रक्ट करा लिये हैं दुकान वगैरह भी खोल दी है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमन, यह तो अभी कैसे हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कर दिया है। अभी तो रिटर्न की जांच की जा रही है। जब जांच हो जायगी पूरी तरह से उसके बाद में यह देखा जायगा कि भूमि सीलिंग के अन्तर्गत आती है या नहीं। इस पर बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्ट हो गई तो भी राज्य सरकार अरबन लैण्ड सीलिंग एक्ट के तहत

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उस जमीन को एक्वायर कर लेगी। राज्य सरकार को उस कानून के तहत जमीन एक्वायर करने का अधिकार है इसमें बेचान करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

श्री शिवराम शर्मा : इसके अलावा एक बात और है, अध्यक्ष महोदय, क्या सही है कि सन् 76 से इन पिछले पांच सालों में वहां कई व्यापारियों ने कन्स्ट्रक्शन वगैरह करके बिजली व पानी के कनेक्शन ले लिये हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, इसकी विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, हमने यह प्रश्न संख्या 562 के तीसरे प्रश्न में स्पेसिफिक तौर से पूछा है। उसका जवाब मिलना चाहिये। वहां पर बेनामी बेचान किये गये हैं। लोग अनआथराइज्ड तरीके से मकान बना रहे हैं। दुकानें बना रहे हैं। आज एक डिग्गी हाउस की ही बात नहीं। जयपुर में हजारों बीघा जमीन अनआथराइज्ड तरीके से खुर्द बुर्द हो रही है। विभागीय अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती गयी है और कोई कार्यवाही ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार बहुत सी धान्धली जयपुर में हो रही है जमीन का बेचान किया जा रहा है और सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने इस ओर राज्य सरकार का जो ध्यान आकर्षित किया है इसकी सारी सूचना तो मेरे पास नहीं। जो प्रश्न के अन्दर सूचना थी उसके बारे में मैंने निवेदन कर दिया है। इसके साथ साथ अगर आपकी आज्ञा हो तो अरबन लैण्ड सीलिंग एक्ट की धारा 26 में आपकी सेवा में पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : सैक्शन ज्यादा लम्बा तो नहीं है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 5-6 लाइन का ही है वह मैं पढ़ रहा हूं।

"In any State to which teshis Act appires in the first instance and in any State which adopts this Act under clause (1) of Article 252 of the Constitution no person holding vacant I and in excess of the ceiling law immediately before the commencement of this Act shall trans ferany such I and or part thereof by way of sale mortgage gifts lease or otherwise, until he has furnished a statement under section 6 and a Notification regarding the excess vacant land has been published...."

श्री श्रीरामगोटे वाला : अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है वह तो ठीक है लेकिन उस पर राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है वह बतावें? वहां पर लोगों ने मकान

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

वना लिये हैं, दुकाने बना ली हैं और पानी विजली के कनेक्शन ले रखे हैं। नियमानुसार वह सभी गलत है फिर भी सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आप क्या कार्यवाही दोषी लोगों के खिलाफ करने जा रहे हैं वह पूछ रहे हैं हम ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रकरण में देरी जो हुई है पर्टीकूलर केस में उसके लिये....

श्री राम गोटेवाला : इस पर्टीकूलर केस का ही सवाल नहीं है। बहुत सारी धान्धली आज जयपुर में हो रही है। इस प्रकार के कई झमेले जयपुर में हो रहे हैं उनके खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, सभी मामलों के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं पूछा गया था। अब माननीय सदस्यों ने जानकारी चाही है तो इस प्रश्न के बारे में सक्षम अधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं कि सारी जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही नियमानुसार करें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। श्री सुरेन्द्र व्यास, मूल प्रश्नकर्ता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय इस प्रकार के केसेज की जांच कराने जा रहे हैं ? भगवत सिंह, बहादुरसिंह, इन्द्रसिंह कई लोगों के नाम से जमीन की खरीद फरोख्त की गई है। इस प्रकार जो अनग्राथराइज्ड काम किये गये हैं क्या आप उसकी जांच कराने को तैयार हैं बहुत से लोगों ने बेनामी ट्रान्जेक्शनस कर के जमीन दबा रखी है। और माननीय मन्त्री महोदय हमें अरबन लैण्ड सीलिंग एक्ट पढ़ कर बता रहे हैं। हम खुद पढ़े लिखे लोग हैं। हमने लॉ पास कर रखी है। हमें क्या कानून बता रहे हैं ? आप तो उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें जिन्होंने कानून की खिलाफत की है। आप तो यह बतावें कि आप उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं या नहीं ? कार्यवाही उनके खिलाफ करना चाहते हैं तो कब तक ? इस प्रश्न के भाग तीन में जो हमने पूछा उसका उत्तर देने में मन्त्री महोदय असमर्थ हो रहे हैं। वहां पर लोगों ने मकान किराये पर ले रखे हैं, कइयों ने दुकानें बना ली हैं तथा व्यापारी वर्ग के कई लोगों ने मकान कन्स्ट्रक्ट कर लिये हैं कॅमर्शियल पर्पज के लिये जो बिजली के कनेक्शन के पैसे चार्ज किये जाते हैं उसका लाभ उठा कर डामेस्टिक पर्पज के लिये हाउसेज में बिजली के कनेक्शनस ले लिये हैं और चार्जेज बहुत ही कम दे रहे हैं।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के बहुत से केसेज जयपुर में हैं। इस पर आधा घण्टे की चर्चा रख लेनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का उत्तर आप देने को तैयार हैं जो अभी सुरेन्द्र व्यास ने किया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मूल प्रश्न पूछा था उसका जवाब मैंने दिया है। बाकी की मुझे जानकारी नहीं है कि किन लोगों ने पानी या बिजली के कनेक्शन्स किस आधार पर ले रखे हैं अगर लोगों ने पानी बिजली के कनेक्शन्स ले भी लिये हैं तो भी अगर सीलिंग कानून के अन्तर्गत वह जमीन आती होगी तो कोई फर्क राज्य सरकार के लिये पड़ने वाला नहीं है लेकिन जो रिटर्न भरे हैं उसके अनुसार अगर ज्यादा जमीन आती होगी तो राज्य सरकार जरूर कार्यवाही करेगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कनेक्शन पावर का लेकर चार्जेज में जो चोरी हो रही है उसके बारे में पूछ रहा हूं। इसके लिये आप क्या कर रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह अलग से है। पावर के बारे में अलग से प्रश्न पूछें....

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल प्रचेरवाल।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर तो आया नहीं है कि जांच कौन कर रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने अगला प्रश्न ले लिया....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। समय की सीमा में....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर कोई इर्रेलेवेंट क्वेश्चन है आप डिस्अलाउ कर सकते हैं but a question which has been allowed by the chair has got to be answered by the Minister.

श्री अध्यक्ष : उन्होंने आंसर दे दिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं दिया उन्होंने।

(व्यवधान)

मैंने दो सवाल पूछे हैं आप इन्क्वायरी कब तक कम्पलीट करा लेंगे ? किससे इन्क्वायरी करा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय के पास जितनी जानकारी थी वह उपलब्ध कर दी। आसन के हाथ में यह नहीं है कि आप जितनी जानकारी चाहें मन्त्री महोदय उन सब का जवाब दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक सवाल का जवाब दे दें, क्या राज्य सरकार ठाकुर नारायण सिंह डिग्गी से सहानुभूति रखती है....

एक माननीय सदस्य : डिग्गी ठाकुर का जो मामला है क्या ऐसे मामले और भी हैं....

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आने दीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार की ठाकुर नारायण सिंह डिग्गी के साथ कोई सहानुभूति नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : दुश्मनी है ?

(12)

श्री प्रद्युम्नसिंह : दुश्मनी भी नहीं है।

जो प्रश्न मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है उसका उत्तर निवेदन है इस मामले के अन्दर जो सक्षम अधिकारी हैं, मि० एम० पी० सिंह है उनकी जांच कर रहे हैं। उनका एक्सप्लेनेशन काल किया है। हमारे डायरेक्टर जांच कर रहे हैं। मैंने उनको भी कहा है कि इस मामले को देखें, एक्सप्लेनेशन काल करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या बात है। जिसका एक्सप्लेनेशन काल किया है वही जांच कर रहा है। जिस आफिसर का एक्सप्लेनेशन काल किया है। वही इस मामले की जांच कर रहे हैं....

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऐसा नहीं है।

श्री सूरजपाल सिंह : मन्त्री महोदय ने बिलकुल सही जवाब दिया है। जो बात गोपनीय है, बिजली वालों को क्या पता है जमीन किस के नाम है। कनेक्शन दे दिया बिलकुल सही जवाब दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जयपुर में हजारों घोटाले हैं। यह चाहते हैं कि निष्पक्षता से इस प्रकार के सारे मामलों की जांच करायें। सन् 75 में लॉ पास हुआ है, उसकी उन्हें जानकारी नहीं। सारे मामलों में तत्परता से जांच करें।

(व्यवधान)

आप मन्त्री महोदय से अपेक्षा यह करें........

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : हिंगों हाउस के पास जो जमीनें हैं उन सबको देखना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह : हजारों सोसाइटियां बन गई।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : जयपुर शहर को....

(व्यवधान)

बिगाड़ने वाले मेरा निवेदन है कि एक समिति बनाई जानी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। इस पर आगे चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री भैंरूसिंह गुर्जर (खारची) : आप आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दे दीजिये। जयपुर में हजारों लोगों ने कब्जा कर रखा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सहयोग करें माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

श्री सूरजपाल सिंह : आप जांच कराइये।

श्री शिवराम शर्मा : उनको हक दिलवाया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य । अगला प्रश्न ।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम आपने पुकारा है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने नाम पुकारा है गोपाल पचेरवाल ।

श्री अध्यक्ष : किसी प्रश्न पर पूरक प्रश्न आसन की अनुमति से ही पूछे जा सकते हैं। नाम तो मैं कई दफा पुकारता हूं लेकिन माननीय सदस्यों का सहयोग नहीं मिलने से जो मेरी इच्छा होती है वह पूरी नहीं होती है।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : आप के आदेशों की पालना करके हम बैठ जाते हैं। हम पूछना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : अनावश्यक रूप से लम्बा हो गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अनावश्यक रूप से विलम्ब किया जा रहा है। करोड़ों रुपयों की जमीन को....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, थोड़ा नियमों का ध्यान रखें।

(व्यवधान)

आपने कानून का हवाला दिया था। आसन पैरों पर है। केवल एक पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगा आसन के माध्यम से क्योंकि नाम पुकार लिया था। श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा आपके माध्यम से, क्या यह सही है कि स्टेट टाइम में मिर्जा इस्माइल जब प्राइम मिनिस्टर थे तब डिग्गी हाउस के आसपास की भूमि एक्वायर की गई थी और उस भूमि पर बिना इजाजत दामोदर व्यास....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न.......

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सुरेन्द्र व्यास ने नाजायज कब्जा कर के मकान का निर्माण किया है.......

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : इनकी × × ×

श्री भगवान दास शास्त्री : नाजायज कब्जा कर रखा है.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है। अगला प्रश्न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आन ए पाइंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। I have to give my personal explanation.

अध्यक्ष महोदय, इस सदन को भ्रांति में डालने की कोशिश की जा रही है। डिग्गी हाउस के सामने की जो भूमि है, वहां हमारा प्लाट है, राम किशोर व्यास

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सुरेन्द व्यास)

का प्लाट है, पालीवाल जी का प्लाट है यह सब यू० ग्राई० टी० के प्लाट्स हैं। डिम्मी हाउस का हिस्सा कभी नहीं रहा। संग्राम कालोनी जो डिग्गी हाउस के पीछे बनी हुई है वह पूरी डिग्गी हाउस का एरिया है।

एक सिम्पल क्वेश्चन है ग्रध्यक्ष महोदय, जिसको पोलिटिकलाइज करना चाहते हैं। मैं यह कहता हूं × × ×

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय सदस्य ×××बोलते है, शर्म नहीं ग्राती।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : डाइरेक्ट क्यों ग्रारोप लगाते हैं....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : डिग्गी ठाकुर ने कोई ग्रन्याय किया है लेकिन साथ में जो जुड़े हुए हैं........

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यू० ग्राई० टी० की जमीन क्या दामोदर जी व्यास ग्रौर राम किशोर जी व्यास को ही मिल सकती है ?

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर ग्रार्डर, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे पर ग्रारोप लगाया है........

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रासन पैरों पर है। मैं निवेदन कर रहा हूं, ग्रारोप ग्रौर प्रत्यारोप के लिए स्पष्टीकरण यदि माननीय सदस्य देना चाहते हैं तो प्रश्न काल में उपयुक्त नहीं है।

(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या ग्राप बता सकते है........।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रासन पैरों पर है। माननीय सदस्य, ग्रार्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : ग्रध्यक्ष महोदय, इज्जत का सवाल है।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय श्री गोपाल पचेरवाल यदि कोई व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते है तो प्रश्न काल के समाप्त होने के बाद निश्चित रूप से मैं ग्रवसर दूंगा।

(व्यवधान)

××× ग्रभिव्यक्ति एवं शब्द माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित किया गया।

श्री देवी सिंह भाटी : उनको कैसे अलाउ किया ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये......

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्यगण।

(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी : उन्हें स्पष्टीकरण देने का क्या अधिकार था ?

श्री अध्यक्ष : कृपया समय का सदुपयोग करें। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

एक माननीय सदस्य : × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठे बैठे न बोलें। आवेश में न आयें, माननीय सदस्य।

श्री सुखलाल सैणचा (रामपुरा) : यह विधान सभा है, × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अगला प्रश्न।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जय देव प्रसाद इन्दोरिया।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री नानू राम : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न 587 इसी से सम्बन्धित है इसलिये इसी के साथ उत्तर दे दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया व्यवस्था कायम रखें। अगला प्रश्न।

श्री जीत मल जैन, श्री देवी सिंह, श्री गोपाल पचेरवाल।

केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ बीकानेर हाउस, दिल्ली का भाग

564. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन),

564. श्री जीत मल जैन (अलवर) : क्या मुख्य मन्त्री (सामान्य प्रशासन) यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस का वह भाग, जिसमें केन्द्रीय सरकार का चॉटर कन्ट्रोल बोर्ड का कार्यालय चलता था, खाली किया जाकर राज्य सरकार को सम्भलवाने के पूर्ववर्ती केन्द्रीय सरकार ने निर्देश दे दिये थे ?

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने भवन के उक्त हिस्से का कब्जा ले लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं लिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि भवन के उक्त हिस्से में केन्द्रीय सरकार अन्य कार्यालय स्थापित करने का विचार कर रही है ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार ने कार्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को अपनी सहमति दे दी है ?

राज्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) पूर्ववर्ती केन्द्रीय सरकार ने 1979 के अन्त तक बीकानेर हाउस छोड़ने की पूरी कोशिश करने का लिखा था।

(2) जी नहीं, अभी कब्जा नहीं सम्भलवाया गया है।

(3) राज्य सरकार की जानकारी में नहीं है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जीत मल जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा कि 1979 के अन्दर तत्कालीन राज्य सरकार ने आदेश दिया था कि कब्जा ले लिया जाय, अब उस सम्बन्ध में क्या प्रगति है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रिया तो सन् 1964 से चल रही है बीकानेर हाउस को खाली करवाने की। उन्होंने 80 के अक्टूबर, नवम्बर में खाली कर दिया है लेकिन पजेशन अभी तक राज्य सरकार को नहीं सम्भलवाया है। बराबर प्रयत्न कर रहे हैं और लिखा पढ़ी कर रहे हैं कि हमको इसका कब्जा शीघ्र मिल जाये।

श्री जीत मल जैन : क्या माननीय मुख्य मन्त्री, दिल्ली के अन्दर जो राज्य मन्त्री की स्थिति में थे, इस समय जिस हाउस को लेने की बात है क्या केन्द्रीय सरकार से खाली नहीं करवाना चाहते थे ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बात गलत है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछना चाहता हूं....

श्री जीत मल जैन : अध्यक्ष महोदय, अलग प्रश्न कैसे है ? इसी से सम्बन्धित है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने कहा, यह बात गलत है। इसमें कोई तथ्य नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री देवी सिंह भाटी : अभी मंत्री महोदय ने फर्माया, खाली कर दिया गया है लेकिन कब्जा नहीं मिला है तो मैं पूछना चाहता हूं, कब्जा क्यों नहीं मिला जब केन्द्रीय सरकार ने आदेश कर दिये और मकान खाली हो गया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : उन्होंने पार्लियामेंट में लिखित उत्तर में कहा है....

(व्यवधान)

खाली कर दिया लेकिन भारत सरकार पशोपेश में है कि वह कब्जा देगी या नहीं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

देगी। पार्लियामेंट में यह भी कहा है कि हम दूसरा ग्राफिस शिफ्ट करना चाहते हैं इसलिये अन्डर कन्सीडरेशन है, दिल्ली में अकमोडेशन की शार्टेज है लेकिन हमारा प्रयत्न है इसका कब्जा शीघ्र मिले। इसके लिये प्रयत्न जारी है, श्रीमन्।

श्री देवी सिंह भाटी : मन्त्री महोदय ने फर्माया, वह खाली कर दिया है फिर भी कब्जा नहीं लिया है। जब खाली कर दिया है तो कब्जा क्यों नहीं मिला ? चाबी ही तो लेनी थी-अक मोडेशन की तो इसमें कोई बात ही नहीं थी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : किस तरह का कब्जा लेने का सरकार प्रयत्न कर रही है, यह बता दें।....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न कर्ता।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां से पत्र लिखे गये हैं। हमारे कमिश्नर साहब हैं वे भी रहते हैं दिल्ली में। सरकार ने आदेश दिये हैं कि जो वहां के सक्षम अधिकारी हैं, उनसे बात करें कि जब 4-5 महीने से आफिस हटा लिये गये तो कब्जा क्यों नहीं दे रहे हैं। अन-आफिसियली बात हुई है उससे ऐसा लगता है कि दिल्ली में भारत सरकार के पास अभी भी अकमोडेशन की शार्टेज है। पावर कमीशन और वाटर कण्ट्रोलर अथोरिटी के जो आफिसेज थे वे तो शिफ्ट कर लिये हैं लेकिन दूसरे आफिसेज को लाने की इच्छा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं, हमारी आवश्यकता को देखते हुए, राज्य सरकार की आवश्यकता को देखते हुए इसका कब्जा सम्भलवाया जाय।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं मंत्री महोदय को यह जानकारी देना चाहता हूं कि इस भवन के खाली होने के बाद केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार को देना चाहती थी किन्तु कब्जा लेने में विलम्ब हुआ इसलिए टेम्प्रेरी तौर पर भारत सरकार ने उसमें सीमेन्ट का भण्डार कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या राजस्थान के जो विधायक हैं या जो दूसरे अधिकारीगण हैं उनको लान में या बरामदे में जगह की कमीं होने की वजह से सोना पड़ता है ? मुझे जानकारी है, केन्द्रीय सरकार ने इसका कब्जा देने के लिये दो शर्तें रखी हैं एक तो जो उनका बंगला है, वह खाली करके दिया जाय। दूसरा 9, कृष्णा मार्ग पर जो भवन है वह भी उनको सम्भलवाया जाय। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली में अधिकारियों और विधायकों की बहुत बड़ी समस्या आवास की है

श्री प्रद्युम्न सिंह : ये दोनों चीजें बाधक हैं तो भी हमारा प्रयत्न है कि उसका कब्जा शीघ्र से शीघ्र लिया जाय। श्रीमन्, पहले ही मुझे मालूम था कि यह प्रश्न उत्पन्न होगा क्योंकि यहां पहले इस बारे में जिक्र हो चुका था इसलिये मैंने इस बात की जी. ए. डी, व मुख्य मन्त्री कार्यालय से जानकारी की तो मालूम हुआ कि कोई पत्र नहीं आया है। यह बात

(18)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हमको नहीं कही है। न राज्य सरकार के पास, न मुख्य मन्त्री के कार्यालय में, न जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्ट के के अन्दर जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि 9, कृष्णा मार्ग पर अलाटमेंट किया है उसे जब तक आप खाली नहीं करेंगे तब तक कब्जा नहीं देंगे, इस आशय की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। कारण यही है कि अकमोडेशन की दिल्ली के अन्दर भारत सरकार के पास शार्टेज है, इस कारण से वे अपने कब्जे में रखना चाहते हैं लेकिन हमारा कब्जा लेने का प्रयत्न जारी है। जो उनके ताले वहां पर लगे हुए हैं, हमने ताले उन पर लगा दिये हैं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मन्त्री महोदय, हमको अनुमति दी जाय, ताले हम तोड़ देते हैं हम इसमें एक्सपर्ट हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। माननीय सदस्य।

श्री देवी सिंह भाटी : एक बड़ा घपले का मामला है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। सुश्री पुष्पा जैन।

श्री देवी सिंह भाटी : चुंगी की चोरी हो रही है, इसलिए बहुत जरूरी है, राज्य सरकार को जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसको रोका जाय।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 11 व 23 मार्च 1981)

पंचायतों को देय अनुदान का उपयोग

202. **सुश्री पुष्पा जैन (अजमेर)** : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे—

(1) वर्ष 1980-81 में पंचायतों को देय अनुदान में से किस किस माह में कितनी कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इस राशि में से मजदूरों की बकाया का भुगतान किया गया ? यदि हां, तो इस रूप में कितनी राशि की कटौती हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि जिन पंचायत क्षेत्रों में मजदूरों की कोई बकाया नहीं थी, उन पंचायतों की अनुदान राशि से भी कटौती की गई है ? यदि हां, तो किन किन पंचायतों से ऐसी कितनी कितनी राशि की कटौती की गई ?

पंचायत मन्त्री (श्री हनुमान प्रभाकर) : (1) वर्ष 80-81 में पंचायतों को अनुदान की राशि निम्न प्रकार से दी गयी है—

1. प्रथम किश्त मई, 80	1,19,14,310.00
2. द्वितीय किश्त जुलाई, 80	1,19,14,310.00
3. तृतीय किश्त अगस्त, 80	1,19,14,310.00
4. चतुर्थ किश्त सितम्बर, 80	1,19,14,310.00
कुल योग	4,76,57,240.00

(श्री हनुमान प्रभाकर)

(2) जी हां। 22 जिलों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जिला पाली, नागौर, सीकर एवम् जयपुर में मजदूरी पेटे रुपये 13,99,495-86 की कटौती की गई है।

(3) जी हां। 22 जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार जिन पंचायत क्षेत्रों में मजदूरों की कोई बकाया नहीं थी उन पंचायतों की अनुदान राशि में से नागौर, पाली एवम् जयपुर, सीकर जिले की पंचायतों में 9,77,69 .00 मजदूरी पेटे से कटौती की है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि कुछ पंचायतें ऐसी थीं जिनमें मजदूरी की कोई राशि बकाया नहीं थी, इसके बावजूद उनके अनुदान की राशि काट ली गई ?

श्री अध्यक्ष : इसके लिए आप अगले से प्रश्न पूछिये। पूरे राजस्थान में हजारों पंचायतें हैं, उनका विवरण नहीं दिया जा सकता। आप पोइन्टेड प्रश्न पूछ लेते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने पोइन्टेड प्रश्न पूछा है। जयपुर और सीकर जिले में ऐसी पंचायतें हैं, जिनका अनुदान....

श्री हनुमान प्रभाकर : जिलों के आधार पर मैंने आपको जानकारी दी है। यह सही है कि कुछ पंचायतों की अनुदान की राशि से कटौती की गयी है। इसके लिए राहत विभाग के द्वारा इनको और राशि दे दी गई है, जैसे जयपुर के अलावा राहत विभाग ने जो राशि दी है, वह 9 लाख रुपये के करीब दी है। हम विचार कर रहे हैं कि राहत विभाग के द्वारा जिन जिलों को राशि दी गयी है यदि वहां की जिला परिषद् ने कटौती की है तो एडजस्टमेन्ट कर लिया जाय। यह विचाराधीन है। हम कोशिश करेंगे कि पंचायतों की राशि बाकी नहीं थी और काट ली गयी है, और जैसा मैंने निवेदन किया है कि जयपुर जिले का मालूम कर चुका हूं, आज की तारीख में 9 लाख रुपये जयपुर जिले की पंचायतों को दिये गये हैं, उनके पास अवशेष हैं और जिनका काम नहीं हुआ है, मैंने इस पर विचार किया है और इसके बाद फैसला करने की स्थिति में हूं अगर उनके पास राहत विभाग द्वारा दी गयी राशि शेष है, तो वह उन पंचायतों, जिनका मजदूरी का भुगतान शेष नहीं था, को दी जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या यह सही है कि तीसरी और चौथी किश्त का जो भुगतान हुआ है, पंचायतों को दिया गया। उसमें केश कम्पोनेन्ट भी सम्मिलित है ?

श्री हनुमान प्रभाकर : आपने मजदूरी भुगतान पूछा, केश कम्पोनेन्ट का बाद में किया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या यह मजदूरी भुगतान के पेटे में दी गयी है।

श्री हनुमान प्रभाकर : कौन सी ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तीसरी और चौथी किश्त ?

श्री हनुमान प्रभाकर : यह तो पंचायतों और जिला परिषदों को दी गयी

(20)

(श्री हनुमान प्रभाकर)

है, हमने सारी राशि जिला परिषदों को दे दी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कब दी ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : एक तो मैंने बताया मई में, दूसरी जुलाई में, तीसरी अगस्त में—

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह जो राशि दी है, यह अनुदान राशि के रूप में दी गयी है या मजदूरी भुगतान के पेटे में दी गई है ?

श्री हनुमान प्रभाकर : यह राशि राहत विभाग ने अनुदान राशि से दी। भुगतान बकाया था और राशि उपलब्ध नहीं थी तो जिलाधीशों ने उसमें कुछ करके उसका भुगतान कर दिया, 24-12 को राशि दी है। मैंने जयपुर जिले का उदाहरण दिया है कि 9 लाख रुपये राहत विभाग का बेलेन्स है, जिन पंचायतों का मजदूरी बाकी नहीं थी, उनकी जो अनुदान राशि काटी गयी है, उसके ऊपर विचार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या आप यह विचार करेंगे कि अनुदान राशि नहीं मिली है, उनको शेष राशि दिलायी जाय इसी साल में ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। कृपया सहयोग दें। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कोई सप्लीमेंट्री नहीं पूछा है। मुझे भी तो अवसर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता की स्वीकृति से ही आपने पूछा, हम यही मानकर चलते हैं, अपनी ओर से नहीं पूछा।

(व्यवधान)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23 मार्च, 1981)

ऊन पर आधारित उद्योग

387 **श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की सबसे बड़ी ऊन की मण्डी किस स्थान पर है ? ऊन आधारित उद्योग कहाँ-कहाँ हैं ?

(2) क्या सरकार छठी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में या संयुक्त क्षेत्र में ऊन आधारित बूल टोप्स का कारखाना लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां पर ?

(3) क्या विभाग राज्य में ऊनी गलीचे के उत्पादन को बढ़ाने हेतु कुशल श्रमिकों को तैयार करने हेतु बीकानेर जैसे स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ?

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

(4) क्या यह सही है कि राज्य में कच्ची ऊन के उत्पादन की तुलना में औद्योगिक उत्पादन बहुत कम होता है? यदि नहीं, तो ऊन का औद्योगिक उत्पादन कितना है एवम् औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार की क्या योजना है?

राज्य-मंत्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्न सिंह): (1) राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर है। ऊन पर आधारित उद्योग के प्रमुख स्थान, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, भीलवाड़ा नागौर, झूंझुनूं, टोंक, व चूरू जिले हैं।

(2) सार्वजनिक या संयुक्त क्षेत्र में वर्तमान में वूल टाप्स बनाने की कोई परियोजना का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(3) बीकानेर जिले में राजस्थान लघु उद्योग निगम के दो प्रशिक्षण केन्द्र एक नापासर तथा दूसरा बीकानेर शहर में पूर्व ही कार्यरत है।

(4) जी हां। राज्य सरकार औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हेतु ऊन इकाइयों को प्रोत्साहित करने, वस्त्रायुक्त बम्बई से और अधिक तकुवे स्वीकृत कराने हेतु प्रयासरत है। गलीचा उद्योग में व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने हेतु 34 प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं। राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 10 परियोजनाओं द्वारा 10 ऊनी धागा मिल स्थापित की जा रही हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला: अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि बीकानेर से कच्ची ऊन के उत्पादन को देखते हुए औद्योगिक उत्पादन, जो मैंने अपने प्रश्न में पूछा है, कितना है? दूसरा प्रश्न यह है, क्या यह सही है कि जो राजस्थान में सबसे बड़ी ऊन की मण्डी है तो पब्लिक सैक्टर में किसी प्रकार का कोई कारखाना है?

श्री प्रद्युम्नसिंह: आपने मुझ से पूछा है कि राजस्थान में सबसे बड़ी ऊन की मण्डी किस स्थान पर है उसका मैंने आपको जवाब दिया है।

श्री बुलाकी दास कल्ला: बीकानेर में कोई भी ऊन पर आधारित राजकीय उपक्रम है या नहीं?

श्री प्रद्युम्नसिंह: हमारी एक मिल थी लाडनूं में वह हमने लीज पर दे दी है क्योंकि वह घाटे में चल रही थी। अभी सरकार की तरफ से वहां पर ऊन पर आधारित कोई उद्योग नहीं चल रहा है।

श्री बुलाकी दास कल्ला: मन्त्री महोदय स्वयं स्वीकार करते हैं कि बीकानेर ऊन की राजस्थान में सबसे बड़ी मण्डी है। मैं आपकी जानकारी के लिए कहता हूं कि यह राजस्थान ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मण्डी है। अभी तक पब्लिक सैक्टर में एक भी ऊन पर आधारित उद्योग नहीं है। इस परिस्थिति में राजस्थान के सर्वाधिक बहुमूल्य उद्योग का विस्तार करने के लिए भविष्य में कोई पब्लिक सैक्टर में कारखाना खोलने का प्रयास करेंगे?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अभी सरकार का इस बारे में कोई इरादा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : अध्यक्ष महोदय, मद्य निषेध के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है………

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक एक करके माननीय सदस्य बोलें तो मैं सुन तो सकूं कि आप क्या कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगित प्रश्न है।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगित प्रश्न है।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : मदिरा के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले भी स्थगित किया गया था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। स्थगित सभी प्रश्न समाप्त हो गए।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : पिछली बार भी मंत्री महोदय ने इस का उत्तर नहीं दिया था………

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर चर्चा नहीं होगी। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्यगण आसन पैरों पर है……

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : पहले मैं अपनी बात सुना दूं फिर आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण सवाल है। फिर रामलालजी का तो एक ही सवाल आया है। पिछली बार भी मंत्री महोदय जवाब देने से मुकर गए थे………

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बाऊदयाल जोशी अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर दिया गया है उसको क्या आप भी पढ़ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप चेम्बर में नहीं मिले। आपको अच्छी काफी पिलाऊंगा।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न को दुबारा स्थगित किया जावे। **श्री अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न को** स्थगित करवा दीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हम तो आपके आदेशों का पालन करते हैं। यह सूची जो मेरे पास आई है इसको क्या कोई भी पढ़ सकता है………

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ।

श्री देवीसिंह भाटी अध्यक्ष महोदय, आपके आदेशों की पालना करते हैं । यह सूची भेजी है इसको कैसे पढ़ सकते हैं । आपने आदेश फर्मा रखा है कि साइक्लोस्टाइल्ड करवा कर भेजें फिर भी आपके आदेशों की पालना नहीं हो रही है……

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज ।

श्री देवीसिंह भाटी : कोई भी मन्त्री इसको पढ़ कर बता दें ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है……

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इससे प्रदेश का भविष्य जुड़ा हुआ है आप इस प्रश्न का उत्तर दिलवाइये……

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ । कई महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन अब न तो स्थगित किये जायेंगे, न समय बढ़ाया जाएगा । कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : हम आपके आज्ञाकारी सदस्य हैं…

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए । आपके आदेशों की पालना नहीं होती है । मुझे जो सूची दी गई है उसको कोई पढ़ नहीं सकता ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम तो बहुत ही अनुशासित सदस्य हैं । श्री रामलालजी का इस विधान सभा में एक भी प्रश्न नहीं आया है । यह मद्य निषेध नीति सम्बन्धी प्रश्न है, इससे प्रदेश की उन्नति का प्रश्न जुड़ा हुआ है…

(व्यवधान)

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : आप इस प्रश्न का जवाब दिलवाइये ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : आप इस प्रश्न का उत्तर दिलायें । प्रदेश की उन्नति से इस प्रश्न का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है । प्रदेश की 20 करोड़ की आय का प्रश्न है…

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है । लाखों रुपया अधिकारी लोग खा गये हैं । अधिकारियों ने चालीस-चालीस लाख के बंगले बनाये हैं…

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री हंसराज शर्मा—× × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर चुका हूं कि कोई भी प्रश्न स्थगित नहीं होगा।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : क्या सरकार इस प्रश्न का उत्तर देने में टालमटोल कर रही है। उस बार जब प्रश्न आया था····

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : व्यवस्था कराइये, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था करायेंगे। अपने नियम बिल्कुल स्पष्ट है। प्रश्नकाल एक घण्टे का होता है। माननीय सदस्य स्वयं समय का ध्यान रखे तो अधिक से अधिक प्रश्न यहां आ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदस्यों को मौका दिया जावे। बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। 40-50 लाख के बंगले यहां पर बन रहे हैं····

श्री रामलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक ही प्रश्न आया है।

श्री अध्यक्ष : अलग से मिल लीजिए, कोई व्यवस्था हो सकती है तो करूंगा लेकिन अभी स्थगित नहीं किया जावेगा।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन तो सुन लीजिए····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब कोई भी प्रश्न नहीं होगे। यह एक बहुत ही विवाद का विषय है। एक के बाद एक प्रश्न इस तरह से स्थगित होते रहेंगे। यह नहीं हो सकता। पहले एक बहुत ही विवादास्पद प्रश्न पर इस प्रकार से हुआ था और वह भी वोट करवाने के पश्चात किया गया था। अगर इस तरह से करते रहे तो हमेशा यही होता रहेगा।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर भी वोट करवा लीजिए।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है। आप मदद कीजिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप इस प्रकार की मांग नहीं करें।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : राजस्थान सरकार की घोषित नीति है और कुछ लोग इन्वोल्वड हैं····

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रश्नों को स्थगित करने का अधिकार आप सब की ओर से आसन को दिया हुआ है। हर प्रश्न पर इस प्रकार से प्रस्ताव लाये जायेंगे कि इसको स्थगित किया जावे या नही तो सदन की कार्यवाही चलाना कठिन हो जावेगा। आप जानते हैं कि मत कराने में कितनी लम्बी प्रक्रिया है। किसी माननीय सदस्य ने उठ कर यह फर्मा दिया कि इसमें मतों का विभाजन होना चाहिए तो उसमें कितना समय लगेगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि प्रश्नों के बारे में यदि आपको कोई शिकायत है, आपको कुछ उसके सम्बन्ध में कहना है तो अलग से आप चेम्बर में मिल सकते हैं। यथासंभव मेरी यह कोशिश रहेगी, मैं प्रयास करूंगा कि महत्वपूर्ण प्रश्न जितने हैं वे सब सदन के सामने आवें। प्रश्नकाल एक माध्यम है और उसके लिए एक घण्टे का समय होता है। मैं माननीय सदस्यों से बराबर निवेदन करता रहता हूं कि कृपया समय का ध्यान रखें क्योंकि बहुत से प्रश्न अवशेष रह जाते हैं, फिर यहां पर कई शिकायतें होती हैं। इसका एक ही इलाज है कि माननीय सदस्यगण पूरक प्रश्न एक दो ही पूछें। उसमें प्रश्नकर्ता को प्रथम अवसर होना चाहिये पूछने का। ऐसी यदि व्यवस्था नहीं रखते हैं तो सदन का आखिरी समय इस तरह से विवाद में चला जाता है जिसको हम सदन के समय का सही उपयोग नहीं कह सकते हैं। इसलिये माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जिन माननीय सदस्यों को प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत रह गई हो, उनके कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हों तो अन्य किसी तरीके से लाने का क्या बन्दोबस्त हो सकता है, वह करने की कोशिश की जायेगी। लेकिन प्रश्न काल प्रश्नकाल है। एक घण्टे में समाप्त हो जायेगा। टैस्ट चैकिंग हैं। अगर हजार चावल पकने के लिए रखे हुए हैं, तो दो चावल उठाकर देख लिए कि ठीक है, पके या नहीं पके। तो यह टैस्ट चैकिंग है। पूरे प्रशासन मन्त्री की यहां प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करें, उसकी आलोचना करें तो यह बहुत ही अल्पकाल का माध्यम है। उसको कृपया इस दृष्टि से देखें। अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आज के दिन की सूची काफी लम्बी है।

श्री रामलाल : मैं चेम्बर में मिलूं आपसे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इस तरह से इजाजत नहीं दूंगा। आप अलग से मिल लें। मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, इस बारे में क्या कर सकते हैं, वह करने की कोशिश करेंगे।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया.

श्री हंसराज शर्मा : आसन द्वारा महत्वपूर्ण समझ कर स्थगित किया गया था। लेकिन प्रश्नकाल के अन्तिम क्षणों में आकर यह प्रश्न रह गया।

श्री अध्यक्ष : दुबारा प्रश्नकाल नहीं होगा। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

गृह निर्माण सहकारी समिति मालासर (रतनगढ़)

563. श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया–(रतनगढ़) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि रतनगढ़ तहसील के ग्राम मालासर हरिजनों ने गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, मालासर की हिस्सा राशि रुपये 1880/– एवं प्रवेश शुल्क रु. 90/–इस प्रकार कुल रुपये 1890/–दिनांक 28 फरवरी, 1975 को श्री हनुमान सिंह, सहकारी प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, रतनगढ़ को जमा कराये थे ? क्या यह भी सही है कि उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति का न तो अब तक पंजीयन ही हुआ है और न ही उक्त जमा राशि सम्बन्धित लोगों को लौटाई गई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(2) यह धन राशि किस बैंक की किस शाखा के पास जमा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) तथाकथित धनराशि दी चूरू सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि० चूरू तथा शाखा रतनगढ़ में जमा नहीं हुई है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति मूंडवा व नागौर की नलकूप योजना

566. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने पंचायत समिति, मूंडवा एवं पंचायत समिति, नागौर में कृषि सिंचाई हेतु नल कूप लगाने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

(2) यदि कोई योजना नहीं है, तो कब तक बनाने का विचार है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, मूंडवा एवं पंचायत समिति, नागौर के लिए कृषि सिंचाई हेतु नलकूप लगाने की कोई भी योजना भू जल विभाग ने नहीं बनाई है।

(2) भू जल विभाग द्वारा कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

नगर (भरतपुर) में गोविन्दगढ़-सीकरी सड़क

567. श्री मुराद खां (नगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नगर में गोविन्दगढ़ से सीकरी सड़क वर्तमान में कितनी बन चुकी है ? किस ठेकेदार से बनवाई जा रही है ? जो काम अधूरा है उसके क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि मैटेरियल मौके पर पड़ा हुआ है और ठेकेदार मन-मर्जी से इसे नहीं बना रहा है ? यदि हां, तो ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? अब इस सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

(2) क्या सीकरी से नौगांवा वाया खोहरी सड़क का सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो अब तक कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया और अब कब प्रारम्भ होगा ?

(3) क्या डीग से आने वाली सड़क से पीपलखेड़ा से पापड़ा घाटी को वाया गोपालगढ़ मिलाया जा रहा है जो हरियाणा प्रान्त को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण सड़क होगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या बड़ौदा मेल से भटपुरा सड़क बनाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब आरम्भ किया जायेगा ?

उत्तर

(1) निर्माणाधीन सड़क गोविन्दगढ़ से सीकरी भरतपुर व अलवर खण्डों के अन्तर्गत आती है। सीकरी की तरफ से 5 कि. मी. भरतपुर खण्ड के अधीन है तथा मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है। 5 कि.मी. अलवर खण्ड के अन्तर्गत है जिसमें से 5 कि. मी. पक्की सड़क बन चुकी है व 5 कि. मी. का कार्य प्रगति पर है व मैटेरियल को इकट्ठा किया जा रहा है। भरतपुर खण्ड का भाग मैसर्स राजस्थान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नगर द्वारा किया जा रहा है और अलवर खण्ड का काम मैसर्स भारतराम दामोदर लाल द्वारा किया जा रहा है। भरतपुर खण्ड में मिट्टी 6 कि. मी. पर हो चुकी है व कल्पशन प्रगति पर है। अलवर खण्ड में 5 कि. मी. कार्य पूरा हो चुका है व 5 कि. मी. में कार्य प्रगति पर है। केवल प्रथम कि. मी. के कुछ भाग में भूमि अवाप्ति की वजह से कार्य अधूरा है।

मौके पर कार्य प्रगति पर होने के कारण सड़क पर मैटेरियल इकट्ठा किया हुआ है व किया जा रहा है। चूंकि कार्य प्रगति पर है अतः ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है। आशा है कि सड़क कार्य वर्ष 1981-82 में पूरा हो जायेगा।

(2) जी नहीं।

यह कार्य निर्धारित योजना मापदण्डों में नहीं आता है अतः निकट भविष्य में सड़क निर्माण की संभावना नहीं है।

(3) जी नहीं।

यह कार्य निर्धारित योजना मापदण्डों

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री

में नहीं आता है अतः निकट भविष्य में सड़क निर्माण की संभावना नहीं है।

(4) जी नहीं।

जाखरना (अलवर) में बांध बनाना

568. **श्री सुजानसिंह** (बहरोड) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार के पास ग्राम जाखरना जिला अलवर में बांध बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस बांध के निर्माण हो जाने से आसपास के कई ग्रामों को लाभ होगा ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

जैतारण (पाली) की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

569. **श्री शिवदानसिंह राठौड़** (जैतारण) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील जैतारण जिला पाली में ग्रामीण विद्युतीकरण (निगम) योजना कब लागू की गई ? इसमें कितने ग्राम सम्मिलित किये गये है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में जैतारण पंचायत समिति के काफी ग्राम सम्मिलित नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो कृपया उन ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार शेष गांवों को इस योजना में सम्मिलित करना उचित समझती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) तहसील जैतारण की कोई ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना अभी स्वीकृत नहीं है। इसलिये योजना लागू करने व ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) स्वीकृत योजना के अभाव में अभी इस सम्बन्ध मे कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

राजकीय कर्मचारियों का केन्द्रीय सेवाओं में जाना

570. **श्री भैरूंसिह गुर्जर** (खारची): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार के कर्मचारी रेलवे व केन्द्रीय सेवाओं में जा सकते हैं ? यदि हां, तो किस श्रेणी के ?

(2) कितनी उम्र तक के राज्य कर्मचारी रेल सेवा में जा सकते हैं ?

(3) क्या इसी प्रकार रेलवे कर्मचारी भी राज्य सरकार की सेवा में रिक्तियां निकलने पर लाभ उठा सकते

उत्तर

(1) जी हां। यदि राज्य कर्मचारी योग्यतायें एवं अर्हतायें रखता हो तो रेलवे व केन्द्र सेवाओं में चयन होने पर जा सकता है। रेलवे सेवाओं के कतिपय पद यथा आफिस क्लर्क, टिकट कलेक्टर्स एवं ट्रेन क्लर्क के पदों पर रेलवे सेवा नियमों में रिक्त पदों का एक तिहाई भाग राज्यों के कर्मचारियों के लिये आरक्षित है। इन आरक्षित पदों के लिये किसी भी श्रेणी का बंधन नहीं है।

(2) किसी भी श्रेणी के राज्य कर्मचारी जिनकी आयु निश्चित तिथि को 35 वर्ष से अधिक न हो।

(3) जी नहीं। रेलवे कर्मचारियों के लिये राज्य सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। रेलवे सेवा से राज्य सेवा में स्थानान्तरण लाभ की संज्ञा में नहीं आता।

लोहा, सीमेन्ट एवं विद्युत के अभाव में जोधपुर के उद्योगों का ठप्प होना

571. श्री कनकराज मेहता (सांचोर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में मरुधरा औद्योगिक द्वितीय चरण बासनी में नई सरकार बनने के बाद मुख्य मन्त्री के आह्वान पर करीब 30 प्रवासी राजस्थानियों ने उद्योग लगाए जिन्हें आज दिन तक उद्योग हेतु आवश्यक लोहा, सीमेन्ट व विद्युत न मिलने से करोड़ों रुपयों की लागत के उद्योग ठप्प पड़े हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार की उक्त उदासीनता के कारण ये राजस्थानी प्रवासी, जो राज्य में उद्योग लगाना चाहते थे, गुजरात जाने लगे हैं ?

(3) उद्योगपतियों को कच्चा माल व विद्युत कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) प्रवासी राजस्थानियों के लिये पृथक से कोई सूचना रखने का प्रावधान नहीं है। अतः यह बताना संभव नहीं है कि उपक्रमियों में से कितने प्रवासी राजस्थानी हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित किये हैं। किसी उद्योगपति द्वारा यह सूचित नहीं किया गया है कि उनका उद्योग लोहा, सीमेन्ट व विद्युत के अभाव से ठप्प पड़ा है।

(2) किसी उद्योगपति द्वारा अपनी इकाई को राजस्थान से गुजरात के लिये स्थानान्तरण का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) कच्चा माल निर्धारित नीति तथा उपलब्धता के आधार पर उद्योगपतियों को उपलब्ध कराया जाता है। विद्युत समस्या सम्पूर्ण प्रदेश में समस्त उद्योगों के लिये समान है। यथा सम्भव उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार सभी उद्योगों को बिजली उपलब्ध करायी जाती है।

मूंदियाड थाना भावन्डा (नागौर) में चोरी

572. **श्री महाराम चौधरी (नागौर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मूंदियाड थाना भावन्डा जिला नागौर में एक काफी बड़ी चोरी हुई थी ?

(2) इस चोरी में कितने आदमियों का हाथ है और कितने मुलजिम पकड़े गये ? कृपया नाम व पता सदन के पटल पर रखें।

(3) इस चोरी का कितना माल बरामद किया गया है ?

(4) क्या पुलिस इस मुकदमे की तफतीश में ढिलाई भी बरत रही है जिसके कारण कई मुलजिम पकड़े नहीं गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस चोरी में 4 अभियुक्तों पर सन्देह है। जिनमें से 3 अभियुक्त सर्व श्री मानसिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति राजपूत नि. जावनेरी थाना नाणा, लखसिंह पुत्र शैतानसिंह राजपूत नि. रामा थाना सांकाड और हरिसिंह पुत्र कालूसिंह दरोगा निवासी गोराऊ जिला नागौर हैं जो इस समय अन्य मुकदमे में जुडिशियल कस्टडी में हैं जिन्हें प्राप्त करने हेतु वारन्ट प्राप्त कर लिये गये हैं। चौथा मुलजिम श्री जवरसिंह पुत्र समेलसिंह राजपूत नि. भाकरोट थाना खीवसर है जिसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

(3) कुछ नहीं।

(4) जी नहीं।

राज्य पथ परिवहन निगम में स्वागतकर्ता के पद पर कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति

573. **श्री शिवसिंह रावत (बाड़ी)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य पथ परिवहन निगम के स्वागतकर्ता के पदोन्नति के भी अवसर हैं ? यदि हां, तो क्या हैं ?

(2) क्या स्वागतकर्ताओं को अब तक कोई पदोन्नतियां दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या मान्यता प्राप्त यूनियन से निगम ने ऐसा कोई समझौता किया था कि तीन वर्ष बाद स्वागतकर्ताओं को पदोन्नत किया जायेगा ? यदि हां, तो अब तक कितनों की पदोन्नति हो चुकी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में कितने स्वागतकर्ता कार्यरत हैं तथा उन्हें उक्त पद पर कार्य करते कितना समय हो चुका है ?

उत्तर

(1) जी हां।

वांछित सूचना परिशिष्ट–अ पर संलग्न

(यातायात मन्त्री)

है। स्वागतकर्ताओं के पदोन्नति के अवसर निगम मण्डल द्वारा पारित हैं जो कि निगम व राज्य सरकार के बीच विचाराधीन हैं।

(2) जी नहीं।

राज्य सरकार की स्वीकृति के अभाव में अब तक किसी स्वागतकर्ता को पदोन्नति नहीं दी जा सकी।

(3) जी नहीं।

प्रश्न–(1) के अन्तर्गत दर्शाये गये निगम का निर्णय भर्ती एवं पदोन्नति समिति की सिफारिश पर लिया गया है जिसमें 2 यूनियन के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं।

(4) निगम में वर्तमान में 17 स्वागतकर्ता कार्यरत हैं तथा ये जून, 77 से कार्य कर रहे हैं।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

नवलगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र

574. **श्री भंवर सिंह शेखावत (नवलगढ़)** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या नवलगढ़ को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? यदि हां, तो कहां पर?

(2) वहां कुल कितने उद्योगों के लगाने का प्रस्ताव है तथा योजना की क्या रूप रेखा है?

(3) यह कार्य कितने चरणों में पूरा कराने का सरकार का विचार है?

उत्तर

(1) जी हां।

यह औद्योगिक क्षेत्र सीकर-नवलगढ़ रोड पर स्थापित किया जा रहा है।

(2) इस क्षेत्र के लिये वांछित भूमि का अभी तक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। भूमि का कब्जा प्राप्त होने पर ही योजना की रूपरेखा तैयार की जा सकेगी।

(3) भूमि का कब्जा प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ कर पूरा कराने के लिये चरण निश्चित किये जावेंगे।

नागरिक सुरक्षा विभाग

575. **श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर)** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) गत तीन वर्षों में नागरिक सुरक्षा विभाग पर कुल कितना व्यय किया गया?

(2) उपरोक्त राशि में से कर्मचारियों पर कितनी राशि व्यय की गई?

(3) नागरिक सुरक्षा विभाग ने गत तीन वर्षों में क्या कार्य किया?

(4) क्या नागरिक सुरक्षा विभाग अनुपयोगी है? नहीं, तो क्यों?

(5) क्या मितव्ययता की दृष्टि से

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

इस विभाग को सरकार समाप्त करने हेतु कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में इस विभाग पर निम्न प्रकार कुल व्यय वर्ष के सामने अंकितानुसार किया गया है—

वर्ष	व्यय
1977–78	17.33.882/–
1978–79	19.40.291/–
1979–80	19.97.130/–

(2) उपरोक्त वर्षों में कर्मचारियों पर निम्न प्रकार वर्ष के सामने अंकितानुसार व्यय किया गया—

1977–78	9.49.865/–
1978–79	10.32 772/–
1979–80	11.20.701/–

(3) गत तीन वर्षों में नागरिक सुरक्षा विभाग ने कुल नागरिक सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी प्रायोगिक रूप से जनता को देने हेतु 72 अभ्यास व प्रदर्शन किए जिनमें से 12 नागरिक सुरक्षा नगरों की अनुमानतः 3,00,000 नागरिक प्रशिक्षित व लाभान्वित हुए।

(4) जी नहीं, नागरिक सुरक्षा के कार्य नागरिकों की (युद्ध से पहले, युद्ध के दौरान तथा युद्ध के बाद) सेवा का कार्य है। युद्ध से पहले यह नागरिकों को इस बात के लिये प्रशिक्षित करता है कि वे निम्न संभावित दुश्मन के हमलों के शिकार हो सकते हैं तथा उन संभावित हमलों से किस प्रकार बचा जा सकता है :

युद्ध के समय जब वास्तविक खतरा आता है तो जनता को सुव्यवस्थित एवं सुप्रशिक्षित रूप से उन खतरों से बचाया जा सकता है। बमबारी से क्षतिग्रस्त मकानों में से लोगों को निकाल कर उनका प्राथमिक उपचार करना, घरबार से बिछुड़े लोगों को सहायता देना, अग्नि शमन का कार्य, महत्वपूर्ण सेवायें चालू रखने का कार्य आदि समस्त कार्यों के लिए अपने प्रशिक्षित सदस्यों से कार्य लेना। इस प्रकार से दुश्मन के इरादों को विफल बनाकर नागरिकों के मनोबल को बनाये रखना, नागरिक सुरक्षा का कार्य है। युद्ध के उपरान्त युद्ध की विभिषिका से अस्त-व्यस्त समाज को पुनः सही ढंग से युद्ध से पूर्व के स्तर पर लाने के कार्य में मदद करना नागरिक सुरक्षा का कार्य है। नागरिक सुरक्षा युद्ध के समय तैयार रहने का एक शांति-कालीन प्रयास है।

(5) नागरिक सुरक्षा भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम तथा कानून के अन्तर्गत स्थापित विभाग है, जिस पर होने वाले समस्त व्यय का 50% भारत सरकार वहन करती है। अतः इस विभाग को समस्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

सोजत में 132 के वी. का ग्रिड सब-स्टेशन

576. **श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :**

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सोजत क्षेत्र में वोल्टेज की समस्या को सुधारने हेतु सोजत में 132 के. वी. का ग्रिड सब-स्टेशन लगाने की योजना बनी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि राजस्व विभाग द्वारा इस हेतु जमीन अवाप्त कर बिजली विभाग को सुपुर्द कर दी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि बिजली विभाग की ढिलाई के कारण उस जगह समय पर कार्य शुरू नहीं किया गया और इस देरी से कुछ व्यक्ति उच्च न्यायालय से स्टे ले आये, फिजूल की अड़चन पैदा हो गई व क्षेत्र की कृषक जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ा व पड़ रहा है ?

(3) सरकार उक्त मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी तथा काम को शीघ्र कब तक चालू कर दिया जावेगा, ताकि स्थानीय किसानों को आंदोलन हेतु मजबूर न होना पड़े ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्व विभाग द्वारा पूर्ण कार्यवाही के उपरान्त भूमि का कब्जा दिनांक 18.9.80 को दिया गया था।

(2) दिनांक 29.9.80 को उपरोक्त भूमि के खातेदार द्वारा उच्च न्यायालय, जोधपुर से स्टे प्राप्त कर लिये जाने के कारण अग्रिम कार्यवाही बन्द करनी पड़ी।

(3) भूमि अवाप्ति के 11 दिन बाद ही न्यायालय द्वारा स्टे दे दिया गया था। इतने कम समय में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण सम्भव नहीं था। अतः इसमें किसी भी अधिकारी का दोष नहीं है। अब दिनांक 25.2.81 को उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन खारिज कर दी गई है तथा शीघ्र ही सब स्टेशन का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

क्रय-विक्रय सहकारी संघ, बांदीकुई

577. **श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)** : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बांदीकुई जिला जयपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति का गठन कब हुआ था ? इसके कौन-कौन पदाधिकारी व कितने सदस्य हैं ?

(2) इसके चुनाव कब कब हुए ?

(3) इस समिति द्वारा पिछले 3 वर्षों में कितना ऋण किस-किस को दिया गया ? अब तक कितना किस-किस से (दिया हुआ ऋण) वसूल किया गया ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांदीकुई क्रय विक्रय सहकारी समिति लि०, बांदीकुई, जिला जयपुर का पंजीयन दिनांक 27-8-59 को हुआ। दिनांक 21-7-78 से समिति का कार्य प्रशासक के अधीन है। वर्तमान में समिति के कुल 687 सदस्य हैं।

(श्री नाथूसिंह)

(2) समिति के चुनाव 7-1-60, 1-10-61 तथा 1-1-1964 को हुए।

(3) बांदीकुई क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., बांदीकुई द्वारा गत 3 वर्षों में किसी भी सदस्य को ऋण वितरण नहीं किया गया है। अतः इस अवधि में ऐसे सदस्यों से ऋण वसूली तथा बकाया का प्रश्न ही नहीं हैं।

सुजला पैट्रोल पम्प जसवन्तगढ़

578. **श्री रामधन (लाडनू)** : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि लाडनू तहसील के सुजला पैट्रोल पम्प जसवन्तगढ़ के मालिक लोग सरकार की नीति के मुताबिक तेल का वितरण नहीं करते हैं तथा सरे आम ब्लैक से वितरण किया जाता है ?

(2) तहसीलदार लाडनू को बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि लाडनू तहसील में एक पैट्रोल पम्प होने की वजह से जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मैसर्स सुजला फिलिंग स्टेशन, जसवन्तगढ़ के विरुद्ध राज्य सरकार की नीति के मुताबिक डीजल का वितरण नहीं करने तथा ब्लैक करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं। तहसीलदार लाडनू को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, और न ही कोई शिकायत तहसील कार्यालय में विचाराधीन है।

(3) भारतीय तेल निगम अजमेर के जिला समन्वयक के कथनानुसार उक्त क्षेत्र में अतिरिक्त पम्प लगाने हेतु सर्वे किया जाना नियोजित है।

पंचायत समितियों (झुन्झुनू) के मार्फत विद्यालयों में लगे टेलीविजन सैट्स

579. **श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा मालानी)** : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जिला झुन्झुनूं में पंचायत समितियों की मार्फत कई स्कूल्स में टेलीविजन सैट्स लगाये गये हैं ? यदि हां, तो कृपया पंचायत समितिवार ऐसे स्कूल्स की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि काफी सैट्स खराब पड़े हुये हैं ? यदि हां, तो कितने ? क्या इनकी नियमित चैकिंग तथा सर्विसिंग कराने के सम्बन्ध में प्रस्ताव है, ताकि इन सैट्स का पूरा उपयोग हो सके ?

उत्तर

(1) झुन्झुनूं जिले की केवल एक पंचा-

(पंचायत मन्त्री)

यत समिति उदयपुरवाटी में दूरदर्शन योजना चालू है। इस पंचायत समिति में निम्नलिखित 33 स्कूलों में दूरदर्शन यन्त्र लगाये गये हैं—

1. छापोली
2. मारखड़ी
3. रघुनाथपुरा
4. गुढागोडजी
5. मंडवारा
6. पलधारी
7. किशोरपुरा
8. श्री जवाहरमल मोदी स्कूल
9. इन्द्रपुरा
10. दादीया
11. इन्द्रपुरा (गर्ल्स)
12. टोडी
13. गुढा (गर्ल्स)
14. निबारी
15. चुवरा
16. ककारना
17. दीपपुरा
18. मानससर
19. पाउखा
20. बागोली
21. शाहखेडावाली
22. मेवाती
23. हलसासर
24. घमोरा
25. टोटनवारा
26. सींथल
27. सूचना केन्द्र उदयपुरवाटी
28. श्री भोलाराम (बडगांवा)
29. पोखठहर
30. पंचरंगी
31. बडगांव (गर्ल्स)
32. जैतपुरा
33. जोधपुरा

(2) उक्त समस्त यंत्र राजस्थान इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एवं इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन जयपुर (रीको) द्वारा लगाये गये हैं। दूरदर्शन यन्त्र ठीक करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 दिसम्बर, 1980 से 30 नवम्बर, 1981 तक की अवधि के लिये 450) रु० प्रति यन्त्र प्रतिवर्ष ठीक करने का एग्रीमेन्ट कारपोरेशन से किया गया है, इसके अनुसार शिकायत प्राप्ति के 15 दिन में यन्त्र ठीक नहीं होने पर 25 प्रतिशत की राशि कम करने का प्रावधान है। दूरदर्शन यन्त्र खराबी की सूचना सीधे ही इस विभाग को न भेजकर कारपोरेशन को भिजवाने के निर्देश दिये हुए हैं। इस अवधि में इस पंचायत समिति से 9 केन्द्रों पर यन्त्र खराब होने की सूचना कारपोरेशन में प्राप्त हुई है। उनमें से 6 यन्त्र ठीक किये जा चुके हैं व शेष 3 यन्त्र केन्द्र बडगांवा, उदयपुरवाटी गर्ल्स स्कूल व मेवाता में ठीक करने के लिये पार्टी गई हुई है, अभी तक लौट कर नहीं आई है।

पंचायत समिति टोडाभीम द्वारा काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत कराये गये कार्य

580. **श्री चेतराम मीणा (टोडाभीम) :** क्या सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, टोडाभीम में वर्ष 1978-79,

36

(श्री चेतराम मीणा)

1979-80 तथा 1 अप्रेल, 1980 से 31 अगस्त, 1980 तक काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत किये गये निर्माण कार्य जिलाधीश (जिला विकास अधिकारी की हैसियत से) की स्वीकृति लिये बिना ही कराये गये व कुछ काम हुए ही नहीं और उनके फर्जी मस्टर रोल बनाये गये ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जाँच करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, टोडाभीम में वर्ष 1978-79, 79-80 एवं 1.4.80 से 31.7.80 तक काम के बदले अनाज योजना में 594 निर्माण कार्य कराये गये जिनमें 123 कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा बिना जिलाधीश कार्यालय की स्वीकृति के शुरू करवा दिये गये थे, किन्तु बाद में 94 कार्यों की स्वीकृति दी जा चुकी है। अब 29 कार्य ऐसे है जिनमें स्वीकृति की कार्यवाही शेष है।

बिना कार्य कराये फर्जी मस्टररोल भरने सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) फर्जी मस्टररोल का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। यदि ऐसा कोई प्रकरण सामने आया तो नियमानुसार तत्काल जांच करा दी जायेगी।

सरपंच ग्राम पंचायत दलपुरा के विरुद्ध गम्भीर आरोप

581. **श्री चेतराम मीणा (टोडाभीम) :** क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत दलपुरा, पंचायत समिति नादोती के खिलाफ काम के बदले अनाज योजना तथा अकाल राहत कार्यों के धन के गबन, झूठे-रेकार्ड तैयार कर फर्जी पैसा उठाना तथा झूठे मस्टर रोल तैयार करना आदि गम्भीर आरोपों की शिकायतें हुई थीं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि जांच अधिकारी ने जांच कर, रिपोर्ट उच्च अधिकारियों (जिला स्तर एवं निदेशालय) को दे दी है परन्तु उस पर अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार सरपंच को निलम्बित कर तथा पंचायत रेकार्ड जब्त करने की कार्यवाही करेगी जिससे जांच निष्पक्ष हो सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि सरपंच द्वारा सरकारी धन से एक भवन बनाया गया है और उस पर स्वयं ने व्यक्तिगत कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस भवन को कब्जे में लेकर सार्वजनिक घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। "काम के बदले अनाज" योजना में हुए कार्यों की शिकायत श्री

(पंचायत मन्त्री)

किशोरी ने राज्य सरकार को की थी। इनके मूल शिकायत पत्र को दिनांक 29-3-79 को जांच हेतु जिलाधीश, सवाई-माधोपुर को भेजा गया। इसकी जांच अपर जिलाधीश, सवाई माधोपुर द्वारा करवाई गई थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्य संचालन में अनियमितता सामने आई थी जिस पर तकनीकी जांच जिला स्तर पर कराई जा रही है।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने पर दिनांक 18-1-80 को "काम के बदले अनाज" योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की तकनीकी जांच करने हेतु जिलाधीश को लिखा गया है। निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच जिला स्तर पर कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने पर एवं आरोप प्रमाणित पाये जाने पर सरपंच के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी। जांच रिपोर्ट भिजवाने के लिये जिलाधीश को तार भेजा जा चुका है।

(3) जब तक जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हो जाता और सरपंच के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाते तब तक राज्य सरकार द्वारा सरपंच को निलंबित कर पंचायत का रेकार्ड जब्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(4) जी नहीं। सरपंच द्वारा किसी भवन पर कब्जा करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सरपंच ने किसी पंचायत द्वारा निर्मित भवन पर कब्जा नहीं किया है।

सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नति

582. **श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)**: क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग की विभागीय चयन समिति की सिफारिश पर दिनांक 3 नवम्बर, 1978 को 22 अधिशासी अभियन्ताओं को अधीक्षण अभियन्ताओं के पद पर नियमों की अवहेलना कर, वरिष्ठता को नजर अन्दाज करते हुए पदोन्नत कर दिया ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण जयपुर ने 8 नवम्बर, 1979 को इन पदोन्नतियों को अवैध ठहराया ?

(3) क्या यह भी सही है कि पदोन्नति अधिकारी सेवा अधिकरण के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में गए थे लेकिन दिनांक 27 फरवरी, 1980 को उक्त रिट खारिज कर दी गई ?

(4) यदि उपरोक्त तथ्य सही हैं, तो सरकार उपरोक्त 22 अधिकारियों को कब तक पदावनत करेगी ? कृपया विलम्ब के कारण से सदन को अवगत करावें। जिन अधिकारियों ने यह गलत निर्णय लिया उनके खिलाफ सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पदोन्नति नियमों के अनुसार हुई हैं।

(सिंचाई मंत्री)

(2) जी हां।

(3) याचिका विचारार्थ स्वीकार नहीं की गई।

(4) अधीक्षण अभियंताओं की पदोन्नति का मामला सिविल सेवा अधिकरण के निर्णय के अनुसार विभागीय पदोन्नति के समक्ष विचाराधीन हैं। विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। विभागीय पदोन्नति समिति, जो कि 1978 में गठित हुई थी, के निर्णय के अनुसार ही पदोन्नति दी गई थी और किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

अजमेर रोड (जयपुर) खाली जमीन पर अतिक्रमण सम्बन्धी प्रकरण

583. **श्री यदुनाथसिंह (नदबई)** : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) अजमेर रोड स्थित मदरामपुरा (सुन्दर नगर) में बोम्बे वालों के बाग के पूर्व की दिशा में जो जमीन है वह औद्योगिक क्षेत्र की है या रिहायशी क्षेत्र की ?

(2) यदि रिहायशी है, तो वहां पर मैसर्स ए. डागा स्टील एवं इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन की फैक्ट्री क्यों चल रही है ? और यदि औद्योगिक क्षेत्र की है, तो उक्त फैक्ट्री का अनुमति पत्र कब और किस विभाग द्वारा दिया गया ? कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त फैक्ट्री के मालिक श्री उमरावचन्द डागा अजमेर रोड, जयपुर को तहसीलदार एवं अतिक्रमण अधिकारी, नगर विकास न्यास जयपुर ने अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी कोई नोटिस दिये थे ? यदि हां, तो कृपया नोटिस की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या नोटिस देने के बाद उक्त अतिक्रमण हटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? अब कब तक अतिक्रमण को हटा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) अजमेर रोड मदरामपुरा सुन्दर नगर में बम्बई वालों के बाग के पूर्व की दिशा की भूमि रिहायशी है।

(2) उपरोक्त क्षेत्र मैसर्स डागा स्टील व इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन को फैक्ट्री की अनुमति नगर विकास न्यास, जयपुर या नगर परिषद, जयपुर द्वारा नहीं दी गई है।

(3) जी हां। नोटिस की प्रति संलग्न है। अनधिकृत निर्माण हटाने का निर्णय 27-7-80 को दिया गया।

(4) जी नहीं। अनधिकृत निर्माण हटाने का फैसला दिये जाने पर प्रार्थी द्वारा अपील अतिरिक्त कलेक्टर प्रथम के

(नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री)

यहां विचाराधीन है अपील पर निर्णय के बाद ही कार्यवाही सम्भव होगी।

(नोटिस के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

पुलिस उप निरीक्षक के विरुद्ध शिकायतों में कार्यवाही

584 श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस अधीक्षक, बीकानेर के थानेदार श्री श्रवणराम के खिलाफ सन् 1976 से अब तक जितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उतनी अन्य किसी थानेदार की शिकायतें जिला बीकानेर में उपरोक्त समयावधि में नहीं हुई ? श्री श्रवण राम के खिलाफ कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ?

(2) श्री श्रवण राम के खिलाफ किन किन व्यक्तियों द्वारा किस किस प्रकार की शिकायतें की गई ?

(3) उपरोक्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या शिकायत कर्त्ता को जांच निर्णय की सूचना दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान पुलिस महानिरीक्षक व तत्कालीन अतिरिक्त महा निरीक्षक पुलिस (विजीलेंस) ने श्री श्रवणराम के खिलाफ शिकायत पर जिला बीकानेर से बाहर भेजने के आदेश दिए थे ? यदि यह सही है, तो उनके आदेशों की पालना क्यों नहीं की गई ? आदेश की अवहेलना पर क्या किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की गई ? नहीं, तो क्यों ?

(5) थानेदार श्री श्रवण राम के खिलाफ विभागीय कार्यवाही कब शुरू हुई ? यदि समय ज्यादा हो गया है, तो ऐसा क्यों हुआ जब कि 6 माह में विभागीय कार्यवाही पूरी करने का प्रावधान है ?

(6) क्या सरकार उपरोक्त भ्रष्ट थानेदार श्री श्रवण राम, जिसके खिलाफ शिकायतों का ढेर है, की दुबारा किसी उच्च अधिकारी से जांच करवाने के आदेश देगी ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री श्रवणराम के विरुद्ध उक्त अवधि में कुल 13 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस अवधि में बीकानेर जिले में अन्य किसी थानाधिकारी की इतनी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई।

(2) सूची मय पूर्ण सूचना के संलग्न है।

(3) शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न सूची में अंकित है। प्राथमिक जांच के समय ही शिकायतकर्त्ता को सम्मिलित कर लिया जाता है, अतः पृथक से शिकायतकर्त्ता को जांच के निष्कर्षों से सामान्यतया सूचित नहीं किया जाता है।

(4) तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महा-

(श्री देवीसिंह भाटी)

निरीक्षक (विजीलेन्स) (जो बाद में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत हो गये थे) ने श्री श्रवणराम को बीकानेर जिले से बाहर भेजने के आदेश किये थे, किन्तु तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक द्वारा श्री श्रवणराम को बीकानेर में ही रखने के आदेश प्रदान कर दिये, अतः किसी के विरुद्ध आदेशों की अवहेलना के लिये कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(5) विभागीय कार्यवाही जून, 78 में आरम्भ हुई थी तथा फरवरी, 81 में निर्णय दिया जा चुका है। नियमित जांच करने वाले अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं अन्य नियमों सम्बन्धी खामियों की शुद्धि सम्बन्धी प्रक्रिया में विलम्ब हुआ।

(6) शिकायतों की विभिन्न स्तरों पर जांच की जा चुकी है। अतः दुबारा जांच कराने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

उच्च पदों पर पदासीन अधिकारियों को भवन निर्माण हेतु ऋण

585. **श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) वर्ष 1980-81 में राज्य में किन किन भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा एवं गजेटेड अधिकारियों को मकान बनाने हेतु कितना कितना ऋण व किस किस जिला मुख्यालय या अन्य राज्य सरकार के विभाग से दिया गया ? कृपया सूची पटल पर रखें।

(2) क्या ऐसे ऋण आवेदकों के लिए यह नियम है कि उसका राजस्थान में मकान या रिहायशी भू-खण्ड नहीं होना चाहिए ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) भवन अग्रिम नियम 3 (I) (ii) के अनुसार ऐसे किसी कर्मचारी को जिसके स्वामित्व में राजस्थान में किसी एक स्थान पर भवन है या अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को जिसका भारत में किसी भी एक स्थान पर भवन है, नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (i) (ii) व (iii) में वर्णित प्रयोजन के लिये भवन निर्माण अग्रिम अनुज्ञेय नहीं होगा। परन्तु यदि उपरोक्त स्थानों में भवन नहीं है और रिहायशी भू-खण्ड है, ऐसी स्थिति में भवन निर्माण हेतु ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

सोडियम सल्फेट प्लांट डीडवाना को लीज पर दिया जाना

586. **श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सोडियम सल्फेट प्लान्ट डीडवाना का घाटा वर्ष

(श्री उम्मेदसिंह)

1978-79 तथा वर्ष 1979-80 में पूर्व वर्षों के मुकाबले कम होता जा रहा था ?

(2) यदि हाँ, तो सरकार को सोडियम सल्फेठ प्लान्ट को लीज पर देने की क्या जरूरत पड़ी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सोडियम सल्फेट प्लांट वर्ष 73-74 तथा 74-75 में लाभ में था जब कि वर्ष 78-79 व 79-80 सहित अन्य वर्षों में हानि में रहा। लाभ/हानि के आंकड़े निम्न प्रकार हैं—

वर्ष	उत्पादन (मै. टन)	लाभ/हानि
1973-74	4,568	+13,68,893
1974-75	3,392	+ 4,77,676
1975-76	3,004	– 26,25,335
1976-77	1,680	– 32,21,741
1977-78	743	– 23,24,723
1978-79	1,007	– 8,13,000
1979-80	240	– 10,21,773
		(अंकेक्षित)

वर्ष 1975-76 से बाजार में सल्फेट के भाव रु. 1800/– प्रति टन से रु. 700/– प्रति टन तक गिर जाने से तथा उत्पादन कीमत में तेल के भावों में तिगुनी वृद्धि के कारण उत्पादन करना अलाभप्रद हो गया। वर्ष 1978-79 व 1979-80 में उत्पादन न के बराबर किया गया तथा इन वर्षों में सीधा नमक बनाकर खर्चे को कम किया गया इस कारण हानि कम रही। यदि उत्पादन होता तो अधिक नुकसान संभावित था।

(2) सोडियम सल्फेट प्लांट को चलाये जाने हेतु विशेषज्ञ-समिति से जाँच करांकर रिपोर्ट ली गई थी। जिसके अनुसार 107 लाख रु. के विनियोजन की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त 80 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होती। बायलर परिवर्तन में लगने वाले समय एवं 80 टन कोयले की उपलब्धता में कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए मंत्रिमण्डल ने दिनांक 7/2/80 को इसे लीज़ पर दिये जाने का निर्णय लिया जिसकी अनुपालना में संयंत्र को लीज़ पर दिया जा रहा है।

भूतपूर्व आयुक्त, आबकारी विभाग द्वारा उपार्जित अवकाश अवधि में आदेश/निर्देश जारी करना

587. **श्री भैरुलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी राजपत्रित अधिकारी अथवा कर्मचारी उपार्जित अवकाश पर रहते हुए किसी भी प्रकार के आदेश अथवा निर्देश जारी नहीं कर सकता है ?

(2) यदि हां, तो भूतपूर्व आबकारी आयुक्त ने माह अप्रेल व मई, 1980 में

(श्री भैंरुलाल मीणा)

उपाजित अवकाश पर रह कर भी विभागीय कार्य आदेश जारी किये ?

(3) यदि हां, तो कब कब कौन कौन आदेश उन्होंने इस अवधि में जारी किये ? क्या ऐसे आदेश जारी करना स्पष्टत: अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करना नहीं था ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

सहकारी भूमि विकास बैंक, चित्तौड़गढ़ से गुम हुई ऋण सम्बन्धी पत्रावलियां

588. **श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक से किसानों की ऋण सम्बन्धी पत्रावलियां गायब या गुम हो गयी हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1978 से 1980 तक कितने किसानों के ऋण आवेदनपत्र गुम हुये हैं और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

जी नहीं।

अकाल राहत कार्य में काम आने वाले माल को रॉयल्टी से छूट देना

589. **श्री माधवसिंह दीवान (सोजत), श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा), श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)** : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्य के तहत सोजत राजोला सड़क के लिये मजदूर सोजत शहर के पास पत्थर की खानों में पत्थर तोड़ने के लिये कार्य करना चाहते हैं ? क्या यह भी सही है कि खनिज विभाग ऐसे कामों में भी रॉयल्टी मांगता है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार अकाल राहत कार्यों के तहत इसे माफ करने बाबत कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। कार्य चालू है। सोजत, राजोला सड़क के लिए अकाल राहत कार्य के लिये 15000 क्यूबिक मीटर पत्थर का परमिट क्र० सखाग्र/सोजत/अ०अ०प०/6 दिनांक 11.2.81 सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सोजत सिटी द्वारा चाहे गये स्थान का सोजत शहर के पास रेन्ट कम रायल्टी के रिक्त क्षेत्र में खान विभाग द्वारा दिया गया था जिस पर किसी प्रकार की रायल्टी खनिज विभाग द्वारा वसूल नहीं की जा रही है, न ही

(अकाल राहत मंत्री)

खनिज विभाग अकाल राहत कार्यों की रायल्टी मांगता है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि किसी भी अकाल राहत कार्यों के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले खनिज की रायल्टी इस विभाग द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार वसूल नहीं की जा रही है।

जयपुर-अजमेर मार्ग पर स्वीकृत बस स्टेण्ड

590. **श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि जयपुर-अजमेर मार्ग पर बगरुरावान और टोंक रोड पर सुखपुरिया बस स्टेण्ड स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो कब? क्या उन पर बसें रुकती हैं?

उत्तर

जी हां। जयपुर-अजमेर तथा जयपुर-बीलवा टोंक मार्ग पर स्थित ग्राम बगरुरावान तथा सुखपुरिया को निगम के आदेश क्रमांक 2470 दिनांक 24.12.79 तथा 2469 दिनांक 24.12.79 द्वारा प्रार्थना बस स्टाप घोषित किया गया था। उक्त स्टेण्डों पर यात्रियों को उतारने तथा लेने हेतु इन मार्गों पर चल रही सभी साधारण वाहन सेवाएं रुकती हैं।

बेरोजगार स्नातकों का भार वाहनों व विभिन्न परमिट्स के मामले में आरक्षण

591. **श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या राज्य में बेरोजगार स्नातकों को भार वाहनों (ट्रकों) के वेस्टर्न जोन, नेशनल परमिट तथा काउन्टर साइन परमिट योजनाओं में आरक्षण निश्चित किया हुआ है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

वर्तमान में इस प्रकार की कोई नीति नहीं है।

विशेष पोषाहार कार्यक्रम (चित्तौड़गढ़)

592. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत किन किन ग्रामों में केन्द्रों की स्थापना की गई है? कृपया तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रखें?

(2) वर्ष 1980-81 में इन केन्द्रों पर कितनी राशि व्यय की गई, बजट आवंटन क्या था और इससे कितनी महिलाएं एवं शिशुओं को लाभ पहुंचा?

(श्री नन्दलाल मीणा)

(3) पोषाहार केन्द्र किस एजेन्सी के माध्यम से चलाये जाते हैं ? इन केन्द्रों के निरीक्षण का कार्य किस किस अधिकारी द्वारा किया गया ? किन किन केन्द्रों पर अनियमितताएं पाई गईं और तत्संदर्भ में किसे दण्डित किया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यह कार्यक्रम विद्यालयों के माध्यम से चलाया जाता है। इस कार्यक्रम का निरीक्षण शिक्षा प्रसार अधिकारी, विकास अधिकारी एवं केयर फील्ड ऑफिसर राजस्थान जयपुर के द्वारा किया जाता है। पंचायत समिति प्रतापगढ़ के अधीन नारायण खेड़ा एवं लालपुरा स्कूल की शिकायतों की जाँच की गई एवं नारायणखेड़ा में जांच के दौरान अधिक पाई गई एक तेल की पीपी का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कराया गया तथा लालपुरा में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। अतः किसी को दंडित नहीं किया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

सड़क यातायात राष्ट्रीयकरण

593. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार की सड़क यातायात के सम्पूर्ण रस्ष्ट्रीयकरण की नीति है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण राष्ट्रीयकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

राज्य सरकार की नीति सिद्धान्ततः राष्ट्रीयकरण करने की है।

सम्पूर्ण राष्ट्रीयकरण कब तक किया जायगा, यह कहना वर्तमान में सम्भव नहीं है।

जिला भरतपुर में स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य

594. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भरतपुर में वर्ष 1979–80 व 1980–81 में कौन-कौन सी सड़कों के निर्माण कार्य स्वीकार हुये हैं तथा उन पर दिनांक 1 फरवरी, 1981 तक कितना कितना व्यय हो चुका है ?

(2) कुम्हेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1979-80 में कौन-कौन सी सड़को के निर्माण कार्य स्वीकार हुए हैं तथा उन

(श्री हरिसिंह)

पर दिनांक 1 फरवरी, 1981 तक कितना व्यय हो चुका है ?

(3) तहसील बयाना में स्थित खेडली गडासियर को जो सड़क बनाई जा रही है उस पर कब तक कार्य पूरा होगा ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में वर्ष 1979–80 व 1980-81 में जो सड़क निर्माण कार्य स्वीकार हुये तथा उन पर जो 1-2-1881 तक धनराशि व्यय हुई है उसकी तालिका क्रमशः 'अ' व 'ब' में संलग्न है।

(2) कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1979-80 में जो कार्य स्वीकार हुये और उन पर 1 फरवरी, 81 तक जो धनराशि व्यय हुई है वह तालिका 'स' में संलग्न है।

(3) इस सड़क पर कार्य हाथ में लेने की स्वीकृति 10-2-01 को प्रदान की गई है और मार्च, 1983 तक पूर्ण करने की सम्भावना है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

विवाद ग्रस्त जल परियोजनाएं

595. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान से सम्बन्धित कितनी, कौन-कौन सी जल परियोजनाएं विवाद ग्रस्त है ?

(2) क्या केन्द्र सरकार ने इन विवाद ग्रस्त जल परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने की इच्छा प्रकट की है ?

उत्तर

(1) राजस्थान से सम्बन्धित निम्न-लिखित जल (सिंचाई) परियोजनाओं में विवाद है :

1. माही कडाना से राजस्थान के बाड़मेर व जालौर जिले में परियोजना।

2. गांधी सागर बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में निर्मित योजनाएं।

3. साबी सिंचाई बाढ़ नियन्त्रण योजना।

4. सिद्धमुख एवं नोहर को प्रवाह द्वारा सिंचाई करने की योजनाएँ।

(2) जी नहीं।

तहसील सांचौर की सड़कें

596. श्री कनकराज मेहता (सांचौर) : क्या सार्वजनिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सांचौर का भाव दूसरे नम्बर का बड़ा ग्राम है जो सांचौर सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सांचौर भाव बस सर्विस कई वर्षों से चलती है व इस रास्ते पर हर वक्त यात्रियों की भारी भीड़ रहती है ?

(श्री कनकराज मेहता)

(3) क्या यह भी सही है कि 10-11 वर्ष पूर्व सीवाड़ा से झाब सड़क का निर्माण का कार्य हुआ था जो आज दिन तक अपूर्ण है ?

(4) क्या यह भी सही है कि सीवाड़ा से झाब मार्ग पंचायतों में होता हुआ जाने से इसका अधिक महत्व है ? यदि हां, तो यह वर्षों से अपूर्ण सड़क अब कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

पर इस मार्ग पर पड़ने वाली पांच पंचायत के गांवों की संख्या कम होने के कारण यह सड़क निर्धारित योजना मापदण्डों में नहीं आती है। छठी पंचवर्षीय योजना में केवल 2500 तक की आबादी के गांवों को ही सड़कों से जोड़ना सम्भावित है, अतः निकट भविष्य में इस सड़क का निर्माण सम्भावित नहीं है।

भूतपूर्व सैनिक एवं किसानों को नगर विकास न्यास द्वारा आवासीय भू-खण्डों का आवंटन

597. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर विकास न्यासों के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को आवासीय भू-खण्ड अलॉट किये जाने की कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या पूर्व में इस आशय के प्रार्थना-पत्र भी लिये गये हैं ?

(3) विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र और अम्बाबाड़ी, जयपुर के बीच चान्दमारी क्षेत्र में खाली पड़ी जमीन के लिये सरकार की क्या योजना है ?

(4) क्या इस भूमि को भूमिहीन किसानों को आवंटन करने की कोई योजना विचाराधीन थी ? यदि नहीं, तो क्या इस पर अब विचार किया जायेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान नगर सुधार न्यास (भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17 के प्रावधान के अनुसार नगर विकास न्यास की किसी भी योजना में आवंटन के लिये सुरक्षित भू-खण्डों में से 10 प्रतिशत भू-खण्ड डिफेंन्स परसेनल, जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी विधवायें भी शामिल हैं, को आवंटन के लिये सुरक्षित रखे जाते हैं।

(2) जी हां। नगर विकास न्यासों की विभिन्न योजनाओं में नियमों के उक्त प्रावधानों के अनुसरण में प्रार्थना पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं और निर्धारित मात्रा में डिफेन्स परसेनल एवं भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी विधवाओं को भू-खण्ड आवंटित किये जाते हैं।

(नगर आयोजना मन्त्री)

(3) इस भूमि पर नगर विकास न्यास जयपुर ने विद्याधर नगर नाम से योजना बनाने का निश्चय किया है।

(4) जी नहीं।

सलूम्बर क्षेत्र की जलदाय योजनाएं

598. श्री थार्नसिंह मीणा (सलूम्बर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1980-81 में सलूम्बर क्षेत्र में कितनी जल प्रदाय योजनायें किन-किन गांवों के लिये स्वीकृत की गई हैं ?

उत्तर

वर्ष 1980-81 में सलूम्बर तहसील के लिये 36 गांवों की हैड पम्प योजनायें स्वीकृत की गई हैं जिनकी सूची संलग्न है। (सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

नगरपालिका क्षेत्र केसरीसिंहपुरा को हरिजन बस्तियों में नल लगाना

599. श्री मनफूलराम (केसरीसिंहपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र, केसरीसिंहपुरा (जिला गंगानगर) में नगरपालिका द्वारा हरिजन बस्तियों में वाटर वर्क्स द्वारा वितरित किये जाने वाले पानी के नल अब तक नहीं लगवाये गये हैं ? अब कब तक प्रत्येक हरिजन बस्ती में लगा दिये जायेंगे ?

उत्तर

संदर्भित क्षेत्र में एक सार्वजनिक नल लगा हुआ है। हरिजन बस्तियों में नल आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर लगाना प्रस्तावित है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23 मार्च, 1981)

नाथद्वारा क्षेत्र की प्रस्तावित सिंचाई योजनाएं

412. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

छठी पंचवर्षीय योजना में नाथद्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में किन-किन सिंचाई योजनाओं को पूरा किया जायेगा ?

उत्तर

छठी पंचवर्षीय योजना के लिये मांडके सिंचाई योजना एवं चिकलवाष तालाब का सर्वे किया जा रहा है। योजनाओं के आकलन तैयार होने एवं लाभ लागत अनुपात लाभप्रद होने पर योजनाओं की प्राथमिकता एवं वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर इन योजनाओं का कार्य प्रारम्भ करने की सम्भावना है।

48

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25 मार्च, 1981)

मद्य निषेध से पूर्व की ठेकेदारों में बकाया

471. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मद्य निषेध लागू होने से पूर्व शराब के पुराने ठेकेदारों में कितनी राशि बकाया निकलती है ? कृपया जिलेवार ठेकेदारों व उनमें बकाया राशि की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) सरकार ने अब तक इन ठेकेदारों से बकाया की वसूली हेतु क्या-क्या कारगर कदम उठाये और राज्य के बाहर चले गये ठेकेदारों के विरुद्ध वसूली की क्या कार्यवाही की ? कितने ऐसे ठेकेदार हैं जो राज्य के बाहर हैं और उनमें कितनी राशि बकाया है ?

(3) ठेके देने में पूर्व धरोहर राशि एवं समय-समय पर माल सुपुर्द करने के साथ ठेकेदारों से राशि प्राप्त की गई अथवा नहीं ? नहीं तो क्यों ?

(4) पुराने ठेकेदारों में से कितने को पुनः राशि वसूल करने के प्रयोजन से शराब विक्री के लाइसेन्स दिये गये हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 1/4/80 को 2,366 मामलों में 3,40,42,684 रुपये की राशि बकाया है। 20,000 रुपये से अधिक के मामलों की सूची संलग्न है।

(2) आबकारी बकाया राशि की वसूली भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत की जाती है। जिला आबकारी अधिकारियों को समय समय पर बकाया राशि वसूली में प्रगति लाने हेतु निर्देश दिये जाते रहे है और प्रगति की समीक्षा की जाती हैं। अधिकारियों के द्वारा बाकीदार की सम्पत्ति तलाश कर कुर्क किया जा रहा है। तथा कुर्क शुदा सम्पत्ति के नीलामी की कार्यवाही तत्परता से की जा रही है। जिन मामलों में बाकीदार के नाम कोई चल/अचल सम्पत्ति नहीं है। अपलेखन के मामले तैयार किये जा रहे हैं।

(3) राज्य के बाहर जो ठेकेदार चले गये हैं उनमें बकाया राशि वसूली हेतु सम्बन्धित जिलाधीशों के माध्यम से पी.डी. आर. के प्रावधानों के तहत माँगपत्र अन्य राज्यों को भिजवाये जाकर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। राज्य के बाहर 59 ठेकेदार है और उनमें 40,61,461.90 राशि बकाया है।

(4) प्रत्येक ठेकेदार से सामान्यतः ठेके-देने के पूर्व धरोहर राशि ली जाती है तथा नकद में चालान द्वारा राशि जमा कराये जाने पर शराब दिया जाता हैं।

सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

माला देवी (कोटा) की सुरंग का पर्यटक दृष्टि से विकास

481. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या

(श्री हीरालाल आर्य)

पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की नायब तहसील इन्द्रगढ़ में डोबरली गांव के पास अरावली की पहाडियों में मालादेवी नामक स्थान में एक अथाह सुरंग है जो कि राजस्थान का आश्चर्य बन सकती है ?

(2) यदि हां, तो वह सुरंग कितनी लम्बी है ?

(3) क्या सरकार को इसकी जानकारी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त स्थान की जानकारी कर उस स्थान को पर्यटकों हेतु विकसित करने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह एक अथाह सुरंग है। इसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि यह राजस्थान का आश्चर्य बन सकती है।

(2) सुरंग की लम्बाई की जानकारी नहीं है क्योंकि सुरंग प्रारम्भ से ही एक अन्धेरी गुफा के रूप में है। सुरक्षा, जांच एवं रोशनी जैसे उपकरणों के अभाव में लम्बाई की जानकारी नहीं की जा सकी है। ग्रामवासी भी गुफा में जंगली जानवरों के भय से प्रवेश करने से डरते हैं।

(3) सुरंग की जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। तत्पश्चात ही यदि पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण पाई गयी तो इसके विकास पर विचार किया जा सकता है।

जिला बांसवाड़ा के छापरिया व बोर खावड़ तालाब

483. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि छापरिया तालाब व बोर खावड़ तालाब जिला बांसवाड़ा सरकार द्वारा मंजूशुदा है ? यदि हां तो तब से ? यदि उस पर कार्य किया है, तो कितनी कितनी धनराशि व्यय की गई है ? क्या यह कार्य ठेकेदारों के माध्यम से करवाया गया था ? यदि हां, तो कितना कार्य हो चुका है ? कृपया ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ठेकेदारों ने छापरिया व बोर खावड़ तालाब का काम बंद कर रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इन तालाबों को पूरा करने हेतु विभाग द्वारा कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक पूरा हो जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां, छापरिया एवं बोटखावड़ तालाब की राज्य सरकार द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति क्रमशः दिनांक 13-4-79 एवं 11-4-79 को दी गई थी। इन कार्यों पर मार्च, 1981 तक क्रमशः रु. 6·96 लाख एवं रु० 10·38 लाख व्यय होने की सम्भावना है। छापरिया तालाब का कार्य श्री दीवानचन्द ठेकेदार के द्वारा कराया गया है एवं उनके द्वारा अब तक रु. 5·33 लाख

50

(सिंचाई मन्त्री)

का कार्य किया गया है। बोर खाबड़ तालाब का कार्य श्री मानसिंह गुम्बर ठेकेदार द्वारा किया गया है एवं उनके द्वारा अब तक रु. 8·21 लाख का कार्य किया गया है।

(2) जी हां. दोनों ठेकेदारों द्वारा कार्य की प्रगति सन्तोषजनक न होने के कारण उनको चेतावनी दी गई। अतः ठेकेदारों द्वारा कार्य बन्द कर दिया गया है।

(3) दोनों ठेकेदारों के खिलाफ संविद की धारा 2 एवं 3 सी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। कार्य पुनः प्रारम्भ कराने हेतु निविदा आमन्त्रित की जा रही हैं। निविदा स्वीकृति के पश्चात् ही यह बताया जा सकेगा कि ये कार्य कब पूरे होंगे।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं :—

वे प्रस्ताव जिन पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा :—

(1) **श्री अनंगकुमार जैन व श्री बालचन्द्र आर्यवीर :**

झालरा पाटन तहसील में तहसीलदार द्वारा अन्त्योदय परिवारों के लोगों से रिश्वत लेने के विषय में।

(2) **श्री मोहनलाल मोदी :** कपिल अस्पताल नीम का थाना में डॉ. कैलाशचन्द्र गुप्ता सर्जन द्वारा रोगियों के साथ दुर्व्यवहार और अनियमितताओं के विषय में।

(3) **श्री घनश्याम तिवाड़ी :** सीकर जिले के खण्डेला कस्बे में घाटेश्वर के पास तथा कुछ गांवों में यूरेनियम खनिज का खनन कार्य भारत सरकार द्वारा किया जा रहा था, उसे बन्द करने के विषय में।

(4) **श्री नाथूसिंह :** अमेरिकन दूतावास के कुछ कर्मचारियों द्वारा राजस्थान के अणु ऊर्जा केन्द्र में जाकर जानकारी करने और विद्युत मंडल के अधिकारियों से मिलकर वार्ता करने के विषय में।

वे प्रस्ताव जिनको राज्य सरकार के पास सूचनार्थ भेजा जा रहा है और जिन्हें मैं स्वीकृति देने में असमर्थ हूं उनमें आते हैं :—

(5) **श्री भगवानदास शास्त्री :** पुष्कर से 3 किलोमीटर दूर बसे एक गांव जावण्डिया में अचानक आग लगने से चौथू जाट की मृत्यु व ग्रामीणों में आतंक होने के विषय में।

(6) **श्री रामकिशोर मीणा :** आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा रोस्टर प्रणाली की अवहेलना के विषय में।

(7) **श्री दाऊदयाल जोशी एवं श्री हीरालाल आर्य :** अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा आन्दोलन की सूचना के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री गोपाल पचेरवाल : जिला बूंदी में तीन रूटों पर केवल एक ही प्राइवेट बस चलने से यात्रियों को असुविधा के विषय में।

(9) श्री हंसराज शर्मा : जिला सवाई-माधोपुर तहसील बोंली ग्राम हिन्दपुरा व गांवों में काश्तकारों को कुओं पर बिजली लगाने की अनुमदि नहीं मिलने के विषय में।

(10) श्री चुन्नीलाल जेलिया : जयपुर अन्य से सवाई माधोपुर तक चलने वाली रोडवेज की बसें नगर तक न जाकर स्टेशन पर रुक जाने के विषय में।

(11) डॉ. उजला अरोड़ा : जयपुर मैटल्स में गत वर्ष मई से अगस्त तक चलने वाली हड़ताल के दौरान किये गये समझौते पर कोई कार्यवाही नहीं करने के विषय में।

(12) श्री देवीसिह भाटी : ग्राम माला-सर थाना जामसर जिला बीकानेर में जेठाराम सुनार नामक एक नायक को पुलिस द्वारा परेशान करने के विषय में।

(13) श्री कैलाश मेघवाल : अजमेर नगर में सफाई की व्यवस्था न होने के विषय में।

इनके अतिरिक्त श्री रतनलाल ताम्बी व श्री बहादुरसिंह ने बांसवाड़ा जिले में निर्मित होने वाले माही नदी के पुल पर हुई दुर्घटना में 9 व्यक्तियों की मृत्यु व 6 घायल हो जाने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस पर राज्य सरकार की ओर से कल दिनांक 31 मार्च को एक वक्तव्य दिया जायगा और मैं स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा है :—

(1) श्री देवीसिह भाटी : बीकानेर नगर परिषद् में गंदे पानी के ठेके से हुई कुछ नागरिकों की मृत्यु।

(2) श्री चन्द्रवीर सिंह : जैसलमेर-बाड़मेर जिले के 3000 वर्ग मील क्षेत्रफल में मरु उद्यान की स्थापना से उत्पन्न स्थिति।

इन दोनों विषयों पर राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जायगा। मैं स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री हंसराज शर्मा व चुन्नीलाल जेलिया : सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय में महाविद्यालय में संस्कृत व विज्ञान आदि विषय न खोलने के विषय में।

वित्तीय प्रावधानों की कमी तथा भवन की कमी के कारण पी.जी., तथा विज्ञान आदि विषय नहीं खोले जा सकते हैं और संस्कृत विषय खोलने पर अगले वर्ष विचार किया जायगा।

सरकार की ओर से उत्तर दिया है उस सम्बन्ध में मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

(4) श्री बंशीलाल पटवा : गुलाबपुरा की स्पिनिंग मिल की सहायक यूनिट शाहपुरा में न खोलने के विषय में।

52

(श्री अध्यक्ष)

परियोजना सहकारी विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता में असमर्थता प्रकट करने के कारण शाहपुरा में सूती मिल स्थापित करने की योजना बन रही है।

(5) **श्रीमती विद्या पाठक** : सांगानेर के सांगा मंदिर की कुछ जमीन पर अवैध कब्जा। इस मामले में संबंधित व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा नोटिस दिया जा रहा है और शांति भंग होने या अप्रिय घटना का कोई अंदेशा नहीं है।

(6) **श्री रतनलाल ताम्बी** : भीलवाड़ा नगर में एक मकान में 60 हजार रुपये की चोरी। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर अन्वेषण किया जा रहा है और 35 हजार की सम्पत्ति बरामद कर अभियोग का चालान पेश कर दिया गया है।

(7) **श्री बालचन्द आर्यवीर व श्री अनंग कुमार जैन** : झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में सात चोरियां।

इसमें भी अभियोग दर्ज कर चालान प्रस्तुत कर दिया गया है और चोरी गये 9514 रुपये की सम्पत्ति बरामद कर ली गई है।

(9) **श्री नाथूसिंह** : सैन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक द्वारा तहसील बसवा में किसानों से जबरन ऋण वसूली।

तहसील बसवा में ऋण वसूली के जो 27 मामले दर्ज हुए हैं उनमें प्रभावग्रस्त कावों में किसी प्रकार की वसूली या कुर्की नहीं की जा रही है।

(10) **डॉ. उजला अरोड़ा** : जयपुर स्थित चूरूकों के रास्ते में चोरी की घटना।

पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर अन्वेषण प्रारम्भ कर दिया गया है।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर प्राप्त जानकारी का अध्ययन किया जा रहा है :

(1) **श्री कैलाश मेघवाल** : गत 20 जनवरी को चोरी के मामले में जिला नागौर थाना पादुकला के गांव डोडीयाना में पुलिस द्वारा पिटाई से रूपराम की मृत्यु।

(2) **श्री रघुवीर सिंह कौशल व श्री बाऊदयाल जोशी** : तहसील अटरू गांव मोतीपुरा के कुछ काश्तकारों की बेदखली।

(3) **श्री हरीश शर्मा व श्री गोपाल पचेरवाल** : ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा के उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा छात्र छात्राओं से दुर्व्यवहार।

(4) **श्री चुन्नीलाल व श्री हंसराज शर्मा** : देवपुरा बांध कीडूव में आई जमीन का मुआवजा।

(5) **डॉ. उजला अरोड़ा** : राजस्थान विश्वविद्यालय की तृतीय वर्ष विधि की परीक्षा में एक पेपर कोर्स से बाहर आने के विषय में।

(6) **श्री गुलाबचन्द कटारिया** : उदयपुर जिले में आमेट तहसील में मार्बल की खानों में अवैध कब्जा।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री हीरालाल आर्य : पीपल्दा क्षेत्र में किसानों से जबर्दस्ती एफ. डी. के खाते खुलवाने के विषय में।

(8) श्रीमती विद्या पाठक : सवाई मानसिंह अस्पताल में करन्ट से एक युवक की मृत्यु।

(9) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : गत 20 मार्च को जोधपुर एक्सप्रेस में समाज विरोधी तत्वों द्वारा लूटपाट व दुर्व्यवहार।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 27 तारीख को····

(व्यवधान)

श्री बी. डी. कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 295 के अन्तर्गत एक मामला दिया था···

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसान रैली के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव द्वारा जानकारी करनी चाही है···

श्री बी. डी. कल्ला : एक विशेष उल्लेख का मामला आपके सामने प्रस्तुत किया था उसके बारे में क्या व्यवस्था है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : रैली वाले में कोई निर्णय नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप जानते हैं कि स्थगन प्रस्तावों की सूचना सरकार से प्राप्त हो गई है उनकी काफी संख्या है। अध्यक्ष के लिये यह याद रखना संभव नहीं कि कौन से स्थगन प्रस्ताव में क्या व्यवस्था दी गई है अथवा क्या स्थिति है। मैं बार बार निवेदन करता रहा हूं कि मेरे समक्ष जितने स्थगन प्रस्ताव आते है उन पर 3-4 तरह की व्यवस्था मैं देता हूं। वह व्यवस्थाएं आपको निवेदन कर दी कि काल अटेंशन में क्या हुआ। जिसकी चर्चा यहां पर हुई नहीं उसमें क्या हुआ, इस संबंध में जानकारी चाहते हैं तो उस संबंध में मुझ से अलग से मिल लें। माननीय सदस्य जानते हैं, मैं बार बार व्यवस्था करता रहता हूं। मेरे लिये यह बताना संभव नहीं है। लंबी सूची है स्थगन प्रस्तावों की जिन पर मैंने तरह तरह की व्यवस्थाएं दीं। इसलिये माननीय सदस्य इस पर चर्चा कर समय न गवायें। माननीय सदस्य, जिनको शिकायत है वे कृपया अलग से मिलें। अब आप यहां प्रश्न पूछें कि मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का क्या हुआ, मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ तो यह मेरे लिये कैसे संभव है। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अब जितने माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव हैं ···

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले श्री गोपाल पचेरवाल को समय दिया जावे। श्री गोपाल पचेरवाल तैयार हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण दूं तो माननीय सदस्य हाउस में उपस्थित रहें तो···

श्री ग्रध्यक्ष : मैं किसी माननीय सदस्य को उपस्थित होने के लिये बाध्य नहीं कर सकता।

श्री गोपाल पचेरवाल : ग्राप उनको पावन्द करें, साहब।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : मैं किसी माननीय सदस्य को यहां उपस्थित होने के लिये बाध्य नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

ग्राप नियम बता दें ग्रौर उसके ग्रनुसार सूचना दें। मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता। माननीय सदस्य जब चाहें यहां पधार सकते हैं, बाहर पधार सकते हैं, वापस ग्रा सकते हैं। हमारे पास ऐसे ग्रधिकार नहीं हैं कि उनको बाध्य किया जा सके।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : ग्रध्यक्ष महोदय, बाहर ही दे दूं तो इस सदन को, माननीय सदस्यों को एतराज तो नहीं होगा।

श्री ग्रध्यक्ष : नहीं, सदन के समक्ष हो····

श्री गोपाल पचेरवाल : मैंने निवेदन किया है, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापके माध्यम से मेरी गुजारिश है कि मेरे पर हाउस में ग्रारोप लगाया गया····

श्री ग्रध्यक्ष : मेरे माध्यम से ही कार्यवाही होती है। जितनी भी कार्यवाही होती है मैं उसको सुन लेता हूं बाकी छप जाती है, छप कर माननीय सदस्यों को चली जाती है।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : पाइंट ग्राफ ग्रार्डर, ग्रध्यक्ष महोदय। मैंने एक प्रिविलेज मोशन पिछली 18 तारीख को दिया था। माननीय मंत्री ने प्रश्न का जवाब देते हुए सदन को गुमराह किया था ग्रौर गलत जवाब दिया था उसके सम्बन्ध में प्रिविलेज मोशन विद डाकूमेंट दिया था उसके बारे में 15 दिन हो गये···

श्री ग्रध्यक्ष : उसकी जांच हो रही है। ग्राप ग्रलग से समय के पश्चात् मेरे से मिल लें।

श्री नाथूसिंह : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, नियमों में ऐसा है कि जिस दिन प्रिविलेज मोशन दें उसी दिन ग्रापकी तरफ से व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन 15 दिन हो रहे हैं···

श्री ग्रध्यक्ष : तो ग्रापको भी पधार जाना चाहिये था। 15 दिन के बाद ग्राप····

श्री नाथूसिंह : मैं ग्रापसे चैम्बर में मिला था।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज, उसके बाद में ग्राप ग्रन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त हो गये थे। दुबारा उसके बारे में ताकीद है तो उसके संबंध में पत्र, पत्रावलियां, नियम, कानून देख कर बता दूंगा।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मेरा भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना केस खराब कर रहे हैं । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में मैं बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करता हूं और यहां अवगत कराता हूं । उसके बारे में यहां प्रश्न और उत्तर नहीं होते ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मान्यवर, यहां पर कई बार आपने भी कह दिया और माननीय सदस्यों ने भी, लेकिन लोक सभा में जो प्रक्रिया है, वह आसान प्रक्रिया है कि विद्युत का बटन दबा कर दोनों पक्षों के मत जान लिये जाते हैं । हमारी विधान सभा में भी क्या वैसी व्यवस्था करवा देंगे जिससे कि माननीय सदस्यों का मत, अभिमत जान लिया जाय, विपक्ष का जान लिया जाय और आसानी से वहीं का वहीं मामला तय कर लिया जाय । मेरा आग्रह है कि मेरे इस सुझाव की क्रियान्विति के लिये आप निश्चित रूप से प्रयास करेंगे । मैं समझती हूं वैसी प्रक्रिया यहां भी चालू हो जाय तो जो ऐसे प्रसंग उठते हैं उन पर हाथ की हाथ मत जान लिया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपकी बात सुन ली ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है, कपिल हॉस्पिटल नीम-का-थाना के डा. कैलाशचन्द्र द्वारा मरीजों से पैसे लेना, अव्यवस्था करना····

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में मैंने सरकार से जानकारी चाही है····

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, वह 3 तारीख तक आयेगी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : मैं इसके लिये इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि इसमें बहुत से अपमानजनक शब्द आपने लगाये हैं । मैं पहले स्पष्ट करूंगा और सूचना चाहूंगा····

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, अपमानजनक शब्द तो हैं नहीं । आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ कर सुना दूं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मैं ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से उत्तर आ जाय ।

श्री मोहनलाल मोदी : नहीं आयेगा, अध्यक्ष महोदय । पिछली बार भी मैंने दिया था । अब भी हाउस में नहीं आयेगा ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं अपनी बात रख दूं····

श्री अध्यक्ष : अध्यक्षीय व्यवस्था है, मैंने जानकारी चाही है । उत्तर आने के पश्चात् व्यवस्था कर दूंगा ।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, अपमानजनक शब्द हैं नहीं । इतना ही लिखा है कि भूतपूर्व चिकित्सा मंत्री का वरदहस्त है····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अंकित न हो ।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप नियमों की अवहेलना नहीं कर सकते । माननीय सदस्य, इस तरह एकतरफा कार्यवाही नहीं होगी । सरकार से जानकारी प्राप्त करके व्यवस्था दी जायेगी ताकि दोनों पक्षों की बात तय हो सके ।

श्री मोहनलाल मोदी : तो कल का टाइम निश्चित कर दीजिये, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, मैंने स्पष्ट व्यवस्था दे दी । ज्यादा अच्छी व्यवस्था इसको माननी चाहिये कि सरकार से उत्तर प्राप्त करने के पश्चात् व्यवस्था दूं । आप केवल अपनी बात ही कहना चाहते हैं तो इसका मतलब स्थगन प्रस्ताव का कोई खास उद्देश्य नहीं । यही उद्देश्य है कि आप तत्काल बोल दें ।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, ताकि मैं सारी स्थिति स्पष्ट कर सकूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थिति आपने स्पष्ट स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से दे दी आसन को या हमारे कार्यालय में दे दी । मैं इसकी जानकारी प्राप्त कर रहा हूं । जानकारी प्राप्त होने पर व्यवस्था दी जायेगी ।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, कृपया आश्वासन दे दीजिये, इसी सत्र के अन्दर अन्दर उत्तर दिलाया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : कोशिश यही होगी कि इसका उत्तर शीघ्र प्राप्त हो सके ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । श्री भगवानदास शास्त्री । ग्रामीणों में आतंक ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं । जिनकी जानकारी आपने सरकार से मंगा ली, जैसा कि आपने कहा, तो मेरे क्षेत्र का मामला था उस पर बोलने की अनुमति देंगे ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, जिनको मैंने अस्वीकृत कर दिया उस पर तो नहीं दूंगा लेकिन जो मामले विचाराधीन हैं मेरे समक्ष उन पर आपको अवसर दूंगा आज ही ।

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्तावों पर सरकार से जानकारी प्राप्त होने में विलम्ब

श्रीमती विद्या पाठक : पाइंट आफ आर्डर ।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(57)

(श्रीमती विद्या पाठक)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने फर्माया कि स्थगन प्रस्तावों के माध्यम से सरकार को अलर्ट करने की इच्छा रहती है। अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहूंगी कि क्या इस सदन के अन्दर जो स्थगन प्रस्ताव पेश किये जाते हैं उनमें से किसी का जवाब जयपुर के जयपुर में रहते हुए पिछले 15 दिन से नहीं आया है और जो जवाब आया है वह भी मुझे मालूम है ठीक नहीं है। आपने फर्माया है, वह मुझे पता है, परन्तु विभाग ने जो जवाब दिया है वह गलत है। जैसा आपने कहा है कि शान्ति भंग होने की कोई आशंका नहीं है। यह सारा जवाब ही गलत है।....

श्री अध्यक्ष : आपको अवसर दूंगा....

मंत्रिमण्डल के सदस्यों की शून्यकाल में अनुपस्थिति

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, आपने यह व्यवस्था दी है वह अस्वीकार कर दिया गया है। इसकी आपने अनुमति नहीं दी है। सामने सारी ट्रेजरी बेन्चेज खाली हैं फिर हमारे बोलने का क्या अर्थ रह जाता है। इससे स्पष्ट है कि सरकार चिन्तित नहीं है। नुकसान जिसका होता है, होता है परन्तु सरकार की नान-परफार्मेन्स की वजह से पोजीशन हमारी ही खराब होती है। मैं सोचती हूं कि आप यह व्यवस्था दें कि कन्सर्निंग अफसर चाहे छोटा हो या बड़ा वह हमारी बात को सुने और नोट करें। इसी प्रकार कन्सर्निंग मंत्री महोदय यहां पर जीरो आवर में बिराजें। वह उपस्थित नहीं होते हैं तो स्पष्ट है कि हमारी बात को इग्नोर किया जा रहा है। इस प्रकार के रवैये से तो प्रदेश में अराजकता बढ़ेगी और वह एक खतरनाक ट्रेन्ड होगा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मंत्री महोदय नहीं है....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय यहां पर बिराजे हुए हैं, एक राज्य मंत्री और एक मंत्री महोदय हैं....

श्री दाऊदयाल जोशी : कोई भी नोट नहीं लेता है।

श्री अध्यक्ष : यह आप कैसे कहते हैं!

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं रोज देखता हूं। सम्बन्धित मंत्री महोदय नहीं रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : 9 बजे हम स्थगन प्रस्ताव दे देते हैं। तीन घंटे पहले मंत्री महोदय को आप सूचना दे देते हैं। वे यहां से गायब हो जाते हैं। केवल दो मंत्री हैं, राज्य मंत्री और मंत्री। इसके अलावा और कोई दूसरा मंत्री नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री भगवान दास शास्त्री ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : श्रीमान अध्यक्ष महोदय, 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक दुर्भाग्यवश पुष्कर के दो गांव चावंडिया और कनेरा....

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : एक बात अवश्य है, अध्यक्ष महोदय, जिन विषयों पर स्थगन प्रस्ताव आये हैं, जो आपने अस्वीकृत किये हैं और जिन पर सदस्यगण बोलेंगे, उनसे सम्बन्धित मंत्री तो अवश्य ही यहां पर उपस्थित रहें....

श्री अध्यक्ष : मैं बाध्य नहीं कर सकता। किसी स्थगन प्रस्ताव पर मैंने यह व्यवस्था दी हो कि उस पर सरकार की ओर से वक्तव्य होगा तो उस अवसर पर उनका उपस्थित होना आवश्यक है अन्यथा नहीं।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : हम बहिर्गमन करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : अगला विषय ले लिया जाय। मंत्रियों को इस तरह बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मैं इस व्यवस्था के खिलाफ वाक आउट करता हूं....

(बहिर्गमन)

श्री दाऊदयाल जोशी : मंत्री महोदय नहीं, कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं ...

श्री अध्यक्ष : अगला विषय पुकार रहा हूं....

श्री दाऊदयाल जोशी : यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइंट आफ आर्डर। सदन में कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं इसके सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं अगला विषय पुकार रहा हूं....

श्री दाऊदयाल जोशी : सदन में कोरम नहीं है। यह दर्दनाक स्थिति है कि शून्यकाल में कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

(गण पूर्ति के पश्चात)

श्री देवीसिंह भाटी : यह सरकार बहरी, गूंगी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था....

श्री अध्यक्ष : आप तो बहिर्गमन कर गये थे। आपका भाषण समाप्त हो गया।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, पाईंट ग्राफ ग्रार्डर के कारण मैं बैठ गया था....

श्री अध्यक्ष : शुरू करें। कृपया ग्रापस में बात न करें।

श्री भगवान दास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, पुष्कर राज से तीन मील दूर तीन गांवों में 16 फरवरी तक ग्राग लगी। यह घास का मामला था। तीन गांवों तक यह ग्राग फैल चुकी। एक ग्रादमी मर गया। सरकार की ग्रोर से सहायता दी गई। यह कहावत है कि बर्लिन जलता रहा ग्रौर हिटलर सोता रहा। इसी प्रकार से यह सरकार सो रही है....

श्री अध्यक्ष : ....रोम जल रहा था ग्रौर नीरो बंशी बजा रहा था। यह कहावत है।

श्री भगवान दास शास्त्री : तो, अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा के नाम पर वोट लेकर कांग्रेस पार्टी ग्रायी है। वहां पर गांव जल रहा है। दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस गांव में गुलाब की खेती, सब्जियों की खेती होती है। ग्रजमेर के इस गांव की सब्जियां गुजरात ग्रौर जयपुर तक ग्राती हैं। इतनी सारी सब्जियां इस गांव में होती हैं। मैं कोई राजनीतिक रंग इस को नहीं दे रहा हूं। कभी भी मेरी इस तरह की मंशा नहीं रही है। ग्राज भी मैं कोई राजनीतिक रंग नहीं दे रहा हूं। मेरे पड़ोस में ग्राग लग रही है। कम से कम 50 परिवार बेघरवार हो गये हैं, अध्यक्ष महोदय। इसको देवी प्रकोप कहते हैं लेकिन जब से कलियुग ग्राया है न देवी-देवता है ग्रौर न दैत्य ही हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक 22 वर्षीय युवती की जांच चल रही है। जिला प्रशासन ने ज्यादा मेहनत की है, चाहे पुलिस हो, चाहे कलेक्टर हो। उस गांव में दूसरे लोग बसना चाहते हैं। यह कौनसा समाज है। यह कोई विदेशी नहीं हो सकते। वह तो भारतवासी ही हैं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, उस गांव की ऐसी हालत है ग्रौर ये कहते है कि प्याज के छिलके पर थोड़ा घासलेट वहां पर पाया गया है। परन्तु पहले चिंगारी उठती है वह चिंगारी जो है वह विस्फोटक पदार्थ का रूप है। पुलिस भले ही यह कहे कि उसमें घासलेट लगा हुग्रा है। उसके ऊपर घासलेट नहीं हो सकता है। यह चिंगारी यहां से लगती है फिर जाती है पड़ोस में। फिर दो दिन बीच में बंद हो गयी उसके बाद कल से लेकर कुछ शांति है। जब तक पुलिस बल लगा रहता है शांति रहती है। जब पुलिस दल वहां से चला जाता है तो ग्राग भड़क उठती है।

मैं साफ बताऊं कि कम से कम 50 प्रतिशत ग्रजमेर की सब्जी ग्रौर फ्रूट बाहर जाता है। जो गुलकंद का बिजनेस होता है रतलाम तक गुलकंद वगैरह जाता है। मैं कहता हूं कि सारा पुष्कर यह काम करता है। पुष्कर में जितने लोग खेती करते हैं उनको किसी बाहर से ग्राने वाले ने ग्रातंकित कर रखा है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री भगवान दास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, पुष्कर गांव, जो हमारी सब्जी की

(श्री भगवान दास शास्त्री)

मांग पूरी करता है, जहां जल है, जो हमको पानी पिलाता है कम से कम, ग्रध्यक्ष महोदय, वहां घटनायें हो जाती है तो कम से कम यह तो पुलिस का कर्त्तव्य हो जाता है कि चाहे क्राइम ब्रांच हो, चाहे सेंट्रल इण्टेलीजेन्स ब्यूरो हो वह पता लगाये कि कोन चोर लोग हैं, कौन डकैत हैं जो इस गांव को हथियाना चाहते हैं····

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री भगवान दास शास्त्री : एक भैंस मर गई, दो बच्चे मरते मरते बच गये। ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रभी तक यह सुराग नहीं मिला है कि यह विस्फोटक पदार्थ कहां से ग्राता है ? यह रात को कोन डाल जाता है ? देवी देवता की बात कहते हैं। ग्राज कोई देवता नहीं है। ग्रध्यक्ष महोदय, यह कोई मामूली घटना नहीं है। यह मामला उठाना तो वहां की विधायिका को ही था जो वहां से ग्राती हैं। जिस सदस्य से संबंधित वह गांव है उनको बोलना चाहिये था ···

श्री ग्रध्यक्ष : कमाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री भगवान दास शास्त्री : मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इस घटना को डीप में जाकर, गहराई में जाकर देखें कि वह भवरी नाम की युवती 20-22 वर्ष की युवती कोंन थी ? जब महायुद्ध होता है तो युवतियों के कारण ही हमारी मिलिट्री को नपुंसक बनाया जाता है। उसको देखें कि वह कौन है। इसकी ग्रच्छी तरह से जांच पड़ताल करें उसको गिरफ्तार करें ग्रौर बंद करें, गांव को बचायें, गांव की रक्षा करें।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा। रोस्टर प्रणाली के संबंध में।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : ग्रनुसूचित जाति ग्रौर ग्रनुसूचित जन जाति के जो कर्मचारी जिन विभागों में नहीं ग्रा पाते हैं उन कर्मचारियों को विशेष तौर से रोस्टर प्रणाली के ग्राधार पर विभागों में भर्ती किया जाता है एवं पदोन्नत किया जाता है। ग्रार्थिक सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायक से सांख्यिकी निरीक्षक के 225 पद प्रमोशन के द्वारा भरे जाने थे। ग्रापको इस संदर्भ में यह निवेदन करना चाहता हूं, ग्रापको ताज्जुब होगा कि एक दिन के ग्रन्दर 7 ग्रादेश निकाले गये ग्रौर रोस्टर प्रणाली को पूरी तरह से ग्रवोइड किया गया। किस तरह से इन जाति के व्यक्तियों को प्रमोशन से वंचित किया गया इसका एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। ग्रादेश संख्या 35/1821/93 दिनांक 19-2-80 के द्वारा 4 कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण किया गया, 1971 से लेकर 80 तक की पदोन्नति की लिस्ट जारी की गयी ग्रौर 29-2-80 को ही 7 ग्रादेश बारी बारी से विभिन्न नम्बरों से निकाले गये। इसमें कुल 225 पदों पर सांख्यिकी निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नति की गयी। ग्रध्यक्ष महोदय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन 225 पदों में से एक भी ग्रनुसूचित जन जाति का व्यक्ति नहीं है। ग्रनुसूचित जाति का ग्रवश्य एक व्यक्ति

(श्री रामकिशोर मीणा)

है। अध्यक्ष महोदय, 10 फरवरी, 1975 का जो आदेश है उसका पैरा 2 आपके सम्मुख पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

इसमें रोस्टर से पदोन्नति के लिये लिखा गया है "जहां चालीस पोस्ट होंगी वहां पर एक साथ 1, 7, 14, 21, 23, 35 के नम्बर के पद तो अनुसूचित जाति के द्वारा भरे जायेंगे और 4, 12, 22, 30, 39 नम्बर के पदों पर अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति लिये जायेंगे" लेकिन इसमें जो 225 निरीक्षकों को पदोन्नति दी गयी है वह 1971 में 4,1972 में 13, 1974 में 9,1977 में 9,1979 में 32 और 1980 में 87 तथा 71 इस तरह से 19-9-80 को 7 आदेश निकाले गये जिसके द्वारा इन जातियों के व्यक्तियों को आरक्षण से वंचित रखने की जबर्दस्त साजिश की गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विभाग है इसमें इन जातियों के साथ इस तरह से जबर्दस्त गड़बड़ी हो रही है उनको संरक्षण नहीं मिल रहा है। मैं इसके लिये आपके माध्यम से संरक्षण की मांग करता हूं। सिर्फ अनुसूचित जनजाति के दो कर्मचारियों, जो इस विभाग में हैं, को रोस्टर प्रणाली के अन्दर 76 में प्रमोशन दिया निरीक्षक के पद पर लेकिन जब डी. पी. सी. बनायी गयी तो, अध्यक्ष महोदय, जब 1976 में प्रमोशन किये गये तब पूरी तरह योग्य मान कर सारी क्वालिफिकेशन को जांचने के बाद प्रमोशन किये गये थे लेकिन वर्तमान में जो डी. पी. सी. बैठी उसने 225 व्यक्तियों को तो नियमित कर दिया है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, दो व्यक्तियों, जो अनुसूचित जाति जन जाति के हैं, को नियमित नहीं कर रही है, उनको डी. पी. सी. नहीं ले रही है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रामकिशोर मीणा : इस कारण से, अध्यक्ष महोदय, उनका भविष्य अंधकार में है। उनको आशंका है कि उनका रिवर्शन किया जायेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके हितों की रक्षा की जाये इस, और आशा है मंत्री महोदय ध्यान देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी। संयुक्त कर्मचारी महासंघ द्वारा आन्दोलन की सूचना देने के संबंध में।

श्री दाऊदयाल जोशी : महाभाग्रहे अध्यक्ष महोदय, कर्तव्यपरायण राज्य कर्मचारी गत 11 महीनों से असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। असंतुष्ट कर्मचारियों ने पूर्णतया अनुशासित रहते हुए सरकार का बराबर अपनी मांगों की ओर ध्यानाकर्षण करवाया है। कर्मचारी अपनी 18 मांगों को लेकर पिछले 11 महीनों से राज्य सरकार से लड़ रहे हैं। 18 मांगों के संबंध में 11 माह के अन्दर 22 पत्र राज्य सरकार को पेश किये, हर 15 दिन में एक पत्र राज्य सरकार को पेश किया। उसके बाद मुख्य मंत्री महोदय को 12 पत्र 11 महीनों में दिनांक 11-6-80, 11-7-80, 19-7-80, 21-7-80, 28-7-80, 4-8-80, 7-8-80, 21-8-80, 16-8-80, 4-9-80, 26-8-80 को,

श्री अध्यक्ष : संख्या बता दें तारीख पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : लगातार 12 महीनों में 12 पत्र पेश किये, यह हमारी 18 मांगें हैं जिनके ऊपर आप गम्भीरता से विचार करें। उसके बाद अभी तक उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर तीन पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय को और एक पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय के सलाहकार को दिया, 6 पत्र मुख्य सचिव को पेश किये। जब उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी तो 20-8-80 को इन कर्मचारियों ने विधान सभा के बाहर और राज्य सचिवालय के बाहर धरना दिया। धरना 20 को था और मुख्य मंत्री महोदय ने उसके दूसरे दिन ही 21-8-80 को उनको बुलाया और उनसे बातचीत करने की बात तय की। 21-8 से लेकर आज 30-3-81 तक मुख्य मंत्री महोदय से बराबर कर्मचारी मिलने का प्रयास करते रहे लेकिन ढंग से बात तक करने का अवसर नहीं मिला। फलतः मजबूर होकर राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने अन्त में विवश होकर प्रशासन की दर्दनाक स्थिति में आंदोलन, हड़ताल का आह्वान किया। उन्होंने जनता से भी कहा कि इसके कारण आपको कष्ट होगा उसके लिये हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम राज्य सरकार को सही तरीके से झुकाने में असमर्थ रहे हैं। 20-3-81 को राज्य सरकार के सारे कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिये आधे दिन के बाद दफ्तर से अनुपस्थित होकर जिला प्रशासन के कार्यालय के ऊपर प्रदर्शन किया और मांग पत्र पेश किया।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकार के सारे 26 जिलों में राजस्थान के कर्मचारियों ने आधे दिन के बाद अनुपस्थित रहकर प्रदर्शन किया पर उसकी ओर राज्य सरकार ने बिलकुल तवज्जोह नहीं दी। मेरा निवेदन यह है कि जो 18 मांगें हैं वह वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। आज बढ़ती हुयी महगाई के कारण उनकी मांगें हैं उनको स्वीकार करना····

श्रीमती उजला अरोड़ा : श्रम मंत्री यहां नहीं हैं। हम जो बात कह रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : मंत्री का रहना आवश्यक नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : कुछ न कुछ व्यवस्था तो जरूर करवाइये।

मेरा निवेदन करना यह है कि माननीय बरकतुल्ला खां साहब के समय में भी कर्मचारियों का आन्दोलन हुआ था तब भी सारे राजस्थान को परेशानी हुई थी, कोटा में उस आन्दोलन को दबाने के लिए आर. ए. सी. पहुंची थी। यह आन्दोलन कहीं उग्र रूप धारण नहीं कर ले, जनता को इससे कष्ट नहीं हो, इस दृष्टि से सरकार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में कर्मचारियों से बात करनी चाहिये। प्रथम स्थिति में ही उनसे बात करके व्यवस्था करनी चाहिये। राज्य कर्मचारियों की जो 18 मांगें हैं····

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये। आर्डर प्लीज,

(श्री अध्यक्ष)

श्री गोपाल पचेरवाल

व्यवस्था का प्रश्न

मंत्रिमण्डल के सदस्यों की शून्य काल में अनुपस्थिति

श्री राजबहादुर : मैं एक व्यवस्था चाहता हूं, आपने कहा कि आवश्यक नहीं है मन्त्रियों का होना। क्या डिजायरेबल भी नहीं है, वांछनीय भी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : इतनी गहराई में नहीं जावें। आप इतने लम्बे समय तक सरकार में रहे हैं, इस सम्बन्ध में आप मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री हीरालाल आर्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : आसन से व्यवस्था दें आप।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री गोपाल पचेरवाल का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री गोपाल पचेरवाल : पहले आपने मेरा नाम पुकारा था—

श्री अध्यक्ष : उस स्थगन प्रस्ताव में दो के नाम थे। श्री हीरालाल आर्य का भी है, आप स्पष्टीकरण दे दीजिये।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, . . . ववेश्चन के दौरान डिग्गी हाउस के आस पास की जमीन के सम्बन्ध में माननीय सुरेन्द्र जी व्यास ने प्रश्न उठाया। आपके नियमों के अनुसार मुझे सप्लीमेन्ट्री पूछने का अधिकार था। मैं भी जानकारी करना चाहता था। मैंने जब यह बात कही तो मैं नहीं समझता था कि व्यास जी की कमजोरी है और उनकी दुखती नस पर अचानक कहीं हाथ पड़ गया। उस वक्त उन्होंने भावुकता में यह बात कही कि गोपाल पचेरवाल इसलिए बोल रहे हैं कि × × × मैं निवेदन करना चहता हूं कि माननीय सदस्य के संस्कार रहे होंगे × × × मेरे संस्कार नहीं थे। मजदूरी करके पेट पालने के मेरे संस्कार रहे हैं। मैं माननीय सदस्य पर आरोप तो नहीं लगाता लेकिन यह कहना चाहता हूं कि यह राजस्थान के हरिजन समाज पर आरोप है, मैं इसको स्वीकार करता हूं और मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं अगर आपकी बात के सौ हिस्से में से एक हिस्सा भी सही हो तो मैं भी आरोप लगाऊंगा बाद में, लेकिन मैं खुली मांग करता हूं, माननीय, अध्यक्ष महोदय, आप × × × जांच करवा लीजिए, यह बात सत्य हो तो मैं सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। आपकी सरकार है, एम. एल. ए. की कमेटी बिठा दें, अधिकारियों की कमेटी बना लें और यदि यह आरोप सत्य पाया जाय तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। असत्य निकले तो क्या माननीय सुरेन्द्र व्यासजी में यह क्षमता है कि वे इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं ? अगर वह सक्षम हों तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको खाली कागज पर हस्ताक्षर करके पेश कर दूंगा कि मैं इसको स्वीकार करता हूं अन्यथा माननीय सदस्य यह कहें कि मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं, वे

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(64)

(श्री गोपाल पचेरवाल):

साबित करने के लिए तैयार हैं ? अगर असत्य हो तो क्या सुरेन्द्रजी क्षमता में हैं ? व्यास जी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं ? मैं मानता हूं उनके संस्कार ऐसे हैं, मैं मानता हूं उनका परिवार ऐसा रहा है, मैं मानता हूं आप ऐसी संस्कृति में पैदा हुए हैं, उस संस्कृति में पल कर भावुकता में उनके मन की बात निकल गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कह कर इतना ही निवेदन करूंगा, उन्होंने आरोप लगाया है, मैं आरोप बाद में लगाऊंगा, नियमों का हवाला देते हुए लगाऊंगा बिना नियमों के नहीं लगाऊंगा। नियमों का उल्लंघन करते हुए, भावुकता से, उनकी दुखती नस पर हाथ रखने से उन्होंने जो आरोप लगाया उसको वह सत्य साबित करें। उनको चाहिये कि वे सदन से माफी मांगें, मुझसे माफी मांगें, राजस्थान के हरिजन समाज से माफी मांगें। जिस प्रकार से उन्होंने गरीब व्यक्ति, सदस्य पर आरोप लगाया, मैं यह आरोप अपने पर नहीं मानता हूं। यह आरोप तो आपका उपाध्यक्ष के चुनाव में ही साबित हो गया था। एक तरफ आप इन्दिरा गांधी की बात करते हैं, महात्मा गांधी के सिद्धान्तों की बात करते हैं दूसरी तरफ आपने हरिजन बेटे के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करके गांधी के सपनों पर कुठाराघात किया। यह हार गोपाल पचेरवाल की हार नहीं यह महात्मा गांधी, इन्दिरा गांधी और जगन्नाथ पहाड़िया के सिद्धान्तों की हार थी। इसमें स्वयं कांग्रेस के विधायकों की लड़ाई थी। महात्मा गांधी के सिद्धान्तों की हार हुई, एक सवर्ण सदस्य की जीत हुई। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं वे स्पष्ट कर दें, उन्होंने आरोप लगाया, कितना सत्य है ? क्या वे इसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं ? यदि नहीं, तो क्षमा याचना करें सदन से। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको कार्यवाही से निकाला जाय अन्यथा मैं यह मांग करूंगा कि इसकी जांच कराने के लिए कमेटी बिठाई जाय। इसकी जांच कराई जाय, जांच होवे तब तक उनको भी सदन से बाहर रखा जाय और मुझको भी सदन से बाहर रखा जाय। अगर वह जांच सत्य पाई गयी तो मैं सदन से इस्तीफा दूंगा या फिर दोनों खाली कागज पर हस्ताक्षर करके पेश कर दें जो भी जांच होगी वह दोनों को मान्य होगी। यह मेरी मांग है, अध्यक्ष महोदय।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय,

श्री अध्यक्ष : समय इस तरह नहीं मिलता।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। श्री हीरालाल आर्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : आप व्यावस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता। आपने जो स्पष्टीकरण दिया है, उसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं मानता हूं, आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरी मांग है, सरकार की तरफ से माननीय सुरेन्द्र जी व्यास हाउस में बैठे हुए हैं या तो यह कहें कि मैने गलत आरोप लगाया या अपने शब्द वापस लें। मैं यह मांग करता हूं सरकार इसकी जांच करवाये। माननीय सुरेन्द्र व्यास जी खाली कागज पर हस्ताक्षर करके पेश कर दें, मैं भी कर दूंगा, सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाय, और इसकी जांच कराई जाय। मैने अगर × × ×....

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : आपको कोई जानकारी नहीं। किस बात की जांच ? किसी बात की जानकारी नहीं हो फिर भी उल्टी सीधी बात कहना.......

(व्यवधान)

मेलाफाइड इन्टेंशन से लगा दिया।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : मैं एक विनती करूंगा दोनों नौजवान हैं, भावावेश में एक बात ऐसी कही गई जो नहीं कहनी चाहिये थी। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, अपना आरोप वापस लें। इस मामले को सुलझाना चाहिये। चुनौतियां दें, दोनों में यदि तैयार हो। इसलिए मैं सुरेन्द्र जी से प्रार्थना करता हूं इसको गम्भीरता से सोचें और परम्परा और मर्यादा को रखते हुए आरोप को वापस लेना चाहिये।

श्री शिव सिंह रावत (वाड़ी) : माननीय गोपाल पचेरवाल जी ने भी आरोप लगाया कि डिग्गी ठाकुर की जमीन ले ली, क्या वह आरोप नहीं था—

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : मैंने यह पूछा था कि डिग्गी हाउस के आस पास जिनके मकान हैं.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

माननीय सदस्य पर आरोप लगाया, उन्होंने स्पष्टीकरण किया। आपने आरोप लगाये उन पर माननीय सदस्य गोपाल पचेरवाल ने स्पष्टीकरण दे दिया। उसके बाद में वाद-विवाद नहीं होगा। दोनों माननीय सदस्य चाहें तो नियमों में प्रावधान है, उसके अनुसार सोचें, क्या कर सकते हैं, ऐसे आरोपों में क्या किया जा सकता है। हमारे समक्ष आयेंगे तो नियमों के अनुसार और संविधान के अनुसार निर्णय देंगे।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आप चुनौती दें या उनकी चुनौती लो, नियमों में स्पष्ट प्रावधान है। ऐसे कुछ नहीं होता है।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, नियमों में तो मैं दूंगा ही।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये.

(श्री गोपाल पचेरवाल)

प्रिविलेज मोशन तो दूंगा। सरकार की तरफ से.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : न तो कोई सरकार का सम्बन्ध है न सदन के प्रांगण में ऐसी कोई बात हुई है तो सरकार के भी अधिकार क्षेत्र में यह नहीं हो सकता। फलां माननीय सदस्य ने सदन के प्रांगण में कहा, वह गलत कहा, सही कहा, इसका निर्णय सदन स्वयं करता है।

आर्डर प्लीज। श्री हीरालाल आर्य।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, सरकार का काम काज चलाने के लिए सरकारी कर्मचारी होते हैं। सरकारी कर्मचारियों की अपनी कुछ दिक्कतें और समस्यायें होती हैं, उन समस्याओं और दिक्कतों को दूर करने के लिए अपने संघों के माध्यम से सरकार से बात करते हैं और समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करते हैं। अपने राजस्थान में भी अखिल राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ है जो सभी संघों का नेतृत्व करता है। इन कर्मचारियों की मांगें वाजिब हैं। इन समस्याओं और मांगों के बारे में कर्मचारी पिछले कई महीनों से कभी मुख्य मंत्री से, कभी राज्यपाल से, कभी मुख्य सचिव से बात करते आए हैं। इनकी जो मांगें हैं बड़ी वाजिब है। इनकी प्रमुख मांगों पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। इनकी सबसे प्रमुख मांग है, जो 1980-81

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में अपनी बात फर्मा दें, इस पर ज्यादा वाद-विवाद नहीं होगा।

श्री हीरालाल आर्य : केन्द्र के बराबर भत्ता दिया है, घोषणा करने के बाद क्यों बलात जबरन कटौती की जा रही है। इनकी वाजिब मांग है क्योंकि आप घोषणा करते हैं तो उनको मिलना चाहिए। मकान, वेतन वृद्धि के लिए जो वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको डिक्लेयर करके उन पर तुरन्त निर्णय करना चाहिए।

अहमद बक्श सिंधी, (1.00 म. प.)

(श्री उपाध्यक्ष, पदासीन)

जो ग्रामीण भत्ता है उसकी मांग कर्मचारी करते आए हैं वह सभी कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। मकान किराया भत्ता दिया जाना चाहिये। चिकित्सा और दूसरी सुविधायें यात्रा की फिक्स करके इन कर्मचारियों को दी जानी चाहिए, ये मांगें बड़ी वाजिब हैं। इनको मनवाने के लिए कर्मचारी शुरू से ही सरकार से बातचीत करते आए हैं। पिछली बार भी 19-7-80 को विधान सभा के सामने अपनी मांगों के बारे में प्रदर्शन करने का तय किया था लेकिन सरकार से से बात करने के बाद प्रदर्शन को स्थगित किया। जब इनकी किसी ने नहीं सुनी तो फिर इन्होंने तय किया है कि यदि राज्य कर्मचारियों की मांगें सरकार

(श्री हीरालाल आर्य)

आसानी से नहीं मानती है जैसी कि सरकार की आदत बन गई है कि बिना कुछ बात किए, बिना कुछ आंदोलन किए, बिना सरकार को मजबूर किए कर्मचारियों की बात नहीं माननी चाहिये, ऐसी सरकार की आदत है और आप ऐसी आदत से बाज नहीं आते हैं इसलिए कर्मचारियों ने तय किया है कि 8 अप्रैल को एक प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल महोदय को ये अपनी मांगों के बारे ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। ये सचिवालय में और सभी जिला मुख्यालयों में इस तरह से करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि कर्मचारी शान्त भाव से अपना काम करते हैं और सरकार का सहयोग करते हैं। उनकी जो वाजिब मांगें हैं वह तुरंत मानें। ऐसा न हो कि वे अपनी मांगें मनवाने के लिए आन्दोलन करें, और सारा काम काज ठप्प हो जाय और सरकार को कर्मचारियों के सामने घुटने टेक कर फिर उनकी बात माननी पड़े। इसलिए अच्छा है, समय रहते उनको बुलाया जाय और उनकी जो वाजिब मांगें हैं उनको स्वीकार करके उन्हें सात्वना दें। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल। बूंदी जिले में तीन रूटों पर केवल एक ही प्राइवेट बस चलाने से यात्रियों को असुविधा के विषय में।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केशोराय पाटन बूंदी जिले का एक प्रमुख कस्बा है जहां पर अधिकांश राजकीय कार्यालय और एक बड़ी सुगर मिल है। उस क्षेत्र में कोटा से लाखेरी तक के लिए, खटखट से वाया पाटन लाखेरी तक के लिए, कोटा से रोटेला तक कोई बसों की समुचित व्यवस्था नहीं है, न निगम की बसें चलती हैं न प्राइवेट बसें चल रही हैं। इन तीनों रूटों पर एक एक बस चलती है। इस सम्बन्ध में जनता ने कई बार सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा, समाचार पत्रों में इस तरह के समाचार प्रकाशित होते रहे हैं। केवल एक ही प्राइवेट बस तीनों रूटों पर चलती है जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी होती है। इसी आधार पर जनता की दरख्वास्त पर विभाग द्वारा 19-8-80 को एक निर्णय लिया गया था कि यहां बसें बढ़ाई जायं। उस रूट पर बसें बढ़ाने के लिए चेयरमैन ने कई बार तारीखें निर्धारित कीं, राजपत्र में प्रकाशित कीं लेकिन अफसोस की बात है कि बार बार वहां से दरख्वास्तें मांगी जाती हैं, तारीखें तय की जाती हैं कि इन तारीखों पर बसें चलाने का फैसला किया जायगा लेकिन मेरी समझ में नहीं आता यह फैसला क्यों नहीं किया जा रहा है। उस मीटिंग में फैसला करके परमिट किसी को दिया जाय। जो आपका प्यारा हो, आपका मित्र हो, आपके विभाग का हो, आपकी सरकार का रहनुमा हो, आपकी सरकार

(श्री गोपाल पचेरवाल)

को चन्दा देने वाला हो उसको दिया जाय। मैं नाम नहीं बताऊंगा, हम नहीं कहेंगे कि अमुक व्यक्ति को परमिट दें। मैं नहीं कहता कि आर. सी. अग्रवाल, जा कोटा में हैं, किसी मित्र को दें। हम नहीं कहेंगे, ट्रांसपोर्ट मन्त्री का कोई मित्र है उसको दिया जाय। हम नहीं कहेंगे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, तीन बार तारीखें तय की गई हैं और तारीखें बार बार स्थागित की गई हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप तत्काल इसका फैसला लें। जो आपके अग्रवाल साहब हैं, उन्होंने एक तारीख फिर रखी है 5-11-81 उससे पहले 4-2-81 थी। उससे पहले फरवरी मे रखी। तो फरवरी में कैंसिल हो गई, अप्रेल में कैंसिल हो गयी। अग्रवाल ने अप्रेल में रखी थी, वह भी स्थगित करके मई में रखी है। आपकी असुविधायें कुछ हो सकती हैं और बातें हो सकती हैं, आपके मित्रों की दरख्वास्ते नहीं आई हों, सारी प्रक्रियाओं को समाप्त कीजिये........

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आपके सामने मैं पहली बार अर्ज कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए सारी प्रक्रिया को नियम अनुसार नहीं करके किसी मित्र को ओबलाइज करना है, मन्त्रीजी के पास किसी का नाम है तो गैर कानूनी तरीके से दिया जाय, मैं नहीं बोलूगा उस बात को। इस सदन के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं, उस बात को हम सदन में नहीं लायेंगे, आप चाहें बसन्त को दीजिए। लेकिन किसी न किसी को निकट भविष्य में दें। मई में जो तारीख रखी है उससे पहले करवा लें। अप्रेल की 9-10 तारीख तय थी उस में फैसला करें। जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं, गैर कानूनी तरीके से जो आपकी प्रक्रिया चल रही है, आपकी आदतें हैं उनको न छोड़कर दे दें लेकिन वह जनहित में है। उस क्षेत्र के लोगों को बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर एक आदमी अपनी पेशी पर जाय तो कोर्ट में पहुंचने के लिए बस का साधन उपलब्ध नहीं है। वहां का किसान, हरिजन, मुसलमान बस के अभाव में यदि नहीं जाता तो सजायें होती है, जमानत जब्त होती है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि तत्काल अधिकारियों को निर्देश दें और केशोराय पाटन से लाखेरी, केशोराय पाटन से खटखट और कोटा से लाखेरी जितने रुट्स आपके विचाराधीन है जिन पर सहमति आपके विभाग से दी गई है जिनका आपने राजपत्र में प्रकाशन किया है उन रुट्स पर अविलंब बसें चलाने के लिए व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा। जिला सवाई माधोपुर तहसील बोली ग्राम हिन्दुपुरा व अन्य गांवों में काश्तकारों को कुओं पर बिजली लगाने की अनुमति नहीं मिलने के विषय में।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान सवाई माधोपुर जिले में काश्तकारों को कुओं पर बिजली नहीं लगाने देने की ओर आकर्षित करना

(श्री हंसराज शर्मा)

चाहता है। काश्तकार वहां पर सिंचाई के साधन कुओं से उपलब्ध करना चाहते हैं उन काश्तकारों को सिंचाई के साधन उपलब्ध करने से वञ्चित किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सवाई माधोपुर में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत, प्लान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का कार्यक्रम पिछले दस वर्षों से चल रहा है लेकिन वहां यह शिकायत है कि काश्तकार कुओं पर मोटर लगाना चाहते हैं उनको बिजली विभाग द्वारा नहीं लगाने दिया जा रहा है। श्रीमन्, इसका कारण यह है कि जिस समय जागीरदारों से जमीनें सरकार ने जागीरदारी उन्मूलन के तहत ली तब सरकार ने जागीरदारों को मुआवजा दिया, जागीरदारी जाने के बाद जो जमीन जिस काश्तकार के पास थी, जो काश्तकार जिस जमीन पर काश्त कर रहे थे राज्य सरकार ने उन्हीं काश्तकारों के नाम खातेदारी यथावत कर दी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, उन जमीनों पर जो कुए थे वह कुए जिन जागीरदारों के थे उन्हीं के नाम चलते आ रहे हैं। काश्तकार उन्हीं कुओं से जमीन को सींचते हैं और जो पिलाई के पैसे होते हैं वह उनको दे देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वह कुए आज भी उन जागीरदारों के नाम बोल रहे है। जमीन का खातेदारी राइट काश्तकार को मिल गया लेकिन काश्तकार कुओं पर अगर बिजली की मोटर लगाना चाहते हैं तो बिजली विभाग कहता है कि कुओं के मालिकों से परमिशन लाओ या जब तक कुए उन काश्तकारों नाम नहीं होंगे तब उन कुओं पर बिजली की मोटर नहीं लगायी जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर जिले में हजारों काश्तकारों को इससे परेशानी हो रही है और हजारों काश्तकारों को कुओं पर बिजली लगाने से वञ्चित किया जा रहा है। इसलिये मेरा राज्य सरकार को यह निवेदन है कि उन हजारों काश्तकारों को इस संकट से मुक्त किया जाय।

श्रीमन्, रही नहीं दूसरी इसी प्रकार की समस्या और भी है। सवाई माधोपुर जिले में हिन्दुपुरा, जथावती, पड़वाड़ी गांवों और तहसील बोंली में करीब करीब 75 प्रतिशत समस्या इस प्रकार की है कि वहां पर राज्य सरकार ने भूमिहीन लोगों को अभी कुछ समय पहले पांच पांच बीघा सिवाय चक की जमीन अलाट कर दी। उन स्थानों पर दो तरह की जमीन थी उसको भी काबिल काश्त जमीन में परिवर्तन कर दिया और वह भूमिहीन लोगों में अलाट कर दी थीं। इसी प्रकार जंगलात विभाग के एरिया में भी जो जमीन थी वह सरकार ने भूमिहीन किसानों में बांटी थी। लेकिन आज भी इन सभी जगहों पर जंगलात विभाग में सैंकड़ों कुए हैं जहां काश्तकार अपनी जमीन जरूर जोतता है और उनसे सिंचाई करता है लेकिन काश्तकार अगर सिंचाई के लिये मोटर लगाना चाहता है तो बावजूद सरकार द्वारा उनको जंगलात विभाग की जमीन अलाट करने के, उनका खातेदारी राइट होने के कुओं पर मोटर नहीं लगा

70

(श्री हंसराज शर्मा)

सकते हैं। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन है कि वहां पर काश्तकारों को मोटर लगाने की इजाजत दी जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जो गांवों में गोचर भूमि थी उसमें भी सरकार ने कुछ जमीनों को परिवर्तित करके भूमिहीन काश्तकारों का अलाट कर दी थी। उस गोचर भूमि में कुएं थे। उन कुओं से काश्तकार सिंचाई तो कर सकता है लेकिन उस पर मोटर नहीं लगा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, उन कुओं के मालिक कौन हैं उनके नाम तक का पता नहीं है। वह सैकड़ों साल पुराने हैं। किसी को भी पता नहीं कि उनके मालिक कौन हैं लेकिन अगर काश्तकार मोटर उन कुओं पर लगाना चाहे तो बिजली विभाग उनको मोटर नहीं लगाने देता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में बार बार विभाग को कहा जा रहा है लेकिन अभी वहां कुओं पर मोटर लगाने के आदेश जारी नहीं, किये जा रहे हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय इस मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा इस प्रकार की जो परेशानी किसानों के साथ हो रही है और जो अनहोनी इस प्रकार से हो रही है उसको मिटाने के लिये राज्य सरकार आदेश जारी करे और काश्तकारों को राहत दिलाने के लिये इसकी दुरुस्ती कराये।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। यह आशा करता हूं कि सरकार इसके लिये आदेश जारी करने के लिये जल्दी कार्यवाही करेगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के बाहर जयपुर मैटल्स के मजदूरों का बहुत बड़ा जुलूस आया है। उस संबंध में मैंने और श्रीमती उजला अरोड़ा ने स्थगन प्रस्ताव भी दिये है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर मैटल्स के मजदूर और मालिकों में एग्रीमेन्ट हो चुका है लेकिन वह क्रियान्वित नहीं हो रहा है। आप श्रम मन्त्री जी को कहें कि वह उनके प्रतिनिधियों से मिल लें। उपाध्यक्ष महोदय, आप सिर्फ श्रम मन्त्री को यहां से जुलूस के सामने भिजवा कर उनसे मिल कर उनको आश्वासन दिला दो। इसके साथ ही मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो दूसरे सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव हैं उनसे पहले मुझे और उजला जी को बोलने का समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जोशी जी ने यहां पर एक प्रश्न उठाया है कि बाहर जयपुर मैटल्स के श्रमिकों का एक जुलूस आया है। उनसे मिलने के लिये श्रम मन्त्री जी को भेजा जाय। सदन की ऐसी कोई परम्परा नहीं है कि श्रम मन्त्री जी को वहां भेजा जाय। मुझे खेद है इसके लिये।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मेरा निवेदन यह है, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा जुलूस है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में श्रमिकों और मालिकों में और श्रमिकों

(श्री दाऊ दयाल जोशी)

और सरकार में बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है इसलिये मेरा निवेदन है कि सौहार्द पूर्ण वातावरण बना रहे इसलिये व्यवस्था की जावे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव है। आप आदेश दें तो मैं बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जोशी जी ने और श्रीमती उजला जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में ऐसी व्यवस्था है। जो स्थगन प्रस्ताव देता है उसको बोलने की अनुमति देने की व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा का तो नम्बर आने वाला है। जो मन्त्री जी के जाने की बात है मन्त्री जी उचित समझें या नहीं समझें यह तो उनकी डिस्क्रिशन की बात है मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार): जयपुर से सवाईमाधोपुर तक चलने वाली रोड़वेज की बसें नगर तक न जाकर सब स्टेशन पर रुक जाने के विषय में।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से कोटा, जयपुर से सवाईमाधोपुर टोंक से सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर से कोटा और सवाई-माधोपुर से जयपुर जो सरकारी बसें चलती हैं उनको जो परमिट दिया गया है वह सवाई माधोपुर शहर तक दिया गया है। काफी लम्बे अर्से तक तो वह बसें शहर तक जाती रहीं लेकिन पिछले चार पांच वर्षों से बसें शहर में न जाकर स्टेशन सवाई-माधोपुर तक ही जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर स्टेशन से शहर करीब आठ किलो मीटर दूरी पर है शहर की आबादी 30 हजार लोगों की है। अगर कोई आदमी बस से सवाई माधोपुर जाता है तो स्टेशन से शहर जाने का जो किराया है वह उतना ही है जितना यहां से सवाईमाधोपुर बस में जाने का। उपाध्यक्ष महोदय, इसका कारण यह है कि शहर में कालेज के छात्रों में और रोड़वेज के कर्मचारियों के बीच चार पांच साल पहले एक विवाद हो गया था। उसके बाद रोडवेज के कर्मचारी बसें स्टेशन पर ही रोक देते हैं और शहर में नहीं जाते हैं। हालांकि अब इस तरह की कोई बात झगड़े जैसी नहीं है। 30 हजार की आबादी है लेकिन उसकी इस तरह से उपेक्षा की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां से जब कोई मुसाफिर जाता है और थोड़ा सा सामान भी उसके पास होता है तो जितना किराया यहां से सवाईमाधोपुर के स्टेशन तक का है उतना किराया सवाईमाधोपुर स्टेशन से शहर तक का है, सवारियों को बहुत ही कठिनाई रहती है। मैंने इस सम्बन्ध में रोडवेज के जनरल मैनेजर साहब से कई दफा व्यक्तिगत तौर से सम्पर्क किया और उन्हें बार बार कहा। उन्होंने बार बार आश्वासन भी दिया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उपाध्यक्ष महोदय,–बहुत जल्दी ही रोडवेज की बसें शहर तक जाने का प्रयास कराया जावेगा ऐसा आश्वासन देने के बाद

72

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

अभी तक उस आश्वासन की क्रियान्विति नहीं हो सकी। अभी 15 रोज पहले जनरल मैनेजर से मैं मिला था। उनके बंगले पर जाकर भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सवाईमाधोपुर शहर की आबादी 30 हजार की है फिर भी उसकी इस तरह से उपेक्षा की जा रही है। वहां पर मजदूर तबके के लोगों की बस्ती है, कोई धनाढ्य लोग तो नहीं रह रहे हैं जो कि पैसा आने जाने में खर्च कर सकें। इसलिये मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी बसें ह चाहे टोंक से सवाईमाधोपुर, जयपुर से सवाई माधोपुर और कोटा से सवाईमाधोपुर हो चाहे कोई भी बस सवाईमाधोपुर जाती हो उसको परमिट सवाईमाधोपुर शहर तक का दिया गया है और जब प्राइवेट बसेज शहर में जाती हैं तो रोडवेज की बसें शहर में क्यों नहीं जाती हैं? इस सम्बन्ध में कई बार निवेदन कर चुके हैं रोडवेज के जनरल मैनेजर को तो भी बसें रोडवेज की सवाईमाधोपुर शहर में नहीं जा रही हैं उन्हें वहां तक जल्दी से जल्दी भेजा जावे। इसके साथ साथ जब बसें शहर तक जायेंगी ता आप बस स्टेण्ड भी बनवाने की व्यवस्था करावें ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। मुसाफिरों के लिए पेशाब घर नहीं है, लैट्रीन नहीं है। इस सम्बन्ध में रोडवेज विभाग द्वारा बस स्टेण्ड नियत करके सवारियों को सुविधा दी जाय। आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज की तारीख में इस तरह का आदेश दें कि बसें स्टेशन पर न रुक कर शहर तक जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिये बड़ा आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डा० उजला अरोड़ा। जयपुर मेटल्स में गत वर्ष मई से अगस्त तक चलने वाली हड़ताल के दौरान किये गये समझौते पर कोई कार्यवाही नहीं करने के विषय में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, गत अगस्त में यह मुद्दा सदन में आया था और सदन में आने का कारण यह है कि 63 दिन तक हड़ताल चली थी। जो समझौता माना गया था, सरकार ने घोषणा की थी कि हम शीघ्र निर्णय लेंगे किन्तु तब से लेकर आज तक 8 महीने बीत गये, 63 दिन की हड़ताल थी, मान्यवर, मन्त्री महोदय ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की और सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। मुझे लगता है कि जिस समय आश्वासन दिया गया था उस समय भावना कुछ और थी और अब लगता है कि भावना बदल रही है, लगता है कि सरकार ने जो वायदा किया था इस हाउस में कि शीघ्र अधिग्रहण किया जायगा लेकिन अधिग्रहण की अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जो वहां के अधिकारी हैं वह, जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं उनसे दुर्भावना निकाल रहे हैं।

एक बात बताना चाहूंगी वहां जो मजदूरों का संगठन है वह काम में विश्वास करता है। जहां जुलाई 77 में कुल 4 लाख रुपये मूल्य का उत्पादन हुआ था वह आज बढ़ कर लगभग 65 लाख तक पहुंच गया है। मैं आपको यह बताना चाहूंगी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कि मजदूरों ने ईमानदारी से काम कर के दिखाया है। वहां किसी को पदोन्नति दी जाय किसी को न दी जाय, यह उचित नहीं है। 1926 के औद्योगिक नियमों के तहत आर्बोट्रीशन का फैसला हुआ उसको नहीं लागू किया जाय तो मैं समझती हूं बड़ा गलत तरीका है। मजदूरों को बाध्य किया जा रहा है कि आन्दोलन का रास्ता अपनायें जो ईमानदार मजदूर हैं वह फिर सड़क पर आ जायं, क्या सरकार की ऐसी भावना काम नहीं कर रही है? समय रहते, मैं कहना चाहती हूं, जो निर्णय लिये गये थे निश्चत रूप से उस ओर ध्यान दिया जाय। जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स के प्रबन्धकों व मैटल एण्ड इलेक्ट्रिकल्स मजदूर संघ के बीच दिनांक 31--7--80 व 5--11--80 को समझौते सम्पन्न हुए थे प्रबन्धकों द्वारा इन समझौतों की पालना नहीं की गई। दिनांक 31--7--80 को समझौते होने की घोषणा श्रम मन्त्री ने दिनांक 1--8--80 को स्वयं सदन में की थी। अतः राज्य सरकार प्रबन्धकों को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दें, जिससे समझौते का पालन हो सके।

19-8-80 को ही राज्य मन्त्री ने विधान सभा में यह घोषणा की थी कि जयपुर मैटल्स एक इलेक्ट्रिकल्स को को अधिग्रहित किये जाने के बारे में राज्य सरकार शीघ्र निर्णय लेगी। शीघ्र की क्या परिभाषा है? 8 महीने बीत गये, शीघ्रता से काम कहां किया, नहीं किया। मान्यवर ऐसे कैसे काम होते हैं। मजदूर इस देश की रीढ़ हैं। किस प्रकार से काम चलेगा यदि अन्य कामों में आने वाली चीजें हैं उनका उत्पादन नहीं होगा। इस समझौते पर जो निर्णय हुआ वह सरकार ने पूरा नहीं किया।

मैं कहना चाहती हूं जुलाई, 77 में कुल 4 लाख मूल्य का उत्पादन हुआ था जो आज बढ़ कर लगभग 65 लाख तक पहुंच गया है। यह सब श्रमिकों के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप हुआ है। जहां प्रबन्धक एक ओर श्रमिकों के साथ सम्पन्न समझौतों का पालन नहीं कर रहे हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से दी गई मार्जिन मनी 15 लाख रुपये वापस ले लिया गया है। वेतन भुगतान हेतु प्रति माह दी जाने वाली 10 लाख रुपये की राशि बन्द किये जाने की भी चर्चा है। यदि वास्तव में सरकार संस्थान में उत्पादन वृद्धि चाहती है तो कम से कम 30 लाख रुपये की राशि किसी भी रूप में मिड टर्म लोन गारंटी संस्थान को दिलाये ताकि समय पर भुगतान हो सके। मैं समझती हूं कल्याणकारी सरकार को इस तरह के कामों में ध्यान देना चाहिये। आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी जहां एक ओर श्रमिक वर्ग संस्थान में उत्पादन वृद्धि के लिये सतत् प्रयत्नशील है वहीं कुछ अधिकारी श्री डी. वी. पाण्ड्या, आर. जी. भाटिया, एम. जी. आशर इसमें बाधक हो रहे हैं अतः उन्हें अविलम्ब संस्थान से हटाया जाय। संस्थान को, राज्य सरकार संस्थान के पूरे शेयर खरीद कर पूर्ण रूप से अधिग्रहित करे या फिर इसे राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में विलीन कर दिया जाये....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जो उत्पादन बढ़ाने में, राष्ट्र हित में, सरकार के हित में काम करने वाले मजदूर हैं वह मजदूर आज पीड़ित हो रहे हैं। सरकार ने आश्वासन दिया था कि इसका अधिग्रहण कर लेंगे, आज फिर उनको यहां आना पड़ा। जो राष्ट्र हित में काम करने वाले मजदूर हैं, काम तो छोड़ने वाले नही हैं, लेकिन दाम समय पर मिल जायं सरकार इसकी व्यवस्था करे अन्यथा एक दिन ऐसा आयेगा मजदूर फिर सड़क पर आ जायेंगे। मैं समझती हूं सरकार इस तरह की परिभाषा काम में लेना चाहती है, शीघ्र का मतलब है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन। 8 महीने हो गये सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है।

माननीय सदस्य जोशी जी ने कहा कि वे लोग यहां आये हैं, हम टाइम पर पैसा देना चाहते हैं। माननीय श्रम मन्त्री जी यहां नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा मैं आदेश नहीं दे सकता। लोग नीचे आये हैं, सड़कों पर आये हैं। हम यहां बात कर रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस गूंगी बहरी सरकार में आप, मान्यवर, हमारे हितों की रक्षा करें। जनता के प्रतिनिधि हैं और जन हित में हम करना चाहते हैं। किस तरह से हम जनता के लिये काम कर रहे है। मुझे खेद है इस तरह की बात की गई। सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार को काम करने के लिये आप ताड़ना दीजिये। यह जो श्रमिक लोग आये हैं, एक बार देखिये

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आप से कहना चाहूंगी मजदूरों में आन्दोलन की भावना उत्पन्न होने से पहले जो पहले आपकी भावना थी उसको पूरा करें। सरकार ने आश्वासन दिया था, मान्यवर, इसकी व्यवस्था आप देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवी सिंह भाटी।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मेरा निवेदन यह है कि 1–8–80 को जो फैसला हुआ था.........

श्री उपाध्यक्ष : मेहरबानी करके.........

श्री दाऊ दयाल जोशी : दो मिनट में कहना चाहूंगा। आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry. श्री देवीसिंह भाटी। ग्राम मालासर थाना जामसर जिला बीकानेर में जेठाराम सुनार नामक एक नायक को पुलिस द्वारा परेशान करने के विषय में।

(व्यवधान)

श्री भाटी।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट बोलना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जो इसमें नहीं है, मैं पुकार नहीं सकता।

श्री दाऊदयाल जोशी : बड़ी कृपा होगी, मजदूरों की मांग के बारे में कहना है। उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों के क्षेत्र से आता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : उजला जी ने बहुत अच्छी तरह से विचार रख दिये हैं, आपकी सब बातों को कह दिया है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं चाहती हूं कि आप व्यवस्था करें। आप उनसे कह दें....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपने अपनी बात पूरी कर दी। अब दूसरों की वकालत मत करिये। I am sorry.

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सॉरी मत कहिये, खेद कहिए।

श्री देवी सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय' मैं आपका और विशेष रूप से गृह राज्य मंत्री जी का, ग्राम मालासर, थाना जामसर, जिला बीकानेर में जेठा राम सुनार पर पुलिस द्वारा ज्यादती की जा रही है, उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सवाल जेठाराम सुनार का नहीं है यहां परम्परा भी रही है कि एक एक व्यक्ति का मामला यहां नहीं उठाया जाय लेकिन पुलिस विभाग को इस बात को देखना चाहिये कि एक-एक व्यक्ति के साथ और इस तरह का अन्याय होगा, अत्याचार होगा तो सारा माहौल बिगड़ेगा और कन्ट्रोल नहीं होगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि जो डाकू पैदा होते हैं चम्बल घाटी में उसमें विशेष तौर से हाथ होता है पुलिस का क्योंकि बेकसूर की सुनवाई नहीं होती है और बार बार परेशान किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, जेठा राम सुनार पर आरोप लगाया जा रहा है कि डेढ़ माह पूर्व ग्राम मालासर में एक रिपोर्ट कराई गई, नायक जाति की औरत को जेठा राम सुनार भगा कर ले गया। उपाध्यक्ष महोदय, डेढ़ माह पूर्व तीन बार थाने में बुला बुला कर बुरी तरह पीटा गया, मारा गया और उसकी हालत खराब कर दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मामला इसलिए उठाया है कि उसको गिरफ्तार नहीं किया गया वह तब से उसी गाव में रह रहा है। अगर औरत भगाई गयी तो कहां लेकर गया वह भी गायब होता गांव से तो वह भी गायब होती। वह डेढ़ माह से वहीं पर मौजूद है। नायक जाति की औरत जिस दिन से गायब थी जेठा राम ग्राम मालासर में मौजूद था। उपाध्यक्ष महोदय, राजनीतिक दबाव डाल कर उसे ग्राम पंचायत में थानेदार द्वारा बुलवा कर बुरी तरह पीटा गया, मारा गया। उपाध्यक्ष महोदय, आज मैंने यह सवाल इसलिए उठाया है कि आज सुबह ही मेरे पास ट्रंककाल आया है बीकानेर से कि जेठा राम सुनार कल पुलिस ज्यादती से परेशान होकर ग्राम मालासर के पास के कुएं में आत्म हत्या करने के लिए दौड़ा और ग्राम के लोगों ने उसे बचाया। यह हालत हो रही है, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री देवीसिंह भाटी)

अगर औरत गायब है तो उससे पुलिस बरामद करे पूछताछ करे। लेकिन मार-मार कर बुरा हाल कर दिया। आखिर पुलिस उसको क्या मौत दिलाना चाहती है। मेरा पुरजोड़ निवेदन है कि क्या गृह विभाग इस ओर ध्यान देगा? उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आप से विशेष निवेदन है कि ऐसी छोटी छोटी बातें अगर नजरन्दाज की जायेंगी तो डाकू ही पैदा होंगे चम्बल की घाटियों में और उस सबके लिए पुलिस जिम्मेदार होगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, अगर कल उस जेठा राम सुनार को गांव वालों ने नहीं बचाया होता तो पुलिस की ज्यादती से वह व्यक्ति खतम हो गया होता। मैं पूछता हूं क्या पुलिस थाना जामसर उसको वापस जिन्दा कर देता? क्या पुलिस वाले किसी को मारने के लिए ही पैदा हुए हैं? अगर आपको न्याय करना है तो गौर से सुनिये, पूरे गांव वालों ने निवेदन किया है कि उस बेकसूर आदमी के साथ पुलिस किसी प्रकार की ज्यादती न करें। पुलिस ने उसकी यह हालत कर रखी है कि शरीर जगह-जगह से टूटा हुआ है और इसी कारण उसको मजबूर होकर आत्म हत्या करने के लिए दौड़ना पड़ा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय गृह राज्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे तुरन्त इसकी जांच करवायें। जो उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसको तुरन्त रोका जाय। वायरलैस द्वारा इस प्रकार के आदेश दिये जाय कि उसको किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाए। मुझे मालूम है हमारे गृह मन्त्री जी बड़े जागरूक हैं और हम जो कहते हैं, उस पर ध्यान देते हैं और ध्यान देकर शीघ्र कार्यवाही भी करते हैं। इसी आशा के साथ मैं खतम करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल, अजमेर नगर में सफाई की व्यवस्था न होने के विषय में।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर नगर के सफाई कर्मचारियों ने 16-3-81 से हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया था। यह सौभाग्य की बात है कि हड़ताल तो नहीं हुई लेकिन हड़ताल न होने के बावजूद अजमेर नगर की सीमाओं में हड़ताल जैसी ही स्थिति उत्पन्न है और इसका कारण यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहा पर नगरपालिका और नगर परिषद् के जो अधिकारी है, जो कर्मचारी हैं, जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं और सफाई कर्मचारी हैं वे किसी भी तरह के अनुशासन और मर्यादा को मानने को तैयार नहीं है। वहां के अधिकारियों में दो गुट हैं वे आपस में लड़ते रहते हैं और एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के कमरों पर ताला लगा देते हैं। 13-13 दिन तक ताले लगे रहते हैं। ताला लगाने से वे कमरों में नहीं जा सकते हैं और आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते ही रहते हैं। कोई कर्मचारी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, वे पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हैं। उनमें आपस में नगर परिषद् क्षेत्र में और कार्यालय में आपस में झगड़े हुए हैं-तू-तू मैं-मैं हुई है और फिर भी अधिकारी कोई

(श्री कैलाश मेघवाल)

कदम उठाने में असमर्थ रहे हैं। इसी प्रकार अधीनस्थ कर्मचारी और सफाई कर्मचारी मस्त हो रहे हैं और वे कोई काम नहीं कर रहे हैं। यह हालत आज अजमेर नगर परिषद् में व्याप्त है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय स्वायत शासन मंत्री जी, आज अजमेर की हालत क्या है, मन्त्री जी, अभी यहां हैं नहीं। मैं उनसे, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर में सर्वत्र गन्दगी का साम्राज्य है, चारों ओर बदबू फैल रही है–सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जो गन्दगी जहां पर पड़ी रहती है वहीं पर पड़ी हुई है। सफाई कर्मचारियों का जो स्टाफ है, वह कोई काम नहीं करता है। बिजली की व्यवस्था भी फेल हो चुकी है। नगर परिषद् के अधिकारी, जो सफाई का काम करवाते हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज स्थिति यह भी हो रही है कि अजमेर नगर में बिजली के खम्भों पर न कोई ट्यूब लाइट है और न ही प्रकाश की कोई व्यवस्था है। अजमेर नगर परिषद् में अनेकानेक शिकायतें पड़ी हुई हैं उनका निपटारा नहीं हो सकता। जनता के प्रार्थना पत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अनेक प्रार्थना पत्र परिषद् के कार्यालय में पड़े हुए हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उनका कोई निपटारा नहीं हो रहा है। यह हालत है, उपाध्यक्ष महोदय, वहां। मैं सदन के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति ज्यादा चलने वाली नहीं है। सारा नगर गन्दगी से त्रस्त हो रहा है। वहां के नागरिकों को अत्यन्त परेशानी हो रही है। ऐसी स्थिति में भी जो आज वहां प्रशासक महोदय हैं वे पूर्णतया निष्क्रिय हैं। नगर परिषद् के चुनाव नहीं करवाये जा रहे हैं। केवल मात्र राज्य सरकार ने एक प्रशासक को बैठा रखा है। अगर प्रशासक ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो उसका उत्तर-दायित्व राजस्थान की सरकार का है इसलिए मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना उचित समझा है। मेरा राज्य सरकार से यही निवेदन है कि स्वायत्त शासन के जो अधिकार हैं नागरिकों के वे उनको मिलें। अगर नहीं मिलते हैं और प्रशासक के अन्तर्गत ही नगर परिषद् को रखना चाहते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करिये ताकि जिम्मेदारी के साथ वे अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करें। मैं राज्य सरकार को चुनौती देता हूं अगर समय रहते नगर परिषद् की हालत को नहीं सुधारा गया तो निकट भविष्य में ही एक विस्फोटक स्थिति पैदा होगी। उसके न केवल अजमेर नगर परिषद् के अधिकारी बल्कि राजस्थान की अन्य सेवाओं के अधिकारी और मन्त्री भी शिकार हो सकते हैं।

इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हंस राज शर्मा, सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय में महाविद्यालय में संस्कृत व विज्ञान आदि विषय न खोलने के विषय में। हंस राज जी नहीं हैं, शर्मा ?

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से सवाई माधोपुर जिले में

(श्री हंसराज शर्मा)

सब डिवीजन सवाई माधोपुर में लॉ की क्लासेज, एम. ए. की क्लासेज, ग्रौर संस्कृत ग्रौर विज्ञान के विषय खोलने या ठीक तरह से खोलने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर जिला राज्य सरकार के पिछड़े हुए जिलों में से एक है, जहां एस. टी. ग्रौर एस. सी. की 75 प्रतिशत जनसंख्या है किन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि सारे जिले में सैंकड़ों की तादाद में सैकण्डरी ग्रौर हायर सैकण्डरी हैं ग्रौर दो कालेज हैं किन्तु एक भी कालेज में संस्कृत नहीं है जब कि सारे सैकण्डरी ग्रौर हायर सैकण्डरी में सब जगह संस्कृत है ग्रौर कालेज में संस्कृत नहीं है। इसलिए वहां के विद्यार्थियों को सवाईमाधोपुर में सैकण्डरी तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद बहुत दूर जाना पड़ता है जब कि इस संदर्भ में यह कहा है ग्रौर ग्राज बताया है कि ग्रगले साल वहां संस्कृत खोल दी जावेगी। इसके लिये मैं बधाई देना चाहूंगा कि कम से कम संस्कृत की ग्रोर ध्यान गया। किन्तु साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा, जैसा कि वे कह रहे हैं कि यहां मकान नहीं है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापसे निवेदन करना चाहूंगा कि गरीब लोगों, पिछड़े लोगों, एस. सी. ग्रौर एस. टी. के लोगों के जहां शिक्षा में उत्थान करने की बात हम करते हैं, वहा सवाई माधोपुर के लिए यह बात कह कर उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता कि वहां मकान का ग्रभाव है। वहां पर सीमेन्ट फैक्ट्री बहुत बड़ा उद्योग है, उससे कुछ सहायता मिल सकती है, सरकार के पास लाखों रुपयों का बजट हैं, वहां की जनता भी सहयोग करने को तैयार है। वहां एग्रीकल्चर का सैंकड़ों,

(समय-समाप्ति-सूचकघण्टी)

बीघा का फार्म था, उस पर हम लोग कालेज चला रहे हैं, वहां पर्याप्त मात्रा में मकान हैं। पहले भी जिस जगह इस समय कालेज चल रहे हैं, वहां एग्रीकल्चर का स्थान था, एग्रीकल्चर की क्लासेज चलती थीं, ग्रौर सैंकड़ों विद्यार्थी पढ़ते थे, ग्राज वहं व्यवस्था नहीं है तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि वहां मकान का ग्रभाव है। वहां मकान पर्याप्त मात्रा में हैं, वह बात ग्रलग है कि वहां सरकार लॉ क्लासेज या एम. ए. की क्लासेज नहीं खोलना चाहती है। इसलिए मैं ग्रापके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के गरीब छात्रों में बाहर जाकर ग्रपनी शिक्षा का ग्रध्ययन करने की क्षमता नहीं है। इसलिए उनकी ग्रार्थिक स्थिति पर नजर रखते हुए एस. टी. के एस. सी. के मुख्य मन्त्री जी ग्रपनी कास्ट के लोगों की भावना को पहचानते हुए वहां इस प्रकार का काम करने का प्रयत्न करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, वहां यह भी चर्चा है, कुछ समय पहले वहां मैं गया था, वहां के विद्यार्थियों में इस बात का ग्रसंतोष है, 2-4 रोज पहले उन्होंने फ्रन्टियर मेल को रोकने का प्रयास किया, ग्रान्दोलन करने की धमकियां दीं लेकिन मैंने उनसे एक ही निवेदन किया है कि ग्रापके माध्यम से मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा। हमें ग्राशा है कि हमारा जो निवेदन है, उस को राज्य सरकार स्वीकार करेगी। पूर्व की सरकार ने इसकी घोषणा कर दी थी उस

(श्री हंसराज शर्मा)

घोषणा से सरकार मुकर रही है । इसलिए छात्रों में जो असंतोष है, कहीं ऐसा न हो कि वहां के छात्रों को करौली में जो आन्दोलन हुआ था, उस तरह आन्दोलन करना पड़े । इसके लिए मैं समय रहते हुए सरकार को चेतावनी देता हूं, आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि सारी छात्र समस्याओं को मद्दे नजर रख कर कालेज बनायें, एम. ए. कालेज खोले जायें । यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो वहां के छात्रों को विवश होकर गांधी जी के बताये हुये मार्गो पर आन्दोलन करना पड़ेगा । इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी और

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपने जो भी समय दिया है उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । मैं आभार ही प्रकट नहीं करता विश्वास करता हूं कि पहाड़िया जी स्वयं भी राजस्थान के हैं, उसी क्षेत्र में पैदा हुए हैं, वहां से राजनीति प्रारम्भ की है, इसलिए हमारी बातों का ध्यान रखेंगे । इतना ही कह कर आपने जो समय दिया उसके लिए मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : चुन्नी लाल जेलिया ।

व्यवस्था का प्रश्न

भाजपा के सदस्यों के बहिर्गमन की आसन द्वारा सूचना

श्री नाथूसिंह (बांदी कुई) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले सदन में कोरम पूरा नहीं हुआ था, उसके पहले एक सिचुएशन पैदा हुई थी कि मन्त्री हाउस में नहीं हैं । इस तरह की चर्चा हुई । उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन पर विराजमान थे, ने जब हमारी पार्टी के माननीय सदस्य उठ कर खड़े हुए, तब कहा कि आप वाक आउट कर गये थे अब आप बोल नहीं सकते । इस विषय में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आसन ने वाक आउट हमारी पार्टी का जो डिक्लेयर किया, वह किस आधार पर किया, क्योंकि हमने कोई वाक आउट नहीं किया, न ही हमारी पार्टी की तरफ से

एक माननीय सदस्य : मैंने किया था इण्डिविजुअली ।

श्री नाथू सिंह : इण्डिविजुअली उन्होंने किया होगा । हमारी पार्टी के किसी सदस्य ने या हमारी पार्टी ने नहीं किया । ऐसा कोई विषय नहीं था इसलिए हमने वाक आउट किया ही नहीं । जब कि अध्यक्ष महोदय ने फर्माया कि आपने वाक आउट किया । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्थिति स्पष्ट करें । यह स्थिति मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं कि कि हमारी पार्टी ने वाक आउट नहीं किया था, लेकिन आसन ने कहा इसलिए एक ऐसी भ्रांति हो गयी कि वाक आउट किया या नहीं किया । इस बारे में आप स्थिति स्पष्ट करें । हमारी तरफ से कोई वाक आउट नहीं किया गया था, किसी किस्म का वाक आउट नहीं था ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह माननीय अध्यक्ष

(80)

(श्री उपाध्यक्ष)

महोदय ने तय कर दिया है, उसको री-ओपन नहीं किया जा सकता ।

श्री नाथूसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने तय नहीं किया, उन्होंने

(व्यवधान)

नहीं तय नहीं किया । मैं नहीं कह रहा हूं । माननीय....

श्री चन्दमल बैद : जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने कह दिया तो उसको उपाध्यक्ष महोदय कैसे री-ओपन कर सकते हैं अब ।

श्री नाथूसिंह : नहीं, री-ओपन करने का सवाल नहीं है । हमारी पार्टी के किसी सदस्य ने या हमारी....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नाथूसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं, कल समाचार पत्रों में ऐसी कोई खबर आ सकती है, कोई समाचार आ सकते हैं जब कि हाउस में ऐसी कोई चीज होती है । कोई पार्टी वाक आउट नहीं करे और माननीय अध्यक्ष महोदय कह दे कि आपने वाक आउट किया, यह स्थिति ठीक नहीं है । इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं, आप इस समय आसन पर विराजमान हैं, मेरा नम्र निवेदन है, हमारी पार्टी ने वाक आउट नहीं किया है । इसलिए आप कोई इम्प्रेशन न लें कि हमने वाक आउट किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने जो पहले बात कही है, वही है । मुझे खेद है कि इस तरह उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता ।

श्री चुन्नीलाल जेलिया : दो मिनट में ।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप माननीय अध्यक्ष महोदय से चाहें तो इस पर बात करके थोड़ी देर बाद अपनी व्यवस्था दे दें । मेरा निवेदन जो मैं करना चाह रहा हूं, हमारी पार्टी के किसी भी सदस्य ने इस प्रकार की घोषणा नहीं की सदन में कि हम वाक आउट कर रहे हैं या वाक आउट किया है, न किसी तरह हमने इश्यू उठाया । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप परामर्श कर सकते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय यहां विराजमान हैं और आप चाहें तो थोड़ी देर बाद कुछ फर्मा सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को सूचित करता हूं और सदन को भी कि वाक आउट घोषित नहीं किया गया ।

श्री नाथूसिंह : धन्यवाद ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री चुन्नीलाल जेलिया : उपाध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर में पी. जी. विज्ञान, एल.एल. बी. और संस्कृत विषय खोलने के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव इस सदन के समक्ष आया है, इस सम्बन्ध में मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि राजस्थान में 26 जिले हैं और 26 जिलों के अन्दर सवाईमाधोपुर भी एक ऐसा

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

पिछड़ा हुआ जिला है जिसको हर तरह से, हर काम में पीछे धकेल दिया जाता है। सवाईमाधोपुर में अनुसूचित जाति और जनजाति की 75 प्रतिशत जनसंख्या है। मेरे से पूर्व जो सदस्य बोले हैं, उन्होंने सारी बात सदन के समक्ष रखी है। वहां के लोग ये विषय नहीं होने से अपनी पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं और उनको बाहर नहीं जाना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अगर ये विषय सवाई माधोपुर में खोल दिये जायं तो वहां के लोग पिछड़े वर्ग के, इन विषयों का लाभ ले सकते हैं और अपनी शिक्षा को....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले वाले माननीय सदस्य ने बहुत कुछ कह दिया। दो मिनट का टाइम दिया था, आपने ज्यादा ले लिया टाइम। समाप्त कीजिए। माननीय सदस्य।

श्री चुन्नीलाल जेलिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो खड़ा ही हुआ हूं। आपका जो आदेश हो, वैसे हमने चलना है। लेकिन खास कर यह अर्ज करना है कि राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले की जिस तरीके से उपेक्षा की गई है, 26 जिलों में यह पहला जिला मिलेगा। जिसको हर काम में वंचित रखा जाता है छात्रों की संख्या काफी है। इस समय आपने जो कालेज बिल्डिंग के अभाव की बात कही है, ऐसी बात नहीं है। जो जी. टी. सी. बिल्डिंग थी वह शिक्षा विभाग को हैंड ओवर कर चुके हैं और इसके साथ लगी हुई बिल्डिंग है। अगर सरकार यह सारे सब्जेक्ट भी खोल दे तो तो जन सहयोग से बिल्डिंग बनाई जा सकती है। आज भी बिल्डिंग का अभाव किसी प्रकार से अनुभव नहीं होने दिया जाएगा। सवाई माधोपुर की जनता इस काम के लिए बिलकुल तैयार है और मैं यही चाहता हूं कि सवाईमाधोपुर में ये सब्जेक्ट खोले जावें जिससे छात्रों की जो उग्रता है और उनके सामने जो एक अभाव की समस्या है उसको पूरा किया जावे।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक। सांगानेर के सांगा मंदिर की जमीन पर अवैध निर्माण।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव बहुत दिनों पहले, करीब 15 दिन पहले दिया गया था और मुझे इस बात का सबसे बड़ा खेद है कि अगर समय रहते सरकार आवश्यक कार्यवाही नहीं कर सकती, गलत कार्यवाहियों को रोकने में असमर्थ है या जानकर भी नहीं रोकना चाहती है तो यह स्वयं में बहुत निन्दनीय काम है। उससे भी ज्यादा खराब बात यह है कि इस प्रासिजर में सारी व्यवस्था में इतना समय अधिकारियों को दे दिया जावे कि जो अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं या सरकारी भूमियों पर कब्जे हो रहे हैं, उस पर निर्माण इस स्टेज तक आ जावे जिसको फिर डिसमेंटल नहीं किया जा सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए इस विषय में

(श्रीमती विद्या पाठक)

मेरा स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ था। अगर राज्य सरकार टाइमली एक्शन लेने में असमर्थ है तो मैं कैटेगोरिकल इस सरकार पर चार्ज लगाना चाहती हूं कि यह सरकार भ्रष्टाचार को अपने संरक्षण में अपने अधिकारियों के द्वारा, अपने लोगों को राजनैतिक संरक्षण देने के लिए पनपा रही है। यह मेरा डायरेक्ट चार्ज सरकार पर है और अब यह सरकार पर है कि वह इस का स्पष्टीकरण दे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझ को व्यवस्था दी कि मैं इस विषय में कुछ कहूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में आज के लिये मेरे को कोई पूर्व में सूचना नहीं दी गई थी कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव पर मेरे को बोलना है। पिछले दस दिनों से मैं रोज-रोज फाइलें लेकर आ रही हू। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था तो आपने दे दी लेकिन मैं क्या बोलूं, एटरडेंम। कुछ तो पास में होना चाहिए, फाइल्स होती हैं, रेलेवेंट पेपर्स होते हैं, उसकी डिटेल्स और तमाम एकूरेसीज को बताना चाहती हूं। पूर्व सूचना के अभाव में अगर मेरे को जानकारी नहीं है इस समय, सरकार इस तरह की अपेक्षा नहीं कर सकती है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सम्मान के साथ यह कहना चाहती हूं कि चेयर भी यह अपेक्षा नहीं कर सकती है कि हम रोज रोज आशा में वही फाइलें लेकर आयें। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सबसे बड़ा एतराज इसी बात का है। मैं सोचती हूं कि आप मुझे कल इस विषय पर बोलने का समय दिलवाने की कार्यवाही करेंगे। आवश्यक बात जो अध्यक्ष महोदय से परमिशन दिलवाने की है वह दिलवाने में मेरी मदद करेंगे। मुझको मालूम है कि जवाब आया हुआ है और यह भी मालूम है कि जवाब गलत आया है परन्तु उसको रिफ्यूट करने के लिए मेरे पास मैटर होना चाहिए। जो आज साथ नहीं लाई हूं इसलिए इसको कल तक के लिए पोस्टपोन किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या को बोलने का अवसर दे दिया गया है। अब कल समय देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्रीमती विद्या पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोली ही क्या हूं। मुझे बोलने का अवसर दे दिया गया है...

श्री उपाध्यक्ष : आप अगर अवसर को उपयुक्त नहीं समझती....

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरे को इनसाइक्लोपीडिया एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, न मेरी मैमोरी इतनी शार्प है कि 15 दिन पुरानी बात इस तरह से डिटेल्ड कह सकूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज बोलने में बिल्कुल असमर्थ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, I am not prepared. कृपया इस सम्बन्ध में कल के लिये व्यवस्था देने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद आपको सूचित कर दिया जावेगा।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री बंशीलाल पटवा :

(ग्रनुपस्थित)

नहीं हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : भीलवाड़ा नगर के एक मकान में साठ हजार रुपये की चोरी।

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, एक लाख से ग्रधिक जनसंख्या के भीलवाड़ा शहर में पिछले 15–20 दिन में तीन चार बड़ी बड़ी चोरियां हुई हैं। माणक नगर से श्री भंवरसिंह चौधरी के मकान में तीन चार ताले एक साथ तोड़ कर उनके ग्राभूषण, नगदी ग्रौर कपड़े वहां से चोर चुरा कर ले गए ग्रौर इसी प्रकार की घटना लेबर कालोनी में ग्रौर भोपालगंज में उसी,

(1.55 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

सप्ताह में हुई। बताया तो यह गया कि सिर मुंडाते ही ग्रोलें गिरे। जिस दिन वहां के कोतवाल नए शहर में ग्राए ग्रौर ड्यूटी जोइन की उसी दिन ये सब चोरियां हुईं। मैं समझता हूं कि ग्रकाल ग्रौर ग्रभाव के इस युग में जिसमें प्रशासन की यह व्यवस्था, यह उदासीनता से ये घटनाएं घटित हो जावें ग्रौर होने के बाद लगभग ग्राज 15 दिन के ग्रास पास होने ग्राए, इनमें से एक भी चोरी बरामद नहीं हुई। इस बात को लेकर भीलवाड़ा शहर में भय ग्रौर ग्राशंका का वातावरण बना हुग्रा है। मैं ग्रापके माध्यम से राज्य सरकार ग्रौर इसके गृह ग्रौर पुलिस विभाग से ग्राग्रह करूंगा कि इतनी बड़ी चोरी माणक नगर में हुई है ग्रौर उसी सप्ताह में जो दूसरी चोरियां हुईं, उनको कारगर ढंग से कार्यवाही करके बरामद करें। लोगों के मन में यह भय व्याप्त हो रहा है कि पुलिस ग्रौर चोरों की मिलीभगत है इसलिए चोरियां बरामद नहीं होती। ग्रभी जैसा कि गृह राज्य मंत्री जी उत्तर दे देंगे, तत्काल इसके लिए कार्यवाही कर रहे हैं, यह हो जाएगा, तो उत्तर से जनता संतुष्ट नहीं होगी। ग्राखिरकार ये सब चोरियां होती हैं उसके पीछे पुलिस की मुस्तैदी का ग्रभाव ग्रथवा मिलीभगत इसका मूल कारण है। मेरा ग्राग्रह है कि इस मामले में विशेष तौर से कार्यवाही की जावे ग्रौर जनता में जो चोरों के प्रति एक वातावरण बन रहा है कि चोर ग्रौर पुलिस की मिलीभगत होती है जिससे चोरियां बरामद नहीं होती ग्रौर इस तरह की चोरियां बराबर होती रहती हैं। मेरे जहाजपुर इलाके में भी पिछले वर्ष सवा लाख की एक चोरी भूतपूर्व सरपंच के यहां हुई थी जो ग्राज तक बरामद नहीं हुई। रोज इन्क्वायरी ग्रफसर बदल जाते हैं। जब कारगर कार्यवाही होने लगती है तो फिर कुछ न कुछ चोर मिल कर इन लोगों से इन्क्वायरी ग्राफिसर बदलवा देते हैं। जब इस तरह के इन्क्वायरी ग्रफसर ग्रा जाते हैं जो कार्यवाही नहीं कर पाते तो चोरों की उड़ कर लग जाती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे मामलों में ग्रच्छी व्यवस्था हो ग्रौर जनता में जो भय का एक वातावरण बन रहा है वह दूर हो, यही मेरा ग्राग्रह है।

श्री सभापति : श्री बालचन्द्र आर्यवीर। झालावाड़ जिले में सुनेल कस्बे में चोरियां।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री अनंगकुमार जैन।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय सभापति महोदया, झालावाड़ जिले के अन्दर पुलिस के कई कारनामें विधान सभा के पटल पर पूर्व में रख गए हैं। झालावाड़ जिले में कानून और व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि एक कस्बे के अन्दर एक ही रात में सात चोरियां हो गईं। उन सात चोरियों में करीब एक लाख रुपयों का माल चोरी हो गया। इस बारे में यहां पर शिकायत की गई। झालावाड़ जिले के अन्दर ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी सुनेल और दीगर कई जगहों पर पिछले दो महीनों के अन्दर कई प्रकार की चोरियां हुई हैं, डकैतियां हुई हैं, हत्यायें हुईं ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसमें सूचना यह आई है कि अभियोग दर्ज कर चालान प्रस्तुत कर दिया है। चोरी की 9514) रुपये की सम्पत्ति बरामद की गई है।

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय सभापति महोदया, करीब 60-70 हजार की चोरियां हुईं। नौ हजार रुपये की सम्पत्ति की बरामदगी बता करके मामले को रफा-दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदया, सात चोरिया हुई हैं उनमें 70-80 हजार का माल चोरी गया है एक ही रात में गई लोगों ने सात जगह चोरियां की हैं। उसके अन्दर कई आदमी इन्वाल्व्ड हैं लेकिन सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें पूरे अभियुक्तों को नहीं पकड़ा गया है। सरकार के सामने कानून और व्यवस्था की स्थिति उठाई जाती है, जब चोरी डकैती के मामले रखे जाते हैं तो गृह राज्य मन्त्री जी खास तौर से दो बातें टैक्टफुल्ली स्ट्रेस कर देते हैं कि सरकार का इरादा चोरों को बचाने का नहीं है, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं। यह दो सैंटेंस राज्य मन्त्री जी गृह ने रट रखे हैं। लेकिन, माननीय सभापति महोदया, बार-बार सदन के अंदर कानून व्यवस्था के मामले पर प्रश्न उठाये जाते रहे हैं। झालावाड़ जिले के मामले में मैंने कई ऐसे प्रश्न उठाये। पुलिस स्वयं लोगों से मारपीट कर रही है। पुलिस के अधिकारी शराब पीकर लोगों को मार डालने पर उतारू हैं। चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं। उसके बावजूद लगातार उनका यह कार्यक्रम बढ़ता जा रहा है। सरकार की तरफ से उन अधिकारियों के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मेरा आपके माध्यम से गृह राज्य मन्त्री महोदय से विशेष रूप से निवेदन है कि जो चोरियां और डकैतियां हो रही हैं, उनके बारे में तो कार्यवाही करवायें ही, लेकिन कम से कम वहां के पुलिस अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन यह मालूम करने की कोशिश करें कि लगातार आपके जिले में क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं, पुलिस संरक्षण में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस स्वयं लोगों से मारपीट पर आमादा है, पुलिस ज्यादती कर रही है। लेकिन आज तक उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं सुनेल कस्बे में सात च

(श्री ग्रनंगकुमार जैन)

हुई हैं, उनके ग्रभियुक्तों में से कोई नहीं पकड़ा गया है। चोरी का माल बरामद नहीं हुग्रा है। इस बारे में राज्य मन्त्री महोदय, ग्राप जिला प्रशासन को निर्देश दें, उसमें सख्ती से कार्यवाही की जाय। झालावाड़ जिले के ग्रन्दर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है, पुलिस संरक्षण में जुर्म हो रहे हैं। कम से कम वहां के पुलिस ग्रधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय, उनको निर्देश दिये जायं कि इस प्रकार की स्थिति भविष्य में रिपीट न हो।

श्री सभापति : श्री नाथूसिंह। सैन्ट्रल कोग्रापरेटिव बैंक द्वारा तहसील बसवा में किसानों से जबरन ऋण वसूली। संरकार से जवाब ग्राया है, वह सुन लें ग्राप।

तहसील बसवा में ऋण वसूली के जो 27 मामले दर्ज हुए हैं, उनमें ग्रभावग्रस्त गांवों में किसी प्रकार की वसूली या कुर्की नहीं की जा रही है।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदया, जो सरकार की तरफ से जवाब ग्राया है, उससे मैं पूर्ण रूप से सन्तुष्ट नहीं हूं। ग्रांशिक रूप से संतुष्ट हूं इसलिये कि जब मेरा स्थगन प्रस्ताव गया, उसके बाद उन्होने वसूली रोक ली।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदया, मैं इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं, पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब मेरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना पहुंची तो उसके बाद तुरन्त कार्यवाही करके वसूली रुकवाई। इसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि ग्रभावग्रस्त गांवों में बांदीकुई में केवल एक ग्राम पंचायत की घोषणा की गई। पता नहीं हमारे ऊपर ही मेहरबानी सरकार की कैसे हुई है? पूरे राजस्थान में सब जगह ग्रभावग्रस्त गांव घोषित हैं। लेकिन पूरे राजस्थान में बांदीकुई कान्स्टीट्यूएंसी, बांदीकुई तहसील, बसवा तहसील के ग्रन्दर केवल एक ग्राम पंचायत के कुछ गांव ग्रभावग्रस्त घोषित हैं। बाकी पूरी की पूरी तहसील के ग्रन्दर बहुत ग्रच्छी बरसात हुई है। ग्रासपास कहीं बरसात नहीं हुई, इन्द्र महाराज ने हमारे ऊपर कृपा कर दी। मेरा निवेदन है कि वास्तव में कई ग्रभावग्रस्त गांव घोषित हैं, लेकिन घोषित नहीं हुए हैं। उनमें जो पूर्वी क्षेत्र बांदीकुई का उसमें, माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं मुख्य रूप से क्योंकि माननीय मन्त्री महोदय एक्शन लेने में बहुत क्विक हैं, इसलिये मुझे विश्वास है कि तुरन्त एक्शन लेंगे। वहां कुछ ग्राम सहकारी समितियां बनी हुई हैं। एक बालाहेड़ा ग्राम सहकारी समिति है। ग्राप चाहें तो नोट कर लें, मन्त्री महोदय। बालाहेड़ा ग्राम सहकारी समिति है उसमें व्यवस्थापक है। वह व्यवस्थापक पिछले 15 वर्ष से वहीं हैं टिके हुए। मैं मन्त्री महोदय ग्रापकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं, उसके विरूद्ध कई सरपंच व पंच

(86)

(श्री नाथूसिंह)

आसपास के ग्राम के लोग, पंच, सब पार्टियों के लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्योंकि वह ऊपर के अधिकारियों से तालमेल रखता है। मैं, मंत्री महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, जब वह फोर्थ क्लास के पद पर नौकरी पर लगा था तो 45 रुपये पर फोर्थ क्लास के पद पर लगा था। धीरे-धीरे व्यवस्थापक बना। व्यवस्थापक बनने के पश्चात् उसकी आज एक लाख की कोठी है और पांच सौ मन अनाज उसके घर में है जब कि उसके पास जमीन नहीं है और इनकम का कोई दूसरा जरिया नहीं है। कोआपरेटिव के मामले में घोटालों से उस व्यक्ति ने इतनी सम्पत्ति बना ली। इतना ही नहीं बिल्डिंग बनाने के लिये 14 हजार रुपये मिले। वहां पर दो तीन फीट दीवार खड़ी करवा कर कह दिया कि सारा पैसा इसमें लग गया, बाकी का पैसा हजम कर गया। इतना ही नहीं 1968, 1971 उसके बाद 1976 उसके बाद 1977 यानि हर 3–4 वर्ष बाद, दो वर्ष बाद,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

वह क्या करते हैं, फर्जी बांड भर दिये हैं किसानों के नाम, झूठे, नकली हस्ताक्षर किये हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही होकर उसे सजा मिलनी ही चाहिये थी। उसके स्थान पर जिनके नाम से झूठे बांड भर कर जाली हस्ताक्षर किये हैं, उनसे ऋण वसूल किया जा रहा है। इसलिये स्पेसिफिक तौर पर नाम लिखा दिये हैं।

इसके साथ निहालपुरा सहकारी समिति है, उसके मामले में ग्राम पंचायत के सरपंच ने शिकायत की, पंच ने की। ग्राम पंचायत ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया।

वहां के व्यवस्थापक के खिलाफ ढेर सारे सबूत पेश किये। उसके पश्चात् कोई कार्यवाही नहीं हुई। दो-तीन व्यवस्थापक मिल गये। उन्होंने कहा हमारे खिलाफ कार्यवाही होगी। ऊपर के अधिकारी थे लोन इंस्पेक्टर वह वहां गये ऋण वसूल करने। पांच दस हजार किसान इकट्ठे हो गये। उनका घेराव किया, जीप का घेराव किया गया, डायरेक्ट एक्शन की धमकी दी किसानों ने तो वहां से सब लोग भाग गये। आने के बाद जो ऊपर के अधिकारी थे वह उनसे मिले हुए थे, उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूं किसी भी व्यवस्थापक का बाल बांका नहीं हो सकता। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिन गांवों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है, बाकी के जो गांवों में जबर्दस्ती, फर्जी बांड नकली बांड हस्ताक्षर करवा कर बांड भरे गये हैं, जिनकी जबर्दस्ती वसूली की जा रही है, कृपया आप उनकी जानकारी प्राप्त करें और उनको रोकें। उन व्यवस्थापकों के खिलाफ कार्यवाही करें। यह मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय कार्यवाही करेंगे। उसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है। अधिकारी कर्मचारी चोर है तो चोर है। कर्मचारी गलती करता है तो उसको रोकना सरकार का कर्त्तव्य है। उसके विरुद्ध कार्यवाही

(श्री नाथूसिंह)

करता सरकार का और आवाज उठाना हमारा सबका कर्त्तव्य है । मैं निवेदन करूंगा क्योंकि पांच दस हजार किसानों का भाग्य इसके साथ जुड़ा हुआ है, भारी असंतोष है इसलिये इस पर आप कार्यवाही करें ।

श्री सभापति : डा० उजला अरोड़ा । जयपुर स्थित चुरुकों के रास्ते में चोरी की घटना । पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर अन्वेषण प्रारम्भ कर दिया गया है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदया, यह घटना बाजार के बिलकुल पास की है । बैंक के पास की है । चिन्ता का विषय यह है कि जो आदमी छत की टीन उखाड़ कर किसी प्रेस से सामान ला सकता है, वह सन्तरी से बन्दूक छीन कर बैंक से भी कुछ ले जा सकता है । यह घटना चांदनी रात की है । जिन्होंने चोरी की उनको पड़ोसियों ने छत पर चढ़ कर देख लिया । उन्होंने इस बात को कहा कि ये लड़के हैं, इन्होंने सामान चुराया है । तस्दीक हो गई । जिन्होंने यह बताया, जिनके यहां पर चोरी हुई, उनके प्रेस से लेकर उस आदमी, जो प्रेस में काम आने वाले होते हैं, के घर तक शीशे के टाइप जिन पर अक्षर उभरे होते हैं, फैलते चले गये । उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति यहां से ले गये । यह पता कर लिया था, साइकिल सारी रात उसके घर रही । कहां से वह साइकिल लाया था ? उस साइकिल को लाकर वह सामान ले गया । मेरा कहना यह है कि जब पुलिस के सामने यह बात आ गई कि तीन व्यक्ति अमुक-अमुक उस चोरी में शामिल हैं फिर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना, यह ठीक नहीं है । यह जो लिस्ट उन्होंने दी है सामान की, इस पर कोई तफतीश उन्होंने घर जाकर नहीं की । यह तीन लोग इस प्रिंटिंग प्रेस से थोड़ी दूर पर रहते हैं । जिन्होंने चोरी की है तो उनके खिलाफ एक्सन लेना बहुत आसान था । जिस घर के चोर सदस्य हैं उन लोगों को बुला कर पूछ सकते थे । ये लड़के चोरी छिपे उस घर में आते भी हैं लेकिन न मालूम क्या सोच कर के, मैं चाहती नहीं थी कि इस विषय को यहां पर रखूं ।

श्री सभापति : क्या पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया है । तफतीश शुरू करने की बात पर कहेंगे तो क्या जब चोर आयेगा तब पकड़ लेंगे । यह तो इसी तरह से है जैसे सुमेरसिंह आकर के गिरफ्तार हो गया उसी तरह से चोर आयेगा और गिरफ्तार कर लेंगे । यह बात । सभापति महोदया, समझ में नहीं आ सकती कि वह कहते हैं कि चोर घर में आते नहीं हैं इसलिए कैसे पकड़ें । थाने का इस तरह का एटीट्यूड है वह नितान्त गलत है । जब घर पड़ोस में है तो तफतीश की जा सकती है उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके मां-बाप को बुला कर पूछा जा सकता है कि उनके कहां-कहां जाने की सम्भावना हो सकती है । थाने के हाथ बहुत लम्बे हैं, अगर तफतीश करना चाहते हैं, पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं । इसमें मेरा यह आरोप है कि जान बूझकर ढील दी जा

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

रही है। सामान जब घरों में ले जाकर रखा है क्लैश पड़ी हुई दीख रही है, घर में ले जा कर रखी है, जब इंगित कर रहे थे कि कहां-कहां साइकिल ले जाई गई तो मैं समझती हूं कि इसमें बताने वाली ज्यादा जानकारी वाली तो जरूरत नहीं थी। अगर मान लीजिये, यह कहा जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस वालों ने उनका नाम गलत ले दिया होगा, मैं नहीं कह सकती, गलत भी हो सकता है लेकिन घर वालों को बुला कर जब तक पूछताछ स्पष्ट रूप से नहीं की जायगी तब तक चोर पकड़ में नहीं आयेंगे। कोई भी जो चोरी करता है उसके मामले में, मैं समझती हूं और इस बात को तो मानती हूं कि उसके मां-बाप का भी इसमें साथ है क्योंकि इन लोगों ने चोरी की है, इन्होंने आस-पास में पहले भी चोरियां की हैं और यह मामले सामने बार-बार लाये गये हैं फिर भी उनके मां-बाप को पूछा नहीं जा रहा है। एक धोबी का लड़का है, दो लड़के और हैं। छत पर पतंग उड़ाया करते थे तो उनको मालूम था कि कहां से बोल्ट खोल कर अन्दर घुस सकते हैं और क्या-क्या चीज उड़ाई जा सकती है। तो ये सारी बातें थाने वालों को बता दी गईं इसके बावजूद भी उनके मां-बाप को न बुला कर इस मामले में ढील दी जा रही है जो ठीक नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय, ध्यान दें। जो कदम मैंने बतायें हैं उसको उठा कर, घर वालों को बुला कर वह पूछ सकते हैं कि बच्चे कहां जा सकते हैं। उनको इस प्रकार की गलत आदतें पड़ गई हैं उनको छुड़वाया जाना चाहिये। अगर अभी से एक्शन नहीं लिया गया तो ये आस-पास में बैंक में डकैती करेंगे. यह मैं सच कह रही हूं। जिनको ऐसी आदत पड़ जाती है उनको इस तरह की ढील दिया जाना गलत है। माननीय मन्त्री महोदय निश्चित रूप से आज ही कदम उठायें। मैं तो समझती हूं, इसमें हंसने की बात नहीं, यह गम्भीर बात है। पिछले महीने से जो चोरियां का तांता लगा हुआ है जयपुर में यह निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है। जयपुर को असुरक्षित और भय से त्रस्त बना देंगे इस विभाग की ढील द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा। यह मैं नहीं मानना चाहती कि जो नीचे वाले काम नहीं कर रहे वे यह कहने के लिए प्रेरित करते हैं कि निश्चित रूप से पुलिस ने ढील ही की है। ललित एम्पोरियम, ज्वैलर्स आर्ट एम्पोरियम के चोर नहीं पकड़े गये, जौहरी बाजार में घड़ियों की चोरी हुई वह नहीं पकड़ी गई। जो बच्चों द्वारा चोरी की गई, कल उसका उल्लेख किया गया था। वह जानते थे, तफतीश कर ली कि किसने गोली मारी है तब भी नहीं पकड़ा गया। यह कर टाला जा रहा है कि कार के नम्बर नहीं थे, आटो रिक्शा के नम्बर थे। इसलिए मैं समझती हूं पुलिस चाहे तो जो गुनहगार है उससे वापस करा सकती है माल को। मेरी राय है कि उनको मालूम रहता है कि कौन-कौन हल्के में कौन चोर है। तहरीर बनी होती है, मान्यवर,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं मानती हूं इस तरह स्टोर्स से साबुन से लेकर चाय, लौंग, इलायची तक चोरी गई है। चार-चार घण्टे पुलिस की गश्त होने

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पर भी चोरी हो तो, मैं पूछना चाहूंगी क्या गश्त करते हैं, आप क्यों नहीं गश्त बढ़ाते। मैं बार-बार ध्यान दिलाती हूं सदन के माध्यम से कि गश्ती के सिपाही क्या करते हैं। क्या पुलिस की देखरेख में चोरियां होती हैं ? आप इसकी व्यवस्था करें। जयपुर को असुरक्षित न करें, भय ग्रस्त न करें। मैं समझती हूं आप निश्चित रूप से इस पर कदम उठायेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, समाप्त करें। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री हंसराज शर्मा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदया, मंत्री महोदय शायद कहना चाह रहे हैं इतना तो अवसर दें उन्हें कि वे जयपुर के बारे में क्या कहने वाले हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आपने उनका ध्यानाकर्षित किया इस विषय पर, आप मना कर रहे हैं कि कुछ नहीं कहना चाहते हैं। इस पर कार्यवाही होगी ऐसा विश्वास किया जाना चाहिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कैसे विश्वास करूं ऐसा। कम से कम कल के हालात पर ही सही वह कह तो दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक मिनट, वह खड़े हो गये हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : सभापति महोदया, मैंने जैसा कहा है, पूर्व में इस तरह का प्रस्ताव दिया था। सरकार ने उनकी उपस्थिति में अध्यक्ष महोदय का ध्यान करा दिया था। जो प्रश्न उठाया है माननीय सदस्या ने, मैंने उस पर कह दिया है कि निश्चित रूप से पुलिस उस पर जल्दी कार्यवाही करेगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक बात पूछ लूं। 8 महीने वाली जल्दी थी वैसी ही जल्दी करेंगे या सरकार इसको गम्भीर समझ करके ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : निश्चित रूप से जल्दी करेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें। माननीय मन्त्री महोदय ने एश्योर किया है कि जल्दी कार्यवाही की जायगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : केस कायम हो गया। पुलिस पता लगा रही है। अब आप कहें कि सख्ती करें। सख्ती करेंगे तो कहेंगी कि लोगों पर अत्याचार होता है। तो बीच का रास्ता निकाल कर पुलिस काम करती है। पुलिस पता लगा रही है। घरवालों से सख्ती करें तो यहां पर कोई दूसरी बात खड़ी होगी। इसलिये बीच का रास्ता निकाल कर पुलिस कार्यवाही करेगी। माननीय सदस्या, मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूं कि पुलिस कार्यवाही करेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जहां सख्ती किया जाना जरूरी है वहां निश्चित रूप से

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सख्ती करिये, कौन रोकता है। हमने कभी दोषी के लिए नहीं कहा। हमने तो कहा है अपराधी को सख्त सजा मिलनी चाहिये।

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री हंसराज शर्मा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदया, मेरा एक विषय और था। सरकार से उत्तर आया है।

श्री सभापति : इसके अलावा किसी विषय का उत्तर नहीं आया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस विषय के अलावा विश्वविद्यालय में जो परीक्षा का पेपर हुआ था उसके बारे में उत्तर आया था। यह अध्यक्ष महोदय ने कहा था।

श्री सभापति : उसका अध्ययन किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था नहीं दी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कोई बात नहीं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सवाईमाधोपुर एवं खण्डार क्षेत्र के ग्रामों की जमीन डूब में आने पर भी किसानों को मुआवजा न देना व उनसे लगान वसूली

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री हंसराज शर्मा। सवाईमाधोपुर एवं खण्डार क्षेत्र की भूमि डूब में आ जाने के विषय में।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत सवाईमाधोपुर और खण्डार क्षेत्र में बांध में डूबी हुई जमीनों के संबंध में मैं सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

सभापति महोदया, हमारे यहां कई काश्तकारों की जमीनें बांध में डूबी हुई है। बांध सूरवाल, बांध बाजोरगढ़, बांध मानसरोवर, बांध देवपुरा है। किन्तु सालों के बाद में बांध शूरवाल के सम्बन्ध में....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय अपना वक्तव्य देना चाहते हैं। उसके बाद आपको कोई प्रश्न पूछने हों तो पूछ सकते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभानेत्री जी, बांध सूरवाल का निर्माण वर्ष 1950 में किया गया था। बांध बनाते समय कोई भूमि अवाप्ति की कार्यवाही तथा भुगतान नहीं किया गया। वर्ष 1961 में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी।

बांध सूरवाल के क्षेत्र में कुल 383 काश्तकारों की भूमि डब में आई थी जिसके मुआवजे के रु. 10,02,480/– का चैक दिनांक 31·3·79 को अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, सवाईमाधोपुर द्वारा उप जिलाधीश, सवाईमाधोपुर को चुकारे हेतु भेज दिया गया था। तहसीलदार द्वारा अभी तक 2,87,293·50 पैसे का भुगतान किया जा चुका है। शेष रकम

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

7,15,187·50 का भुगतान उत्तराधिकार के विवाद एवं काश्तकारों द्वारा भुगतान स्वीकार न करने के कारण नहीं किया जा सका है। यह शेष रकम रेवेन्यू डिपाजिट के मद में जमा है। इसमें ग्राम मऊ के काश्तकारों का भुगतान भी शामिल है।

सुनारी पंचायत की सभी जमीनें एक छोटे पेटा काश्त तालाब के अन्तर्गत आती हैं। सुनारी क्षेत्र की जमीन के मुआवजे हेतु पहले कोई कार्यवाही नहीं की गई थी क्योंकि यह क्षेत्र एक जमींदारी के तालाब के अन्तर्गत था तथा डूब में नहीं आता था। वर्ष 1976 में जब सूरवाल बांध को ऊंचा किया गया तो यह जमीन डूब में आने लगी। वर्ष 1979 में जब यह जानकारी प्राप्त हुई तो भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड जारी नहीं किये गये हैं। अवार्ड शीघ्र जारी करवाये जाने के प्रयत्न चालू हैं।

भगवतगढ़ बांध का निर्माण वर्ष 1952 में पूर्ण हुआ था। इस बांध के अन्तर्गत 1909 बीघा 18 बिस्वा जमीन डूब में आती है। बांध के निर्माण के समय डूब में आने वाली जमीन का भुगतान नहीं दिया गया था। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही सन् 1962 में प्रारंभ कर दी गई थी।

दिनांक 2·5·78 को उप जिलाधीश, सवाईमाधोपुर द्वारा अवार्ड जारी कर दिये गये। इन अवार्डों से सम्बन्धित भुगतान के लिये 7,72,927·50 पैसे का चैक संख्या ए-397630 दिनांक 19·3·1981 को उप जिलाधीश, सवाई माधोपुर को भुगतान हेतु भेजा जा चुका है। जिसका भुगतान राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 24·3·1981 से चालू कर दिया गया है।

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा है, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जिस समय बांध का निर्माण हुआ था उस समय जैसा आपने बताया है पेटा काश्त तालाब था। क्या यह सही है कि उस बांध के बीच में ठिकाना ईसरदा ने अपनी सीमाओं में पानी नहीं आने देने हेतु एक 9 फीट की दीवार बनाई थी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप किस बांध के बारे में कह रहे हैं ?

श्री हंसराज शर्मा : मैं बांध सरवार में जो जमीन डूब में आई है उसके बारे में कह रहा हूं। जिस समय बांध का निर्माण किया गया था उस समय ईसरदा ठिकाने के तहत ईसरदा स्टेट ने सीमा में पानी नहीं आवे इसलिये बीच में कोई बांध का निर्माण एक दीवार द्वारा किया था। क्या यह सही है उस दीवार की ऊंचाई 9 फीट थी ? क्या यह सही है इस बांध की ऊंचाई 14 फीट है ? क्या 14 फीट पानी भरने और 9 फीट की दीवार होने से इस सीमा में पानी नहीं जायेगा ?

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि जब बांध का निर्माण हुआ तब से आज तक इस ग्राम सनवाई की डूब में आई भूमि की गिरदावरी नहीं हुई है। और सन् 65 से

(श्री हंसराज शर्मा)

इस सम्पूर्ण डूब में आई हुई जमीन का लगान वसूल किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 1965 के बाद एक सर्कूलर निकाला कि इन काश्तकारों से 1/4 लगान वसूल किया जाय ? तो क्या सरकार उनका लगान माफ करने का प्रयत्न करेगी ? इन मुद्दों पर माननीय मंत्री महोदय उत्तर दें। मैं यह निवेदन करूंगा कि अधिकारियों ने गोलमाल, तोड़ मरोड़ कर आपको डिटेल दी है। इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभानेत्री जी, माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है, उसको मैं पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। "प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के तहत आकर्षित करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर एवं खण्डार क्षेत्र के ग्राम सुनारी की जमीन बांध सूरवार के क्षेत्र में डूब में आने वाली जमीन व कुओं का मुआवजा नहीं दिया गया है। लोगों से लगान भी वसूल किया जा चुका है जिससे इस क्षेत्र के काश्तकार आगे लोन आदि नहीं ले पा रहे हैं और सैंकड़ों परिवार भूखे मर रहे हैं। मैं इस ओर राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।" सभानेत्री जी, पहले यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव राजस्व मंत्री जी के पास गया था। जहां तक लगान के सम्बन्ध में मामला है यह राजस्व विभाग को भेजा गया था। चूंकि मुआवजा मेन बात थी इसलिये यह हमारे इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट को ट्रान्सफर कर दिया गया। इसलिये इसका जवाब देना लाजमी हो गया। मैंने मुआवजे के तथ्यों के बारे में खास तौर से बताया है। अभी तक मुआवजे का चुकारा इस मामले में नहीं किया गया था। खास तौर से सुनारी ग्राम की जानकारी विभाग को आई कि सूरवाल बांध में इस ग्राम की जमीन डूब में आई है। इसकी ओर माननीय सदस्य ने ध्यान खींचा। तो इस बांध को 1976 में ऊंचा करने के बाद, 1976 में रेज किया है तो उसके बाद पहली बार यह मालूम पड़ा 1979 में जब रेन्स हैवी हुई थी, सुनारी ग्राम की जमीन भी इसके अन्दर डूब में आई है। उसके बाद हमने इसके अन्दर कम्पेनसेशन की दिशा में कार्यवाही की है, पहल की है। क्योंकि जमीन डूब में आई इसलिये काश्तकारों को कम्पेनसेशन दिया जाना आवश्यक था। इस पर कार्यवाही की गयी है। अधिक वर्षा के कारण और तालाब भर जाने के कारण यह जमीन डूब में आई है। उसके बाद यह कार्यवाही की है। माननीय सदस्य ने ईसरदा ठिकाने का प्रश्न उठाया है, लगान के बारे में प्रश्न उठाया है। मुझको इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। मैं यह समझा था कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, जो माननीय सदस्य ने दिया है, असली मुद्दा मुआवजा है। इसके बारे में चर्चा की है और विस्तार से बताया है कि जो अवार्ड जारी किया गया था उसमें सुनारी गांव को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसकी जमीन डूब में बाद में आई है। विभाग के अधिकारियों को अवार्ड जारी करने के आदेश दे दिये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई म्युचुअल, आपसी समझौता, काश्तकारों और सिंचाई विभाग के बीच आपसी समझौता हो सके तो मुआवजा जल्दी देने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

की स्थिति में हम हो सकेंगे। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।....

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 1975 में बांध की ऊंचाई उठायी गयी थी और उससे सुनारी गांव की जमीन डूब में आई और अब कम्पेनसेशन दे रहे हैं बाद में। इसका मतलब यह है कि एक्वीजिशन कर रहे हैं। एक्वीजिशन के बाद कोई राइट नहीं है। तो आप कम्पेनसेशन के बाद कल्टीवेशन की इजाजत देंगे। जो काश्तकार वहां पर बैठे हैं उनका राइट कल्टीवेट का रहेगा, इसके बारे में कोई निर्णय ले रहे हैं ? कम्पेनसेशन के बाद यह जमीन इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट की हो जायगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदया, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है कि जब अवार्ड जारी हो जाता है, कम्पेनसेशन दे दिया जाता है तो वह जमीन सरकार की हो जाती है और उसके ऊपर स्वामित्व नहीं रहता है। वह राज्य सरकार की हो जाती है। इस जमीन के अलाटमेन्ट के नियम अलग से बने हुए हैं। भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, वे काफी अनुभवी माननीय सदस्य हैं और राजस्व मंत्री रह चुके हैं। उनके द्वारा ही ये नियम बनाये गये हैं। वे बहुत विद्वान हैं। इसके ऊपर हमारा अधिकार हो जायगा, राज्य सरकार इस बात को एग्जामिन करेगी। यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है। इस पर निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या उनको अलाटमेन्ट के तहत प्रायोरिटी दी जाय। आपके प्रश्न पूछने का अभिप्राय यही है कि जितनी जमीन आयेगी उसमें उनको अलाटमेन्ट में प्रायोरिटी दी जायगी या नहीं। इस बारे में हमारे नियम बने हुए हैं। कास्ट के कितने लोग हैं, ट्राइब्स के कितने लोग हैं उनको दे दी जाय। नहर का पानी निकलेगा तब जमीन खाली हो जायगी। उनको राइट है या नहीं है, इसके बारे में कहने में असमर्थ हूं। इसलिये इस क्वेश्चन को एग्जामिन करना पड़ेगा यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गोकुल चन्द्र शर्मा (सुमेरपुर) : सभानेत्री महोदया, आपके माध्यम से मैं यह पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि जो डैम बनाने का निर्णय लिया है इर्रीगेशन डिपार्टमेंट द्वारा, तो बैंड कल्टीवेशन बांध बनाया जाता है, उस बांध के अन्दर जो जमीन आती है जहां तक इर्रीगेशन डिपार्टमेंट का प्रावधान है उस जमीन का कम्पेनसेशन अवार्ड से दिया जाता है मैं यह चाहता हू कि....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी सुन लें उसके बाद पूछने जैसी बात नहीं रहेगी।

श्री गोकुल चन्द्र शर्मा : इसके बाद भी बैंड कल्टीवेशन....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह खाली नहीं होती है इसलिये यह कह रहा हूं कि इससे इस प्रश्न को मत जोड़ें।

श्री गोकुल चन्द्र शर्मा : अभी आपने अपने जवाब में बताया, अभी सदन में कहा कि हम इसको अवाप्त कर रहे हैं, इसको हम एक्वायर कर रहे हैं। दरअसल ऐसी जमीन को एक्वायर करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, कोई मतलब ही नहीं है। जो बैंड कल्टीवेशन टैंक बनाया गया है वह टैंक इन्हीं होल्डर्स के लिये बनाया गया है और पानी उन्हीं को दिया जाता है। जब रबी की फसल आयेगी तो जो पानी होगा उसको बाहर निकाल दिया···

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह बैंड कल्टीवेशन का नहीं है ··

श्री सभापति : आप पहले मंत्री महोदय से यह ज्ञात तो कर लें कि यह जो आपका प्रश्न है पर्टीकूलर इस विषय से सम्बन्ध रखता है या नहीं रखता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बैंड कल्टीवेशन का मामला नहीं है।

श्री गोकुल चन्द्र शर्मा : आपने कहा है अपने जवाब के अन्दर उसके अन्दर यह बताया गया है कि बैंड कल्टीविशन टैंक है और उसके अन्दर यह जमीन गई है।

श्री हंसराज शर्मा : माननीय सभानेत्री महोदया, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इसी सेशन में चार दिन पहले प्रश्नकाल में एक प्रश्न का जवाब दिया गया था कि उस बांध में 2939 बीघा जमीन ही डूब में आयी है और किसी प्रकार की जमीन डूब में नहीं आयी है। केवल 22 कुएं डूब में आये हैं। इसके अलावा कोई मुआवजा देने का प्रश्न नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत की नाली की जो जमीन है उसको आप कहते हैं कि आ गयी वह क्या इसके अन्दर है या इसके बाहर है? यदि इसके अन्दर है तो अधिकारियों ने जो झूठा जवाब दिया है उनके खिलाफ एक्शन लेंगे? एक बात।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, मैंने जो प्रश्न का उत्तर दिया था, वह प्रश्न जो है उसका जवाब देखेंगे, उसकी भाषा को पढ़ के देखेंगे तो यह पायेंगे कि उस प्रश्न का उत्तर सही था 2939 बीघा और 17 बिस्वा का अवार्ड जारी किया है। उस प्रश्न का उत्तर चार पांच दिन पहले दिया था। वह प्रश्न यहां तो आ नहीं सका था उसमें 2939 बीघा जमीन 383 काश्तकारों की थी; यह उत्तर दिया था जिनके बारे में अवार्ड जारी हो चुका है जिनको कम्पेनसेशन की रकम देय है उनको पैसा दिया जा चुका है। मूल प्रश्न सुनारी के बारे में था तो यह उसमें नहीं था। मैंने हाउस को कोई गलत सूचना नहीं दी क्योंकि अवार्ड जारी हुआ ही नहीं था इसलिये बताना उचित नहीं था। यह बाद में जारी हुआ है अवार्ड। 2939 बीघा और 17 बिस्वा के बारे में जारी हुआ और उसका अवार्ड जारी करके कम्पेनसेशन का चैक भेज दिया था, यह उत्तर था।

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदया, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाकर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने पैसा मंजूर किया और 19·3·81 को

(श्री हंसराज शर्मा)

चैक दे दिया तो उसके लिये तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने काश्तकारों की मांग को सुना। किन्तु मैं यह पूछना चाहूंगा कि ग्राम सुनारी की जो जमीन और कुएं डूब में आये हैं उनका मुआवजा आप कब तक दे देंगे ? एक बात।

दूसरी, जो मुआवजा दिया जायगा, क्या 20-25 साल पहले जमीन डूब में आयी थी, जो जमीन थी उसका तब से अब तक गिरदावरी देख कर जो लगान वसूल किया है वह वापस दिलायेंगे उनको या वापस नहीं दिलायेंगे ? जो 1/4 लगान आज दिन तक उनकी खातेदारी में बकाया चल रहा है उसको क्या आप माफ करेंगे या नहीं ? दूसरी बात। और यदि आपने मुआवजा दिया और बाकी लगान माफ नहीं किया तो काश्तकार को मुआवजा मिलने के बाद घर से पैसा देकर सरकार के खजाने में जमा कराना पड़ेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभानेत्री महोदया, मैंने पूर्व में निवेदन किया कि ग्राम सुनारी की 290 बीघा जमीन मेरी जानकारी के अनुसार 70 के अन्दर भराव में डूब में आयी....

श्री हंसराज शर्मा : उसमें कुएं भी हैं। एक सैकण्ड। इसके साथ, श्रीमन्, मौजूदा हालत में दीवार के बीच में आयी हुयी 40 बीघा पक्की और दो कुएं जमीन मऊ की भी है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं यही कह रहा था, पूरी बात सुनें, 24 बीघा और 16 बिस्वा जमीन ग्राम मऊ की भी है। मैं पूर्व में यही तो कह रहा था पर आप बीच में ही बोल पड़े। 314 बीघा और 16 बिस्वा जमीन है जिसका अवार्ड देना है। कार्यवाही चालू कर दी है इसलिये निवेदन किया कि म्युचुअल समझौता हो जाय तो ठीक है। आप सहयोग करें तो यह जल्दी दे सकते हैं। अवार्ड जारी करने के अन्दर तो जो प्रक्रिया है उसमें समय लगता है। मैं आज इस स्थिति में नहीं हूं कि यह कह दूं कि फलां तारीख को अवार्ड जारी हो जायगा। उसके अन्दर आब्जेक्शन्स दाखिल करते हैं, कोई लीगल कार्यवाही हो सकती है। मेरा तो आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यही निवेदन करना है कि आपने गुड आफिसेज में जो सुझाव हैं वे दें। मैं भी नहीं चाहता हूं कि इसमें देरी हो। आपसी बातचीत से ऐसा हुआ भी है इसलिये कह रहा हूं कि कम्पेनसेशन स्वीकार किया गया, इस मामले के अन्दर कुछ सहयोग कर सकें, म्युचुअल समझौता हो जाय तो जल्दी हो सकेगा।

दूसरी बात आपने लगान के बारे में कही। इसके बारे में मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। भू-राजस्व के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। आप मुझे लिखित में दे दें। आपके जो आब्जेक्शन्स हैं, जो सुझाव हैं वह मैं राजस्व विभाग को भेज दूंगा, वहां विचार हो सकता है। यही मेरा आपसे निवेदन करना है।

श्री हंसराज शर्मा : इतना ही निवेदन करना है....

श्री सभापति : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : संक्षेप में ही समाप्त कर रहा हूं।

जो जमीन सरकार ने डूब में मानी है उसका मुग्रावजा कम्पेनसेशन 10 लाख रुपया मंजूर किया और काश्तकारों को बांटने के लिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर को वह पैसा दे दिया। इसमें से तहसीलदार ने इस साल में केवल दो लाख रुपया बांटा है और 8 लाख रुपया रेवेन्यू के हैड में वापस जमा करा दिया है····

श्री सभापति : रेवेन्यू मंत्री जी से बात करें।

श्री हंसराज शर्मा : मेरा निवेदन है कि यह सिचाई मन्त्री जी का प्रश्न है कि क्योंकि सिंचाई मन्त्री जी ने ही यह सारा पैसा दिया था। राज्य सरकार ने यह पैसा सिंचाई विभाग को दिया था और सिचाई विभाग ने यह पैसा तहसीलदार को दिया था बांटने के लिये लेकिन वहां के तहसीलदार ने क्या किया कि एक प्रतिशत लिया। जिन्होंने एक प्रतिशत नहीं दिया उसके ऊपर हर प्रकार के चार्ज लगा करके सारे पैसे को रेवेन्यू के हैड में जमा करा दिया। जो रेवेन्यू के हैड़ में पैसा जमा कराया है उसको निकलवाने का तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं है। जिक प्रक्रिया से मुग्रावजा मंजूर किया था अब उसी प्रकार की प्रक्रिया पुन: प्रारम्भ होगी मंत्री महोदय ने कहा कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुग्रावजा रेवेन्यू के हैड में जमा कराने का कोई प्रावधान है क्या ? काश्तकारों को नहीं देना था तो उस पैसे को····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हंसराज शर्मा : डिपाजिट करा देते और जब काश्तकार पूर्ति कर देते तो उनको पैसा दे देते। मेरा चार्ज है कि एस. डी. ओ. सवाईमाधोपुर ने पैसा खाया है। मैं मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि इसकी जांच करें, मैं इसको साबित करूंगा। जिन काश्तकारों को पैसा दिया है उनसे एक प्रतिशत लिया गया है। अगर सब एक प्रतिशत दे देते तो सारा पैसा बंट जाता। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम पैसा नहीं दे सके।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप मन्त्री महोदय को सारी बात लिखित में दे दें। उसको समय समय पर परश्यू करें तो मैं समझती हूं कि मन्त्री महोदय आपको सहयोग करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे निवेदन कर दूं, सभापति महोदया, यह बात सही है कि तहसीलदार ने रेवेन्यू के हैड में पैसा जमा कराया लेकिन इसमें जो तथ्य सामने आये हैं, सभापति महोदय, उनके अनुसार जो यहां से आडिट पार्टी गयी थी, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से पार्टी गयी थी उसने आदेश दिया था इस पैसे को रेवेन्यू हैड में जमा कराने का, जो आडिट पार्टी को नहीं देना चाहिये था। आडिट पार्टी के निर्देश के अनुसरण में ही उसने उस पैसे को रेवेन्यू हैड

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

में जमा कराया है। अब उसको निकालने की काफी लम्बी प्रक्रिया है पहले तो सारे चालान फार्म भरे जायं। उसकी बड़ी जटिल प्रक्रिया है उसके बारे में मैंने विभाग के अधिकारियों से कहा है कि ए. जी. की मंजूरी लेकर उस हैड में जमा करावें और तुरन्त कार्यवाही करें ताकि काश्तकारों को पैसा मिल सके। जहां तक तहसीलदार के बारे में कहा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, अगर माननीय सदस्य जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

शासकीय वक्तव्य

झालावाड़ में पुलिस की जीप की टक्कर से दो व्यक्तियों की मृत्यु एवं दो व्यक्तियों का घायल होना

श्री सभापति : मुख्य मन्त्री द्वारा वक्तव्य। झालावाड़ में पुलिस की जीप की टक्कर से दो व्यक्तियों की मृत्यु एवं दो व्यक्तियों के गम्भीर रूप से घायल हो जाने के सम्बन्ध में।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मन्त्री गृह) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपकी आज्ञा से वक्तव्य देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदया, दिनांक 4-2-81 को करीब 1.35 बजे सायं चुंगी नाकेदार नाका खाड़िया श्री रमेशचन्द्र महर ने टेलीफोन द्वारा एस. एच. ओ. थाना झालावाड़ को सूचना दी कि पुलिस की जीप नं. आर. जे. ओ. 1484, पाटन की ओर झालावाड़ आ रही थी और जिसमें पुलिस पार्टी बैठी हुई थी, ने सड़क पर राह चलते हुये दो राहगीरों को व दो साइकिल सवारों को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया और बड़ी तीव्र गति से झालावाड़ की ओर चली गई। घायल चारों व्यक्ति दुर्घटना स्थल पर ही पड़े हैं, शायद इस जीप के चालक ने शराब पी रखी है।

इस आशय की सूचना उसी समय पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ को भी टेलीफोन द्वारा प्राप्त हुई जिस पर वे तुरन्त घटना स्थल पर गये एवं एक बस की व्यवस्था कर घायलों को तुरन्त अस्पताल लेकर आये जिन्हें मेडिकल सुविधायें उपलब्ध करवाई। घायल व्यक्तियों के नाम (1) श्री केशरीलाल (2) श्री लटूरलाल महर (3) सलीम (4) हलीमुद्दीन मालूम हुये।

इस घटना के सम्बन्ध में प्र. सं. 23/81 धारा 279, 337, 304 ए ता. हि. के अन्तर्गत कोतवाली झालावाड़ पर पंजीबद्ध किया गया, अस्पताल पहुंचने के कुछ समय के पश्चात् केशरीलाल की मृत्यु हो गई। घायल होने वालों में दो छात्र थे जिनकी सूचना मिलते ही स्कूलों व कॉलेजों के छात्र भारी संख्या में अस्पताल के अहाते में एकत्रित हो गये और यह भीड़ अवैधानिक कार्यवाही पर उतारू हो गई। जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ के अस्पताल में रहकर स्थिति को नियन्त्रण में लिया।

दुर्घटना करने वाली जीप के चालक कानस्टेबल श्री कन्हैयालाल व उसके अन्य

98

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सहयात्रियों सर्व श्री नन्दसिंह, रिजर्व उप-निरीक्षक, कान. अब्दुल रज्जाक, कानि. बाबूलाल, कान. बालचन्द, कान. विजेन्द्रसिंह, का मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षण करवाया गया जिससे सभी पुलिस कर्मचारियों द्वारा शराब पीना पाया गया। अतः उन्हें तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं।

पुलिस कर्मचारियों द्वारा नशा करने के अपराध में उनके विरुद्ध अभियोग संख्या 24/81 धारा 4 (1) आर. पी. एक्ट के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर अन्वेषन किया जा रहा है। विशेषज्ञ की रिपोर्ट आने का इन्तजार है। सभी पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। अदालत के आदेश पर उन्हें जमानत पर छोड़ा गया है।

दिनांक 6-2-81 को एक अन्य घायल लदूरलाल की मृत्यु हो गई। श्री सलीम नामक घायल छात्र की कोटा अस्पताल में उपचार हेतु भेजा गया एवं चतुर्थ घायल छात्र की स्थिति अच्छी होने के कारण उसे भालावाड़ अस्पताल से ही डिस्चार्ज कर दिया गया जो स्वास्थ्य लाभ कर रहा है।

दोनों अभियोगों का अन्वेषन त्वरित गति से किया जा रहा है।

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मन्त्री महोदय से दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। नन्द सिंह पुलिस इन्चार्ज जीप चला रहा था, या वह सीख रहा था इस बात की तफतीश के दौरान जांच की गई या नहीं? दूसरा आपने यह मन्जूर किया है कि वे लोग शराब पीये हुए थे, तो क्या उनको निलम्बित कर दिया गया है? किस तारीख को उनको मुकदमे के अन्दर गिरफ्तार किया गया और किस तारीख को उनको अदालत से जमानत पर छोडा? जिन दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दो व्यक्ति घायल हो गये क्या उनको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा दिया गया? यदि दिया गया, तो कितना?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपसे निवेदन किया है जो जानकारी प्राप्त की है, उसके अनुसार इस जीप को कान. कन्हैयालाल चला रहे थे। उनके पास वेलिड ड्राईविंग लाइसेन्स है। 4-2-81 को शाम को 5 बजे उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी मुल्जिम जो शराब के नशे में थे, अदालत के कहने पर जमानत पर छोड़े गये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कहीं कोई गफलत नहीं की गई है। जो गलत काम किया उसके लिये उनको सस्पेन्ड कर दिया है, मामला जेर तफतीश है और चालान करने के आदेश दिये जा रहे हैं।

श्री अनंगकुमार जैन : कम्पेनसेशन?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, मुख्य मन्त्री जी से बात करूंगा उसके बाद कह सकूंगा। मेरे पास कोई सहायता कोष नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : आप मुख्य मन्त्री जी की सहमति से बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि अभी इस बारे में कुछ कह सकूं ।

श्री अनंगकुमार जैन : कम्पेनसेशन का आश्वासन दे दीजिये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कम्पेनसेशन का प्रावधान नहीं है, उनको दावा करना पड़ेगा ।

श्री अनंगकुमार जैन : मुख्य मन्त्री सहायता कोष से दिलवा दीजिये । उनको जीप से हॉस्पिटल पहुंचा देते, तो निश्चित रूप से उनकी जान बच सकती थी । सरकारी आदमी थे और शराब पीकर जीप चला रहे थे, ऐसी हालत में उनको कम्पेनसेशन नहीं दिया जाय, मैं समझता हूं यह उचित नहीं होगा ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब दे दीजिये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कम्पेनसेशन का प्रावधान नहीं है ।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं सरकारी कर्मचारी सरकारी जीप चला रहे थे, ऐसी स्थिति में अगर एक्सीडेन्ट हो जाता है तो क्या यह आब्लीगेटरी नहीं है कि उनको अस्पताल में पहुंचाते ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन कर चुका हूं, वे भाग गये थे, एस. पी. झालावाड़ ने बस की व्यवस्था करके घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदया, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि वे भाग गये, उनके खिलाफ शराब पीकर चलने की कार्यवाही की जा रही है । यदि वह रुक कर हॉस्पिटल पहुंचा देते और उनका समय पर इलाज हो जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी, यह सरकार की जिम्मेदारी है ।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय ने बताया की उनको अस्पताल पहुंचाया गया ।

श्री अनंगकुमार जैन : कितने समय बाद ले गये ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभापति महोदया, डेढ़ बजे एक्सीडेन्ट हुआ Within fifteen minutes the S. P. reached there.

उनको भागना नहीं चाहिये था, यह एक्सेप्ट किया जाता था उससे उनकी देख भाल करनी चाहिये थी यह उनसे एक्सेप्ट किया जाता था ।

श्री सभापति : उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एक्सेप्टेड था, वह लिया गया या नहीं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : They are under suspension, they have been arrested and they have been bailed out.

श्री अनंगकुमार जैन : मैं एक प्रश्नपूछना चाहता हूं। जिस परिप्रेक्ष में यह घटना हुई, पुलिस ग्राफिसर्स की इसमें सीरियस नेग-लीजेन्स रही है, 4-2-81 को घटना हुई, राज्य सरकार के नोटिस में यह केस ग्रा गया। क्या मन्त्री महोदय मुख्य मन्त्री सहायता कोष से कुछ दिलाये जाने का ग्राश्वासन देंगे ?

श्री सभापति : ग्रभी माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि सदन की भावना को वे मुख्य मन्त्रीजी तक पहुंचा देंगे, ग्रौर ग्रावश्यक कार्यवाही के लिए उनसे निवेदन करेंगे, ग्रभी कुछ कहने में ग्रसमर्थ हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंइस समय ग्राश्वा-सन देने में ग्रसमर्थ हूं।

श्री बंशीलाल पटवा : सभानेत्री महोदया, मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि कम्पेन्सेशन का दावा किया जा सकता है। जहां तक ग्रदालत की कार्यवाही का प्रश्न है वह की जा रही है, उसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। मेरा एक सवाल है जिस तरह से कम्पेन्सेशन का दावा कोई भी व्यक्ति कर सकता है उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है उसके रूल्स हैं प्रोसिजर हैं, तरीके हैं। इन्दिरा कांग्रेस की रैली में जो लोग मरे हैं, घायल हुए हैं उनको कम्पेन्सेशन सरकार की ग्रोर से दिया जा सकता है ग्रौर इस तरह की घटना के लिए ग्राप जो मुख्य मन्त्री की ग्रोर से जवाब दे रहे हैं, इस तरह का ग्राश्वासन नहीं दे सकते कि कम्पेन्सेशन ग्रतिरिक्त रूप से नहीं दिया जा सकता है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं ग्रनुदान कोष से राहत देने के बारे में माननीय सदस्यों की भावना से मुख्य मन्त्री को ग्रवगत कराऊंगा। मैंने यह नहीं कहा कि नहीं दिया जायगा, डिनाई नहीं किया है....

श्री बंशीलाल पटवा : मैंने कम्पेन्सेशन शब्द प्रयोग किया। इसलिए ग्रर्ज किया क्योंकि कम्पेन्सेशन ग्राप भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है। वहां दे सकते हैं यहा क्यों नहीं दे सकते हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : वहां भी कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया है।

श्री बंशीलाल पटवा : किसी भी रूप में पैसा दे देते हैं, ग्रनुदान के रूप में दिया जाय।

श्री नाथू सिंह : ग्रापने मुख्य मन्त्री कोष से उन लोगों को सहायता दी तो जब ग्राप मुख्य मन्त्री की ग्रोर से वक्तव्य दे रहे हैं तो इस सम्बन्ध में ग्राप घोषणा कर सकते हैं कि मुख्य मन्त्री कोष से सहायता करेंगे you are the mouth piece of the Chief Minister.

श्री सभापति : मगर उत्तर देने के लिए पावर्स डेलीगेटेड होती हैं मुख्य मन्त्री की तरफ से, कुछ पावर्स मुख्य मन्त्री के ग्रन्त-र्गत ही होती हैं।

श्री नाथू सिंह - मुख्य मन्त्री का इनमें विश्वास नहीं है क्या ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें, आर्डर प्लीज।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : अपने वेतन में से थोड़ा दे दो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री नाथू सिंह : क्या मुख्य मन्त्री का मन्त्री में विश्वास नहीं है ?

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आप काफी प्रश्न पूछ चुके हैं, आपकी भावना को मन्त्री समझ गए हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : वे मुख्य मंत्री की ओर से जवाब देते हैं और उनकी ओर से सदन को विश्वास दिलाते हैं....

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : अब भी दिलायेंगे।

श्री सभापति : कृपया बैठे बैठे व्यवधान न डालें।

श्री अनंग कुमार जैन : ऐसी स्थिति में मन्त्री जी यह घोषणा कर सकते हैं कि सहायता मिलनी चाहिए चाहे मुख्य मन्त्री कोष से....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने निवेदन किया यह कोष मुख्य मन्त्री का है, वही आपरेट कर सकते हैं। इसके बारे में आपकी भावनाओं को अवगत करा दूंगा बाकी आश्वासन देने में असमर्थ हूं।

श्री सभापति : आधे घंटे की चर्चा।

श्री यदुनाथ सिंह : पर्याप्त नहीं हुआ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मन्त्री की पावर्स में नहीं है। यहां की भावनाओं से वे मुख्य मन्त्री को अवगत करायेंगे। होना चाहिये मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए, आपकी भावनाओं को उन्होंने समझ लिया है, वह निश्चित रूप से अवगत करायेंगे।

श्री अनंग कुमार जैन : मुख्य मन्त्री 12 दिन में एक बार आते हैं सदन में। अब भी 12 दिन बाद आयेंगे।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अनंग कुमार जैन : कार्य सूची में लिखा है श्री जगन्नाथ पहाड़िया वक्तव्य देंगे, वक्तव्य देने के लिए तो यह खड़े हो जाते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न वक्तव्य का नहीं है, डिस्क्रिशनरी फंड है उसको एप्रोप्रियेट केवल मुख्य मन्त्री कर सकते हैं केबिनेट मन्त्री भी एप्रोप्रिएट नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में जो मन्त्री जी ने असमर्थता प्रकट की है, वह सही स्थिति है। आश्वासन दिया है कि जहां तक आपकी भावनाओं को पहुंचाने का प्रश्न है, कोई भी ट्रेजरी बैंचेज पर जो बैठते हैं, आपकी भावनाओं को निश्चित तौर से पहुंचा देंगे।

आधे घण्टे की चर्चा,
पुस्तकों के क्रय पर दिया जाने वाला डिस्काउण्ट

श्री सभापति : आधे घंटे की चर्चा। श्री कैलाश मेघवाल। पुस्तकों के क्रय पर दिये जाने वाले डिस्काउण्ट विषयक अतारांकित प्रश्न संख्या 28 / 154 के उत्तर से जो दिनांक 24 फरवरी, 1981 को दिया गया था, उत्पन्न मुद्दों पर आधा घण्टे की चर्चा उठायेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : सभानेत्री महोदया आपने अभी अतारांकित प्रश्न का हवाला दिया। मैं स्वीकार करता हूं कि जिस समय मैंने आधे घण्टे की चर्चा के लिए नोटिस दिया था आपने भी चर्चा की थी, दूसरे माननीय सदस्यों ने भी की थी, उस समय भी मैंने इस विषय की गम्भीरता और उलझन को इतना नहीं समझा था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मसला बहुत पुराना है, पुस्तकों पर कितना डिस्काउण्ट मिले, यह बहुत बड़ा सवाल है। पिछले 5-7 साल से लगातार कांग्रेस के सरकार सामने विचार में आया है। चाहे जनता पार्टी की सरकार आई उसके सामने भी विचार में आया। मैंने स्पष्ट प्रश्न किए थे पुस्तक क्रय को आधार बनाकर। मेरा प्रश्न था, कितना रुपया दिया, तो 10 लाख अलग से बताया, 5 लाख अलग से बताया। फिर यह घोषणा कब हुई, कैसे दिया गया, इस बारे में कोई जवाब नहीं। डिस्काउण्ट के बारे में मैंने स्पष्ट पूछा था तो जवाब आया है, कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए जिन किताबों का बल्क पर्चेज किया जायगा उन पर 10 पर्सेंट डिस्काउण्ट दिया जायगा। बल्क पर्चेज। मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं बल्क पर्चेज उस स्थिति को कहते हैं जिसमें एक एडीशन की 20 से अधिक पुस्तकें खरीदी जायं। अभी भी राजस्थान की जो व्यवस्था है, आगे मैं आपको बताऊंगा, मन्त्री महोदय भी उस एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे तो स्वीकार करेंगे कि बल्क पर्चेज करने के लिये राजस्थान में आपके शिक्षा विभाग का जो समाज कल्याण प्रकोष्ठ है बीकानेर में, केवल वही बल्क पर्चेज कर सकता है अन्यथा राजस्थान में कोई भी विभाग हो, चाहे कालेज हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे हायर सैकण्डरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, पंचायती राज स्कूल हो, किसी में भी बल्क पर्चेज की व्यवस्था नहीं है। इसलिए बल्क पर्चेज के लिए 15 पर्सेंट का एक अनुबन्ध नेशनल बुक ट्रस्ट आफ इण्डिया के साथ यहां की सरकार ने किया। उसके बाद हमने पूछा कि कौन कौनसी पुस्तकें,

(2.56 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

खरीदी गईं, कब कब खरीदी गईं, कितने कितने डिस्काउंट पर खरीदी गई तो इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। सामग्री एकत्रित की जा रही है, बहुत अच्छा।

अब मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि डिस्काउन्ट की बला क्या है? वह इसलिए आवश्यक है कि अनेकोंनेक पुस्तकें बिकती हैं, हमारे यहां पाठ्य पुस्तकें बिकती हैं और पाठ्य पुस्तकों पर जो डिस्काउण्ट देते हैं वह $6\frac{1}{4}$ पर्सेंट की घोषणा तो सरकार की भी है, आदेश भी हैं लेकिन

(श्री कैलाश मेघवाल)

6½ पर्सेंट डिस्काउन्ट मिलता है पाठ्य, पुस्तकों पर। पाठ्य पुस्तकों के बाद सामान्य पुस्तक हैं उन पर 20, 25, 30, 40 पर्सेंट तक डिस्काउन्ट अभी तक मिलता रहा है। उसके अन्दर रिमेन्डर्स का क्लाज है। स्थिति बड़ी विचित्र है, बड़ी आश्चर्य-जनक स्थिति है वह इसलिए है कि रिमेन्डर्स के बारे में चर्चा चली; खास तौर से यह "रिमेन्डर्स" वर्ड प्रयोग किया गया है, यह विदेशी प्रकाशकों की पुस्तकों के बारे में किया गया है। इस शब्द के प्रयोग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि यूनिवर्सीटी ग्राट्स कमीशन में भी इस बात की चर्चा हुई, देश के जो पब्लिशर्स हैं उन्होंने भी चर्चा की लेकिन आज तक इस विषय पर कोई निश्चित नीति नहीं बन पाई। उपाध्यक्ष महोदय, बिना नीति के अब स्थिति क्या है? रिमेन्डर्स का मतलब रद्दी से है, वे पुस्तकें जो रद्दी में बेची जाती हैं, विदेशों में प्रकाशित होने वाली वे रद्दी की पुस्तकें हिंदुस्तान में आकर बिकती हैं। इन पर 70 और 80 पर्सेंट डिस्काउन्ट मिलता है। उसको हमारी सरकार 10 पर्सेंट डिस्काउन्ट पर खरीदती है। पिछले सालों में 7 करोड़ से लगाकर आज 18 करोड़ रुपये की विदेशी पुस्तकें हिंदुस्तान में खरीदी जा रही है जिनमें राजस्थान भी है। मसला करोड़ों तक जा रहा है, घोटाला भयंकर इसमें हो रहा है। मैं आरोप इसलिए नहीं लगाना चाहता क्योंकि चर्चा हुई है लेकिन निश्चित नीति तय करने की आज तक कोशिश नहीं की।

इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा के दौरान मैं शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसमें धींगामस्ती हो रही है। क्या होता है रिमेन्डर की कुछ पुस्तकें हैं। हमारे यहां पुस्तक विक्रेता सब तरह के हैं, कुछ धोखेबाज़ क़िस्म के विक्रेता हैं, वे क्या करते हैं कि पुरानी पुस्तकों के जिस पेज पर मूल्य छपा रहता है उस पेज को बदल देते हैं, दो की जगह दस रुपये छापकर एक पेज पुस्तक में और लगा देते हैं। ऐसा हुआ है समाज कल्याण विभाग से अभी खरीद की गई है दस रुपये वाली छापकर डिस्काउन्ट पर बेच देते हैं। उनको 6 रुपये मिल जाते हैं दो रुपये की जगह। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कई पुस्तक विक्रेता भी हैं जो कि नकली छाप लगा देते हैं। वह लोग नकली मोहर लगा कर कीमत में परिवर्तन कर देते हैं। पुरानी किस्म की पुस्तकों की कीमतें बदल कर बेचा जाता है। मैं आज आपको यह भूमिका इसलिए निवेदन कर रहा हूं क्योंकि यह डिस्काउन्ट का मसला है। आज हमारे सारे विश्व-विद्यालय में खरीदी जाने वाली पुस्तकें हैं, सारे महाविद्यालयों में खरीदी जाने वाली पुस्तकें हैं, वह सभी पुस्तकें जो कि सारे एडेड इन्स्टीट्यूशन्स में खरीदी जाती हैं, एडेड इन्स्टीट्यूशन्स चाहे वह कालेजेज हों, चाहे वह हायर सेकण्डरी स्कूल हों उनको भी हम मदद देते हैं। सरकार के साधारण स्कूल पुस्तकें खरीदते हैं उनको मदद दी जाती है राज्य सरकार 85 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक उनको अनुदान देती है, पंचायत राज स्कूल्स में जो पुस्तकें खरीदी जाती हैं यह सभी मिल कर करीब-करीब एक साल में 8-10 करोड़ रुपये की पुस्तकें राजस्थान

(104)

(श्री कैलाश मेघवाल)

में खरीदी जाती हैं। 8-10 करोड़ की पुस्तकें खरीदने में, उपाध्यक्ष महोदय, करोडों रुपये का घोटाला है। घोटाला होता है वह इसलिए घोटाला होता है, उपाध्यक्ष महोदय, ग्राज तक सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारण नहीं की। मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रभी यहां पर पुस्तक मेला लगा दो जनवरी से। पुस्तक मेले का विज्ञापन था "पुस्तकों में रियायत" एक के बाद एक 10-20 विज्ञापन थे, वह हमारे राजस्थान के सभी ग्रखबारों में छपे हैं, राजस्थान पत्रिका में छपे हैं, राष्ट्रदूत में छपे हैं ग्रौर दैनिक नवज्योति में छपे हैं, ग्रधिकार में छपे हैं, राजस्थान के हर दैनिक ग्रखबार में छपे हैं कि दस प्रतिशत का डिस्काउन्ट दिया गया है। पुस्तक के मेले से हमारे महाविद्यालयों में ग्रौर विभागों में 50-60 लाख रुपये की पुस्तकें खरीदी गईं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें निश्चित रूप से 8-10 लाख रुपये का घोटाला हुग्रा है। यह दस प्रतिशत के डिस्काउन्ट की, छूट की बात की है। हमारे राजस्थान सरकार के सामुदायिक विकास विभाग का प्रेस नोट है वह इसलिए इम्पार्टेंट है कि उसमें यह कहा गया है कि विभाग ने 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत की छूट में पुस्तकें खरीदी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वही पुस्तकें राजस्थान सरकार के दूसरे विभागों ने 10 प्रतिशत डिस्काउन्ट में खरीदी है ग्रौर वही पुस्तकें बल्क पर्चेज में 15 प्रतिशत की छूट में खरीदी गई हैं। तो यह सामुदायिक विकास ने जो पुस्तकें खरीदीं। जन सम्पर्क निदेशालय ने एक प्रेस नोट प्रसारित किया जिसमें लिखा है कि हमने कमाल किया है ग्रौर इतने पैसे सरकार के बचाये हैं। मैं ग्रापके सामने इसलिये इसको पढ़ कर सुन रहा हूं कि हमारे सामुदायिक विकास ने कितना कमाल किया है। इसमें है, "जयपुर जनवरी 21, राज्य के सामुदायिक एवं विभाग विकास ने यहां ग्रायोजित राष्ट्रीय पुस्तक मेले से पुस्तकों की खरीद में पुस्तक प्रकाशनों से कमीशन के रूप में 1 लाख 89 हजार 200 रुपयों का लाभ ग्रर्जित किया है। राज्य के विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 800 प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के उपयोग हेतु इस वर्ष पुस्तकों की खरीद के मद में चार लाख रुपयों का प्रावधान था।

विभाग की पुस्तक क्रय समिति ने मेले में पुस्तक प्रकाशकों की स्टालों से प्राथमिक विद्यार्थियों के उपयोगार्थ 5 लाख 89 हजार 200 रुपयों की पुस्तकों का चयन किया था किन्तु उनका भुगतान केवल चार लाख रुपयों का ही किया जायगा।'

तो यह वाहवाही ग्रापके विभाग ने लूटी। इसमें लिखा है कि विभाग ने 10 प्रतिशत छूट के मुकाबले में 25 से लेकर 40 प्रतिशत तक कमीशन के रूप में मूल्य में छूट प्राप्त कर 1 लाख 89 हजार 200 रुपये का लाभ ग्रर्जित किया है।

यह तो एक उदाहरण मैंने ग्रापके समक्ष रखा है। यह तो एक ही विभाग ने खरीदी हैं 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत की छूट पर, डिस्काउन्ट पर उसने घोषणा की है लेकिन मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे विभागों ने

(श्री कैलाश मेघवाल)

क्या किया। यह इसलिए इम्पार्टेन्ट है क्योंकि उसमें भी लाखों रुपये की गड़बड़ी हुई है वह गड़बड़ क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, वह यह है कि मुझे चार पुस्तकें उपलब्ध हो सकीं। आपके द्वारा दो पुस्तकें मैं सदन पटल पर रखना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन दो पुस्तकों के बदले हुए नाम हैं। यह पंचायत विभाग ने ली हैं। पुस्तक का नाम है "बसता है गांव भारत में" यह पंचायत विभाग ने खरीदी है रसीदें मौजूद हैं। दूसरी किताब है "बच्चों के बापू" पब्लिशर दोनों का एक ही है, यानि प्रकाशक दोनों का एक ही है। एक 1981 में छपी, इसके पेज 48 हैं, उपाध्यक्ष महोदय, "बच्चों के बापू" पुस्तक सन् 81 में छपी है पेज 48 है, वह भी 1981 में प्रकाशित हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जल्दी समाप्त करें। तीन चार माननीय सदस्य इसी मसले पर और बोलने वाले है।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इतने गम्भीर मसले मैंने उठाये हैं उसमें भी समय की पाबन्दी। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह आवाज उठायी है अगर कोई भी इर्रेलेवेन्ट बात मैं कहूं तो मुझे पाबन्द करें। मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। मेरे पास बहुत सामग्री है लेकिन एक भी इर्रेलेवेन्ट बात एक भी पाइन्ट आवे तो आप मुझे चैक कर सकते हैं लेकिन आप मुझे अपनी बात पूरी कहने दें। मुझे पूरी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिये। आखिर यह मसला करोड़ों में जा रहा है। अगर कोई सही नीति निर्धारित नहीं होगी तो यह घपला चलता रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरों को भी मौका मिलना चाहिये, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : मौका मिलेगा।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रोविजन अपने रूल्स आफ प्रोसिजर में हैं आधे घण्टे की चर्चा का, आधे घण्टे में चर्चा समाप्त हो जानी चाहिये। माननीय सदस्य बोलेंगे उनके बाद दूसरे माननीय सदस्य बोलेंगे, और वह कुछ मुद्दे उठायेंगे उसके बाद मुझे तो जवाब देने का अवसर मिलेगा। उसी हिसाब से आप टाइम देख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समाप्त कर लें।

श्री कैलाश मेघवाल : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर सी. पी. जोशी बोलने वाले थे वह हैं नहीं। आप कहें तो दूसरे सदस्यों से मैं निवेदन कर दूं कि वह नहीं बोलें और मैं बोलूं, मुझे खेद है कि जहां शिक्षा मन्त्री जी को यह प्रस्ताव करना चाहिये था कि सारे तथ्य उनके सामने आयें वहां वह चाहते हैं कि उसमें जो गड़बड़ घोटाले चल रहे हैं उन्हें चलने दिया जाय। वह तो समाप्त होने चाहिये इसलिए आप, उपाध्यक्ष महोदय, समय की सीमा ऐसे इम्पार्टेन्ट मामले में न लगावें।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य, आप गलत समझ रहे हैं। अगर ऐसी ही

(श्री चन्दनमल वैद)

आपको बोलने की तड़प थी तो आप शिक्षा विभाग की जब मांग थीं उस वक्त बोलते तो मैं आपको बहुत गौर से, शान्ति से सुनता जो नियम हैं उनको भंग करने का अधिकार न आपको है और न मुझे।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, नियमों की पालना इतनी कड़ाई से नहीं होती है जिस तरह आप कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप माननीय सदस्य, बहुत जल्दी समाप्त करें।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जल्दी नहीं मैं सारे तथ्य आपके सामने रखूंगा और इसलिए रखूंगा कि बहुत बड़ा घपला है। आप मुझे समय दें।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे और भी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका देना है। उसके अलावा आधे घण्टे में जवाब भी होना है।

श्री कैलाश मेघवाल : तो मैं यह निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, दो पुस्तकें एक प्रकाशक की, कापी राइट भी एक ही का है। उसमें एक की कीमत पांच रुपये रखी है और एक पुस्तक की कीमत तीन रुपये रखी है वही पेज, नम्बर, वही पब्लिकेशन, वही साल, यह पुस्तकें विभाग ने खरीदी हैं, पंचायत राज विभाग ने खरीदी हैं एक पुस्तक का नाम है। "शैशव महान्" यह खरीदी है। आप इस पुस्तक को अगर पढ़ कर देखें तो आप इस पुस्तक को एक रुपये में भी खरीदने को तैयार नहीं होंगे। अगर आप उसको एक रुपये में भी खरीद लें तो मैं अपनी बात वापस लेने को तैयार हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात आप देख लें, कैसा कागज है कितनी अशुद्धियां हैं। अपना पंचायत विभाग राजस्थान का है वह सटासट खरीद रहा है। उसकी कीमत पांच रुपये रखी है। मैं समझता हूं कि इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य मार्केट में इस पुस्तक को एक रुपये में खरीद कर ले आये तो मैं अपने शब्द वापस लेने को तैयार हूं। यह पुस्तक कहते हैं कि पांच रुपये की है। 40 प्रतिशत डिस्काउन्ट से इसकी कीमत तीन रुपये पचास पैसे हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने भाषण को कन्डेन्स करें।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह तथ्य हैं जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। एक पुस्तक और है "चित्तौड़ का चन्देला" क्या है इसमें, किसी को मालूम नहीं। इसमें इतिहास के कुछ तथ्य हैं पद्मिनी के बारे में दिये हैं। मैंने कल देवगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या से पूछा कि इसके बारे में आप क्या कहती हैं ? वह बोलीं, पता नहीं क्या है। पता नहीं क्या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यह बच्चों के लिए खरीदी गई है कोई तथ्य नहीं हैं, सारे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर हल्के फुल्के तरीके से रखा है। इसकी कीमत पांच रुपये थी किन्तु इसको आप खरीदना पसन्द नहीं करेंगे। यह 3–50 रुपये में खरीदी गयी है। मैं इन पुस्तकों को सदन की मेज पर रखता हूं। फिर से आपको नोट करा दूं, यह आप नोट कर लें। इन पुस्तकों के ऊपर पेज फटे हुए है एक आत्माराम एण्ड

(श्री कैलाश मेघवाल)

सन्स ने "टकराहट लहर" प्रकाशित की जिसका नाम बदल करके पांच रुपये की कीमत लगा दी। केवल पेज बदला है, सन् 61 का पब्लिकेशन है एक फार्म की किताब है। यह सावित्री वर्मा की लिखी हुई है। सन् 70 का पब्लिकेशन है। यह पुस्तक भी 1980 में पब्लिश की गई है। इस पर चार रुपये की कीमत डाल दी है। फिर "भारत माता की जय, जय भारत" प्रकाशन दिल्ली का है। पांच रुपये की एक पुस्तक बेची गई पहले यह टैक्स्ट बुक थी फिर टैक्स्ट बुक में से हटा दी गयी तो उसको सामान्य बुक में ले लिया। केवल कीमत का पन्ना बदल कर वह पांच रुपये में बेची जा रही है। फिर यह 'भीलों की लोककथायें।' इसका जो मूल्य है उस पर चिप्पी लगा दी गयी है। इस तरह की किताबें आपने खरीदी हैं। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं और इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है। वह एडवर्टाइजमेंट इसलिए बताना चाहता हूं कि उससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जायगी। एडवर्टाइजमेंट निकाला है कार्यालय उप-निदेशक समाज कल्याणविभाग बीकानेर ने यह आपकेवि भाग का एडवर्टाइजमेंट है। तारीख तो इसमें नहीं दे रखी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डी. ए. वी. पी./6130/80/सी. के. नागर। काफी सारी पुस्तकें खरीद रहे हैं उसमें उन्होंने क्या शर्तें लिखी हैं कि 1 से 99 प्रतियों पर 20 पर्सेन्ट डिस्काउन्ट देना पड़ेगा, 100 से 499 प्रतियों पर 25 प्रतिशत डिस्काउन्ट देना पड़ेगा और 500 व 500 से ऊपर प्रतियों पर 33 प्रतिशत डिस्काउन्ट देना पड़ेगा। यह सब शर्तें अपनी तरफ से हैं। होना यह चाहिए था कि कौन पब्लिशर कितना डिस्काउंन्ट आफ करता है। वही किताबें, वही सब कुछ अगर 100 खरीदें तो इतने में ले लेंगे, 200 खरीदेंगे तो इतने में ले लेंगे और 500 खरीदेंगे तो इतने में ले लेंगे। इसमें लिखा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

ये जानते हैं यह बातें। उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

"पुस्तकें विचारार्थ, प्रेषित करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें—

1. संस्करण वर्ष 1979, 80 एवं 81 के प्रकाशन ही स्वीकार्य होंगे। संस्करण वर्ष मूलतः मुद्रित होना चाहिए। अन्य किसी विधि से अंकित अथवा बिना संस्करण अंकित पुस्तकें स्वीकार नहीं की जावेंगी।

2. पुस्तक पर मूलतः मुद्रित मूल्य ही स्वीकार्य होगा अन्य किसी भी विधि से अंकित मूल्य स्वीकार नहीं होगा।

3. प्रत्येक प्रकाशन की दो-दो प्रतियां निःशुल्क एवं स्वयं के खर्चे पर इस कार्यालय में भेजनी होंगी।

इस तरह यह सारे शब्द लिखे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूं पुस्तक मेले

(108)

(श्री कैलाश मेघवाल)

के हमारे शिक्षा सचिव को। बहुत बढ़िया पुस्तक मेला लगा है, हर साल पुस्तक मेला लगायेंगे। लूट का माध्यम है, सरकारी खजाना फालतू किताबों में पैसा खर्च करके पुस्तकाठयक्ष पेट भर लें, पुस्तक विक्रेता पेट भर लें। वह शिक्षा सचिव कहता है कि हर साल लगायेंगे। आज एक न्यूज पढ़ी है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा चाहते हुए निवेदन करना चाहूंगा, श्री राजेन्द्र शंकर जी भट्ट ने आथर्ज गिल्ड आफ इण्डिया की एक ब्रांच राजस्थान में खोली। मैं श्री राजेन्द्रशंकर जी भट्ट को व्यक्तिश: तो नहीं जानता लेकिन मैंने पुरानी विधान के कुछ रिकार्डस पिछले दिनों यहां पर तैयारी करने के लिए पढ़े हैं। कोई भी विधान सभा का रिकार्ड ऐसा नहीं था जिसमें उनके खिलाफ आरोप लगे नहीं। वह क्या लिखते हैं? राज्य सरकार को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमारी किताबें खरीदे। यह उनका स्टेटमेन्ट है जोआज ही प्रकाशित हुआ है। तो यह मूलत: लूट का नया माध्यम निकाला है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। लूट का माध्यम इसे बनाया जायगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप मुझे अपनी पूरी बात नहीं कहने देना चाहते हैं इसलिए मैं यह तथ्य रखना चाहता हूं कि पुस्तक मेले में खरीदी गयी हैं एक कालेज के लिए किताबें। एक प्रकाशक ने 10 पेर्सेंट पर दी हैं, एक प्रकाशक ने 30 पर्सेन्ट पर दी हैं और एक प्रकाशक ने 15 पर्सेन्ट पर दी हैं यह किताबें। आपको आश्चर्य होगा, मैं बहुत जल्दी जल्दी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक इंगलैण्ड की भी पुस्तक निकलती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नोट तो करें। यह इसलिए कि आखिर यह सरकारी पैसा हमारा है। बहुत थोड़े में तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आपने 15 मिनट से ज्यादा ले लिये हैं। चार माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। मैं चाहता हूं....

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, श्री जीतमल जी जैन और श्री सी पी. जोशी नहीं हैं। केवल एक श्रीमती विद्या पाठक जी हैं वह 5 मिनट बोलेंगी....

श्री उपाध्यक्ष : जवाब भी देना है।

श्री कैलाश मेघवाल : जवाब तो दिला दें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक तथ्य, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं आपकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, मैं भूलता भी जा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : You should have condensed it. You are a learned person.

श्री कैलाश मेघवाल : अच्छा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री चन्दनमल बैद : Condensation is an art, Sir.

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तथ्य नोट कीजिये। मैं निवेदन करता हूं सरकारी दो विभाग,

(श्री कैलाश मेघवाल)

पुस्तक विक्रेता एक ही और गवर्नमेन्ट कालेज बांदीकुई ने खरीदी है 'इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' 25 पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पर। आपके ही बोर्ड आफ सैकण्डरी एजूकेशन अजमेर ने खरीदी है 10 पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पर। वही दुकानदार, वही पुस्तक, वही विक्रेता, वही एडीशन। एक 25 पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पर ले रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री जयकृष्ण शर्मा : खरीदने वाले में अन्तर होगा।

श्री कैलाश मेघवाल : यही कहना चाहता हूं कि यह अन्तर न रहे। इसमें सारा आप का विभाग शामिल है। इसमें संशोधन की आवश्यकता है....

श्री जयकृष्ण शर्मा : इसका खयाल रखिये।

श्री कैलाश मेघवाल : तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनेकानेक तथ्य मैं नोट करके लाया हूं। आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं। मैं इसलिए बड़ा शार्ट करने के बावजूद....

श्री उपाध्यक्ष : नमूने के लिए थोड़ा ही बहुत होना चाहिए।

श्री कैलाश मेघवाल : नमूना यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। अब एक तमाशा देखिये। राजस्थान ने आठ अकादमियां खोली हैं वह अपना प्रकाशन 25 पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पर देती हैं। अपनी राजस्थान अकादमी को देखिये। यह राजस्थान अकादमी की पुस्तक है। इसमें साफ लिखा है कि पुस्तकालय, राजकार्यालय को 25 प्रतिशत कमीशन तथा फ्री सूची की सुविधा देय होगी। वह पुस्तकों की मैंने सूची मांगी है, आपने दी नहीं। अगली बार आयेगी सूची। तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि 25 पर्सेन्ट पर बेचने की घोषणा, वहां 10 पर्सेन्ट और 15 पर्सेन्ट कमीशन पर खरीद करके अण्डरहैंड डीलिंग किया गया है। मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह न्यूज है, यह यू. जी. सी. ने डिस्कस किया था। उन्होंने कहा है, The Chairman UGC was also aware of the problems of purchase of remâinders by Libraries and invited suggestions from the Federation in this matter. यह उनका आथोराइज्ड है। आगे वह क्या लिखते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी आश्चर्य होगा और शायद आपको भी ज्ञान होगा ही, आप बहुत पढ़ते हैं इसलिए। लेकिन मैं पढ़ दूं दूसरों की जानकारी के लिए। वह लिखते हैं....

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह आपके ××× कोशिश कर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, यह इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। उनसे कहिये कि वह ऐसा नहीं करें।

××× अभिव्यक्ति व शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(110)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं ××× आपकी काबलियत की तारीफ कर रहा हूं। आप क्या यह समझते हैं कि उपाध्यक्ष महोदय काबिल नहीं हैं और अध्ययन नहीं करते, इसलिये यह ××× हो गया। यह सही बातें कह रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : यह अंकित नहीं किया गया है इसलिए इस पर dont discus.

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं आप बड़े अध्येता, राजस्थान हाइकोर्ट के अच्छे वकीलों में से रहे हैं। ऐसी मुझे जानकारी मिली है। इसीलिए कांग्रेस (आई) के विधायकों ने और दल ने आपको उपाध्यक्ष पद पर ठीक ढंग से आसीन किया है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, अब इसको क्या कहा जाय, आप ही बताइये। आप ही कोई शब्द बता दीजिए जिसका मैं उपयोग करूं।

श्री कैलाश मेघवाल : यह राजनीति के कारण है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे खयाल से आपने काफी कह दिया है। बहुत हो गया। आप विराजमान हों।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक दो रेफरेन्स और दूंगा। मैं दो रेफरेन्स देकर छोड़ रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट और देता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : दो मिनट। एक रेफरेन्स देता हूं मेरिन्डर्स के लिए क्या लिखते हैं : No other country in the world would tolerate this dituation even for a second when valuable foreign exchange in crores of rupees is going down the drain against massive imports of salacious and sexy reading materials, each title sometimes in thousands of copies and out of date and obsolete books. India has become the dumping ground for Remainders, and shiploads of Remainders have been dumpted into....

यह लिखा हैं हिन्दुस्तान के लिए। आगे लिखते हैं जो मैंने कहा स्पेसिफिकली : India has become the dumping ground for REMAINDERS and shiploads of Remainders have been dumped in to our country. Remainders, so you kuow are outdated and unsaleable books wh ch foreign publishers have either to pulp or to dispose of at throw away prices........

फारेन की किताब आती हैं वह खरीद लेते हैं हमारे यहां पर। इसमें वास्तव में

××× अभिव्यक्ति व शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार 'अपलोपित किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

अण्डरहैंड डील है। यह मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि यह 7 करोड़ से आज 18 करोड़ आ गया। यह इसीमें लिखा है

"but certainly we do not belieue in free of all sorts of imported books, and more specifically 'Remainders' at the cost of national interests. The Country" bill for imported books has gone up from Rs. 7 crores before the libera lization of import policy to Rs. 18 crores during the current yrar. The simple question is, can we afford it? Can we allow this most unfair competition which is coming in the way of development of Indian publishing? The answer should be plain 'No'

यह मैंने आपके सामने इसलिए रखा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि बहुत अहम् मसला है। और सारा रखने की मुझे इजाजत देते तो इनकी आंखें खुल जातीं कि इनके पुस्तकालय के लोग क्या कर रहे हैं। क्या हुआ? आखिरी उदाहरण देता हूं। अरे, आप यहां की सदारत कर रहे हैं......

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल जैन, श्री सी. पी. जोशी, श्रीमती विद्या पाठक। अब आप बैठिये।

श्री कैलाश मेघवाल : एक सेन्टेन्स। आप यहां की सदारत कर रहे है।

पुस्तकालय की यहां पर भी 10 पर्सेन्ट कमीशन पर किताबें खरीदी जाती हैं, आज 25 पर्सेन्ट पर खरीदी जा रही हैं। जब से सवाल उठा है जब से पब्लिशर ने परश्यू किया है। यह आपको लाइब्रेरी है, सार्वजनिक पुस्तकालय जयपुर का जो रामनिवास बाग के सामने है। गये साल 40 पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पर सारी किताबें खरीदी थीं और इस साल केवल 15 पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पर सारी किताबें खरीदी हैं। वही जनरल बुक्स हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बेईमानी, यह जो भ्रष्टाचार चल रहा है माननीय शिक्षा मन्त्री जी यह निर्धारण करने के संबंध में, जो हुआ है आपके शासन के समय में हुआ है, सन् 75 के अन्दर जन सम्पर्क निदेशालय ने संगोष्ठी की और उस गोष्ठी की सिफारिश में हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : शायद आपके ध्यान में है, उनका कठोरता से पालन कीजिये भ्रष्ट लोग उसके चक्कर में आकर करोड़ों रुपयों का चूना लगा रहे हैं, अच्छी पुस्तकें नहीं आ पाती हैं, कालेजेज और स्कूल्स में। अच्छी पुस्तकें आयें इसीलिये आपसे निवेदन है इस नीति की घोषणा कीजिये।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

112

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य श्री शर्मा जी ने एक पर्टीनेंट प्रश्न पूछा है कि उस पर्चेज समिति में कौन कौन हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं यह समिति बनाने की प्रथा ही खतम हो गई। कोई प्राचीन समय की सैन्ट्रल पूल की सिफारिश है। किताबों की कोई लिस्ट नहीं बनाई जाती है कि इनमें से खरीदी जायं। लेकिन यों ही डिस्क्रिशनरीली आर्बीट्रेरीली खरीद ली जाती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दस लाख रुपये की राशि जैसा माननीय सदस्य ने कहा, स्वीकृत हुई। यह एक्सट्रा सैंक्शन थी, उस रुटिन सैंक्शन से जो हर वर्ष शिक्षा विभाग किताबों की पर्चेजेज के लिये किया करता है। वह एडीशनल पर्चेजेज के लिये एडीशनल सैंक्शन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेष बात यह है कि विशेष स्वीकृति ऐसे मोके पर की गई है जब कि पुस्तक मेला आर्गेनाइज हुआ। उसके जमने के बाद जब पर्चेज के लिये 10 लाख रुपया राजस्थान सरकार ने स्वीकृत किया और वह स्वीकृत किया प्राइमरी, सैकण्डरी और कालेज एजूकेशन के लिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको इन्स्पेक्टर्स, जो डिस्ट्रिक्ट्स के थे, के डिक्रिशन पर छोड़ दिया गया कि वे किताबें खरीदें और स्कूल्स को भेजें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उल्लेखनीय बात तो यह है कि कई स्कूल्स, जिनको ये किताबें भेज दीं गई थीं, ने इसलिये वे वापस कर दीं कि इससे सस्ती बाजार में मिलती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया इसमें कोई लिस्टका, जो डायरेक्टोरेट से इश्यू हुआ करती थी, इस विषय में ध्यान ही नहीं रखा गया। स्कूल्स ने जो पुस्तकें खरीदीं या उनको भेजी गई उनकी स्कूली शिक्षा से कोई रेलेवेन्सी नहीं है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कवर चेन्ज करे संस्करण के कवर चेंज करे। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगी लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट आरोप जो माननीय सदस्य ने लगाया इसको मैं दोहराना चाहूंगी कि पुस्तकों की इस खरीद में सरकार की तरफ से भयंकर घोटाला, सरकार की मिलीभगत से प्रकाशकों को भयंकर लाभ और सत्ता का दुरुपयोग यह तीनों का काम्बीनेशन हुआ है, उसके स्पेसेफिक दो तीन उदाहरण देना चाहती हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय चाहें तो नोट कर लें सबसे अधिक लाभ दो प्रकाशकों को हुआ। एक मिश्रा पुस्तक कम्पनी अजमेर, दूसरे नम्बर का बाफना पुस्तक कम्पनी, जयपुर। ऐसी फर्मों से किताबें खरीदी गई जिन्होंने इस मेले में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उदाहरण के लिये नाम लेना चाहती हूं, सुशील प्रकाशन ने इस मेले में स्टाल लगाया नहीं, पार्टिसिपेट किया नहीं उसके माध्यम से बहुत सारी किताबें खरीद लीं। 35 हजार रुपये की पुस्तकें सवाईमाधोपुर जिला के शिक्षा अधिकारी ने खरीदीं। श्री राम बिलास जिनका नाम मुझे बताया गया है, बिच्छोद और तोपसी स्कूल्स के लिये किताब खरीदी गई नवयुवक साहित्य प्रकाशन मिश्रा जी के रास्ता से खरीदी गई हैं। इतनी इनडिस्क्रिमिनेट पर्चेजेज हुई हैं उसका जवाबदेही नेचरली इस सदन

(श्रीमती विद्या पाठक)

में सरकार की है। इससे भी भयंकर बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बहुत ही आब्जेक्शनेबल बात है एडमिनिस्ट्रेटिवली भी अगर एजूकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी, जो स्वयं लिखने वाले ही या नियम संकलन करने वाले ही अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन किताबों को पर्चेज करवाने के लिये प्रेशर करते हों। ऐसे कुछ अधिकारियों के नाम उल्लेखनीय हैं यह कहा जा सकता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक पुस्तक जिसका नाम है, असेन्शियल्स आफ राजस्थान एजूकेशनल सर्विसेज रूल्स। इसके अतिरिक्त, माननीय उपाध्यक्ष महोदय इसी सम्बन्ध में हैड मास्टर से सम्बन्धित रूल्स की किताब भी है। उनके आथर संकलन कर्त्ता वही, पब्लिशर भी वही हैं, पब्लिशिंग एजेन्सी का नाम है विजय पब्लिकेशन, जी 788, गांधीनगर, जयपुर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन किताबों के दो रूल्स कम्पायलर्स हैं यह किताब सरकार के रूल्स की किताब है जो सरकार के माध्यम से छपनी चाहिये और फ्री आफ कास्ट इन्स्टीट्यूशन्स, जो कन्सर्न्ड हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिये। मगर उस किताब के लेखक और इसके संकलन कर्त्ता श्री रमेश चन्द्र विजय जो जिला जयपुर के शिक्षा अधिकारी हैं, दूसरा श्री हिम्मत सिंह जो सेक्रेटेरियट में स्वयं एक एम्पलाई है इसका प्रिफेस विभाग के अधिकारियों ने बोर्ड के अधिकारियों ने लिखा है, बिना परमिशन के यह किताबें छपीं छपाने का अधिकार नहीं था। पद का दुरुपयोग करते थे 10 हजार किताबें बिकवाई गयीं पुस्तक मेले में, यह भी सही है कि रुटिन में जो भी इन्स्पेक्टोरेट में टीचर्स आते रहे उनको कहा जाता रहा कि उनको ड्यूटी का सर्टिफिकेट तब देंगे जब 4–6 ये किताबें खरीदें इसके अतिरिक्त यह 10 हजार किताबें पुस्तक मेले के माध्यम से भी बिकी हैं। यह अपने आप में रेम्पेंट जीता जागता करप्शन है। मन्त्री महोदय इसकी जांच स्वयं करवा लें। इसके अतिरिक्त जैसा अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जिन किताबों की न आवश्यकता है न रेलेवेन्सी है जिसका डिस्काउन्ट अन्डर हैण्ड चलता रहा है जिसका लाभ सरकार को, नहीं, बोर्ड को नहीं, व्यक्तिगत लोगों को प्रकाशकों को इन सब को मिलता रहा। यह सरकारी धन का हम लोगों से संकलित टैक्सेज का भयंकर दुरुपयोग है। इसकी जवाबदेही सरकार की इस सदन में है। धन्यवाद।

श्री नाथूसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जैसा कहा इतना बड़ा घोटाला, गबन और सरकारी पद का दुरुपयोग है माननीय सदस्य ने सारे तथ्य रखे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय इस बात के लिये कोई सदन की इन्क्वायरी समिति बनायेंगे या हाई पावर कमेटी बनायेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शिक्षा मन्त्री जी उत्तर देंगे।

114

श्री नाथूसिंह : क्योंकि यह मामला सदन में आया है इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कौन कौन से अधिकारियों ने दुरुपयोग किया है, जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ किया है और····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिना इजाजत खड़े हो गये।

श्री चन्दन मल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है माननीय सदस्य, जो लोक सभा के भी सदस्य रह चुके हैं आज ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं। चूंकि विरोधी दल ने बात उठा दी, सरकार का जवाब अभी आया नहीं उससे पहले विधान सभा की समिति बन जानी चाहिये। घोटाले हो गये, बड़ी अव्यवस्था हो गई, करोड़ों रुपये खा गये, इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है। माननीय सदस्य, एक माननीय सदस्य, जो सांगानेर से आती हैं, और एक माननीय सदस्य, जो अजमेर से आते हैं, दोनों सरकार में मन्त्री रह चुके हैं और जो माननीय सदस्य आज जांच करवाने की बात कह रहे हैं लोक सभा के सदस्य रह चुके हैं। मुझे अफसोस इस बात का होता है कोई नये सदस्य आवें और वह बात कहे तो सोच सकते हैं, कोई अनजाने में कहा होगा, जानकारी नहीं होगी लेकिन ऐसे माननीय सदस्य, जो मन्त्री पद पर रह चुके हैं, ऐसी बात कहें तो मुझे आश्चर्य होता है....

श्री कैलाश मेघवाल : हमने गलत क्या कहा है?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : अभी बता देता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आपसे में बातें न करें। शिक्षा मन्त्री को जवाब देने दीजिये....

(व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : आप मुझे इस तरह धमकी नहीं दे सकते....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको सुनना....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : यह कोई लड़ाई कर रहे हैं क्या....

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमसे खुलवाना चाहते हैं। सब खोलके पटक दूंगा यहां पर....

एक माननीय सदस्य : आपमें हिम्मत क्या है जो खोलेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री कैलाश मेघवाल : प्रद्युम्न सिंह जी, मेरी चुनौती है आपको....

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : यह तरीका है आपका।

श्री चन्दनमल बैद : आप चिल्ला क्यों रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं फिर कहना चाहता हूं कि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें उठाई हैं, वे अधिकांशतः गलत हैं, गलत है। इस तरह जोर-जोर से बोल कर मुझे दबाना चाहते हैं, वे भूल जायें इस बात को। उनकी इस तरह की धोंस मुझ पर नहीं चल सकती है और किसी पर चला सकते हैं....

(व्यवधान)

सुनने की हिम्मत रखिये....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : आपकी निश्चित नीति नहीं बनी थी इसलिये....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

अंकित न किया जाय।

श्री कैलाश मेघवाल : × × ×

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की गरिमा और नियमों को भंग न करें, माननीय सदस्य आसन पैरों पर है और आप बोल रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : I can't leave the floor. मैं निवेदन करना चाहता हूं, I won't leave the floor.

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : आप पर चार्ज नहीं हैं, वास्तविकता सामने आ जाय, इसलिये मैं निवेदन करता हूं....

श्री कैलाश मेघवाल : चार किताबें मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं कि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य की आदत पड़ी हुई है जब भी कोई बात होती है, बहुत जोर से बोलकर दबाने की और गलत बातें सदन में रखने की। मैं उनको यह बताना चाहता हूं यह उनका घर नहीं है कि मर्जी आये तब इस प्रकार की बातें कह दें....

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : हम इस प्रकार के····(व्यवधान)····जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह आपत्तिजनक है। हम अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिये आते हैं····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री कैलाश मेघवाल : आप धमकी देना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है। आप स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : जब तक मैं इस सदन में हूं, आप जो गलत काम करेंगे, मैं उसका विरोध करूंगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री नार्यूसिंह : मैं नम्र निवेदन करता हूं, उपाध्यक्ष मैं महोदय, व्यवस्था चाहता हूं। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा....

(व्यवधान)

हमने प्रश्न पूछा है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। यह हमारा अधिकार है। आप जांच करवायें या नहीं करवायें–आपकी मर्जी की बात है। कोई गलत काम नहीं किया है....।

श्री सूरजपाल सिंह : मन्त्री जी ने जवाब दिया नहीं उसके पहले ही आप जांच का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री नार्यूसिंह : जो तथ्य रखे हैं, उनकी जांच करवायेंगे क्या, यह पूछा है।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न उठाया गया है वह इस बात पर उठाया गया है कि माननीय सदस्य ने सदन में जो अतारांकित प्रश्न दिया था उसके जवाब से माननीय सदस्य असन्तुष्ट थे। अतारांकित प्रश्न है, वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जिससे उनका असन्तोष है। "शिक्षा विभाग द्वारा खरीद की गई पुस्तकों की इस राशि द्वारा किस-किस विभाग ने कौन-कौन सी पुस्तकें खरीदीं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। उपाध्यक्ष महोदय, 15 लाख की पुस्तकें खरीदी, बीस, तीस विभागों ने खरीदी: अगर 20–30 विभागों की खरीद की सूची बनाई जाय तो उसमें काफी टाइम लगेगा इसलिये मैंने कहा यह सम्भव नहीं है। मैंने छिपाया नहीं है या मैं बाद में रख दूंगा, यह भी नहीं कहा है। यह सम्भव नहीं है क्योंकि सरकार का इतना पैसा सूची बनाने में खर्च करें, वह वाजिब नहीं था इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि जो पुस्तकें मेरे से सम्बन्धित नहीं हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें नहीं, माननीय सदस्यगण।

श्री चन्दनमल बैद : जो पुस्तकें मेरे से

(श्री चन्दनमल बैद)

सम्बन्धित नहीं हैं. उनका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं अगर वह नोटिस देते तो जोइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी होने के नाते जानकारी करके दे देता। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पुस्तक मेले के अलावा शिक्षा विभाग में और दूसरे विभागों में जो खरीद की है उनके बारे में चर्चा छेड़ी है। चाहे पुस्तक मेले से सम्बन्धित चाहे शिक्षा विभाग की जितनी बातें कही हैं उनका एक-एक का जवाब दूंगा लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि जो दूसरे विभागों ने पुस्तकें खरीदी हैं उनके सम्बन्ध में अभी जवाब मैं यहां दे सकूं। लेकिन बुक फेयर का सम्बन्ध होने के नाते, शिक्षा मन्त्री हूं इसलिये शिक्षा विभाग ने जो पुस्तकें खरीदी हैं उनका जवाब दूंगा।

अब आपने प्रश्न उठाया, करोड़ों रुपयों की पुस्तकें खरीदी गई, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में जो सारी पुस्तकों की खरीद होती है वह कुल....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : 72 लाख 79 हजार की है और करोड़ों रुपयों पर आ गये। 10 लाख रुपया जो हमने बुक फेयर पर खर्च किया है वह भी इसमें शामिल है, जो 75 हजार मेरे डिस्क्रीशन पर है वह भी शामिल है। मैं कहना चाहता हूं मेरे डिस्क्रीशन से कौनसी पुस्तकें खरीदी हैं, यह भी मैं बताऊंगा, छिपाऊंगा नहीं– सारे के बारे में जवाब दूंगा। 72 लाख 79 हजार किस तरह खर्च होता है। शिक्षा विभाग के कौन-कौन से सीगे में खर्च होते हैं यह भी बताना चाहता हूं–प्राइमरी एजूकेशन, सैकण्डरी एजूकेशन, पब्लिक स्कूल्स, ट्राइबल एरिया एजूकेशन, टीचर्स एजूकेशन, कालेज एजूकेशन, फिजिकल एजूकेशन पर 72 लाख 79 हजार की पुस्तकों की खरीद शिक्षा विभाग की होती है। अब यह कहना कि करोड़ों रुपयों की पुस्तकें खरीद की गई और उसके लिये कोई कमेटी नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कमेटी बनी हुई है–सरकारी भी और गैर सरकारी भी। वह मैंने नहीं बनाई, कांग्रेस (आई) की सरकार ने नहीं बनाई वह जनता पार्टी की सरकार ने बनाई थी। अगर मेरा कसूर कोई है तो वह यह है, उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य जो नान आफिसियल है और जो जनता पार्टी के हैं, उनको मैंने हटाया नहीं। अब सोचेंगे, उनको हटाना है या नहीं जो आदर्श विद्या मन्दिर के श्री खेमचन्द शर्मा सदस्य हैं,

उपाध्यक्ष महोदय, अब बुक फेयर के बारे में मैं थोड़ा अर्ज करना चाहता हूं। बुक फेयर पर 10 लाख खर्च किया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं बड़ी खुशी है पुस्तक मेला यहां लगे। हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने यह कहा है कि ऐसे पुस्तक मेले हर साल लगने चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा हक है कि जयपुर में पुस्तक मेला लगे। जब पहले लगा था, मैं शिक्षा मन्त्री नहीं था उसके बावजूद पुस्तक मेले में दो बार मैं भी गया। मैंने भी पुस्तकें खरीदी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो भीड़ देखी और जो लोगों का

118

(श्री चन्दनमल बैद)

इन्ट्रेस्ट देखा उससे उत्साहित होकर मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं अगर मौका मिला तो पुस्तक मेला हर साल लगायेंगे।

इससे पुस्तकें खरीदने का मौका मिल सका। ठीक है, हो सकता है, कोई अनियमितता हो गयी हो। हो सकता है कोई गलती हो गयी है। इसका मतलब यह नहीं है, एक अच्छे काम को उखाड़ कर फेंक दें। हमारा फक्र है कि पुस्तक मेला यहां लगा। इससे हमने फायदा उठाया। उपाध्यक्ष महोदय, पुस्तक मेले के लिए हमने 10 लाख रुपये की स्वीकृति की। मैं बताना चाहता हूं, वह कहां की। कालेज एजूकेशन के लिए तीन लाख रुपये, प्राइमरी एण्ड सैकण्डरी एजूकेशन में पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए छः लाख रुपये और सैन्ट्रल डाइरेक्टोरेट व दूसरे डिपाटमेन्ट एकेडेमीज के लिए एक लाख रुपये। इस तरह से 10 लाख रुपया मैंने स्वीकृत किया। केवल पुस्तकें पुस्तक मेले में 15 लाख की खरीदीं, यह कहना गलत है कि करोड़ों रुपये की पुस्तक खरीदी गयीं, करोड़ों रुपये कमीशन में खा गये। 15 लाख रुपये, अगर एक मिनट के लिए मान लें, उपाध्यक्ष महोदय, एक भी पुस्तक नहीं खरीदी और 15 लाख रुपये का गबन हो गया तो 15 लाख से ज्यादा के गबन का तो सवाल ही नहीं उठता। चेलेन्ज देते हैं मुझे करोड़ों रुपये का नहीं साबित कर दूं तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा। मैं कहता हूं कि 15 लाख से ज्यादा पुस्तक अगर पुस्तक मेले मे खरीदी गयीं तो आइये इस बात को साबित कीजिए, मेरा चेलेन्ज स्वीकार कीजिए। लेकिन कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। अब पंचायत समिति ने कुछ पुस्तकें खरीदीं, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति में जो पुस्तकें खरीदी गयीं, उसका जवाब शिक्षा मन्त्री से किस बात का मांग रहे हैं, पंचायत मन्त्री से पूछिये। अगर मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मुझे नोटिस इस बात का दीजिए कि पंचायत समिति के बारे में भी मैं प्रश्न पूछूंगा, ताकि भई, मैं तैयार होकर जाऊं। आऊंगा जवाब दूंगा आपको। अब, उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री नाथू सिंह : हम तो चाहते हैं, सारे डिपार्टमेन्ट के बारे में जवाब आप दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी बात सुनिये। भगवान करे, आपकी मन्शा पूरी हो।

उपाध्यक्ष महोदय, पुस्तक खरीदने के बारे में नेशनल बुक ट्रस्ट जो पुस्तक मेला लगाता हूं, हमारे उसके बीच में समझौता हुआ था। उन्होंने कहा कि हम पुस्तक मेला लगायेंगे, हमारा बड़ा खर्च होता है, पब्लिशर्स को दुकानदारों को आना पड़ता है, पुस्तकें सारी ढोकर लानी पड़ती हैं। इस कारण से राजस्थान सरकार कम से कम इस बात का वायदा करे कि 10 लाख रुपये की पुस्तकें खरीदेगी। हमने वायदा किया और 10 लाख रुपये की पुस्तकें खरीदीं। इसलिए हमने 10 लाख का

(श्री चन्दनमल बैद)

विशेष अनुदान हमने शिक्षा विभाग को दिया, शिक्षा विभाग के माध्यम से पुस्तकें खरीदने के लिए। पुस्तक खरीदने के लिये हमने वायदा किया था कि जितनी भी पुस्तकें हमारे डिपार्टमेन्ट खरीदेंगे, 10 पर्सेन्ट कमीशन देंगे, आपका कहना यह है कि कुछ लोगों ने वही पुस्तकें 25, 30, 35 या 15 पर्सेन्ट पर खरीदीं। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, पुस्तक जैसी भारी चीज पब्लिशर यहां ले आता है और पुस्तक यहां नहीं बिके आखिर तो कोई कोशिश करता है, 10–20 पर्सेन्ट पर लेले तो मुझे आने जाने का भाड़ा बच जाय। हो सकता है, सम्भव है, ऐसा हुआ हो। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, बात कहते हैं कि 70–80 पर्सेन्ट पर भी पुस्तकें मिलती हैं। मैं कहता हूं, जिन पुस्तकों का नाम मैं लिख कर देता हूं, जिन पुस्तकों को मैं पढ़ता हूं, वे अगर आप फिक्स प्राइस पर भी मुझे लाकर दे दें तो मैं तैयार हूं। पुस्तक पुस्तक होती है, उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब भी मैं दूंगा। अब आप कहते हैं कि जो अमेरिका में, यूरोप में दूसरी जगह पुस्तकें छपती हैं, वे रिमेन्डर्स रह जाती हैं, वे रद्दी के भाव से बेची जाती हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पुस्तकें किन किनसे खरीदी गयीं? वो रिमेण्डर्स हो सकती हैं या नहीं, जरा इसका भी पता लगा लीजिए आप।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : हम तो चाहते हैं कि चन्दनमल जी मुख्य मन्त्री बनें।

श्री चन्दनमल बैद : आपके चाहने से नहीं बनूंगा, यहां इधर जो बैठे हैं, उनके चाहने से बनूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बयान जारी रहे, मंत्री महोदय।

श्री चन्दनमल बैद : एक मिनट के लिए।

उपाध्यक्ष महोदय, पुस्तकें इन लोगों से खरीदी गयीं, जो शब्द उन्होंने कहे हैं, उन पर कहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, पुस्तके इन लोगों से खरीदी गयीं। अब ये नकली पुस्तकें विलायत से लाने वाले हैं या अमेरिका से लाने वाले हैं यह आप देख लीजिये। एक दुकानदार से नहीं खरीदी गयीं 18 दुकानदारों से खरीदी गयीं—

1. मिश्रा ब्रदर्स, अजमेर
2. साहित्यकार, जयपुर
3. किताबघर, दिल्ली
4. राजस्थान प्रकाशन, जयपुर,
5. कृष्णा ब्रदर्स, अजमेर
6. राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
7. बापना बुक डिपो, जयपुर
8. नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली
9. यूनिक ट्रेडर्स, जयपुर
10. प्रवीण प्रकाशन, दिल्ली
11. विवेक पब्लिशिंग हाउस, जयपुर
12. अनुराग प्रकाशन, अजमेर
13. मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर
14. संघी प्रकाशन, उदयपुर
15. अजमेरा बुक डिपो, जयपुर
16. राज पब्लिकेशन, जयपुर
17. न्यू ट्रेडर पब्लिसिंग हाउस, दिल्ली
18. संजीव प्रकाशन, जयपुर

(श्री चन्दनमल वैद)

मुझे बताइये कि ये राजस्थान में और राजस्थान के बाहर दिल्ली में इन किताबों के प्रकाशन का कार्य कर रहे हैं, ये क्या अमेरिका या यूरोप से रद्दी पुस्तकें मंगाकर बेच रहे हैं। इनसे हमने पुस्तकें खरीदीं। अब ये कहना कि रद्दी पुस्तकें खरीदीं, जो कि 70–80 पर्सेन्ट कमीशन पर मिलती हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी जानता हूं, मुझे भी पुस्तकें पढ़ने का शौक है लेकिन कोई-कोई पुस्तक तो प्रिन्टेड प्राइस पर भी नहीं मिलती और कोई-कोई 20 रुपये की एक रुपये में भी मिलती है। इससे मैं इन्कार नहीं करता हूं लेकिन 15 लाख के अलावा जो पर्चेजेज होती हैं, उसके लिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बता दिया कि कौन सी कमेटी बनी हुई है और उसमें कौन लोग हैं।

बाकी दूसरा सवाल रह जाता है कि मेरे डिस्क्रिशन का मैंने, क्या किया ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे डिस्क्रिशन पर, जब मैंने चार्ज संभाला तो 75 हजार में से 72 हजार 2 सौ रुपये मेरे पास रहे थे। एक ओर मैंने जो अनुदान प्राप्त पुस्तकालय है, राजस्थान के उन्हें सारों में बांट दीं।

श्री कैलाश मेघवाल : आपके डिस्क्रिशन के बारे में कोई एतराज नहीं किया, एक शब्द मैंने नहीं कहा।

श्री चन्दनमल वैद : मैं यह बताना चाहता हूं, माननीय भूतपूर्व मन्त्री महोदय, आपने अपने डिस्क्रिशन का किस तरह से उपयोग किया और अब कांग्रेस पार्टी के मन्त्री किस तरह से उपयोग कर रहे हैं ? ये फर्क है, आपमें और हमारे में जिससे आपको 3 साल में जाना पड़ा और हम तीस साल से यहां मौजूद हैं और फिर मौजूद रहेंगे। डिस्क्रिशन मुझे भी था, 75 हजार रुपये का और मैंने डिस्क्रिशन का उपयोग इस तरह से किया कि राजस्थान के जितने भी पुस्तकालय अनुदान प्राप्त हैं, उनमें अपनी राशि को बांट दिया कि आप उपयोग कीजिए। एक तरफ आप भी थे, आपने डिस्क्रिशन का किस तरह से उपयोग किया है, वह बराबर हम सदन में सुनते रहते हैं—

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही अर्ज करना चाहता हूं कि इस सारी खरीद में किसी तरह का मेरे पास कोई स्पेसिफिक इन्सटांस नहीं आया कि जिससे मैं समझूं कि घोटाला हुआ है। उसके बावजूद मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर सदन में कोई सदस्य चाहे इधर बैठे या उधर बैठे, मेरे सामने कोई स्पेसिफिक केस लायेंगे कि पुस्तक खरीद में किसी भी अधिकारी ने गड़बड़ की है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस पर कठिन से कठिन कार्यवाही की जायेगी। लेकिन अभी तक जो कुछ मेरे सामने आया है, जो कुछ तथ्य माननीय सदस्य ने रखे हैं, जो मैंने जांच की है, उसमें मुझे कोई घोटाला नहीं दिख रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

(121)

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। तथ्य आपने मुझे रखने नहीं दिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित न करें।

अब प्रभारी मन्त्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग विधेयक को पारित किया जाय।

श्री कैलाश मेघवाल : तथ्य तो आपने मुझे रखने नहीं दिये, मैं केवल एक तथ्य रख रहा हूं।

श्रीमती विद्या पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो स्टेटमेन्ट दिया है, उसके बाद में कुछ माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं चाहती हूं आप इजाजत दें तो कृपा होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया डिस्टर्ब न करें। आप अपनी बारी में माननीय उपाध्यक्ष महोदय की इजाजत लेकर बात करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहती हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने बहुत सुन्दर जवाब दिया, बड़ी शालीनता से दिया। ये ठीक हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा होता अगर माननीय मन्त्री महोदय हम लोगों की तरह आफेन्डेड फील नहीं करते, हम कुछ तथ्य उनके विभाग के बारे, में बताना चाहते थे, माननीय मन्त्री महोदय कोई ऐसा एस्पर्शन नहीं था, सिर्फ फैक्ट्स हम प्लेस करना चाहते थे कि इनकी आप जांच करवा लीजिए। अगर कुछ नहीं है तो फिर नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय बहुत ओफेन्डड फील कर हमको, हम सोचते हैं कि हम लोगों को भी इस बात का दुःख तो है। माननीय मन्त्री महोदय का मन तो हम दुखाना नहीं चाहते। पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय, बड़ी स्मार्टली साइड ट्रेक कर गये, सारी बात को—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप क्वेश्चन कर रही थीं, वह करें।

श्रीमती विद्या पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन ही पूछ रही हूं। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मन्त्री जी से तो ये है कि किसी के सिर्फ ड्रामैटिक अंदाज में हाथ हिलाने से, जोर से बात बोलने से तो मंत्री जी फैक्ट्स नहीं बदलते। माननीय मन्त्री महोदय ने एक बात बतायी, एक कमेटी है, जो हमने बनायी थी। माननीय मन्त्री महोदय ने यह बताया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहती हूं, उपाध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन है इस वक्त पुस्तक मेले का। क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस जो पुस्तक मेले से किताबें खरीदीं, ये भी उसी कमेटी द्वारा अप्रूव्ड हैं?

श्री चन्दनमल बैद : जी नहीं।

श्रीमती विद्या पाठक : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो यह दस लाख रुपया एडीशनल टू दी रुटिन बजट टू दी एजूकेशन डिपार्टमेन्ट, जो एडीशनल रुपया दिया गया है, वह भी एट दी निक आफ दी मूमेंट, दस लाख रुपया मन्त्री महोदय ने सब को दिला दिया है और 75 लाख बता दिया है, व हमको कन्फ्यूज कर रहे हैं। यह हमें हर तरह से कन्फ्यूज करने की तरकीब है। हमें भी मालूम है। क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि उस दस लाख रुपये के लिए पर्चेजिंग अथोरिटी किसको बनाया? क्या यह पूल पर्चेज किया। इंस्पेक्टर्स को बांटा या स्कूलों में सब को समान बांटा। जैसा आपने कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा मैं यह बतलाना चाहती हूं....

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक सवाल का जवाब आने दीजिए।

श्रीमती विद्या पाठक : एक क्वेश्चन और लास्ट में....

श्री उपाध्यक्ष : एक सवाल का जवाब देने दीजिए।

श्रीमती विद्या पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने क्वेश्चन पुट अप कर दिया है कि किसको अथोराइज किया आपने पर्चेजिंग के लिए, यह मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बैठ जाइये।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात साफ कर दूं। सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या की मैं इज्जत करता हूं, बड़ी रेस्पेक्ट है मेरे दिल में उनके प्रति। जनता पार्टी की जो सरकार थी मैं किसी मन्त्री से नहीं मिला सिवाय आपके, क्योंकि आपके प्रति मेरे दिल में रेस्पेक्ट थी। और आपकी किसी बात से आफेंडेड फील नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए मैंने भी उनको मौका दिया है सवाल करने का।

श्री चन्दनमल बैद : मैं आफेंडेड फील उन माननीय सदस्य से कर रहा था जो मेरे पर धोंस जमाना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इनके नेता हैं, जो आपके भैरोंसिंह जी शेखावत हैं, उनसे भी मेरी कई बार झड़पें हुई हैं, उनकी भी धोंस में मैं कभी नहीं आया तो आप तो नये हैं, आपकी धोंस में मैं कैसे आ सकता था। इस बात से मुझे थोड़ी सी नाराजगी हुई।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : पहाड़ियाजी की धोंस में तो आ गए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : पहाड़ियाजी तो मेरे दल के हैं, नेता हैं, मुख्य मन्त्री हैं, आऊंगा ही।

(श्री चन्दनमल बैद)

तो एक सवाल आपने पूछा कि सेंट्रल पर्चेज कमेटी बनी हुई है उसके लिए। यह पर्चेजज जो 15 लाख की थी उसके लिए पर्चेज कमेटी नहीं थी। दस लाख रुपया जो मैंने दिया, शिक्षा विभाग ने, उसका ब्रेक अप मैं आपको बता चुका हूं। उनके जो किताबें खरीदने के तरीके हैं उसी तरीके से उन लोगों ने वे किताबें खरीदीं। बाकी जो 72,79,000) रुपयों की किताबें जिस तरीके से खरीद करने का तरीका है उसी तरीके से दस लाख रुपयों की खरीद हुई और 10 लाख रुपया जो हमने दिया वह मैं पहले ही बता चुका हूं। कालेज एजूकेशन को 3 लाख दिए, उसमें से गवर्नमेन्ट कालेज को एक लाख, सत्ताइस कालेज को पांच हजार, एल. बी. एस. कालेज को पांच हजार, वनस्थली कालेज को साढ़े सात हजार, सावित्री कालेज को पांच हजार, कानोड़िया कालेज को पांच हजार, नवलगढ़ कालेज को पांच हजार, विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट, उदयपुर को पांच हजार। तो आप देखिये कि इतने कालेजों को हमने रुपया दिया है उससे अलग-अलग प्रिंसिपल और उनकी एडवाइजरी कमेटी होती होंगी, सलाहकार समितियां, उनके माध्यम से खरीद की गई होगी। उसी तरह से प्राइमरी और सेकण्डरी एजूकेशन को हमने पैसा दिया। तो प्राइमरी एण्ड सेकण्डरी एजूकेशन की जो हमारी ओरिजिनल सेंक्शन थी उसकी किताबें खरीदने के जो नियम हैं उसी नियम के तहत किताबें खरीदी गई हैं। इसी तरह से संस्कृत डायरेक्टोरेट और दूसरे लोगों को हमने दिया है। सिंधी अकादमी को हमने कुछ पैसा दिया है। संस्कृत एजूकेशन को दिया और रवीन्द्र मंच को कुछ पैसा दिया है। इसी तरह से स्पोर्ट्स कौंसिल को भी स्पोर्ट्स की किताबें खरीदने के लिए दो हजार रुपयों का अनुदान दिया। उन को किताबें खरीदने का जो तरीका है उसी तरीके से उन्होंने दो हजार की किताबें खरीदी हैं, यह मैं अर्ज करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : केवल एक प्रश्न, केवल पोइंटेड क्वेश्चन।

श्रीमती विद्या पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय फिर साइड ट्रेक कर गए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि इन दस लाख के लिए, बाकी के लिए क्या करते हैं या रुटिन में क्या करते हैं वह एक अलग बात है, पर यह दस लाख आपने जो पुस्तक मेले के समय में ही स्वीकृत किये उसके लिए भी खरीद में क्या वही रुटीन प्रोसीजर फोलो किया गया। पोइन्टेडली मैंने पूछा कि पर्चेजिंग अथोरिटी किस को बनाया? किस किस को अथोराइज किया कालेज और सेकण्डरी प्राइमरी एजूकेशन के लिए?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया आपको कि अलग-अलग संस्थायें हैं उनकी अपनी जो व्यवस्था है खरीदने की, उसके अनुसार ही खरीदी है। अब सवाल समाप्त।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलिवेबल नहीं है।

(124)

(श्रीमती विद्या पाठक)

इसलिए बिलिवेबल नहीं है कि इसकी सरकारी मशीनरी आल आफ ए सडन कैसे इतनी एफिशियेंट हो गई कि इन चन्द दिनों में सब कुछ रुपया नीचे तक परकोलेट कर दिया, यह मन्त्री महोदय देखें।

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर आप परमिशन नहीं देंगे, मुझे लास्ट क्वेश्चन आप पूछ लेने दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं और निवेदन करना चाहती हूं मन्त्री महोदय से कि आपके और किसी संस्था के बीच में आफिशियल समझौता क्या हुआ है वह अलग बात है। मगर इस बात का कृपापूर्वक ध्यान रखें कि अण्डरहैंड समझौते भी होते हैं। उसका ध्यान रखें, हमारी निवेदन सिर्फ इतनी है।

श्री उपाध्यक्ष : This is last. I will not allow.

श्री चन्दनमल बैद : विभागीय स्तर पर जो केन्द्रीय क्रय होता है, विद्यालयों और सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए और विभिन्न संस्थाओं के लिए क्रय होता है वह करते हैं प्रधानाचार्य लेकिन चूंकि कम समय था इस वास्ते माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और प्राइमरी, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट एजूकेशन आफिसर को अधिकृत किया गया था।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ही चर्चा उठाई थी, इसलिए एक सवाल आपके द्वारा खास तौर से दुबारा पूछना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : देखिये, माननीय सदस्यों को मालूम है कि एप्रोप्रियेशन बिल अहम् चीज है, उसको पास करवाना है। आप देखें कि एक घण्टा ही बाकी है।

श्री कैलाश मेघवाल : एक सवाल करने के बाद कुछ नहीं बोलूंगा।

एक माननीय सदस्य : समय बढ़ा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, समय नहीं बढ़ेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : हां समय नहीं बढ़ेगा।

मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : पाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन जानना चाहता है कि क्या एप्रोप्रियेशन बिल नम्बर 2, जो अभी सदन में रखा जाने वाला है, को आज ही पारित करना है ?

श्री उपाध्यक्ष : आज बहस प्रारम्भ करानी है, कल पारित होगा।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने केवल पृष्ठ भूमि रखी आपके सामने। मेरे जोर से बोलने से ऐसा लगा हो कि मैं कोई आरोप लगा रहा हूं, मैंने जिसके ऊपर....

श्री चन्दनमल बैद : जब बांहें ऊंची कर रहे थे तब मुझे ऐसा लगा।....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, Come to your question directly, No other thing.

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, वैसे तो मैंने सामान्य मुद्दे उठाये थे और मेरे पास जो तथ्य हैं उनमें से केवल एक ही तथ्य मैंने रखा था कि ब्रितानिया का इनसाइक्लोपीडिया, जिसकी कीमत पांच से सात हजार के बीच में होती है, के लिए एक से दस पर्सेन्ट तक कमीशन के बारे में कहा है, बाकी दूसरे तो सब तथ्य भरे पड़े हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने रखने नहीं दिये। मैं एक निवेदन और कर दूं, माननीय शिक्षा मंत्री जी नए और पुराने का इसमें सवाल नहीं उठता, यह तो तर्क और बहस का स्थल है इसलिए नए और पुराने की बातें तो थोड़े दिन चलेंगी, यह मैं आपसे निवेदन कर दूं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपको स्टेटमेंट के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, श्री जगन्नाथ महाड़िया।

व्यवस्था का प्रश्न

अस्थिर सरकार द्वारा पूरे वर्ष के आय व्ययक की प्रस्तुति

श्री नाथूसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं।

श्री नाथूसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले बिल रख लेने दीजिए।

श्री नाथूसिंह : मेरा इसी बारे में पाइन्ट आफ आर्डर है। मैं व्यवस्था का प्रश्न रख रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह पहाड़िया जी नाम कहां से बदल लिया आपने?

श्री नाथूसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल जब हाउस में रखा जाता है तो सरकार को हम अधिकार देते हैं कि वह पैसे को खर्च करे। खर्च करने का अधिकार देते हैं। वह पैसा खर्च करने का अधिकार इस नीति के अन्तर्गत देते हैं कि जो बजट बनाते हैं या नीतियां बनती हैं, वे नीतियां सरकार की होती हैं और वे नीतियां सरकार द्वारा बनाई जाती हैं। उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए....

(व्यवधान)

आप सुनिये तो सही....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट पर आ जाइये, भूमिका नहीं।

श्री नाथूसिंह : मैं पाइन्ट पर ही आ रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नीति सम्बन्धी एक स्थिति होती है। नीति माननीय मुख्य मंत्री बनाते हैं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हम आज यदि इस एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस शुरू कर देंगे····

श्री बुलाकीदास कल्ला : प्रश्न पूछ रहे हैं या पाइन्ट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं ?

श्री नाथूसिंह : यह आपकी समझ में नहीं आएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप भूमिका न बांधें।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसको पास करने के लिए सदन में लायेंगे और वह पास हो जाएगा। इसके बाद सरकार को अधिकार मिल जाएगा कि इसको खर्च करे। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस समय राजस्थान में आम जनता, माननीय सदस्यों की जो खास आम धारणा बनी हुई है, एक चर्चा चल रही है कि मुख्य मंत्री आज जायं, कल जायं····

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नाथूसिंह : आप रिजेक्ट करेंगे तो मैं स्वीकार करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये।

श्री नाथूसिंह : आपकी इजाजत से पूर्ण तो कर लूं।

श्री उपाध्यक्ष : इजाजत नहीं मिलेगी आप कोई पाइन्ट आफ आर्डर उठाना नहीं चाहते। आप नियमों का ध्यान रखते हुए बैठ जाइये।

श्री नाथूसिंह : पूरा तो सुनिये। अगर आप व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करेंगे तो मैं नम्रता से आपकी बात स्वीकार करूंगा। लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन लीजिये मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप महीने दो महीने का वोट ऑन अकाउन्ट लेकर खर्चे का अधिकार ले लें और उसके बाद स्थायी सरकार आ जाय, मुख्य मंत्री पक्के रहेंगे या नहीं रहेंगे····

(व्यवधान)

श्री भैरू सिंह गुर्जर : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न है ? आप इनको बोलने का अवसर दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सब डिमाण्ड पर बहस हो चुकी है, अब सवाल उसका नहीं है।

विधेयक पर विचार
राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1981

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इजाजत दी जाती है। आपको इजाजत दी जाती है, आप बोलिये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की राय लीजिये।

श्री हंसराज शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

मंत्री महोदय पहले आपसे यह प्रस्तुत करने के लिये इजाजत मांगेंगे आप इजाजत देंगे। तब तो इजाजत मांगी ही नहीं इन्होंने।

श्रीमती उजला अरोड़ा : विचारार्थ पर वह क्या बोलेंगे। विचार तो सदन करेगा। आप यह तो देखिये आपने उनको गलत परिस्थितियों में डाल दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी नहीं हैं, उनके पिता श्री का स्वर्गवास हुआ, अपनी ओर से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। आज आपत्ति नहीं उठाऊंगा इस बात की कि वह यहां नहीं हैं।

मुझे कुछ ऐसी चर्चाएं करनी हैं जिनको मैं मौलिक मानता हूं। और जिनके सम्बन्ध में शासन में बैठे हुए हमारे मित्र लोग हैं, उनको थोड़ा गहराई से विचार करना है। मैं सर्वप्रथम एक वाक्य जो अभी पुराने प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के आये थे, यू०के० के आये थे यहां पर, उन्होंने एक सभा में एक वाक्य कहा था, उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था,

"Democracy in India is a 'beacon light' to the whole world". This is what the former Prime Minister of U. K. said about the democracy to which we are all committed.

मैंने इसलिये यह कहा कि बहुत आवश्यक था और बजट पर बहस के समय तो और भी अधिक आवश्यक है कि जो मर्यादाएं, जो परम्पराएं, और जो मौलिक सिद्धान्त हैं जनतन्त्र के उनका पालन हो। आखिर बजट किसलिये होता है। यह एप्रोप्रिएशन बिल पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, किसलिये कर रहे हैं? वह इसलिये कर रहे हैं, मैं फिर इंगित करना चाहता हूं कि इसके द्वारा हम किसी निश्चित दिशा की ओर बढ़ें, चलें। और हम कोशिश इस बात की करें, परस्पर वाद विवाद में न पड़कर हम अपने प्रदेश के लिये, अपने देश के लिये क्या करना चाहते हैं आगे। इसकी ओर कुछ इंगित किया जाये, कुछ इशारा दिया जा सके हमारी दिशाओं का। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो भी मुद्दे उठाये गये बजट के ऊपर चर्चा में उनका कोई उत्तर किसी बिन्दु अथवा मुद्दे का...

(म०प० 4·05 बजे)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें। आर्डर प्लीज।

श्री राजबहादुर : जनरल डिस्कशन में, और डिमाण्ड्स में उनका युक्तियुक्त, सुसंगत उत्तर आता तो हमें कुछ रोशनी मिलती, प्रकाश मिलता, कुछ मालूम चलता कि हम किधर जा रहे हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में उन मुद्दों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिन मुद्दों को उठाया गया था और जिनके सम्बन्ध में हमें कुछ प्रकाश नहीं मिला, कोई उत्तर नहीं मिला किसी प्रकार का। मैं केवल अपने द्वारा उठाये गये मुद्दे ही नहीं, बल्कि अन्य सदस्यों के द्वारा भी वह इधर के हों या उधर के जो मैं समझ पाया, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात हमने कही थी, बहुत चिन्ता का विषय है, एक बहुत बड़ी रकम 95 करोड़ का डेफिसिट हमारे बजट में बताया गया, घाटे का बजट बताया गया। यह कहा गया कि ओवर ड्राफ्ट 105 करोड़ रुपये का है। यह उससे मिलकर जो परमिसेबल है 12 करोड़ का तो कुल 117 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट है। इस सब घाटे को कैसे पूरा किया जायगा, इसकी ओर कोई संकेत नहीं मिलता कि किस प्रकार यह पूरा किया जायगा। बड़े मोटे तौर पर बजट भाषण में अवश्य कहा गया था कि शहरी जमीन बेचेंगे, राजस्थान नहर की जमीन बेचेंगे। लेकिन यह नहीं बताया गया कि आखिरकार कितनी आप आशा करते हैं, क्या आप समझते हैं, क्या आमदनी होगी उन से कितना आप ले सकते हैं। राजकीय निगमों से कितनी पूंजी आपको प्राप्त होगी। बल्कि इस सम्बन्ध में बजट में जो निश्चित आंकड़े दिये हैं, और उनमें आपने 79–80 के आंकड़े दिये हैं, 80–81 के भी दिये हैं किन्तु 81–82 के अनुमान के आंकड़े नहीं दिये। खैर इस बात को जाने दीजिये। पूछा गया था, 2025 करोड़ रुपये जो सिक्स्थ प्लान है उसके लिये रिसोर्सेज की व्यवस्था कैसे करेंगे। कोई उत्तर इस सम्बन्ध में भी नहीं दिया गया। कितना टैक्सेशन आपके बंट में आया छठे प्लान में। साढ़े सात हजार करोड़ जो नये टैक्सेज से जुटाना है देश के सिक्स्थ प्लान के लिये उसमें से राजस्थान के नये टैक्सों का कितना भार लेना है, उसको देखने की बात है। हमारे बंट में कितना आया है। इसकी ओर कोई इंगित नहीं है। दो वर्ष तो निकल गये। 1980-81 और 1981-82, शेष तीन वर्ष रहे। मैंने यह प्रश्न पूछा था। फिर यह पूछा था आपने इंगित किया है, पैसेंजर टैक्स के बारे में। पैसेंजर टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। जो हमारे राजकीय उपक्रम हैं, उनकी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। यह कहा था आप विवेकीकरण कर रहे हैं, प्राहिबिशन का, मद्यनिषेध की नीति का इस सम्बन्ध में आपकी नीति क्या है, कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। क्या राजस्थान की जनता, राजस्थान की विधान सभा को इस विषय में अन्धेरे में ही रहना है? इस बारे में विधान सभा को बाईपास न किया जाय, यह मांग की गई थी। जिस प्रकार एक नयी शैली चली है, अभी पिछले साल भी देखा और अबकी बार भी देखा। पैट्रोल की पी०ओ०एल० की प्राइस बढ़ गई, विद्युत की बढ़ गई, कोल की बढ़ गई, रेलवे फेयर्स का बजट सामने आया। रेल के भाड़े, यात्रियों और माल पर बढ़ गये। इन सबके पश्चात् फिर टैक्सेशन आया 269 करोड़ के बजट में टैक्स लगाये गये। यह सारी चीजें हो जाती हैं। और यह सबकी सब एक ही बैंक आफ दी पार्लियामेंट, बैंक आफ दी लेजिस्लेचर हो जाती हैं। ऐसी बात तो

(श्री राजबहादुर)

नहीं होगी। ऐसा कोई कोई आश्वासन मांगा जायगा तो कोई आश्वासन किसी प्रकार का नहीं दिया गया। फिर यह पूछा गया था, जो प्राइस राइस हुआ है, उसका परिणाम, उसका प्रेशर या बर्डर क्या पडने वाला है? मुख्य मंत्री के उत्तर में इस बारे में भी कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है। डी०ए० के बारे में पूछा गया था। आपने एक किश्त दे दी, सितम्बर की। दिसम्बर और फरवरी की ड्यू हो गई। उसके बारे में कुछ संकेत नहीं मिला। और फिर यह दिखलाया गया था कि जहां तक यह रेवेन्यू की बात कही है आपने, उसमें घाटा हुआ है, कमी हुई है। जहां पहले आपने गत वर्ष में 318.5 करोड़ बतायी है, अब 268.5 करोड़ बताई है। सैल्स टैक्स में घाटा बताया गया कि सैल्स टैक्स की मद में घाटा हुआ है। उसके उपरान्त 1.5 करोड़ का ग्रास स्टेट प्राडक्ट कैसे बढ़ गया, यह पूछा गया था। नॉन टैक्स रेवेन्यू कम आई। यह पूछा गया था। माइन्स हैं उनके प्राडक्शन में गिरावट आई, राजस्थान रोडवेज में गिरावट है, जैसा मैंने कहा फायनेन्सियल इंस्टीट्यूशन हैं, जो वित्तीय संस्थान हैं, उनसे 79 में 31 मार्च, 79 तक 332 करोड़ रुपया मिला और 80 में 525 करोड़ मिले, 31-3-81 तक कितना मिलना है, यह गायब है। और कोई संकेत नहीं मिला इसके उत्तर में! इसी प्रकार अल्प बचत योजना के बारे में बात की गई थी, फिर जो राजस्थान के राज्यपाल ने मूलभूत समस्याओं के बारे में कहा था—"विशाल रेगिस्तान, बारंबार पड़ने वाले अकाल" इनके बारे में क्या योजना है? फिर स्पष्ट सवाल किया गया था कि बिजली का उत्पादन कैसे बढ़ाना चाहते हैं? पलाना से 125 मेगावाट बिजली बढ़ाना चाहते थे उसका जिक्र तक नहीं है। इस बजट में एक बहुत हल्के शब्दों में सरसरी तौर से कहा गया है कि इसे आर. एस. ई बी अपनी योजना में दिखलायेगी कि इसमें क्या करना है। लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना तक में नहीं है इसका कोई नाम निशान। तो राज्यपाल ने कहा था उसका क्या हुआ? इन प्रश्नों का भी उत्तर आया नहीं।

हमने गंगा यमुना का-पानी लूणी से मिलाने की बात कही थी। चम्बल नदी से उसको फ्लड करने की बात कही थी उसका कोई जिक्र नहीं है। तो क्या है.........

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट, मैंने गंगा के पानी के बारे में निवेदन किया था भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य अपना भाषण देकर चले गये इसलिये उनको जानकारी नहीं है। मुझे उत्तर देने का अवसर मिलेगा तो मैं फिर जिक्र कर दूंगा।

श्री राजबहादुर : लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो मुख्य मंत्रीजी की अनुपस्थिति के कारण हम लोगों ने तय किया था कि उनको हाउस की अपोजीशन की भावनाओं का आदर करना चाहिये था, इसलिये हम लोग चले गये। उन्होंने उत्तर दिया वह मैंने आद्योपान्त पढ़ा है। शायद 12-14 पेज हैं। उसमें जो-जो बातें उन्होंने कही हैं मैं थोड़ा थोड़ा दोहरा देना चाहता हूं। आप खुद देख लीजिये, क्या यह सदन

(श्री राजबहादुर)

की गरिमा है, मुख्य मंत्री पद की गरिमा के अनुकूल है ? उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो मेरे खयाल से मुख्य मंत्री के पद पर रहते हुए शोभा नहीं देतीं। उन्होंने कहा, मैं उनके ही शब्दों को दोहरा दूं कि "विरोधी पक्ष के लोगों ने अनर्गल आरोप लगाये हैं।" अनर्गल शब्द पर मैं पालियामेंट्री और अनपालियामेंट्री के चक्कर में नहीं जाना चाहता। लेकिन अनर्गल का आरोप लगाया है उसका मतलब है, अनर्गल का मैंने शाब्दिक अर्थ जानने की कोशिश की तो जो हिन्दी शब्द सागर है नागरी प्रचारिणी का, उसमें चार पर्यायवाची दिये गये हैं—बेरोक, बेधड़क, अण्ड-बण्ड और व्यर्थ। उन्होंने अण्ड-बण्ड और व्यर्थ हमारे भाषण को, जो विचार हमने रखे, अगर अण्ड-बण्ड और व्यर्थ थे तो राजस्थान का हित किसमें है ? मुख्य मंत्री जी हमें यहां बताते। जो हमने कहा सो व्यर्थ है तो सार्थक क्या है, यह कुछ कहते ?

(व्यवधान)

बेवकूफी की बात, कहने के योग्य नहीं, व्यर्थ की बात। लेकिन इन बातों को जो मैंने दोहराया अगर इनको आप व्यर्थ कहते हैं तो सार वाली कौन सी हैं, फिर सारवान कौन सी हैं, यह बताते।

व्यवस्था का प्रश्न

विनियोग विधेयक पर विचार की सीमा

श्री परसराम मदेरणा : पाइन्ट आफ आर्डर, माननीय सभापति महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान रूल 154 (4) की ओर दिलाना चाहूंगा—

"The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importanse or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants were under consideration."

मेरा निवेदन करना यह है, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य के बजट पर आम वाद-विवाद के वक्त और जो ग्रान्ट्स पर वाद-विवाद हो रहा था तो कुछ मुद्दे यहां पर उठाये थे। उनका ऐसा मानना है कि उन मुद्दों का उत्तर नहीं आया। नियम 154 (4) में इस बात का उल्लेख नहीं कि जो एक दफा मुद्दे उठाये गये वे मुद्दे दुबारा नहीं उठाये जायेंगे। इसमें यह रूल स्पष्ट नहीं है कि जो मुद्दे उठाये गये थे उनका उत्तर नहीं दिया गया या सरकार द्वारा उनके सम्बन्ध में कोई सरकारी पक्ष को प्रस्तुत नहीं किया गया तो उठाये जा सकते हैं क्या दुबारा ? इस पर रूल साइलेंट है। सभापति महोदया, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो मुद्दे उठाये गये वे दुबारा उठाये जा सकते हैं ? जो उठाये गये उनका संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया बल्कि बिलकुल उत्तर नहीं दिया गया तो क्या दुबारा उठाये जा सकते हैं ? यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजबहादुर : सभापति महोदया,

(श्री राजबहादुर)

माननीय सदस्य, जो भोपालगढ़ से आते हैं, ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया उसके सम्बन्ध में मैं अपनी टिप्पणी रखना चाहता हूं कृपया, अनुमति प्रदान करें। मैं विनती करता हूं कि जिस रूल को पढ़ कर बताया गया वह साइलैंट है। फिर मैं रूल 154 (3) की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा—

"On a motion that the Finance Bill be taken into consideration, a member may discuss matters relating to general administration, local grievances within the sphere of responsibility of Government of Rajasthan or monetary or financial policy of the Government."

अगर वह हमने उठाये भी नहीं तो उठा सकते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में-local grievances within the sphere of responsibility of the Government of Rajasthan, और मानिटरी एण्ड फायनेंशियल पालिसी आफ दी गवर्नमेंट एक बात मैं कहूंगा, जो रूल है, उसके अनुसार कार्यवाही होनी चाहिये।

दूसरा मेरी ग्रिवेन्सेज हो सकती हैं मैंने यह बात कही थी, आपने इसका जवाब नहीं दिया.........

श्री परसराम मदेरणा : आप कौन सा पढ़ रहे हैं?

श्री राजबहादुर : 154 (5) पढ़ रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : 154 (ए) पढ़ रहे होंगे?

श्री राजबहादुर : I am sorry यह पेज बदल गया। फायनेंशियल बिल तो पेश ही नहीं हुआ। यह पाइन्ट आफ आर्डर रेज करना है, फायनेंशियल बिल तो पेश ही नहीं हुआ है। यह तो एप्रोप्रियेशन बिल है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अगर किसी बात का जवाब एक्सपेक्टेड था और नहीं मिला—that would as well be considered as fresh.

इसलिये माननीय सदस्य, आप संक्षिप्त में अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजबहादुर : लेकिन यह तो नम्बर 154(4) में भी है.........

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक 1981

श्री सभापति ; माननीय सदस्य, आप संक्षिप्त में.........

श्री राजबहादुर : मैं विनती यह कर रहा था, जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सम्बन्ध है यह मौलिक है और इसलिये मौलिक है कि इन सब की चर्चा जनरल बजट में हुई, डिमाण्ड्स में हुई और उसके आधार पर एप्रोप्रियेशन बिल आया और उत्तर जो भी आया है उसके आधार पर एप्रोप्रियेशन बिल ठीक नहीं है, वह पास नहीं किया जाय यह हम लोग राय दे सकते

132

(श्री राजबहादुर)

हैं। अगर उनका जवाब नहीं आया तो मैं कह सकता हूं कि एप्रोप्रियेशन बिल पास नहीं किया जाय।

मैं आपसे विनती कर रहा था कि मुख्य मंत्री जी ने बहुत समय लगाया, 14 पेज की स्पीच में चार पेज इस बात पर लगाये तो कम से कम सुन तो लें कि उन्होंने क्या क्या कहा। अनर्गल आरोप लगाये। फिर कहा "मैं बहुत दिनों से जानता था कि मेरे उत्तर के समय में विरोधी पक्ष के लोग सदन में नहीं रहेंगे सच्ची बात बहुत कड़ी होती है।" सच्ची बात कहते हैं उसका भी ब्योरा दूंगा थोड़ा सा। निराधार आरोप लगाना आसान होता है लेकिन उत्तर सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिये। क्या 30 वर्षों में ऐसा हुआ है कि मुख्य मंत्री भाषण देता हो और विरोधी पक्ष के लोग उठ कर चले जायं, मुख्य मंत्रीजी ने यह अध्यक्ष से पूछा है। हम भी पूछना चाहते हैं, क्या ऐसा हुआ है सारी स्टेट असेंबलीज में और पार्लियामेंट में कहीं भी, कि वित्त मंत्री डिबेट से गायब हों, चार दिन से, तीन दिन से गायब हों। मेरे बारे में उन्होंने कहा कि मैं बोला हूं तो मौजूद थे। मुझे खूब मालूम है, मैं बोलना खतम कर रहा था, आखिरी बात कह रहा था तब मुख्य मंत्री जी का पदार्पण यहां हुआ था। कितनी सच्ची बात है इसका फैसला स्वयं मुख्य मंत्रीजी करेंगे फिर इसके बाद लगातार बहस के समय क्या हाजिर थे? और जहां तक एक और बुजुर्ग सदस्य बोल रहे थे तब भी मैं हाजिर था अब यह कितनी सच्ची बात है यह आप लोग जानते हैं और मैं भी जानता हूं। आगे कहते हैं इस बजट को यथा स्थिति वादी, यथावादी बोलते हैं दिशा हीन बताया है, अकाल की समस्या के बारे में कुछ नहीं कहा। ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में न कह कर इतना ही कहना पर्याप्त समझूंगा कि इन पर समय न देकर जो मुख्य बात थी उनका उत्तर नहीं आया। यथास्थिति वादी, दिशाहीन क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, उद्योग पर खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें आदिवासियों और हरिजनों पर खर्च करेंगे लेकिन यह चीज तो बिलकुल रुटिन में है। सभापति महोदया, बिजली पर खर्च नहीं करेंगे तो काहे पर करेंगे? इसलिये दिशा किधर है, नीति क्या है, पालिसी क्या है प्रगति किधर है, घाटा कैसे भरेंगे और राजस्थान के विशाल रेगिस्तान को काबू में कैसे लाओगे? राजस्थान में पानी की समस्या कैसे हल होगी? उद्योगों की मौलिक आवश्यकताओं की समस्या को कैसे हल करेंगे? सवाल यह है इनका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने यह कहा कि विरोधी दल के सदस्य यह बतावें कि यह अकल्याणकारी बजट है। मैं बहुत अदब के साथ कहता हूं कि न अकल्याणकारी बजट है और न कल्याणकारी बजट है। यह ऐसा बजट नहीं है जिससे लगे कि राजस्थान आगे बढ़ रहा है। परन्तु इस बजट से ऐसा लगता है कि यह केयर टेकर गवर्नमेन्ट का बजट है। केयर टेकर गवर्नमेन्ट जैसा यह बजट है। इसमें कोई नई बात नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेन्ट जैसा यह लगता है। फिर उन्होंने एक सार्थक बात कही—इस बजट के द्वारा गरीबी मिटाना, बेकारी मिटाना और धीरे-धीरे अर्थ-व्यवस्था विकसित होती चली जावे, यह हमारा उद्देश्य है। यह उद्देश्य

(श्री राज बहादुर)

बडा अच्छा है किन्तु छिछली नारेबाजो न रह जाये। कोई ठोस तत्व, ठोस बात हो और वह कोई विरोधी दल के सदस्य कहें और उसका कोई उत्तर नहीं आवे तो हम कैसे इस एप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि बजट बिना काम नहीं चल सकता है। मुझे खेद है कि व्यक्तिगत चीजों पर भी मुझे आना पड़ेगा (....व्यवधान...) गति देनी पड़ेगी। आपने कौनसी गति दी है। आप कह सकते हैं, यह यथास्थितिवादी है। केअर टेकर गवर्नमेन्ट का बजट है....

श्री अनंग कुमार जैन : मंत्री महोदय अपने परिवार को गति दे रहे हैं।

श्री राज बहादुर : मैंने शुरू में ही कहा है हमारी हार्दिक संवेदना उनके साथ है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न करें।

श्री राज बहादुर : मुझे कोई दुबारा मौका नहीं मिलेगा। मैंने यह कहा था कि हमारे यहां पर साल्ट है उससे कास्टिक सोडा हम बना सकते हैं। यह इसकी बेसिक इण्डस्ट्री है। हमारे यहां पर मिनरल्स हैं। लाइम स्टोन है। मैंने मथुरा की रिफाइनरी की बात कही थी, पैट्रो केमिकल बेस्ड इण्डस्ट्री की बात कही थी। उसका उत्तर नहीं आया। इस अवसर पर जवाब नहीं आया और जो शब्द कहे हैं मेरे बारे में वह मैं पढ़ना चाहता हूं। वे शब्द आपने पढ़े हैं, मैं पढ़ता हूं–"मुश्किल यह है, उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, बाद में लिया है, 25 साल तक लगातार राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते रहे। उस समय उनको यह नहीं याद आया कि सेन्ट्रल का कोई प्रोजेक्ट राजस्थान में लगना चाहिए।" मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह मेरा ही धर्म नहीं, सबका ही धर्म था। राजबहादुर बहुत ही विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहता है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की यूनिट जो आज अजमेर में है, घड़ियों का जो कारखाना है वह एक टी. एन. सिंह से अनुरोध करके लिया और दूसरा श्री टी. ए. पाई को राजी करके लिया था। इसके अलावा कोटा में पब्लिक सेक्टर का इन्स्ट्रुमेन्टेशन का और है। इसके अलावा टूरिज्म के लिए भी प्रयास किये गये हैं। उन्होंने कहा कि 25 साल तक रहे, परन्तु मैं पूछता हूं कि वह मेरे साथ भी रहे हैं, उन्होंने कितनी कितनी सहायता की? उन्होंने आगे कहा है कि राजस्थान में रिफाइनरी लगना बिल्कुल तय हो गया था परन्तु मैंने जमुना मैया की रज माथे पर लगा ली थी। सभापति महोदया, ऐसा लगता है कि इनकी याददास्त भी नहीं है। जिस समय की यह बात है, यह 1971 की बात है। पहले मथुरा से चुनाव लड़ने की बात हुई थी। यह शायद जनवरी की आखिरी तारीख 28 तारीख के आस पास की बात है। उस समय मैं नेपाल में एम्बेसडर था और तब मैं अपने पद से इस्तीफा देकर आया था। उस समय रिफाइनरी का कोई जिक्र नहीं था। उसके बाद भरतपुर से चुनाव लड़ने का तय हो गया था। रिफाइनरी का मामला तो 1972-73 में आया था और उस समय हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री स्व० बरकतुल्ला खां थे। मैं कह सकता हूं, शपथपूर्वक कह सकता हूं कि हम से जितना प्रयास हो सकता था हमने

(श्री राज बहादुर)

यह प्रयास किया था कि यह रिफाइनरी सवाई माधोपुर में लगे। यह कहने की बात नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया। 25 साल तक उन्होंने क्या किया, यह आपको पूछिये। यह तो उल्टी बात हो गई। मुख्य मंत्री ने मुझसे ड्राई पोर्ट के बारे में पूछा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह केवल भरतपुर का ही सवाल नहीं है इससे सारे राजस्थान को बड़ा भारी लाभ होगा। ड्राई पोर्ट के बारे में मुझसे कहते हैं। जहां तक मुझे याद है, वही मैं कहूंगा। यह मेरे स्पष्टीकरण का सवाल नहीं है। कितनी गलत बात ये कह देते हैं। सिमको वैगन फैक्ट्री जो बंद हुई थी, यह उनका स्टेटमेन्ट है, यह मेरे पास में है, उनका खुद का बयान है। वह मैं पढ़ता हूं। उन्होंने कहा— "बिरला जी ने आपके घर पर," मुझ को सम्बोधित कर के कहा गया है इस सदन में "घर पर बिड़ला आये। मैंने इनको शह दी तब ताला बन्दी हुई।" एकदम सफेद झूठ बोले, झूंठा एकदम झूंठा, आरोप मुझ पर लगाया गया।....

(4.24 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
(अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य ने जो प्रारम्भ में आपत्ति उठायी थी, उसको आप सही कर रहे हैं। जो विषय चर्चित हो चुके हैं उन्हीं विषयों पर आप बोल रहे हैं ....

श्री राज बहादुर : यह विषय चर्चित नहीं हुआ है। मैंने जो प्रश्न उठाये हैं। यह इसलिए रेलेवन्ट हैं और मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करूंगा कि मैंने जो सवाल उठाये हैं, मथुरा रिफाइनरी और उस पर बेस्ड पैट्रोल केमिकल इण्डस्ट्री, उस समय जो सवाल उठाये गये थे, उनका कोई जवाब नहीं दिया गया और....

श्री अध्यक्ष : जिस विषय पर चर्चा हो चुकी है उसके ऊपर आप दुबारा चर्चा कर रहे हैं। इस पर बहस हो चुकी है। दुबारा चर्चा करना नियम विरुद्ध है....

श्री राज बहादुर : मैं अपनी बात कह चुका। दोबारा दोहराने की मेरी चेष्टा नहीं है। अब मैं एक दो मोटी मोटी बातें और कहना चाहूंगा। इन मोटी बातों में एक बात और जोड़ूंगा, जो शायद नहीं है। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। मोटी बात यह है कि बिजली के मामले में, उद्योगों के मामले में, साल्ट इण्डस्ट्री, कास्टिक सोडा के बारे में, वाटर रिसोर्सेज को डवलप करने के मामले में क्या आपने कोई विचार किया है? अब भी क्या कोई कार्यवाही करने का विचार है? क्या एप्रोप्रिएशन बिल की स्टेज पर भी आप कुछ कहने को तैयार हैं? आप इस सम्बन्ध में क्या कहेंगे? अल्टीमेटली हमारा सारा भार इस पर पड़ता है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। मैं भी एक पुराना स्वतन्त्रता सैनिक रहा हूं। केन्द्र में भी मंत्री था। चेयरमैन था स्वतन्त्रता सेनानियों की कमेटी का जो केन्द्र ने नियुक्त की थी। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी ओर ध्यान दीजिये और उनके बारे में, जिन लोगों का यह प्रश्न है, स्वतन्त्रता सेनानियों की कोई कमेटी नहीं बनाई गई है। मेरे पास ये लोग आये थे। मैं भूल न जाऊं, इसलिए मैंने आप से कहा

(श्री राज बहादुर)

है। इनके बारे में कमेटी बनाइये। इनके क्लेम्स को डिसाइड करें, उन पर कार्यवाही करें। उनके बारे में यह न सोचें कि पेंशन दे रहे हैं। यह पेंशन नहीं है। यह उनकी जो देशभक्ति थी, उसके लिए उनका मान है, सम्मान है। एक बार पं० कमलापति जी ने कहा था। यह उनको पेंशन नहीं मिलती है। यह तो मान है, सम्मान है। उसका प्रतीक मात्र है। इस सम्बन्ध में विचार करने की आवश्यकता है। मैं पुनः यह आग्रह करूंगा कि अभी जो जो पाइन्ट्स डिस्कस किये हैं, उनका कोई उत्तर नहीं आया है, उन पर प्रकाश डाला जाये जिससे कि यह डिबेट मीनिंगफुल हो वरना इस डिबेट का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा। यह हम देखें कि जो भी यहां पर कहा जाता है, वह कोई अनर्गल प्रलाप करने जैसा नहीं है। जैसा कि शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसा कहना स्वयं अपने में ही अनर्गल, व्यर्थ आरोप है। क्या यही हमारी स्प्रिट है? हमारी बात को सावधानी से नहीं सुनेंगे तो डेमोक्रेसी की स्प्रिट कैसे जीवित रह सकेगी? कैसे डेमोक्रेसी चलेगी? अध्यक्ष महोदय, इनको अनर्गल बातें न समझ कर सहानुभूति पूर्वक ब्राड विजिन से इन पर विचार किया जाय तो फायदा होगा और आगे हम बढ़ सकेंगे। मैं बहुत आभारी हूं, अध्यक्ष महोदय, आपने ध्यान से मेरी बात सुनी।

श्री अध्यक्ष : श्री सूर्य कुमार।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1981 पर सदन विचार कर रहा है। मैं इस पर अपने विचार पेश करते वक्त कुछ ऐसे मौलिक प्रश्न, नीति सम्बन्धी सदन के समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं, जिन पर इस पूरे समय में सदन में किसी भी सदस्य के माध्यम से विचार प्रगट नहीं किया गया।

हिन्दुस्तान की आजादी के इतिहास का एक पृष्ठ है सन् 1931, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, गांधीजी का उस सम्मेलन में शरीक होना और ब्रिटिश पत्रकार द्वारा गांधीजी से यह पूछना कि आखिर आप यह जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपकी अगुआई में जो देश लड़ रहा है तो आपका मकसद क्या है? आप चाहते क्या हैं? गांधीजी ने कहा कि ग्राम स्वराज्य। ग्राम स्वराज्य क्या? यानि कि आत्म निर्भर परिवार, आत्म निर्भर गांव और आत्म निर्भर देश। यह कैसे होगा? उसने पूछा। गांधीजी ने कहा कि जो करोड़ों लोग हैं हिन्दुस्तान के गरीब, मजदूर, किसान हैं उनको जीने का जो समान अवसर नहीं है, उनको शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर नहीं है, उनको यह सब अवसर देना। अगर ये अवसर देने में कुछ लोगों के हितों की कुर्बानी भी करनी पड़े तो वह भी करें। इस प्रकार से हम ग्राम स्वराज्य का जो सपना देख रहे हैं इसको हम आजादी के बाद में दिलाना चाहते थे। देखना हमें यह है, अध्यक्ष महोदय, गांधीजी का जो सपना था उस सपने के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं या उससे कहीं हम पीछे हटे जा रहे हैं। या उस सपने के आधार पर हम आगे बढ़ने से कतरा रहे हैं। यह

(श्री सूर्य कुमार)

सभी को मालूम है कि ग्राजादी का जो संघर्ष चला उस संघर्ष में सभी वर्गों के सभी प्रकार के लोगों ने जी जान एक करके ग्रपनी कुर्बानी दी ग्रौर पूरा सहयोग दिया। पूंजीपतियों ने भी उसमें पूरा सहयोग दिया ग्रौर ग्रपनी पूरी कुर्बानी दी। ग्रपना जितना ग्रार्थिक सहयोग यह वर्ग दे सकते थे उतना ग्रार्थिक सहयोग दिया।

हिन्दुस्तान ग्राजाद हुग्रा तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कुछ ऐसे लोग जो या तो पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करते थे ग्रौर ग्रगर पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे तो पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करने में वे संलग्न हो गये थे। ग्रध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों ने निश्चित रूप से राजनीति में भी प्रवेश किया ग्रौर संसद में ग्रौर विधान सभाग्रों में उन्होंने प्रवेश किया। जब पूंजीपति वर्गों का ग्रौर पूंजीपति हितों की रक्षा करने वालों का प्रवेश राजनीति में हुग्रा ग्रौर संसद में ग्रौर सरकारों में हुग्रा तो नीति के निर्धारण में भी निश्चित रूप से पूंजीपति वर्ग की छाप पड़ी। इससे एक सीधा दुर्गुण जो हमारे देश में ग्राया वह यह ग्राया कि हमें मजबूर होकर मिश्रित ग्रर्थव्यवस्था की शरण लेनी पड़ी ग्रौर मिश्रित ग्रर्थव्यवस्था के चक्कर में फंस गये। ग्रध्यक्ष महोदय, सन् 1955 में ग्रावड़ी ग्रधिवेशन कांग्रेस का था वहां पर एक मुद्दा उठा। ग्रध्यक्ष महोदय, नेहरू जी ने कहा, समाजवादी समाज की स्थापना हमारा मूल उद्देश्य है लेकिन एक मुद्दा उठा कि समाजवादी समाज नहीं, ग्राखिर फैसला क्या हुग्रा इस ग्रधिवेशन मे, ग्रध्यक्ष महोदय, सोशलिस्टिक पैटर्न ग्राफ सोसायटी को ग्रंगीकार किया। मेरा ग्राशय निवेदन करने का यह है कि जो चर्चा चली जहां बिल्कुल साफ मकसद था ग्राजादी की लड़ाई में वहां पूंजीपति लोगों के हावी होने से, धीरे धीरे हावी होने से, स्लो पाइजनिंग करने से हम समाजवादी समाज की रचना का हमारा उद्देश्य स्थापित नहीं कर पाये ग्रौर हमें संशोधन करना पड़ा। समाजवादी पैटर्न ग्राफ सोसाइटी। इसका सबसे बड़ा शिकार हुई हमारी उद्योग नीति। उद्योग नीति इस प्रकार से शिकार हुई, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राज की तारीख में ग्रगर हम तलाश करना चाहें कि हमारी स्पष्ट उद्योग नीति क्या है तो वह कुछ भी नहीं है, वह गड्ड मड्ड है। यह तो समझ में ग्राता है कि कुछ समन्वय हो, जैसे इन्द्रधनुष में सात रंगों का समन्वय होता है ऐसा कुछ समन्वय हो, एक रंग के बाद में दूसरा रंग, तीसरा रंग, चौथा रंग, इस तरह का कोई समन्वय हो तब तो कुछ ग्राकर्षक लगे। लेकिन सातों ही रंग गड्ड मड्ड हो जायें, एक दूसरे मे मिल जायें तो पता नहीं लगता। ग्रापने कहा कि हम पब्लिक सैक्टर को भी एन्करेज करना चाहते हैं, ग्रापने कहा कि हम प्राइवेट सैक्टर को भी एन्करेज करना चाहते हैं, ग्रापने कहा कि हम लघु उद्योगों को भी प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ग्रापने कहा कि हम कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहित करना चाहते हैं, सभी प्रोत्साहित हों लेकिन ग्रगर ग्रापने सबसे बड़े सैक्टर प्राइवेट सैक्टर को सबसे ज्यादा एन्करेज कर दिया तो दूसरे उद्योग कैसे पनपेंगे? एक ग्रापने बड़ का पेड लगा दिया ग्रौर वह वट वृक्ष कर दिया, ग्राप कहते हैं कि इसके नीचे दूसरे पौधे भी लगा दें तो दूसरे पौधे पनप सकेंगे? ग्रध्यक्ष

(श्री सूर्य कुमार)

महोदय, मेरे ख्याल से बड़ के पेड़ के नीचे दूसरे पौधे नहीं पनपेंगे। हमें निश्चित रूप से हमारी उद्योग नीति में यह निर्धारण करना ही पड़ेगा, यह विभाजन हमें करना ही पड़ेगा कि हम प्राइवेट सेक्टर को कोनसे उद्योग देना चाहते हैं, हम पब्लिक सेक्टर को कौनसे उद्योग देनाचाहते हैं, और वह गुंजाइश हमें छोड़नी पड़ेगी कि हम कुटीर उद्योगों को पनपायें, हम लघु उद्योगों को पनपायें। अगर हम इस नीति का निर्धारण नहीं कर पायेंगे और पूंजीपति वर्ग, पूंजी. पति नीतियों और पूंजीवादी दृष्टिकोण हमारे ऊपर हावी रहेगा तो वैसे तो पूंजी क्या नहीं खरीद लेती, पूंजी सब कुछ खरीदती है, पूंजी कौमार्य खरीद लेती है, पूंजी सतीत्व खरीद लेती है, पूंजी ईमान खरीद लेती है, पूंजी राजनीति खरीद लेती है, पूंजी सब कुछ खरीद लेती है लेकिन अगर पूंजी ने हमारे विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, पूंजी ने अगर हमारी नीतियों को अवरुद्ध कर दिया, नीतियों को सही दिशा में नहीं जाने दिया तो वह गांधीजी के सपने, वह आजादी के इतिहास में मकसद था आजादी की लड़ाई लड़ने में जिन वीरों ने, जिन शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी थी जिन पावन उद्देश्यों के लिए, वे उद्देश्य कहीं बीच में नहीं छूट जायेंगे। जो गरीबी मिटाने का सपना देख रहे हैं वह सपना हमारा अधूरा रह जायेगा।

इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं वह भी एक मौलिक बात है। मौलिक बात यह है अध्यक्ष महोदय, अगर हम स्कूल खोलने की बात करते हैं, अगर हम चिकित्सालय खोलने की बात करते हैं, अगर हम औषधालय खोलने की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल आता है आप गांव के सहयोग से बिल्डिंग दे देंगे, आप क्या इतने लाख रुपये जमा करा देंगे, क्या आप इतने रुपये जमा करा देंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौनसा दृष्टिकोण है? क्या यह पूंजीवादी दृष्टिकोण का परिचायक नहीं है? वे लोग, वे इलाके जो गरीब हैं, वे इलाके जहां मजदूर किसान, छोटे तबके के लोग रहते हैं, हमेशा से पिछड़े हुए हैं, शोषित हैं वे कहां से लायेंगे पूंजी? वे कहां से लायेंगे लाख रुपये? वे कहां से लायेंगे हजारों रुपये? तो विकास कहां जायेगा? विकास वहीं जाएगा जहाँ पूंजीपति रहते हैं, विकास वहीं जाएगा जहां लखपति रहते हैं, विकास वहीं जायेगा जहां करोड़पति रहते हैं और वह गरीब इलाका हमेशा के लिये पिछड़ा गरीब रह जायेगा। मुझे एक शेर याद आता है, अध्यक्ष महोदय—

दौलत और इल्म की जो साजिश,
चल रही है इसके खिलाफ।
वक्त की रुह यह खबर,
उड़ा कर ले आयी है।

तो आज यह वक्त ने हमको चेताया है, वक्त हमको चेता रहा है कि यह ऐसी साजिश है इन्सानियत के खिलाफ, यह साजिश है गरीबी के खिलाफ, यह साजिश है पिछड़े इलाकों के खिलाफ कि दौलत और इल्म दोनों मिल गये हैं। ये नीति निर्धारण करने वाले लोग अफसरशाही के हैं, पूंजीवादी दृष्टिकोण से लोगों के प्रतिनिधि नीति-निर्धारण करने में लग गये हैं। इसलिये

138

(श्री सूर्यकुमार)

एक सीधा सा फार्मूला उन्होंने यह इन्वाल्व कर लिया है कि लाइये, इतने लाख रुपये, लाइये इतने हजार रुपये और खोलिये स्कूल और खुलवाइये औषधालय चिकित्सालय। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, हमें इन मौलिक प्रश्नों के ऊपर विचार करना पड़ेगा और जो हक है उन गरीबों का जो पिछड़े हुए इलाके हैं, गरीब इलाके हैं, उनका हक है कि जो पहले विकसित हैं, उनके मुकाबले में वे आयें। जो हम संतुलित विकास की बात करना चाहते हैं, हम सन्तुलित विकास यहां पर कर पायें, इसके लिये निश्चित रूप से हमें हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : सर्वे गुणा कांचन वासते अन्ते। यही कहती है ना नीति, कांचन में, पूंजी में सब गुण होते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : सस्तवाय:।

श्री सूर्यकुमार : मैं यह बात निवेदन करते हुए दिनकर की दो पंक्तियां निवेदन करता हूं, अध्यक्ष महोदय....

एक माननीय सदस्य : कविता पाठ चालू हो गया।

श्री सूर्यकुमार : गाली नहीं निकालेंगे। कोई बात नहीं है—

सपने जल जाये सावधान
ऐसी कोई बात न हो।
आदर्श दुहाई देता है,
इसके तन पर आघात न हो।।

आज यह आजादी निश्चित रूप से गांधीजी और हजारों लाखों शहीदों की दी हुई है उनके जो सपने, उनके जो आदर्श हैं वे आज फिर दुहाई दे रहे हैं। वे कहते हैं निश्चित रूप से पिछड़े हुए इलाकों पर गरीब लोगों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर अपना ध्यान दो और विकास की जो गंगा है उस विकास की गंगा को उस तरफ मोड़ो।

मैं तीसरी बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और डेमोक्रेसी में रहते हैं लेकिन देखना यह है कि हम प्रजातान्त्रिक आस्थाओं का कितना सम्मान करना चाहते हैं हम प्रजातान्त्रिक आस्थाओं को कितना जीवित रखना चाहते हैं उसका कितना पोषण करना चाहते हैं। हमारे कानून बनाने का जो तरीका है, कानून बनाने के जो दृष्टिकोण हैं उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सहकारिता के कानून का मैं उदाहरण दूं, अध्यक्ष महोदय, सहकारिता के साथ सिद्धान्तों में से एक सिद्धान्त प्रजातंत्र भी है और प्रजातन्त्र केवल चुनाव का नाम नहीं है, अध्यक्ष महोदय। प्रजातन्त्र है जो चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि आयें जिनके हाथ में निर्णय लेने की ताकत जाय, जिनके हाथ में इस निर्णय को क्रियान्वित करने की भी ताकत हो जाये उनको आप अधिकार क्या देते हैं? अधिकार आपने दिया, आपने उनको स्वायत्तता दे दी सहकारी समितियों के कानून के अनुसार। लेकिन देखना यह है कि उस स्वायत्तता को आपने बरकरार कहां तक रखा है, आपने उस स्वायत्तता को एक मैनेजर, एक व्यवस्थापक के हाथ छीन लिया। सहकारी समितियों की जनरल बाडी

(श्री सूर्यकुमार)

की मीटिंग करके सर्व सम्मति से किसी प्रस्ताव को पास कर लें और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार एक ही झटके से, कलम के एक ही झटके से उस प्रस्ताव को अवैधानिक घोषित कर दें, क्या यही प्रजातांत्रिक आस्था को मान्यता प्रदान करना है ? मैं निवेदन करता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक आस्थाओं को मान्यता देने का सबूत नहीं हो सकता, यह उसका प्रमाण नहीं हो सकता, बल्कि एक साजिश हो सकती है। किस प्रकार से हमारे कानून और कानून बनाने वालों के बीच में जो अन्तर है उस अन्तर को हम देख नहीं पा रहे हैं, हमारा व्यक्तिगत ध्यान उन सारी बातों की ओर दे नहीं पा रहे हैं। यही हालत पंचायत कानून की ले लीजिये। यही हालत नगरपालिका कानून की ले लीजिये। जो प्रजातांत्रिक तरीके से निर्वाचित मण्डल होता है, निर्वाचित बोर्ड है, निर्वाचित समितियां हैं, उनके हाथों में जो अधिकार आपने दिये हैं एक हाथ से दूसरे हाथ से आपने उसी कानून से उन अधिकारों को छीन लिया है। यह प्रजातांत्रिक आस्थाओं का सम्मान नहीं है, यह प्रजातन्त्र नहीं है।

मैं इन्हीं मूलभूत बातों की ओर मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का, मन्त्रिमण्डल का आपके मार्फत ध्यान आकर्षित कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये मौलिक प्रश्न हैं, इन मौलिक प्रश्नों को हम अब तक टालते आए हैं, मेहरबानी करके टालें नहीं, समय नहीं गुजारें क्योंकि अराजकता देश के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, अराजकता की इस देश के दरवाजे पर दस्तक को अगर हम नहीं सुन पायेंगे तो निश्चित रूप से हम एक हिंसक क्रांति के शिकार हो जायेंगे। हम सिद्धान्तों को कहीं ठोस तरीके से जमा नहीं पायेंगे, विकास की जो गंगा हम बहाना चाहते हैं उसको बहा नहीं पायेंगे। असंतुलन के हम शिकार हो जायेंगे, संतुलित विकास हम नहीं कर पायेंगे। मैं समझता हूं, मुझे विश्वास है कि मेरे निवेदन पर मन्त्रिमण्डल, यह सरकार, यह कार्यपालिका, ट्रेजरी बेंचेज के सदस्य और पूरा यह सदन ध्यान देगा। इसी आशा के साथ—

रुकेगा न आलम तरक्की किये बिना
सब्र करो, आता है अच्छा जमाना

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी बात पर मैं भी एक बात कहती हूं....

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं पुकारा मैंने।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपकी अनुमति से कह रही हूं।

श्री अध्यक्ष : अनुमति नहीं दे रहा हूं मैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो उस सम्बन्ध में कहना चाहती हूं...

श्री अध्यक्ष : किस सम्बन्ध में ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : उन्होंने जो कही, उसके सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : उसके लिये बाद में अवसर दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

"या रब वो न समझे हैं,
ना समझेंगे मेरी बात,
(यों तो मेरी है)
दे उनको दिल और तो,
दे तुझको जुबा और।

श्री अध्यक्ष : तेरी और तुझको, यों इशारा करके नहीं कहना चाहिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, बात उन्होंने कही थी इसलिये इशारा उधर किया आपकी ओर तो इशारा नहीं कर सकती थी, इसलिये उधर किया।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हीरालाल आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री कमलेन्द्रसिंह

श्री कमलेन्द्रसिंह (वल्लभनगर) : : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1614 करोड़ का जो एप्रोप्रिएशन सदन से मांगा है उसके बारे में मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि यह एप्रोप्रिएशन अलाउ करें उससे पहले सरकार की क्या रीति-नीति रही है, ८0 में जो नीति निर्धारण किया था, उसकी कसौटी पर कितना खरे उतरे हैं उसकी जांच करनी चाहिये। कल्याणकारी स्टेट में, वेलफेयर स्टेट में चार ऐसे मुद्दे हैं, स्तम्भ हैं जिनके ऊपर यह सोचना पड़ेगा कि सरकार कितना काम कर सकी है। सर्वप्रथम तो प्रति व्यक्ति आय, मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी इन तीनों स्तम्भों पर सदन को जांच करनी है कि सरकार कितनी अग्रसर हुई है। अगस्त, 1980 में जो बजट भाषण दिया था वित्त मंत्री ने उसमें कहा था कि प्रति व्यक्ति औसत आय बढ़ाने की नीति अपनाई जायेगी ताकि प्रति व्यक्ति आय बढ़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा 80–81 में 495 रु. की आंकी गई, 78-79 की साल में जिस समय जनता पार्टी की सरकार आई उस समय यह 551 रु. बनी थी। यह 96 रु. का घाटा हुआ, यह किसलिए हुआ, यह भी मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा।

आपने यह देखा होगा कि हर साल जितना भी विनियोजन हो रहा है जितना भी एप्रोप्रिएशन हो रहा है, वह करोड़ों रुपयों से बढ़ता जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार खर्चा बढ़ाती है और दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति आय कम होती जा रही है। यह अवसर इसलिए आया कि जितना सरकार खर्चा करती है, वह खर्चा जो है वह कोई उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं है, या गरीब जनता को पैसा पहुंचता नहीं है, जितना भी खर्च होता है उसका अधिकांश भाग सुविधा-भोगी वर्ग को मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दो आंकड़े मैं पेश करना चाहूंगा कि रिवाइज्ड एस्टीमेट के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य में जो 153 लाख की वृद्धि की गई है, चिकित्सा में जो 48 लाख की वृद्धि की गई है, शिक्षा में 559 लाख रु. की वृद्धि की गई है, इनका उपयोग किस जगह हुआ, वह मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा।

(श्री कमलेन्द्रसिंह)

लोक स्वास्थ्य में अलाउन्सेज, इमोल्यूमेन्टस के लिए 153 लाख रुपये में से 61 लाख रु का प्रावधान और किया गया। यात्रा और टी. ए. डी. ए. बनता है उसमें 14 लाख बढ़ाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा में जो 48 लाख बढ़ाये गये उसमें से 39 लाख रुपये केवल सरकारी नौकरों के इमोल्यूमेन्ट्स के लिए बढ़ाये गये हैं। यात्रा व्यय और टी. ए. डी ए. में चार लाख रुपये बढ़ाये गये। शिक्षा में, माननीय अध्यक्ष महोदय, 559 लाख रुपये में से 339 लाख रुपये इमोल्यूमेन्ट्स में खर्च हुए और 44 लाख रुपये टी. ए. डी. ए. के खर्च हुए। यह इसलिए खर्च हुए कि हजारों की तादाद में ट्रान्सफर्स हुए, 44 लाख की वृद्धि करनी पड़ी सरकार को रिवाइज्ड एस्टीमेट करने में, 32 लाख रुपये जो है मेडिकल व्यय के, मेडिकल बिल्स जो सरकारी कर्मचारियों के बनते हैं, इनमें वृद्धि की गई। मेरा कहने का मतलब यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, रिवाइज्ड एस्टीमेट में जितना भी पैसा बढ़ा है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ सुविधा भोगी वर्ग, जिनके पास आलरेडी सुविधा है, को मिलता है। गरीब जनता को किसी भी तरह का उससे फायदा नहीं मिलता, गरीब जनता तक जो रिवाइज्ड एस्टीमेट्स हैं, जो एप्रोप्रिएशन बढ़ता जा रहा है हर साल, उसका भाग नहीं पहुंचा बीच में से ही जिनके पास आलरेडी सुविधायें हैं उनको और सुविधायें बढ़ाई जा रही हैं और गरीब जनता की मदद के लिए, क जोर वर्ग के लियेकोई प्रोवीजन नहीं है। प्रति व्यक्ति औसत आय के आंकड़े जो हैं, वे बढ़ते तभी हैं जब गरीब जनता के पास में पैसा पहुंच सके। गरीब जनता के लिये यह पैसा खर्च हो तो देश का उत्पादन बढ़ाया जाकर प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकती है। माननीय अध्यक्ष, जैसा सरकार का रवैया रहा है कि फिजूल खर्च में, नौकरों के इमोल्यूमेन्ट्स में पैसा खर्च करती आई है उससे प्रति व्यक्ति आय में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में यह कहा गया था, मैं कोट कर रहा हूं, 'मूल्य वृद्धि तो 79 में विशेष चिन्ता का विषय रही है। इस प्रकार की अर्थनीति अपनाई जायगी जिससे मूल्यों में स्थिरता लायी जायगी।" माननीय अध्यक्ष महोदय, थोक भावों का सूचकांक जनवरी 979 में 449.3 का था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से राजस्थान की अर्थव्यवस्था इस सरकार ने हाथ में ली है जनवरी, 81 में थोक मूल्यों का सूचकांक 600.9 पर पहुंचा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 150 पाइन्ट की वृद्धि अपने आप में एक कीर्तिमान है। जब से सरकार ने सत्ता सम्भाली है, आज से एक साल पहले, मूल्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि के लिये नियन्त्रण सरकार ने अभी तक नहीं किया। जब भी यह प्रश्न आया तो यह कहा गया है कि गेहूं पर कन्ट्रोल नहीं, शक्कर पर कण्ट्रोल नहीं, इस पर कन्ट्रोल नहीं। मूल्यों को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि आवश्यक वस्तुओं को सरकार पूरी मात्रा में उपलब्ध करावे तब जाकर मूल्य रुक सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पाइन्ट पर यह सरकार बिल्कुल असफल रही है। दूसरा यह कि कालाबाजारी रोकने

(श्री कमलेन्द्रसिंह)

के लिए इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की । मैं तो यहाँ तक कहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कालाबाजारी इस सरकार के लिए आक्सीजन का काम करती है। इसके बिना एक भी दिन जिंदा नहीं रह सकती । जिस दिन कालाबाजारी नहीं होगी, उस दिन सरकार टिक नहीं सकेगी ।

बेरोजगारी के बारे में यह कहा गया था कि आर्थिक नीति में एक नया मोड़ दिया जायगा व बेरोजगारी को कम करने के कदम उठाये जायेंगे । पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या में 1980 में 27 हजार की वृद्धि हुई है, दूसरी ओर नौकरियों की संख्या में 1979 की तुलना में सन् 1980 में 4300 नौकरियां कम दी गई हैं । व्हिकल्स जितने नोटीफाइड है 1979 की तुलना में 1980 में उनमें 3300 की कमी आई है। एक तरफ तो बेरोजगारो की संख्या हजारों में बढ़ रही है दूसरी तरफ नोटीफाइड व्हिकल्स और प्लेसमेन्ट्स नौकरियां दिलाने के लिए हजारों में कमी पाई जा रही है। ऐसी स्थिति में बेरोजगार इस सरकार से क्या आशा कर सकते हैं ? जब तक विनियोजन जो सरकार कर रही है, उत्पादन में लगाया नहीं जायगा, उत्पादन तैयार नहीं होगा तब तक बेरोजगारी कम नहीं हो सकती ।

फूड फार वर्क के अन्तर्गत दो साल में 5 करोड़ मैनडेज का रोजगार उपलब्ध कराया था, आज एक साल में रोजगार वृद्धि करने के लिए सरकार ने कोई कदम नही उठाया है। न इनके पास उपाय है, न इनके पास रूपरेखा है, न योजना अंकित की है बजट में भी और राज्यपाल के अभिभाषण में भी।

कुल मिला कर सरकार के प्रयासों की स्थिति ऐसी है कि बेरोजगारों के बारे में बिल्कुल असफलता इसको मिली है ।

चौथी चीज मैं खासतौर से निवेदन करना चाहता हूं । मुख्य मंत्री महोदय हर समय अनुसूचित जन जाति के उत्थान के लिए, अनुसूचित जाति के लिए चिंता व्यक्त करते हैं । वास्तविक स्थिति यह है कि जनजाति के लिए 1980-81 में प्रावधान रखा गया था 266 लाख रुपये का। 1981-82 में जो बजट आया है उसमें रखा गया है 283 लाख । इसकी तुलना में 1979-80 में जनजाति के उत्थान के लिए 304 लाख रुपये जनता पार्टी की सरकार ने रखा था । यह 21 लाख की कटौती जनजाति के उत्थान में की है । दूसरी ओर अनुसूचित जाति के लिए जो बार बार चिंता व्यक्त की जाती है अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए 1980-81 में 275 लाख का प्रावधान था, 1981-82 में माग की गई है 296 लाख । इसकी तुलना में 1979-80 में 317 लाख रुपये का प्रावधान जनता पार्टी सरकार ने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए रखा था । यह 21 लाख की कमी हुई है। इससे स्पष्ट है कि मुख्य मन्त्री जी जो अनुसूचित जाति के लिए चिंता व्यक्त करते हैं वह केवल औपचारिक चिंता है। किन्तु वित्त मन्त्री के हिसाब से मुख्य मन्त्री ने जनजाति के लिए कोई अभिव्यक्ति नहीं की है । इन चारों स्तम्भों को साथ में लेकर सरकार की सफलता को, सरकार की अर्थ नीति का आंका जाय तो स्पष्ट रूप से आपके सामने आयगा कि सफलता का कोई चिन्ह नहीं दीखता ।

(श्री कमलेन्द्रसिंह)

आप मांगों को स्वीकार करें, एप्रोप्रिएशन बिल को पास करें उससे पहले सदन को बड़ी बारीकी से देखना चाहिए कि 1648 करोड़ किस तरह से यह सरकार खर्च करेगी ? मुख्य मन्त्री को एक चीज और मैं याद दिलाना चाहता हूं, पिछले बजट में उन्होंने कहा था कि संजय गांधी की स्मृति में 180 लाख पेड़ लगाये जायेंगे। जो भी कार्यवाही इस सदन में हुई है उसमें कहीं उल्लेख नहीं आया है कि संजय गांधी की स्मृति में पेड़ लगाए गए हैं। वे पेड़ों को भी भूल गए और साथ साथ संजय गांधी को भी भूल गए हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया एक मिनट के लिए स्थान ग्रहण करें।

समिति का प्रतिवेदन
कार्य सलाहकार समिति
का सातवां प्रतिवेदन

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। प्रतिवेदन इस प्रकार है :

'कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 30 मार्च, 1981 को मध्यान्होत्तर 3 बजे हुई।

समिति सिफारिश करती है कि सदन द्वारा यथा अनुमोदित समिति के छठे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों में आंशिक संशोधन करते हुए सदन में दिनांक 2 व 3 अप्रेल, 1981 को विचारार्थ लिये जाने वाले 4 विधेयकों में से शासकीय कार्य के अन्तर्गत क्रमांक 4 पर अंकित राजस्थान शारीर विधेयक, 1981 को सदन में विचारार्थ न लिया जाकर प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय तथा उसके स्थान पर राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन एवं विधि मान्यकरण) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाकर पारण किया जाय।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित 2 विधेयकों को भी विचारार्थ लिया जाकर उनका पारण किया जाय :

1–राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1981।

2–राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1981।

दिनांक 31 मार्च, 1981 को अन्य कार्यों के साथ नियम समिति 1980–81 के प्रथम प्रतिवेदन के सम्बन्ध में दिये गये अंतिम प्रतिवेदन को, जो सदन में दिनांक 28 मार्च, 1981 को उपस्थापित किया गया था, विचारार्थ लेकर अनुमोदित किया जावे।

छठे प्रतिवेदन में अंकित शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

(स्वीकृत)

सहमति प्रदान की गई।

(श्री अध्यक्ष)

कृपया 5–7 मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री कमलेन्द्रसिंह : 15 मिनट बोलूंगा।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि सदन की कार्यवाही का समय 10 मिनट के लिये बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से सदन का समय 5–10 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

उस वक्त स्वत: ही आपका भाषण समाप्त समझा जायगा।

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1981

श्री माधूसिंह : मैं बोलना चाहता था।

श्री अध्यक्ष : वह बोल रहे हैं, बाधा उपस्थित न करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री कमलेन्द्रसिंह : सरकार ने जो कोई भी बयान इस सैशन मे दिया है उससे लगता है कि लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन से, कानून व व्यवस्था से बहुत सन्तुष्ट हैं। इस कारण वे सन्तुष्ट दीखते हैं क्योंकि जो क्राइम ग्राफ उनके सामने रखते हैं उसके आधार पर अपराध कम हुए हैं। अध्यक्षजी, क्राइम ग्राफ को कण्ट्रोल करने के लिए बहुत सरल काम है, हर थाने को इन्सट्रक्शन्स दीजिए कि क्राइम रिकार्ड करना बन्द कर दें या कम कर दो, इससे क्राइम कण्ट्रोल में आ जाता है। क्राइम ग्राफ से जो क्राइम का जो मेनुपुलेशन होता है उससे क्या साधारण नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए निश्चित रह सकता है ? एक दो उदाहरण मैं रखना चाहता हूं, केवल जयपुर शहर के आसपास का और वह भी 1 फरवरी से लगाकर 15 फरवरी तक का। जयपुर में जौहरी बाजार में एक सर्राफ की दुकान पर एक लाख रुपये का डाका पड़ा, अर्बन कोआपरेटिव बैंक को 3 फरवरी को लूटने का प्रयास हुआ। सांगानेर रोड पर 4 फरवरी को 20 हजार का डाका पड़ा, मतलब किसी को रोककर और पिस्तौल बताकर पैसा लूटा गया। शाहपुरा रोड पर एक ट्रक को लूटा गया जो 10 दिन में दूसरी घटना थी। एक दुकान से जयपुर शहर में 40 हजार के जेवर उड़ाये गये और बनीपार्क में 18 हजार की लूट हुई जिसमें एक आदमी घायल हुआ। बनीपार्क में 15 फरवरी को पिस्तौल बताकर दुकानदार से 15 हजार लूटे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करती है ? अध्यक्ष महोदय, हमें पुलिस को पूछना पड़ेगा कि वह क्या कर रही है जब कि जयपुर के आसपास में इतने संगीन अपराध हुए हैं ?

इसके अलावा पुलिस को, माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी कार्य में उपयोग में लिया जाता है। जयपुर में सिविल लाइन्स में सरकार है, मन्त्री विराजमान हैं उनकी

(श्री कमलेन्द्रसिंह)

नाक के नीचे क्या होता है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कानसिंह की जमीन, सिविल लाइन्स में स्थित है उसके स्वामित्व का झगड़ा कई सालों के चल रहा है। तारीख 26 फरवरी को मुंसिफ कोर्ट जयपुर ने अपने फैसले में कानसिंह का कब्जा मान लिया यहां तक कि विरोधी पार्टी को खर्चा देने का भी आदेश दिया। इस जुडिशियल वर्डिक्ट को नाकामयाब करने के लिये मुकदमा हारने वाली पार्टी ने जबरन कब्जा करने की ठान ली। कब्जा कराने में मदद पुलिस के 200 जवानों ने दी क्योंकि मुकदमा हारने वाले वरिष्ठ पुलिस आफिसर के रिश्तेदार थे इसलिये पुलिस 5–3–81 को तैनात हो गयी। 200 जवान यहां पर गश्त लगाते रहे उन्होंने दिवाल को गिराने में मदद की। केस कहीं एण्ट्री नहीं हुआ क्योंकि पजेशन के लिहाज से गलत पड़ता था। कानून के खिलाफ पुलिस के जवानों को जबरन कब्जा करने की कार्यवाही के काम में लाया गया। क्राइम बढ़ता जावे, साधारण नागरिक की सुरक्षा नहीं कर सके उस पुलिस का निजी झगड़ों में दुरुपयोग करा जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे दुरुपयोग से ही पुलिस फोर्स का मोरल गिरता है इसलिये सिपाही की जो प्राइमरी ड्यूटी अपराधों को रोकने की है वह अपना फर्ज नहीं निभा सकता है। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार पुलिस का उपयोग जो निजी काम में जुडिशियल वर्डिक्ट को नाकामयाब करने के लिये किया गया वह कितना न्यायसंगत है।

एक माननीय सदस्य : कौनसा पुलिस अफसर है ?

श्री कमलेन्द्रसिंह : मन्त्री महोदय पता लगा लें।

मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, पुलिस फोर्स में डिसिप्लीन और मोरल जब तक कायम नहीं रहेगा तब तक पुलिस इफेक्टिव नहीं हो सकती है। इसके साथ ही मैं सदन में एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं जिससे पुलिस फोर्स में धान्धली स्पष्ट सामने आती है। आर. ए. सी. प्लाटून कमाण्डर जगमालसिंह के विरुद्ध शिकायत हुई, इन्क्वायरी में तत्कालीन डी. आई. जी. आर. ए. सी. ने जगमालसिंह के पक्ष में बचाव की शहादत दी, डिफेन्स विटनेस के रूप में इन्क्वायरी में पेश हुए। इन्क्वायरी में जगमालसिंह को दोषी पाया गया, रिपोर्ट सरकार के पास गई। उसके बाद में इन डी. आई. जी. आर.ए.सी. का प्रमोशन हो गया, एडीशनल आई.जी. तो नये डी.आई. जी. आर.ए.सी. ने जगमालसिंह के विरुद्ध इन्क्वायरी रिपोर्ट के आधार पर डिसिप्लीनरी एक्शन चालू किया। जगमालसिंह ने तिकड़म लगाकर जिन डी.आई.जी. ने उसके पक्ष में गवाही दी थी और जो अब एडीशनल आई. जी. बन गये थे से अपने को बहाल करवा लिया। एक तो एडीशनल आई.जी.पी. को डिसिप्लीनरी प्रोसीडिंग्स में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था, उन्होंने गैर कानूनी हरकत की। दूसरे जो आदमी अपराधी के पक्ष में डिफेन्स विटनेस की हैसियत में पेश हुआ है वह इस केस में जजमेन्ट दे सकता है यह नेचरल जस्टिस के खिलाफ है। किन्तु ऐसे केस राजस्थान पुलिस में होते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में जहां अफसर खुद गलत काम करते हैं तो बेचारा सिपाही क्या करेगा ? क्या वह

(श्री कमलेन्द्रसिंह)

अपनी जिन्दगी को ज़ोखम में डालकर चोर डाकू को पकड़ने में उत्साह बढ़ायेगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का सिपाही पहले से ज्यादा पढ़ा लिखा है। वह आज से 20 साल पहले वाला अनपढ़ सिपाही नहीं है, अपने अधिकारों के प्रति सजग है, अपने आत्मस्वाभिमान के प्रति जागरूक है। आज से 20 साल पहले जो व्यवहार सिपाही से किया जाता था वह अब नहीं चल सकता है। यही कारण है कि जयपुर में एक सिपाही ने थानेदार पर गोली चला दी। ऐसा ही रवैया रहा तो हो सकता है कि आगे गोली किसी एस.पी. या डी आई.जी. पर भी चल जाय। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय और राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि पुलिस में लोगों में मोरल बनाये रखने के लिये सरकार को डिसिप्लीन बनाये रखने का वातावरण बनाना चाहिये। यह सरकार का काम है। जब तक डिसिप्लीन नहीं होगा तब तक क्राइम ग्राफ आप जो बना रहे हैं उसमें कमी होने पर भी साधारण जनता को किसी प्रकार का लाभ होने वाला नहीं है।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल का सामना सरकार कितनी क्षमता और तत्परता से कर रही है, मैं यह सदन में बताने की चेष्टा करूंगा। राज्य सरकार ने इस भयंकर अकाल की विभीषिका से निपटने के लिये 200 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था और राज्य सरकार ने अकाल से निपटने के लिये केन्द्रीय सरकार से जो अकाल सहायता के लिये रुपये की मांग की थी वह 174 करोड़ रुपये थी। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने सिर्फ 20 करोड़ रुपये ही दिये। अध्यक्ष महोदय, जब सरकार ने बयान दिये थे कि इस स्थिति से निपटने के लिये हमें 200 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और केन्द्रीय सरकार से 174 करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की थी उसके अगेन्स्ट में केन्द्रीय सरकार ने सिर्फ 20 करोड़ रुपया दिया और राज्य सरकार ने अपने पास से जो प्रावधान किया है वह किया है 57 करोड़ रुपये का। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 200 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था उसका 57 करोड़ रुपया सिर्फ 30 प्रतिशत है। तो, अध्यक्ष महोदय, यह अकाल की भयंकर स्थिति से कैसे सामना करेगी। यह स्थिति स्पष्ट रूप से सदन में नहीं आयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 हजार गांव राजस्थान में अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं। अकाल से 68 लाख जनता राजस्थान की पीड़ित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 हजार गांवों में सिर्फ 1404 अकाल राहत काम खोले गए हैं। हिसाब अगर लगाया जाये तो पता लगेगा कि 15 गांवों के पीछे एक अकाल राहत काम खोला गया है। अध्यक्ष महोदय, इतना भयंकर अकाल और उसमें भी 15 गांवों के पीछे एक अकाल राहत कार्य खोला गया तो यह सरकार किस प्रकार अकाल की स्थिति का सामना करेगी, यह बात सदन में स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ से नहीं आयी जो कि आनी चाहिये थी।

इसके साथ ही एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा। 1 लाख 11 हजार मजदूरों को अकाल राहत कार्यों में रोजगार के लिये लगाया गया है। अध्यक्ष महोदय,

(श्री कमलेन्द्रसिंह)

68 लाख जनता अकाल की विभीषिका से पीड़ित है। उसमें से सिर्फ 1 लाख 11 हजार मजदूरों को अकाल राहत कार्य में लगाया गया है। अगर 21 हजार गांव और उसमें 1 लाख 11 हजार मजदूरों का एवरेज निकाला जाय तो यह एवरेज स्पष्ट रूप में सदन के सामने आयेगा कि एक गांव में सिर्फ 6 व्यक्तियों को अकाल राहत कार्य में लगाया गया है। तो बाकी के लोगों का क्या हुआ होगा, अध्यक्ष महोदय? इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल की भयंकर विभीषिका हमारे उदयपुर सम्भाग में है। जहां आदिवासी लोग भूख से पीड़ित हैं वहां पर अकाल के कारण आदिवासी लोगों की हालत बहुत खराब है। वह बेचारे भूखे मर रहे हैं लेकिन उसके लिये राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं किया गया। उदयपुर संभाग में जहां भी थोड़ा बहुत प्रावधान किया गया है वह बहुत ही सूक्ष्म प्रावधान किया गया है। लसाड़िया तहसील की 12 पंचायतों में भयंकर अकाल है। उस क्षेत्र को आज तक अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। आज वहां के आदिवासी लोगों की यह हालत है कि वह अपने गांवों से 30 किलोमीटर दूर जाकर मजदूरी कर रहे हैं। क्योंकि अकाल पीड़ित क्षेत्र उसको घोषित नहीं करने से वहां एक भी काम नहीं चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का केवल एक ही तात्पर्य है कि जो प्रावीजन 57 करोड़ रुपये का इसमें किया गया है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट और दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 31 मार्च, 1981 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गयी।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 5.11 बजे मंगलवार दिनांक 31 मार्च, 1981 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

———

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 561 की सूची)

क्रमांक	वादी प्रतिवादी का नाम	वाद सं.	निर्णय की तिथि	जिलाधीश का कार्यालय को वसूली हेतु भेजने का क्रमांक–दिनांक	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
		कार्यालय प्रादेशिक श्रम आयुक्त, जोधपुर			
1–	हीरालाल बनाम मोहनलाल माली	15/71	27-11-72	–	उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश हो जाने से वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी।
2–	कन्हैयालाल बनाम राठी केमिकल्स, जोधपुर	30/76	17-8-76	7381/29.9.76	फैक्टरी बन्द होने से व जायदाद का विवरण न होने से जिलाधीश ने 'वसूली प्रमाण पत्र लौटा दिया व प्रार्थी ने भी कोई विवरण नहीं दिया जिससे वसूली असंभव है।

	1	2	3	4	5	6
3–	श्रीमती मिश्रा देवी बनाम राठी केमिकल्स	11/76	25-5-78	--9065/21-11-78	जायदाद फैक्टरी बन्द होने से वसूल नहीं हो सकी। प्रार्थीयों ने जायदाद से सबंधित व्यक्तियों का नाम दिया है जिस पर वसूली के लिए कार्यवाही उप जिलाधीश द्वारा की जा रही है।	
4–	श्री गोपाल कृष्ण बनाम श्री कुसम लोढ़ा	11/77	5-11-78	193/3-1-79	उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश हो जाने से वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं।	
5–	श्रीमती सुआदेवी बनाम रणजीत आदि	4/70	23-79	537/12-2-80	जिलाधीश ने उप जिलाधीश को वसूली हेतु लिखा है।	
6–	श्री विजय राज बनाम अजय इन्टर-प्राइज	23/79	26-5-80	5980/11-12-80	जिलाधीश ने वसूली हेतु नायब तहसीदार को लिखा है।	
	कार्यालय प्रावेशिक सहायक श्रम आयुक्त, श्री गंगानगर					
7–	श्री तुलच्छाराम बनाम किशनलाल	डब्लूसी 22/78	1-12-77	6616/2-8-78	जिलाधीश स्तर पर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।	

1	2	3	4	5	6
8– श्रीमती नानकी देवी बनाम सहायक अभियन्ता (भवन एवं पथ) आर. सी. पी. हनुमानगढ़	डब्लू.सी.9/77	23-4-77	10551/11-12-80	इस केस में निर्णय 19,200/– का दिया गया था जिसमें से 14,400/– नियोजक द्वारा जमा करवा दिये गये हैं बाकी 4,800/– की वसूली हेतु जिलाधीश महोदय को लिखा जा चुका है।	
9– चरणजीत सिंह बनाम गुरुनानक टायर्स, श्री गंगानगर	,, 3/80	3-4-80	3690/8-6-80	इस केस में 10,694.20 का निर्णय दिया गया था जिसमें से 10,080/– रु० जमा हो चुके हैं बाकी के लिए वसूली हेतु जिलाधीश महोदय को लिखा जा चुका है।	
10– दोलीराम बनाम दुर्गा जि. प्रेसिंग फैक्टरी, पदमपुरा	,, 8/79	10-12-80	–	इस केस 1920.67 का निर्णय दिया गया था जिसमें से 18000/– जमा करवा दिये गये हैं बाकी ब्याज 1206/– के लिए निदेशक इन्श्योरेन्स कम्पनी को लिखा गया है।	
कार्यालय प्रादेशिक सहायक आयुक्त, अजमेर					
11– भंवरी बाई बनाम श्री निवास महेश्वरी	21/79	21-2-81	–	अप्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई है अत; रिकवरी के लिए पब्लिक डिमान्ड एक्ट के तहत जिलाधीश महोदय को लिखा जा रहा है।	

1	2	3	4	5	6
कार्यालय प्रादेशिक सहायक श्रम आयुक्त, पाली					
12–	5/80	10-5-80	–	जिलाधीश जोधपुर को 2088.40 की राशि वसूल करने की कार्यवाही हेतु लिखा जा चुका है।	
13–	24/80	20-8-80	–	सम्बन्धित पक्ष ने 10,000/– का चैक भेजा था परन्तु मियाद बाहर चैक होने से पुनः भेजा जा रहा है रकम वसूली की कार्यवाही जारी है।	
कार्यालय प्रादेशिक सहायक उप श्रम आयुक्त भरतपुर					
14– अमरसिंह बनाम भगवती प्रसाद ठेकेदार	18/77	26-12-79	5011/18-9-80	जिलाधीश भरतपुर को वसूली के लिए लिख दिया गया है उनके द्वारा कार्यवाही जारी है।	
15– रोशन सिंह बनाम जगनी पुत्र सुखीलाल, नगर	24/77	30-1-80	4017/24-7-80	जिलाधीश को वसूली के लिए लिखा गया था परन्तु उच्च न्यायालय ने अपील विचाराधीन होने के कारण रिट के कारण वसूली नहीं हो पाई है।	
16– श्रीमती सुन्दर बाई बनाम श्री मोतीलाल	21/75	21-2-77	–	तहसीलदार नाथद्वारा के यहां रिकवरी हेतु विचाराधीन है।	

(151)

	1	2	3	4	5	6
17–	श्रीमान् जी बनाम भूमानी एण्ड कं०	10/75	17-10-75	–	तहसीलदार बांसवाड़ा के यहां रिकवरी हेतु विचाराधीन है।	
18–	श्रीमती हीरा बनाम गुलाम हुसैन	50/78	20-10-78	–	जिलाधीश, साबरकांठा (गुजरात) में रिकवरी हेतु विचाराधीन हैं।	
19–	श्री गमाना बनाम श्री सियाराम जोशी	31/76	23-8-78	–	जिलाधीश (वसूली) जयपुर के यहां रिकवरी हेतु विचाराधीन है।	
20–	श्री मोडा बनाम श्री सियाराम जोशी	32/76	23-8-78	–	,, ,, ,, ,, ,, ,,	
21–	श्री कनकी बनाम श्री रामलाल मित्तल	34/76	15-2–76	–	तहसीलदार, गिरवा के यहां रिकवरी विचाराधीन है। अब 4020/– रु. रिकवर होना शेष है।	
22–	श्री बद्रीलाल बनाम श्री रतन लाल वगैरह	8/66	31-8-68	–	तहसीलदार, वल्लभ नगर के यहां विचाराधीन है। रु० 1200/- वसूल होना शेष है।	
			कार्यालय प्रादेशिक संयुक्त श्रम आयुक्त कोटा			
23–	श्रीमती पांची, गोपाल आदि प्रभूदयाल विजय	13/66	1-8-67	5-5-71	जिलाधीश कोटा को वसूली हेतु लिख दिया गया है उनके द्वारा वसूली कार्यवाही शेष है।	

1	2	3	4	5	6
बनाम रामनाथ पुत्र नारायण ठेकेदार, पत्थरसान जिठानी तह० सागोद जिला कोटा।					
24-- रामचन्द्र पुत्र मांगीलाल बेरवा बनाम राज० इन्डस्ट्रीयल कोपरेटिव सोसाइटी लि० रामगंज मण्डी	40/64	28-6-68	23-4-69	जिलाधीश कोटा को वसूली हेतु लिख दिया गया है उनके द्वारा वसूली की कार्यवाही शेष है।	
कार्यालय प्रादेशिक संयुक्त श्रम आयुक्त जयपुर					
25-- भंवरलाल बनाम डी० पी० ओ० वेस्टर्न रेलवे	21/79	30-4-80	—	अप्रार्थी पक्ष द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में अपील दायर कर दी है जिसकी प्रथम सुनवाई दिनांक 21-4-81 है। अपील का निर्णय हो जाने पर ही रिकवरी की कार्यवाही सम्भव होगी।	
कार्यालय प्रादेशिक उप श्रम आयुक्त भीलवाड़ा					
26--		30-10-79	--	जिलाधीश के स्तर पर वसूली की कार्यवाही की जानी है।	
27—		30-10-79	—	” ” ”	

(154)

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

नगर परिषद् बीकानेर की सीमा में परिवर्तन

565. **श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

नगर परिषद् बीकानेर की सीमा पिछले दस वर्षों में कितनी बार बदली गई है ? बार-बार सीमा बदलने का क्या कारण रहा है ? कृपया नगर परिषद् की सीमा का नवीनतम विवरण मय नक्शा सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

नगरपरिषद बीकानेर की सीमा पिछले 10 वर्षों में दो बार बदली गई है। सीमा वृद्धि नगरपरिषद क्षेत्र में बढ़ती हुई आबादी के लिए आवासीय समस्या के निदान एवं परिषद की आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने हेतु की गई थी। सम्बन्धित पंचायत समिति, सीमा पुन: निधारण समिति व स्थानीय जनता की मांग पर सीमा को पुन: परिवर्तित किया गया। नगर परिषद बीकानेर की सीमा का नवीनतम विवरण मय नक्शा सदन के पटल पर रखा दिया गया है।

(नक्शा विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।

MUNICEPAL LIMIT AT PRESENT

FOREIGN AND POLITICAL DEPARTMENT

Notification :

No 70 Dated, Lallgarh the 27th July 194

In accordance with the provision of section 4 (b) of the Bikaner Municipal Act (Act vi of 1923) His Highness Government have been plaesed to approve of the Limits of the Bikaner Municipality as follows :

North : From Railay Workshop Village to Culvert on the Railway Line to Kolayat, thence to outer signal on the Bhatinda Railway Line, thence to Cannaught Arch along the south-western wall of the compound of sri lallgarh palace and the eastern wall of the Irwin Assembly Hall, thence to the Chandmari Ridge.

East : From Chandmari Ridge to the Junction of sri Devikund sagar road with the road going to sri Shivbari, thence along the road to the present Municipal Octroi outpost on shivbari road and to the temple of sri Nagnochiji, thence to chhatri at Charsisar Tank.

South : From Chhatri at Charsisar Tank to a point midway between the northern wall of Chopra High School and the existing Municipal Octroi outpost on the Gangashar road, thence to Tekri outside Bari Mandlawatan (Hamal on-ki-bari), thence to the existing boundary pillar on the south-west corner of Shri Lakshmi Nathjis' Temple, thence to Manisar.

West : From Ranisar to Manji Ki Talai, thence to sansolao, then to west of Nathusar-Ka-Bas, thence to the Junction of roads from Sri Lallgarh to Gajner and from Jassusar Gate to Gajner, thence to workshop village including the Bunglaws of Seth Madan Gopal Dammani, R. S. Narsingh Das Daga, Raja Sir Bisheshwar Das Daga etc.

By order sd/
Secretary
Foreign & Political Department
BIKANER STATE

·156

थाना फुलेरान्तर्गत आकोहा निवासी के घर में हुई चोरी के प्रकरण में कार्यवाही

566. **श्री सी. एल. कंवरिया** (दूदू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 13 जुलाई, 1978 को श्री भूरे खां मुसलमान निवासी आकोहा थाना फुलेरा के यहां 50 तोला सोने के, 6 किलो चांदी के जेवरात एवं रु. 9570/– की चोरी हुई जिसका मुकदमा नं. 73/379 ता. हि. दर्ज किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस केस में दिनांक 18 अगस्त, 1978 को श्री भूरे खां ने एस. पी., जयपुर को कुछ व्यक्तियों को नामजद करते हुए लिखा था लेकिन अब तक किसी भी नामजद आदमी को बुला कर जांच नहीं की गई ?

(3) इस केस में दिनांक 13 जुलाई, 1978 से अब तक किस-किस पुलिस अधिकारी ने कितने-कितने समय तक तफतीश की और प्रत्येक की तफतीश का क्या नतीजा निकला ?

(4) इतनी बड़ी चोरी में पुलिस द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही व शिथिलता के लिये कौन उत्तरदायी है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) श्री भूरे खां द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों में जिन संदिग्ध व्यक्तियों को नामजद किया गया था। अधिकतर अभ्यस्त अपराधी हैं और प्रयत्नों के बावजूद उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) पूर्ण प्रयास किये गये हैं और अब भी जारी हैं। अतः शिथिलता या लापरवाही का प्रश्न नहीं उठता।

मुकदमा नं० 73/78 धारा 457/380 ता० हि० थाना फुलेरा

दिनांक 14–7–78 को श्री भूरेखां पुत्र कायम खां मुसलमान निवासी आकोदा ने दिनांक 13/14–7–78 की रात को अज्ञात चोरों के खिलाफ मकान का ताला तोड़ कर 2 बक्से चोरी जाने की रिपोर्ट थाना फुलेरा पर की, जिस पर मु० नं० 73/78 जुर्म धारा 457/380 ता० हि० दर्ज किया जाकर स्थानीय पुलिस द्वारा तफतीश आरम्भ की गई। घटना स्थल का निरीक्षण कर माल मुलजिमान की पतारसी की गई। मुस्तगिस ने रिपोर्ट में चोरी गये माल का विवरण अंकित नहीं किया। बाद में मौके पर ही माल मशरूका की सूची अनुसंधान अधिकारी को प्रस्तुत की, जिसमें अनुमानित 50000/– रु. का माल चोरी जाना अंकित किया। तफतीश के दौरान हनुमान मीणा, राधाकिशन

मीणा, श्योनारायण मीणा, रामेश्वर मीणा, मांगू मीणा, रघुनाथ मीणा, भूरा मीणा, जगदीश मीणा निवासी व कंवरपुरा जीवण मीणा डूंगरी, शैतानिया मीणा कोटड़ी थाना श्री माधोपुर से तफतीश कर माल मुलजिमान की पतारसी का प्रयत्न किया गया परन्तु सफलता नहीं मिली। मुस्तगीस भूरे खां ने तफतीश के दौरान दिनांक 22–8–78 को अनुसंधान अधिकारी को बताए गये संदिग्ध व्यक्ति श्री जगदीश मीणा, मोहन मीणा, कंवरपुरा, शैताना मीणा कोटड़ी, गणपत मीणा व पन्ना मीणा गोरिया से भी माल मुलजिमान की निस्बत पतारसी की गई परन्तु सफलता नहीं मिली। मुकदमा जेर तफतीश पुलिस है और माल मुलजिमान की सुरागरसी के लिए प्रयत्न जारी हैं।

दिनांक 13–7–78 के बाद जिन-जिन अधिकारियों ने मुकदमे का अनुसंधान किया उनके नामों की सूची—

1. श्री माल सिंह मुख्य आरक्षी दिनांक 14-7-78 से 26-7-78 तक।
2. श्री कंवर सिंह उप निरीक्षक दिनांक 26-7-78 से 26-8-78 तक।
3. श्री भीमाराम सहा. उप निरी. दिनांक 27-8-78 से 5-9-78 तक।
4. श्री भंवर सिंह एस. एच. ओ. दिनांक 5-9-78 से 18-9-78 तक।
5. श्री मदन सिंह पुलिस उप अधीक्षक दिनांक 19-9-78 से 21-6-79 तक।
6. श्री पूर्ण प्रताप एस. एच. ओ. दिनांक 22-6-79 से 21-7-79 तक।
7. श्री मदन लाल पारीक उप निरी. दिनांक 21-11-79 से 18-4-80 तक।
8. श्री हनुमान सिंह सहायक उप निरी. दिनांक 7-1-81 से अब तक।

इन सभी अनुसंधान अधिकारियों के प्रयत्नों के बावजूद अभियोग में मुलजिमान का पता लगाने में सफलता नहीं मिल सकी। अभी भी प्रयास जारी है।

जयपुर में स्वर्गीय महाराजा सवाई श्री मानसिंह की प्रतिमा की स्थापना

567. **श्री राम कंवार बैरवा (फागी) :** क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि गुलाबी नगर जयपुर में भूतपूर्व महाराजा सवाई मानसिंह की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की जाती रही है ?

(2) यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ? अब कब तक लगा दी जावेगी ?

158

उत्तर

(1) राजमाता श्रीमति गायत्री देवी ने भूतपूर्व महाराजा सवाई मानसिंह की प्रतिमा रामनिवास बाग में फव्वारे पर लगाने का प्रस्ताव दिनांक 9.2.78 को भेजा था।

(2) उक्त प्रस्ताव के बारे में सरकार ने दिनांक 27.1.79 को यह निर्णय लिया कि ट्रेफिक को देखते हुए रामनिवास बाग के छोटे फव्वारे के स्थान पर मूर्ति लगाना ठीक नहीं होगा और कोई अन्य उपयुक्त स्थान देखा जावे। स्थान का निर्णय नहीं हुआ है और इसके बाद से विचाराधीन है।

रामगंज मंडी में आवासन मण्डल के लिये भूमि की अवाप्ति

568. **श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :**

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : क्या नगरीय विकास व नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 4 फरवरी, 1981 को पत्र क्रमांक 7(50) यू. डी. एम. द्वितीय/79 से जिलाधीश कोटा को रामगंज मंडी में आवासन मंडल के लिए भूमि अवाप्त करने हेतु नगरीय विकास विभाग द्वारा आदेश प्रेषित किया था? क्या सरकार ने स्टे देकर इसे निरस्त कर दिया? यदि हां, तो क्यों?

(2) जिलाधीश कोटा एवं आवासन मंडल ने कब से सरकार को इस भूमि के (ए. एस. आई. कं. 23 बीघा 1 बिस्वा) अवाप्त करने हेतु आवेदन कर रखा है?

(3) क्या जिलाधीश कोटा ने अभी तक भी धारा 4 में इस भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही नहीं की है? यदि हां, तो क्यों? अब कब तक आवासन मंडल को मकान बनाने की स्वीकृति दे दी जावेगी?

(4) क्या यह भी सही है कि 200 से अधिक व्यक्तियों ने आवास हेतु फार्म भर दिये हैं? यदि हां, तो सरकार कार्य कब से प्रारम्भ कर देगी?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार ने स्थगन आदेश जारी नहीं किया है।

(2) रेजीडेन्ट इन्जीनियर, राजस्थान आवासन मंडल, कोटा के प्रस्ताव पर जिलाधीश कोटा ने 18 बीघा 19 बिस्वा भूमि को अवाप्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को 19.10.79 को भेजा।

(3) राज्य सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 की अधिसूचना दि. 27-2-81 जारी कर दी गई है। अग्रेतर कार्यवाही विशेषाधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर द्वारा की जा रही है।

(5) रामगंज मंडी में 1 फरवरी, 1981 से 31 मार्च, 1981 तक पंजीकरण की योजना चालू है। इसके पश्चात् ही निर्णय लिया जायेगा।

159

आलोच्य वर्ष में राज्य विद्युत मण्डल की उपलब्धियां

569. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य विद्युत मण्डल को वर्ष 1980-81 के लिये कितना बजट आवण्टित किया गया ? इसमें से कितना व्यय हुआ, कितनी लम्बी लाइनें डाली गयी, कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 के लिए राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को पूंजीगत व्यय हेतु संशोधित वार्षिक योजना के अनुसार 10877 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। मण्डल ने अपने संसाधनों को शामिल करते हुए संशोधित आय-व्ययक अनुमानों में 12570 लाख रुपयों का प्रावधान रखा है। माह फरवरी, 1981 तक 10260 लाख रुपये का अनुमानित व्यय विभिन्न योजना/परियोजनाओं पर हो चुका है। वर्ष 1980-1 में माह फरवरी के अन्त तक 106 कि. मी. 220 के. वी. लाइन, 263 कि. मी. 132 के.वी. लाइन 1048 कि. मी. 33 के. वी. लाइन, 3486 कि. मी. 11 के. वी. लाइन तथा 6831 कि. मी. एल. टी. लाइनें खेंची जा चुकी हैं तथा 873 ग्रामों को विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(2) वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक बजट में आवंटित राशि खर्च कर लिये जाने की सम्भावना है। 220 के.वी. लाइनों के निर्धारित लक्ष्य पूरे कर लिये गये हैं व 132 के. वी. लाइनों के 80 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य पूर्ण कर लिये गये हैं। शेष कार्य प्रगति पर है। उप-प्रसारण एवं वितरण लाइनों के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में, कुओं के ऊर्जाकरण के लक्ष्य से भी अधिक कुओं को बिजली दी जा चुकी है, परन्तु राज्य में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सिंचाई के लिये कुओं के ऊर्जाकरण को प्राथमिकता दिये जाने से गांवों के विद्युतिकरण के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके हैं।

उपखण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग सांचोर के लिपिक के विरुद्ध शिकायतों में कार्यवाही

570. श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) **श्री मानसिंह देवड़ा** (सरदारपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री सम्पतराज मेहता, वरिष्ठ लिपिक, उपखण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग सांचोर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अन्य प्रकार की कई शिकायतें विभाग में प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो कब कब एवं उनके बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है पिछले विधान सभा सत्र में उक्त वरिष्ठ लिपिक के बारे में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 331, जिसका जवाब दिनांक 20 अगस्त, 1980 को आइटम स. 327 में दिया गया, में

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

बताया गया कि उसका स्थानान्तरण सांचोर से बाड़मेर शिकायत पर प्रशासनिक दृष्टि से एवं राज्य हित में किया गया ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध इतनी शिकायतें प्राप्त होने पर भी अभी तक कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं ? अब उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच की जाकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कब तक कर दी जावेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उनका स्थानान्तरण फिर जालौर से सांचौर उपखण्ड में किया गया ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या यह भी सही है कि सांचौर सार्वजनिक निर्माण उपखण्ड के काफी वर्क-चार्ज्ड कर्मचारियों ने उनके विरुद्ध कई भ्रष्टाचार एवं पार्टीबाजी की शिकायतें पेश की थी ? यदि हां, तो कब एवं उनके बारे में अब तक विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गई तो भविष्य में कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(5) क्या सरकार उनको सांचोर से अन्यत्र हटाना प्रशासनिक दृष्टि से उचित समझती है ? यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ।

उत्तर

(1) जी हां। कुछ शिकायतें अगस्त और और सितम्बर, 1980 में प्राप्त हुई थी। सम्बन्धित अधिकारी इन शिकायतों के बारे में जांच कर रहे हैं।

(2) जी नहीं। उनका स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टि से एवं राज्यहित में किया गया था। जिसका उत्तर पिछले सत्र के अतारांकित प्रश्न संख्या 531/मु० मं० में दिनांक 20-8-80 को दिया जा चुका है।

(3) जी हां।

श्री सम्पत राज मेहता, वरिष्ठ लिपिक का स्थानान्तरण जालौर खण्ड से सांचौर उप खण्ड में 6-9-79 को अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर द्वारा प्रशासनिक आधार पर किया गया था।

(4) जी हां।

कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं पर वे जांच की स्थिति में नहीं हैं।

(5) जब तक जांच की कार्यवाही व विशेष रिपोर्ट उनके विरुद्ध नहीं मिलती; शिकायत पर ही ट्रान्सफर करना प्रशासनिक दृष्टि से ठीक नहीं है।

ग्राम गच्छीपुरा (नागौर) बांका पट्टी जल वितरण योजना द्वारा पेय-जल की व्यवस्था

571. श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील परबतसर जिला नागौर में ग्राम गच्छीपुरा बांका पट्टी जल वितरण योजना द्वारा कितने ग्रामों में पानी दिया जा रहा है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री जेठमल बरबड़)

(2) क्या यह सही है कि इन गांवों के बीच में ऐसे दो गांव हैं, जिनका नाम खेड़ी लीला व सिणीया है जहां के कुओं का पानी खारा है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही, पीने योग्य भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन गांवों को इस बांका पट्टी जल वितरण योजना से जोड़ कर शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था करेगी ?

(3) इस बांका पट्टी जल वितरण योजना में गांवों के आस पास ऐसी कितनी ढाणियां है जिन ढाणियों के कुओं का पानी खारा है ? उन ढाणियों का सर्वेक्षण करा कर क्या सरकार विश्व बैंक की योजना के अन्तर्गत ग्रामवासियों द्वारा ढाई प्रतिशत धन राशि जमा कराने पर ढाणियों में नल लगाकर पीने के लिये शुद्ध पानी की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) गच्छीपुरा बांका पट्टी क्षेत्रीय जल योजना के अन्तर्गत 48 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामों की सूची संलग्न है।

(2) जी हां, परन्तु खेड़ी लीला का पानी अधिक खारा नहीं है, व सिणीया ग्राम में पानी खारा है। सिणीया ग्राम बांका पट्टी योजना से जोड़ने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

(3) विभाग द्वारा अभी तक 1971 की जनगणना में सम्मिलित किये गये ग्रामों में ही पेयजल का सर्वेक्षण किया गया है। ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षित कार्यवाही धन राशि उपलब्ध होने पर ही सम्भव हो सकेगी। बांका पट्टी क्षेत्र में आने वाली ढाणियों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो चुका है।

क्षेत्रीय जल योजना बांका पट्टी से लाभान्वित गांवों की सूची तहसील परबतसर जिला नागौर

क्रम संख्या	गांव का नाम
1.	उमोई खुर्द
2.	उमोई कलां
3.	भींया खुर्द
4.	भीयां कलां
5.	डावरी कलां
6.	डावरी सांवलाद
7.	डावरी मण्ड
8.	डावरी खुर्द
9.	सरनावड़ा
10.	सीवरची
11.	जसवन्तपुरा
12.	नूनदरा
13.	खारडीया

क्रम संख्या	गांव का नाम
14.	छापरा
15.	रामसिया
16.	मनानौं
17.	मनाना
18.	हुण्डिया
19.	मोडी चारंण
20.	मोडी भीका
21.	डोवरीया
22.	गेडा कला
23.	गेडा खुर्द
24.	भिर्लमिलिया
25.	राणी गांव
26.	उचेरिया
27.	बलदाना
28.	बिणजारी
29.	कल्याणपुरा
30.	गोयेंड़ी
31.	मवाद
32.	मांडपुरा
33.	सीरंण्डिया
34.	इन्डोखां
35.	नावंद
36.	जीवादिया
37.	गांगवा
38.	राथलिया
39.	आसरा
40.	गच्छीपुरा
41.	इटावा ब्रामनिया
42.	अमरसर
43.	धीरजसर
44.	धीरजपुरा
45.	मोसमपुरा
46.	वेसरोली
47.	खाती सौंकरा
48.	पट्टी डोबरीया

दौसा रेलवे स्टेशन के पास राज मार्ग पर उपरि पुल का निर्माण

572. **श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार दौसा रेलवे स्टेशन के पास राष्ट्रीय राज मार्ग पर ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता महसूस करती है ? यदि हां, तो इस संदर्भ में क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। धनाभाव के कारण अभी निकट भविष्य में कुछ कार्यवाही सम्भव नहीं है।

ग्राम उदनसरी (सीकर) में पम्पिग सैट लगाने हेतु विद्युत सम्बन्ध देना

573. **श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर)** : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या ग्राम उदनसरी तहसील फतेहपुर (सीकर) को पम्पिग सैट लगाने के लिए दिनांक 31 मार्च, 1980 को विद्युत् कनेक्शन दे दिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 6 अगस्त, 1980 को बिना ग्राम पंचायत ग्याग्यासर को सूचित किए गुमटी का ताला काटकर केबल, स्टार्टर व अन्य सामान जिलाधीश ने मंगवा लिया ? यदि हां, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिलाधीश द्वारा की गई कार्यवाही की अधिकृत जानकारी विद्युत मण्डल को नहीं है।

राज्य में प्रस्तावित खाद का कारखाना

574. **श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में प्रस्तावित खाद के कारखाना के बारे में भारत सरकार द्वारा भेजी गई तकनीकी समिति ने कौन-कौन से स्थानों का सर्वेक्षण किया ? सर्वेक्षण रिपोर्ट से किस किस स्थान का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है ?

(2) क्या सवाई माधोपुर के औद्योगिक पिछड़ेपन को देखते हुए उक्त प्रस्तावित खाद का कारखाना सवाई माधोपुर में लगाये जाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा भेजी गई तकनीकी समिति के द्वारा निम्न स्थानों का सर्वेक्षण किया गया—

1. रूपवास, जिला भरतपुर

(श्री उद्योग मंत्री)

2. बारीबसेड़ी, जिला भरतपुर
3. बयाना. जिला भरतपुर
4. सवाई माधोपुर
5. सेनुका, जिला चित्तौड़गढ़
6. मोसुण्डा, जिला चित्तौड़गढ़
7. कांवट, जिला सीकर

समिति की रिपोर्ट अभी तक राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(2) उक्त सर्वेक्षण में सवाई माधोपुर भी सम्मिलित है। स्थान चयन के सम्बन्ध में निर्णय समिति की रिपोर्ट पर भारत सरकार द्वारा लिया जावेगा।

ग्राम पंचायत उदयपुरिया (गोविन्दगढ़-जयपुर) के सरपंच के विरुद्ध आरोपों में कार्यवाही

575. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशन-पोल) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या श्री गोकुल चन्द यादव सरपंच ग्राम पंचायत उदयपुरिया, पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ जिला जयपुर के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच उप जिलाधीश, आमेर द्वारा गत वर्ष की गई थी ? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण हो गई है ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच को जांच में दोषी पाये जाने पर सरकार द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 1980 को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो किन कारणों से उक्त सरपंच को बहाल कर दिया गया है ? कृपया निलंबित आदेश व बहाली आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच के विरुद्ध अब भी कोई जांच विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार जन हित में उक्त सरपंच के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री गोकुल चन्द सरपंच, ग्राम पंचायत उदयपुरिया, पं०स० गोविन्द-गढ़ के विरुद्ध जांच उप जिलाधीश, आमेर द्वारा की गई थी। जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सरपंच को दिनांक 18-1-80 को निलंबित किया गया था एवं सरपंच का स्पष्टीकरण मांगा गया था। सरपंच द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने पर एवं उस पर विवेकपूर्ण विचार करने के उपरान्त सरपंच को दि 28-1-80 को बहाल किया गया। दोनों आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) जी हां। जिला स्तर पर एक जांच उप जिलाधीश, आमेर के पास विचाराधीन है। राज्य सरकार को जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तथा सरपंच के दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमा-नुसार कार्यवाही की जाएगी।

जांच प्रतिवेदन

विषय :—विभागीय जांच विरुद्ध श्री गोकुल चन्द यादव सरपंच, ग्राम पंचायत उदयपुरिया पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ तहसील आमेर।

यह विभागीय जांच अवर सचिव (जांच) राजस्थान, जयपुर सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग के पत्र संख्या एफ. 3/एजे/19/जांच/जय/79/346 दिनांक 24-1-80 द्वारा इस कार्यालय को भेज कर उपजिलाधीश, आमेर मुख्यालय, जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इस विभागीय जांच में श्री गोकुल चन्द यादव, सरपंच ग्राम पंचायत उदयपुरिया पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के विरुद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं :—

आरोप सं० 1

पंचायत द्वारा दिनांक 6-5-78 को चुंगी कर की कार्यवाही आरम्भ कर 5) रु. प्रति परिवार टैक्स लगाया जिसको स्वीकृति हेतु निदेशक, सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग को पेश किया गया जिसका स्पष्टीकरण मांगा जो भेजा नहीं गया। इस प्रकार सामुदायिक सेवा कर व चुंगी का मामला नहीं कराया गया।

आरोप सं० 2

पंचायत क्षेत्र को श्मशान भूमि के पानी पूला नीलामी की कार्यवाही की गई नीलामी का नोटिस निकाला लेकिन 8-11-78 को नीलामी नहीं हुई पुनः नीलाम करने का 1-1-79 का नोटिस नहीं निकाला गया और पंचायत से अनुमोदित कराया गया।

आरोप सं० 3

सरपंच ने अपने पास वित्तीय नियमों के विपरीत 20) रु. से अधिक राशि अपने पास रखी रोकड़ 13-1-79 तक पाई गई जिसमें अन्तिम राशि 104·63 पैसा (रोकड़ पोता) पाया जो नियमों के विरुद्ध है।

आरोप सं० 4

पंचायत के प्रस्ताव सं० 5 के अनुसार पंचायत की तरफ से वकील नियुक्त करने तथा पंचायत की तरफ से व्यय करने का प्रस्ताव पारित किया लेकिन विकास अधिकारी से इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।

आरोप सं० 5

पंचायत में होने वाले आय व्यय की जानकारी पंचायत को प्रत्येक बैठक में नहीं दी गई। 4-5 बैठकों के बाद दी गई, इस प्रकार अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया।

आरोप सं० 6

सांड के उपचार हेतु 80·50 रु. का भुगतान किया व माली राम चपरासी को 125) रु. प्रति माह वेतन दिया मवेशी खाने के लिए चारा खरीद गणतन्त्र दिवस पर 87·50 का व्यय किया गया। उपरोक्त भुगतान पंचायत की बिना स्वीकृति के किया गया।

आरोप सं० 7

पंचायत की आबादी भूमि का नाजायज अतिक्रमण कुछ व्यक्तियों द्वारा किया जिसका नियन्त्रण नहीं किया गया।

उपरोक्त आरोपों का प्रत्युत्तर श्री गोकुल चन्द, सरपंच ग्राम पंचायत उदयपुरिया ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 8-1-80 द्वारा दिया जो निम्न प्रकार है, यह उत्तर राज्य सरकार को भेजा गया है :—

आरोप सं० 1

चुंगी टैक्स पंचायत ने लगाना बजट में प्रस्तावित किया था। तत्पश्चात् स्वीकृति हेतु बजट पंचायत समिति में भेजा था तथा आपसे स्वीकृति लेने हेतु सम्पूर्ण दस्तावेज भेजे गये थे लेकिन आपके यहां से स्वीकृति न मिलने के कारण वसूल नहीं किया गया।

आरोप सं० 2

पानी पूला नीलामी के क्रम में निवेदन है कि इस पंचायत क्षेत्र में केवल श्मशान भूमि के अलावा और कोई पंचायत के अधिकार में भूमि नहीं है और इन पानी पूलों में कीमती मूंज-मूंज लोग नीलाम कर ले जा रहे थे। इसलिए इनकी सार्वजनिक रूप से सरे बाजार नीलाम करके बेचा गया तथा पंचायत से स्वीकृति ले ली गई है।

आरोप सं० 3

20) रु० से अधिक राशि रखने के क्रम में निवेदन है कि रोकड़ी 104·63 रु

(167)

मेरे पास रहे इसका कारण मैं किसान ग्रादमी हूं। घरेलू कामों के कारण पंचायत में जाना न होने के कारण व सचिव से न मिल सकने से यह राशि रह जाती है।

ग्रारोप सं० 4

पंचायत की तरफ से वकील नियुक्त करने के सम्बन्ध में निवेदन है कि पंचायत के मुकदमे की पैरवी हेतु पंचायत में प्रस्ताव पारित कर विकास ग्रधिकारी जी को लिखा गया था। तथा वहां से स्वीकृति ले ली गई है।

ग्रारोप सं० 5

ग्राय व्यय की जानकारी देने के क्रम में ग्राय व्यय की जानकारी हर माह की बैठक में दी जाती है। उस समय ग्रुप सचिव के छुट्टी पर एक माह रहने के कारण रोकड़ ग्रादि रिकार्ड उसके कब्जे में रहने के कारण नहीं दी जा सकी।

ग्रारोप सं० 6

सांड ग्रचानक बीमार हुग्रा यदि उसका तत्काल उपचार नहीं कराया जाता तो मृत्यु को प्राप्त होता। उसका इलाज सरकारी डाक्टर चौमूं पशु चिकित्सालय के द्वारा करा कर खर्चे की स्वीकृति पंचायत बैठक में ले ली गई है।

(1) मालाराम चपरासी को वेतन 125) रु० प्रति माह का पंचायत बैठक में प्रस्ताव पारित कर विधिवत विकास ग्रधिकारी जी से स्वीकृति ले ली गई थी।

(2) चारा मवेशी खाने में पशुग्रों को खिलाने हेतु खरीदा गया तथा उसकी खरीद का ग्रनुमोदन पंचायत बैठक में करा लिया गया।

(3) गणतन्त्र दिवस पर सन् 1954 से विद्यालय के बच्चों को मिठाई पंचायत की ग्रोर से बांटी जाती है। उसी परिपाटी के ग्रनुसार 87·50 रु. की मिठाई मंगाकर बांटी गई तथा उसकी ग्रागामी बैठक में ग्रनुमोदन करा लिया गया।

पंचायत ग्राबादी भूमि का ग्रतिक्रमण शिकायत कर्त्ताग्रों ने ही कर रखा है। इनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही कुछ के विरुद्ध की जा चुकी है बाकी लोगों के खिलाफ मामले पंचायत में विचाराधीन हैं।

ग्रतः ग्रारोपों का स्पष्टीकरण श्रीमान् जी की सेवा में प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विरुद्ध लगाये गये ग्रारोपों को रद्द कर कृतार्थ करें।

168

इस बात में शिकायत कर्त्ताओं की ओर से सत्यनारायण पी० डब्ल्यू० 1, दुलाराम पी० डब्ल्यू० 2, घीसाराम पी० डब्ल्यू० 3 के बयान कराये गये तथा इन गवाहों के बयानों की जिरह करने का अवसर दोषी सरपंच को दिया गया। दोषी सरपंच गोकुलचन्द यादव स्वयं डा० डब्लू 1, चन्दाराम डी० डब्लू 2 व घीसालाल डी० डब्लू० 3 के बयान कराये गये।

दोनों पक्षों के बयान व पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात् दोषी सरपंच के विरुद्ध आरोप निम्न प्रकार सिद्ध होते हैं :—

आरोप सं० 1

ग्राम पंचायत उदयपुरिया की चुंगी टैक्स लगाने सम्बन्धी पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस सम्बन्ध में विकास अधिकारी पं० स० गोविन्दगढ़ के पत्र क्रमांक पंचायत 78/2405 दिनांक 22-12-78 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत उदयपुरिया से निम्न सूचना उप विकास आयुक्त राजस्थान, जयपुर के आदेश सं० 482 दिनांक 13-12-78 के अन्तर्गत मांगी गई थी :—

(1) टैक्स राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 64 के किन प्रावधानों के अन्तर्गत है।

(2) यह चुंगी है या टैक्स।

(3) जो भी चुंगी या टैक्स लगाये गये हैं वह भी अस्पष्ट है।

(4) जिस वस्तु पर टैक्स लगाया गया है वह अलग-अलग स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

(5) समाज सेवा कर भी अस्पष्ट है व नियमानुसार नहीं है।

सरपंच ग्राम पंचायत से यह भी स्पष्टीकरण मांगा गया था कि यह स्वीकृति राज्य सरकार के किन नियमों के अन्तर्गत चाही गई थी। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि सरपंच ग्राम पंचायत उदयपुरिया द्वारा वांछित सूचना प्रेषित नहीं की गई। इस आरोप के सम्बन्ध में दोषी सरपंच ने अपने बचाव पक्ष में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसने राज्य सरकार द्वारा वांछित सूचना क्यों कर नहीं भिजवाई है।

उसने अपने बयानों में यह भी निवेदन किया कि समय पर राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण विशेष समाज सेवा कर आदि की वसूली नहीं की गई। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा वांछित सूचना नहीं भिजवाने का आरोप दोषी सरपंच पर पूर्णतया प्रमाणित होता है।

आरोप सं० 2

इस आरोप के सम्बन्ध में पी० डब्लू 1 सत्यनारायण ने अपने बयानों में बताया कि यह आरोप सत्य है। पानी पूला की नीलामी के सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही हुई या अब हो रही है वे सब अनियमित ढंग से सरपंच अपने मनमाने ढंग में करता है। नीलामी की कार्यवाही पंचायत मीटिंग में बिना पास कराये व बिना यह तय किये कि किस तारीख को कौन-कौन पंच नीलामी की कार्यवाही करेंगे, सरपंच इस प्रकार की वैधानिक कार्यवाही नीलामी के सम्बन्ध में नहीं कराते। जिस किसी की भी सौदेबाजी उनके मकान पर तय हो जाती है उसी के नाम नीलामी की कार्यवाही कर देते है जिसका अनुमोदन पंचायत मीटिंग में बहुत कम करवाते हैं और जो भी करवाते हैं पार्टी बाजी व बहुमत के आधार पर करवाते हैं।

इस आरोप के सम्बन्ध में दोषी सरपंच ने अपने बयानों में बताया कि पंचायत द्वारा श्मशान की भूमि के पानी पूला नीलामी विधिवत सार्वजनिक नीलामी द्वारा की गई जिसकी फाइल रेकार्ड में है। दोषी सरपंच ने जिरह में बयान किया कि उसे याद नहीं कि श्मशान एवं ग्राम रास्ते के पानी पूला नीलाम करने के पूर्व पंचायत से स्वीकृति ली गई या नहीं। बाद में बताया कि नीलामी के बाद पंचायत से अनुमानित करवा लिया है।

इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की पानी पूला नीलामी की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे ज्ञात होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत उदयपुरिया ने दिनांक 1-11-78 को सार्वजनिक सूचना का नोटिस बाबत पानी पूला नीलामी निकाला गया था व दिनांक 8-11-78 नीलामी की तारीख निश्चित की गई थी। दिनांक 8-11-78 को नीलामी की बोली नहीं लगी। यह कार्यवाही लिखी गई कि आज की नीलामी की कार्यवाही स्थगित कर पुनः दिनांक नीलामी का नोटिस निकाला जावे।

पत्रावली को देखने से पत्रावली में दिनांक 27-12-78 को पानी पूला की नीलामी रखने हेतु सार्वजनिक सूचना का नोटिस दिया। इस नोटिस में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि किस तारीख को यह नोटिस निकाला गया व किस तारीख को ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपका दिया गया। पत्रावली में 27-12-78 को कोई कार्यवाही भी नहीं मिलती। दिनांक 1-1-79 को पत्रावली में श्री घीसाराम व चन्दाराम वार्ड पंचों की उपस्थिति में पुनः पानी पूलों की नीलामी हेतु मौके पर पहुंचना व नीलामी की कार्यवाही चालू होना सरपंच ने अंकित किया है। पत्रावली में 1-1-79 की नीलामी को सार्वजनिक सूचना देना नहीं पाया जाता। नीलामी की बोली किस स्थान पर लगी यह भी पत्रावली में अंकित नहीं है। पानी पूलों की नीलामी की बोली के 65) रु० श्री सूरजमल के नाम समाप्त हुई। व यह 65) रु० की राशि केश बुक

पेज संख्या 18 पर दिनांक 2-1-79 को जमा की गई है। अतः दिनांक 1-11-79 की नीलामी की नोटिस नहीं निकालने व पंचायत से अनुमोदन नहीं कराने का आरोप दोषी सरपंच पर पूर्णतया सिद्ध होता है व यह आभास होता है कि दोषी सरपंच ने मिलीभगत से नीलामी की कार्यवाही दी है।

आरोप सं० 3

इस आरोप के सम्बन्ध में दोषी सरपंच ने अपने प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि रोकड़ दिनांक 13-1-79 को जो 104·63 पैसा रोकड़ी उनके पास रहे उसका कारण घरेलू कार्यों में व्यस्त रहने के कारण पंचायत में जाना नहीं होना व सचिव के न मिल सकने के कारण बाकी रही है। इस सम्बन्ध में हमने केश बुक के पृष्ठ सं० 20 दिनांक 13-1-79 का अवलोकन किया व पाया कि उक्त दिनांक को पंचायत की केश बुक में निम्नानुसार इन्द्राज है—

"पोते बाकी राशि रु. 104.63 पैसे सरपंच जी के पास है"

इस अंकन के नीचे दोषी सरपंच श्री गोकुल चन्द के हस्ताक्षर भी है व विकास अधिकारी पंचायत समिति गोविन्दगढ़ का इस बावत भौतिक सत्यापन का प्रमाणीकरण भी है।

इस प्रकार सरपंच ने वित्तीय नियमों के विपरीत 20 रु० से अधिक राशि अपने पास रखी है जिनका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। सरपंच को चाहिए था कि वह 20 रु. से अधिक की राशि पोस्ट आफिस में जमा कराते। हमने रोकड़ बही जो दिनांक 6-10-78 से प्रारम्भ की गई है का अवलोकन किया तो निम्नानुसार राशि सरपंच के पास होने का अंकन पाया गया—

6-10-78	155·58 पैसे
7-10-78	155·65 पैसे
8-10-78	183·68 पैसे
13-10-78	187·88 पैसे
14-10-78	267·88 पैसे
15-10-78	272·98 पैसे
16-10-78	278·58 पैसे
17-10-78	281·18 पैसे
20-10-78	285·18 पैसे

22-10-78	290·28 पैसे
25-10-78	211·78 पैसे
26-10-78	211·88 पैसे
29-10-78	28·88 पैसे
30-10-78	32·88 पैसे
31-10-78	28·43 पैसे
7-11-78	22·52 पैसे
8-11-68	26·53 पैसे
17-11-78	30·03 पैसे
19-11-78	34·04 पैसे
22-11-78	36·03 पैसे
24-11-78	236·03 पैसे
30-11-78	46·53 पैसे
13-12-78	46·53 पैसे
25-12-78	250·53 पैसे
26-12-78	250·53 पैसे
29-12-78	233·63 पैसे
2- 1-79	298·63 पैसे
7- 1-79	306·63 पैसे
9- 1-79	254·63 पैसे
13- 1-79	104·63 पैसे

इस प्रकार दोषी सरपंच द्वारा 6-10-78 से 13-1-79 तक वित्तीय नियमों के विपरीत 20) रु० से अधिक की राशि हमेशा रखी गई है। कभी भी उन्होंने वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया।

इस प्रकार यह आरोप दोषी सरपंच पर पूर्णतया प्रमाणित होता है।

आरोप सं० 4

जहाँ तक ग्राम पंचायत प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 25-10-78 के अनुसार ग्राम रास्ते से चबूतरा हटाने के विरुद्ध न्यायालय मुन्सिफ एवं न्यायिक दण्डनायक जयपुर की अदालत में ग्राम पंचायत उदयपुरिया एवं श्री गोकुलचन्द यादव सरपंच के विरुद्ध अपील में पैरवी करने हेतु वकील नियुक्त किये जाने का प्रश्न है। उक्त प्रस्ताव पंचायत में बहुमत

से पारित किया गया था व इसके लिए होने वाला खर्च पंचायत द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया था परन्तु विकास अधिकारी से इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। वहां तक दोषी सरपंच द्वारा अपने प्रत्युत्तर में यह लिखा कि विकास अधिकारी से उक्त पंचायत के मुकदमे की पैरवी हेतु वकील नियुक्त करने बावत स्वीकृति ले ली गई थी, यह सब गलत है। रेकार्ड के आधार पर इसकी पुष्टि नहीं होती है। इस सम्बन्ध में सत्य-नारायण पी० डब्लू० 1 ने अपने बयानों में बताया है कि पंचायत की तरफ से वकील नियुक्त करने की आवश्यकता इस मामले में नही थी। आवश्यकता तो निजी लाभ के लिए बनाई गई थी। इस प्रकार दिनांक 14-10-78 को बिना विकास अधिकारी की स्वीकृति के वकील को 220) रु० की राशि चुका दी गई जो कैश बुक के पेज सं० 4 पर दिनाँक 14-10-78 में दर्ज है।

इस प्रकार यह आरोप दोषी सरपंच पर पूर्णतया प्रमाणित होता है।

आरोप सं० 5

इस आरोप के सम्बन्ध में दोषी सरपंच ने अपने प्रत्युत्तर में बताया है कि आय व्यय की जानकारी हर माह की बैठक में दी जाती है उस समय ग्रुप सचिव के छुट्टी पर एक माह तक रहने के कारण रोकड़ आदि रेकार्ड उसके कब्जे में रहने के कारण नहीं दी जा सकी। श्री सत्यनारायण पी. डब्लू 1 पंच ग्राम पंचायत उदयपुरिया ने अपने बयानों में बताया कि पंचों की आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया गया था और न दिया जाता है। हम लोग सब पूछते हैं तो कहते हैं कि तुम पूछने वाले कौन होते हो। आय व्यय में काईन हाउस में गबन है। खरीद बिक्री में घोटाला है और इसी कारण हमें सरपंच श्री गोकुलचन्द आय व्यय का ब्यौरा नहीं बताते। दोषी सरपंच ने अपने बयानों में निवेदन किया कि पंचायत के आय व्यय की जानकारी पंचायत बैठकों में दे दी जाती है। कभी समयाभाव, काम अधिक होने या ग्रुप सचिव के न होने के कारण किसी-किसी मीटिंग में रह जाता है जो आगामी बैठक में दे दी जाती है। इस प्रकार यह आरोप दोषी सरपंच के कथनानुसार एवं शिकायत कुनिन्दा के बयानों के आधार पर पूर्णरूपेण सिद्ध है व स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरपंच व ग्रुप सचिव आय व्यय की जानकारी प्रत्येक बैठक में नहीं देते हैं व अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करते हैं।

आरोप सं० 6

इस आरोप के सम्बन्ध में दोषी सरपंच ने अपने प्रत्युत्तर में बताया कि सांड अचानक बीमार हुआ। यदि उसका तत्काल उपचार नहीं कराया जाता तो मृत्यु को प्राप्त होता। उसका इलाज सरकारी डाक्टर चौमू पशु चिकित्सालय द्वारा करा कर खर्चे की स्वीकृति पंचायत बैठक में लाई गई। हमने पंचायत बैठक की कार्यवाही रजिस्टर देखा

तो पाया कि सांड के उपचार हेतु 80·50 पैसे के व्यय की स्वीकृति ग्राम पंचायत से बैठक में नहीं ली गई। इस 80·50 पैसे का भुगतान कैश बुक में पेज संख्या 7 पर दिनांक 25-10-78 में दर्ज है। सरपंच ने इस विषय में दिनांक 25-1-78 के प्रस्ताव सं० 7 की नकल पेश की है परन्तु दिनांक 25-1-78 को कोई मीटिंग होना नहीं पाया जाता है। सांड 25-10-78 को बीमार होना बताया गया है परन्तु 25-10-78 व उसके पश्चात् की कार्यवाही रजिस्टर में यह मामला कभी भी दर्ज नहीं किया गया है।

जहां तक श्री मालाराम चपरासी को 1250 रु. प्रति माह वेतन पंचायत को बिना स्वीकृति दिया जाने का प्रश्न है, इसमें ग्राम पंचायत बैठक दि. 5-7-78 की कार्यवाही रजिस्टर के प्रस्ताव सं० 13 (3) का अवलोकन किया जिससे ज्ञात हुआ कि पूर्व में श्री मालाराम को पंचायत द्वारा 45) रु. प्रति माह वेतन दिया जाता था जो इस प्रस्ताव द्वारा 125) रु. माहवार वेतन दिये जाने की स्वीकृति दी गई। पंचायत के चपरासी को 45) रु. से 125) रु. माहवारी वेतन दिया जाना पंचायत की आमदनी के मुकाबले काफी अधिक प्रतीत होता है।

गणतन्त्र दिवस पर 87·50 पैसे का व्यय किया गया। इसकी ग्राम पंचायत की बैठक की कार्ययाही रजिस्टर से कहीं भी पुष्टि नहीं होती है।

इस प्रकार यह आरोप आंशिक रूप से दोषी सरपंच पर प्रमाणित होता है।

आरोप सं० 7

इस आरोप के सम्बन्ध में दोषी सरपंच ने अपने जवाब में बताया है कि आबादी भूमि में नाजायज अतिक्रमण का पूर्णरूपेण नियन्त्रण किया जाता रहा है जिनमें कुछ मुकदमों का निपटारा हो गया है तथा कुछ बेर तजवीज है।

इस सम्बन्ध में सत्यनारायण पी० डब्लू–1 ने अपने बयानों में बताया कि पंचायत की कई भूमियों पर नाजायज कब्जा करा दिया गया है और उनके पैसे ऊपर के ऊपर वसूल किये गये है। फोटो स्टेट काफी एक्जीविट 6 मेरे द्वारा पेश की गई है जो इस बात का प्रमाण बताती है कि पंचायत की पत्रावलियों के महत्वपूर्ण कागज फाड कर फेंक दिये जाते है। कार्यालय ग्राम पंचायत उदयपुरिया में दिनांक 12-9-79 के निर्णय के अनुसार श्री प्रहलाद राय द्वारा प्रेषित शिकायत को पचायत ने निराधार बताया है व वास्तव में जमीन एवं डोली गजानन्द शंकरलाल वगैरह को होना बताया गया है। जब प्रार्थी ने यह आरोप लगाया कि पंचों ने झूठी रिपोर्ट की है तो पंचायत की बैठक में यह लिखना कि पंचायत का ढांचा ही पंचों पर निर्भर है एवं पंचायत में फैसला भी पंच ही किया करते हैं यह सब यह बताता है कि पंचायत की बैठक में शिकायत की पूर्णरूपेण

जांच नहीं की जाती है शिकायत कुनिन्दा को भलिभांति सुना भी नहीं जाता है। श्री सत्यनारायण पी० डब्लू–1 ने काइन हाऊस की खाली रसीद क्र० 88 व 89 की फोटो स्टेट काफी प्रस्तुत की है जिससे यह ज्ञात होता है कि काइन हाऊस की रसीदें भी सुरक्षित में नहीं रखी जाती हैं।

इस प्रकार यह आरोह ग्राम पंचायत उदयपुरिया श्री गोकुलचन्द यादव के विरुद्ध प्रमाणित होता है।

इस प्रकार दोषी सरपंच ग्राम पंचायत उदयपुरिया श्री गोकुलचन्द यादव के विरुद्ध लगाये गये आरोप क्र० 1 से 5 व 7 पूर्णरूपेण प्रमाणित होते है एवं आरोप सं० 6 उपरोक्तानुसार आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

(175)

राजस्थान सरकार

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग

क्रमांक : एफ 3/एजे/19/जयपुर/79/200–204 जयपुर, दिनांक : 18-1-80

आदेश

श्री गोकुल चन्द यादव सरपंच ग्राम पंचायत उदयपुरिया, पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला जयपुर के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता करने, पद का दुरुपयोग करने, पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण करवा कर्त्तव्यपालन में उपेक्षा के आरोपों के सम्बन्ध में राजस्थान पंचायत अधिनियम सन् 1953 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है और,

क्योंकि सरपंच के विरुद्ध आरोप गम्भीर हैं। अतः राज्य सरकार यह उचित तथा इष्टकर समझती है कि उक्त सरपंच के विरुद्ध विभागीय जांच या निर्णय होने तक उक्त ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर न कोई कार्य करें और न किसी कार्यवाही में भाग लें।

अतः राजस्थान पंचायत अधिनियम सन् 1953 की धारा 17 (4–ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा उक्त श्री गोकुल चन्द यादव सरपंच को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करती है तथा आदेश देती है कि निलम्बन काल में ये पंचायत के किसी कार्य व कार्यवाही में भाग न लें।

राज्य सरकार की आज्ञा से,

ह०

अवर सचिव (जांच)

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिलाधीश, जयपुर को भेज कर लेख है कि वे उक्त सरपंच के कार्यभार उप सरपंच को तुरन्त दिलवाने की व्यवस्था एवं इस विभाग को सूचित करने की कृपा करें।

176

2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति गोविन्दगढ़ (जयपुर)

3. श्री गोकुलचन्द यादव सरपंच ग्राम पंचायत उदयपुरिया पं० स० गोविन्दगढ़ जिला जयपुर-वे तुरन्त पंचायत का चार्ज उप सरपंच को देकर इस विभाग को 3 दिन में सूचित करें।

4. उप सरपंच ग्राम पंचायत उदयपुरिया पंचायत समिति गोविन्दगढ़ जिला जयपुर, कृपया पंचायत का चार्ज सम्भाल कर तीन दिन में सूचना भेजे।

5. गार्ड फाइल।

ह०
अवर सचिव (जांच)

(177)

राजस्थान सरकार
सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग

क्रमाक:एफ 3 (एजे) (19) जय/79/455-61 जयपुर, दिनांक : 28-1-10

आदेश

इस विभाग के आदेश सं० एफ 3/एजे/19/जय/79/200-204 दिनांक 18-1-80 के द्वारा श्री गोकुल चन्द यादव सरपंच ग्राम पंचायत उदयपुरिया पंचायत समिति गोविन्दगढ़ ज़िला जयपुर को सरपंच पद से निलंबित किया गया था, को निरस्त करते हुए श्री गोकुल चन्द यादव को तुरन्त प्रभाव से सरपंच पद से बहाल किया जाता है।

इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही यथावत रहेगी।

आज्ञा से,
ह०
अवर सचिव (जांच)

प्रतिलिपिः—

(1) जिलाधीश, जयपुर।

(2) अति० जिला विकास अधिकारी, जयपुर।

(3) विकास अधिकारी, पं० स० गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।

(4) श्री गोकुल सरपंच ग्राम पंचायत उदयपुरिया पं. स. गोविन्दगढ़ जिला जयपुर।

(5) उप सरपंच, ग्राम पं. उदयपुरिया पं. स. गोविन्दगढ़ जिला जयपुर।

(6) गार्ड फाइल।

ह०
अवर सचिव (जांच)

जिला भीलवाड़ा की विभिन्न पंचायत समितियों के कृषकों को सीमेन्ट का आवंटन

576. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

जिला भीलवाड़ा की विभिन्न पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों द्वारा गत 6 माह में किन कृषकों को आज तक कृषि हेतु कितना सीमेन्ट वितरण किया गया और कितना किस पंचायत समिति के पास शेष है ?

उत्तर

भीलवाड़ा जिले की सुवाना पंचायत समिति के माध्यम से गत 6 माह में 187 कृषकों को 18·5 मै. टन सीमेंट वितरित किया गया । सुवाना पंचायत समिति के पास 12 मै. टन सीमेंट शेष है।

विद्यार्थियों के उपयोग हेतु सस्ती दर की कापियां उपलब्ध कराना

577. श्री राजबहादुर (भरतपुर) :

श्री शिव सिंह रावत (बाड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में विद्यार्थियो के पढ़ने एवं लिखने के लिए नियन्त्रित दर वाली सस्ती कापियों का अकाल सा पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्या स्कूलों, तथा कालेजों में अध्ययनशील विद्यार्थियों को उक्त आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ इस दिशा में कोई कारगर कदम उठाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) राज्य स्तरीय कागज वितरण समिति के वर्तमान में कौन कौन सदस्य हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐसी स्थिति नहीं है। सन् 1980-81 के प्रारम्भ में विद्यालय स्तर के छात्रों को 94·50 लाख कापियां विभिन्न पृष्ठों की जिनका मूल्य रुपये 48·50 लाख, उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त कालेजों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों को भी उनकी मांग अनुसार कापियां उपलब्ध कराई जाती रही हैं। वर्तमान में 1·30 करोड़ कापियां मण्डल के डिपोज पर उपलब्ध हैं जिन्हें विद्यालयों के माध्यम से बेचा जाना है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जनवरी-मार्च 81 में आवंटित 900 टन कागज की लगभग 90 लाख कापियां आगामी अप्रेल-मई, 81 तक तैयार हो जावेंगी। इस वर्ष केवल 94·50 लाख कापियां ही सत्रारम्भ पर छात्रों को उपलब्ध कराई गई थीं। अतः आगामी सत्र में गत सत्र से दुगनी कापियां उपलब्ध कराने की योजना है।

(2) वर्तमान में राज्य स्तरीय कागज वितरण समिति के निम्नांकित सदस्य हैं—

1.	शिक्षा आयुक्त	अध्यक्ष
2.	उद्योग शासन सचिव	सदस्य

(शिक्षा मन्त्री)

3. निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा । — सदस्य

4. निदेशक, कालेज शिक्षा । — सदस्य

5. विशेषाधिकारी, शिक्षा — सदस्य

6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड — सदस्य

7. श्री पी. सी. भार्गव, मैनेजर राजस्थान विश्वविद्यालय मुद्रणालय — राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य

8. श्री नटवर नागर शर्मा, विद्या इन्ड-स्ट्रीज, सीकर — राज्य सरकार द्वारा कापी निर्माताओं में से मनोनीत सदस्य

9. श्री राधाकृष्ण माहेश्वरी मैसर्स रमेश बुक डिपो, जयपुर — राज्य सरकार द्वारा प्रकाशकों में से मनोनीत सदस्य

10. श्री राजेन्द्र कुमार रस्तोगी, पेपर सेन्टर, जयपुर । — कागज व्यवसाय से राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य ।

11. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर । — सदस्य सचिव

मनोहर थाना में हरनावदा शाहजी तक की कच्ची सड़क का डामरीकरण

578. श्री भैरूलाल (मनोहरथाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मनोहरथाना क्षेत्रान्तर्गत मनोहर-थाना में हरनावदा शाहजी तक भूतपूर्व कोटा रियासत से ही एक कच्ची सड़क है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क के समीपवर्ती 8-9 ग्राम पंचायतों के क्षेत्र की जनता का अकलेरा-मनोहरथाना आदि व्यापारिक कस्बों व सरकारी अदालतों के मुख्यालयों पर जाने आने के लिये यही एक मुख्य मार्ग है ?

(3) क्या बरसात के दिनों में कीचड़ के कारण यह मार्ग बिलकुल अवरुद्ध हो जाने से जनता को आने जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

(4) क्या आवागमन की सुविधा हेतु क्षेत्रीय जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से उक्त सड़क को पक्की कराये जाने हेतु समय समय पर मांग की जाती रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कच्ची सड़क को पक्की सड़क के रूप में निर्माण कराये जाने की स्वीकृति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(182)

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(2) जी हां।

(3) बरसात के दिनों में कच्ची सड़क होने के कारण आवागमन में कठिनाई होती है।

(4) जी हां।

पर चूंकि उक्त सड़क निर्धारित योजना मापदण्डों में नहीं आती है, अतः निकट भविष्य में सड़क निर्माण की संभावना नहीं है।

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में कार्यरत सांख्यिकी सहायकों का पदोन्नति कोटा

579. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी) : क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में कार्यरत सांख्यिकी सहायक का पदोन्नति कोटा 33·1/3 प्रतिशत है? क्या यह भी सही है कि सांख्यिकी सहायकों का पदोन्नति कोटा सन् 1961 में 55 प्रतिशत था?

(2) क्या यह भी सही है कि मूल्यांकन संगठन विभाग, कृषि विभाग में अधीनस्थ सेवा का पदोन्नति कोटा लगभग 70 प्रतिशत है? यदि हां, तो सन् 1961 के बाद से आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में पदोन्नति कोटा में कमी करके 33·1/3 प्रतिशत करने का क्या कारण है?

(3) क्या सरकार पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में कार्यरत सांख्यिकी सहायक का पदोन्नति कोटा 33·1/3 प्रतिशत है। यह सही नहीं है कि सन् 1961 में सांख्यिकी सहायक का पदोन्नति कोटा 55 प्रतिशत था, उस समय भी सांख्यिकी सहायक का पदोन्नति कोटा 33·1/3 प्रतिशत था।

(2) जी नहीं, मूल्यांकन संगठन विभाग अन्वेषक के पद पर 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा अन्वेषक सहायक पर 67·7 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा तथा कृषि विभाग में 50 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते हैं।

(3) यह मामला वेरी आयोग के विचाराधीन है।

भू-जल मण्डल की बोरिंग मशीन्स

580. **श्री देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भू-जल बोर्ड के पास जो बोर करने वाली मशीन्स थी उनमें से अधिकांश जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी महकमे को स्थानान्तरित कर दी गई जिससे भू-जल मंडल बोर्ड, मय उसके तकनीकी विभाग के बेकार बैठा है और पी. एच. ई. डी जो पहले ही अपने

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

काम को सुचारु रूप से संभालने में असमर्थ है, तकनीकी विभाग के अभाव में इन मशीन्स को काम में नहीं ले पा रहा है ?

(2) यदि हां, तो ऐसी अव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार हैं ? क्या सरकार इस अव्यवस्था को ठीक करने की इच्छुक है ?

(3) वर्तमान में भू-जल विभाग के पास, बोरिंग की कितनी मशीन्स हैं तथा विभाग द्वारा वर्ष 1979-80 व 1980-81 में बोरिंग का कितना कार्य किया गया ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के निर्णय, जिसमें यह तय हुआ था कि पेयजल योजनाओं के लिए नलकूप निर्माण तथा हैण्ड पम्पों का निर्माण जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा ही किया जाये, के फलस्वरूप भू-जल विभाग ने यूनिसेफ से प्राप्त एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की धन राशि से क्रय की गई 17 डी. टी. एच. (एयर) ड्रिलिंग रिगों को जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को अप्रेल, 80 स्थानान्तरित कर दी गई थीं तथा अकाल सहायता विभाग की धनराशि से क्रय की गई 6 रोटरी तथा 7 परकूशन रिगें भू-जल विभाग से जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को माह अक्टूबर, 80 में स्थानान्तरित की गईं। इस प्रकार भू-जल विभाग से जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को सन् 1980-81 में कुल 30 ड्रिलिंग रिगें स्थानान्तरित की गईं।

भू-जल विभाग के पास अब कृषकों के लिए सिंचाई के नलकूप, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान योजनाओं के लिए परीक्षणात्मक नलकूप एवं पीजो मीटर का निर्माण, अन्य राजकीय विभागों/संस्थानों एवं निजी पार्टियों के लिए नलकप निर्माण का कार्य है। अतः भू-जल विभाग बेकार नहीं बैठा है।

जहां तक जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की अपने काम को सुचारु रूप से सम्भालने में असमर्थता एवं यथेष्ठ तकनीकी के अभाव में स्थानान्तरित मशीनों को काम में नहीं ले पाने का प्रश्न है, यह इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(2) जी नहीं। यह प्रश्न इस विभाग से सम्बन्ध नहीं रखता है।

(3) वर्तमान में भू-जल विभाग के पास 16 रोटरी, 7 परकूशन तथा 8 डी. टी. एच. (एयर) ड्रिलिंग रिगें, कुल 31 ड्रिलिंग रिगें उपलब्ध हैं। वर्ष 1979-80 में भू-जल विभाग द्वारा कुल 1190 नलकूप तथा वर्ष 80-81 में (अप्रेल, 80 से फरवरी, 81 तक) कुल 534 नलकूप निर्मित किये गये। इन नलकूपों का मदवार एवं जिलेवार विवरण क्रमशः परिशिष्ठ (1) तथा (2) में दर्शाया गया है।

परिशिष्ठ–1

वर्ष 1979-80 में निर्मित नलकूपों का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल निर्मित संख्या				योग
		नलकूप	डगकम बोरवेल	पीजोमीटर	हैण्ड पम्प	
1	2	3	4	5	6	7
1.	जोधपुर	53	52	—	—	105
2.	पाली	49	—	7	—	56
3.	जैसलमेर	7	—	1	—	8
4.	जालौर	22	—	1	—	23
5.	बाड़मेर	22	—	6	—	28
6.	नागौर	30	58	—	—	88
7.	बीकानेर	5	1	—	—	6
8.	चूरू	16	—	—	—	16
9.	झुन्झुनूं	17	1	—	—	18

1	2	3	4	5	6	7
10.	सीकर	4	—	—	—	4
11.	कोटा	10	—	—	41	51
12.	भरतपुर	8	—	—	—	8
13.	अलवर	2	1	—	—	3
14.	चित्तौड़गढ़	28	—	—	27	55
15.	उदयपुर	9	—	—	96	105
16.	अजमेर	8	—	—	—	8
17.	बून्दी	1	—	—	24	25
18.	झालावाड़	12	—	—	38	50
19.	बांसवाड़ा	58	60	—	168	286
20.	डूंगरपुर	24	54	—	81	159
21.	जयपुर	3	—	—	—	3
22.	सिरोही	9	—	—	7	16
23.	भीलवाड़ा	—	—	—	69	69
	योग ..	397	227	15	551	1190

परिशिष्ट–2

वर्ष 1980-81 में अप्रेल, 1980 से फरवरी, 1981 तक निर्मित नलकुओं का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल निर्मित संख्या				योग
		नलकूप	हैण्ड पम्प	डगकम बोरवेल	पीजोमीटर	
1	2	3	4	5	6	7
1.	जोधपुर	66	53	25	—	144
2.	पाली	42	124	1	—	167
3.	जैसलमेर	20	—	—	2	22
4.	बाड़मेर	19	—	1	3	23
5.	जालौर	14	—	4	1	19
6.	बीकानेर	28	—	1	—	29
7.	नागौर	23	—	9	—	32
8.	चुरू	11	—	—	1	12
9.	श्री गंगानगर	7	—	—	—	7

1	2	3	4	5	6	7
10.	सिरोही	5	—	—	—	5
11.	सीकर	14	—	3	—	17
12.	झुन्झुनू	4	—	1	—	5
13.	भरतपुर	8	—	1	—	9
14.	जयपुर	2	—	3	—	5
15.	अलवर	1	—	1	—	2
16.	बून्दी	1	—	—	—	1
17.	बांसवाड़ा	21	—	3	—	24
18.	डूंगरपुर	1	—	—	—	1
19.	उदयपुर	2	—	—	—	2
20.	चित्तौड़गढ़	8	—	—	—	8
	योग	297	177	53	7	534

टिप्पणी :—बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों की सूचना माह जनवरी, 1981 तक की है। शेष जिलों की सूचना माह फरवरी, 1981 तक की है ।

185

तहसील बयाना अवस्थित घुरेरा बांध

581. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि तहसील बयाना के घुरेरी बांध पर 3 लाख 59 हजार रुपयों का अनधिकृत व्यय किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

महा लेखाकार, राजस्थान जयपुर ने अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978-79 में इस कार्य पर 3 59 लाख रुपये व्यय को अनधिकृत माना है। उक्त सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है।

नागौर शहर में विभिन्न स्टेन्ड्स की उपयुक्त स्थल पर व्यवस्था

582. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नागौर शहर जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी वहां उपयुक्त तांगा स्टेण्ड, टैक्सी स्टेन्ड, छकड़ा बैल स्टेन्ड नहीं है ? यदि हां, तो उपयुक्त स्थान कब तक तय कर दिये जायेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि गांधी चौक जैसी जगह जानवरों को चारा डालना, तांगा, बैल छकड़ा, हाथ ठेला आदि अव्यव स्थित रूप से इधर उधर खड़े रहते हैं जिससे आने जाने वालों को भारी कठिनाई महसूस होती है ?

(3) क्या गांधी चौक से धान मण्डी मार्केटिंग सोसाइटी, आने जाने का रास्ता रोक दिया गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के छकड़े, ट्रैक्टर आदि अपना धान लेकर मंडी में सीधे नहीं जा सकते ?

उत्तर

(1) जी हां। जिलाधीश नागौर द्वारा वाहनों के स्टेन्ड निर्धारित करने के सम्बन्ध में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी के सुझाव प्राप्त होते ही उपयुक्त स्थान निर्धारित कर दिये जावेंगे।

(2) गांधी चौक में अब जानवरों का चारा नहीं डालने दिया जाता है। तांगा, बैल, छकड़ा, हाथ ठेला आदि को अव्यवस्थित ढग से इधर-उधर खड़े नहीं रहने दिया जाता है। अतः आवागमन में कोई बाधा नहीं है।

(3) जी नहीं।

राज्य सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा में अभिवृद्धि करना

583. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विभिन्न सेवाओं में भर्ती हेतु आयु सीमा को 28 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष करने का विचार रखती है ताकि बेरोजगारों को राहत मिल सके ?

(2) वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग में विभिन्न परीक्षाओं हेतु आयु सीमा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

क्या है ? क्या सरकार आयोग की परीक्षाओं एवं चयन हेतु आयु सीमा में और छूटने देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) विभिन्न सेवाओं में भर्ती हेतु आयु सीमा 28 वर्ष से बढ़ाकर '0 वर्ष किये जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

(2) सामान्य रूप से राजस्थान लोक सेवा आयोग में विभिन्न परीक्षाओं हेतु आयु-सीमा 28 वर्ष निर्धारित है। इस आयु-सीमा को बढ़ाकर 30 वर्ष करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

ग्राम पंचायतों के लेखा-जोखा का अंकेक्षण

585. **श्री रामेश्वर लाल चौधरी** (नावां) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत के लेखा जोखा का वार्षिक ऑडिट किया जाना आवश्यक है ?

(2) यदि हां, तो पंचायत समिति कुचामन सिटी के किन-किन ग्राम पंचायतों का ऑडिट गत 10 वर्षों से नहीं किया गया है ? कृपया ऐसी ग्राम पंचायतों की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पंचायत समिति कुचामन सिटी के अधीन निम्नलिखित ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण गत 10 वर्षों से नहीं हुआ है :

1. ग्राम पंचायत भाटवा—

66-67 से 77-78—11 वर्ष

2. ग्राम पंचायत मारोठ—वर्ष

67-68 से 77-78—11 वर्ष

3. ग्राम पंचायत लिचाना – वर्ष

63-64 से 77-78—15 वर्ष

बामनवास क्षेत्र की पेयजल योजनायें

586. **श्री कुन्जीलाल** (बामनवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाडोर से बामनवास को कब तक पानी दिया जाएगा ? नहीं, तो क्यों ?

(2) बामनवास पट्टी कलां में रिवाइज्ड पेयजल योजना कब तक प्रारम्भ होगी ? नहीं तो क्यों ?

(3) पेय जल योजना हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया है ?

उत्तर

(1) बाडोर नलकूप से बामनवास को पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है। कार्य प्रारम्भ करने हेतु अभी समय निर्धारित नहीं हुआ है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मन्त्री)

(2) चूंकि बामनवास पट्टी कलां बामनवास कस्बे का ही एक अंग है अतः कस्बे की व्यवस्था होने पर बामनवास पट्टी कलां में भी व्यवस्था स्वतः ही हो जायेगी।

(3) बामनवास जल योजना हेतु चालू वित्त वर्ष में संवर्धन कार्य हेतु 25,000 रुपये आवंटित किये गये हैं।

माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर

587. श्री नानूराम कुमावत (आसीन्द) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर में माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति है ? यदि हां, तो इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ व इसके मौजूदा पदाधिकारी कौन-कौन हैं ?

(2) इस समिति ने कुल कितनी जमीन खरीदी व कितने प्लॉट काटे गये ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त समिति के विरुद्ध विभाग को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो विभाग ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो अब सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। समिति का रजिस्ट्रेशन दिनांक 3-11-72 को हुआ था। समिति के मौजूदा पदाधिकारियो में श्री पूरणचन्द कुमावत अध्यक्ष तथा श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल मंत्री हैं।

(2) समिति ने 766 बीघा साड़े दस बिस्वा जमीन खरीदी जाकर 6871 प्लाट काटे गये हैं।

(3) जी हां। शिकायतों की जांच राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत कराई जाकर उसमें पाये गये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 74 के अन्तर्गत मामला सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जयपुर के यहां विचाराधीन है।

नगर परिषदों/पालिकाओं में गैरसरकारी व्यक्तियों का मनोनयन

588. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नगरपालिकाओं में चुनाव न कराये जाने तक अध्यक्ष पद पर गैर सरकारी व्यक्तियों के मनोनयन के सम्बन्ध में क्या सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

जी नहीं।

भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु योजनाओं पर कार्य

589. श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़): क्या सैनिक कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नारायणसिंह)

(1) क्या सरकार भूतपूर्व फौजियों को नगरों में रियायती दरों पर आवासीय भू-खण्ड देती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) सरकार भूतपूर्व फौजियों के कल्याण के लिए क्या-क्या कल्याणकारी योजनाएं लागू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल आफ अरबन लैण्ड) नियम 1974 के नियम 17(3) (बी) के अनुसार 10 प्रतिशत भूखण्ड प्रतिरक्षा कर्मचारियों, जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी विधवायें भी सम्मिलित हैं, को आवंटन हेतु सुरक्षित रखे जाते हैं।

(2) भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु राज्य सरकार पहले ही से कई योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। यदि इस सम्बन्ध में और कोई उपयुक्त सुझाव प्राप्त हों तो उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा सकता है।

जिला भरतपुर में पहाड़ी से नगर तथा हरियाणा बार्डर तक की सड़कों की मरम्मत

590. श्री चाव खां (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला भरतपुर में पहाड़ी जीरो से नगर 1 किलोमीटर तथा पहाड़ी जीरो से हरियाणा बार्डर 2 किलोमीटर सड़क मरम्मत का ठेका किस ठेकेदार को कब और कितने रुपये में दिया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सड़क की मरम्मत का ठेका सोलिंग तथा डामर दोनों का ही हुआ है ? यदि दोनों ही का हुआ है, तो सोलिंग कितने इंच और डामर कितने इंच है ? कृपया अलग-अलग बतावें।

(3) क्या यह भी सही है कि जिला भरतपुर में डीग, कामां, नगर तथा पहाड़ी की सड़कों पर गिट्टियां अंरावली तथा रसिया की पहाड़ियों से ही ली जाती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम मेसेड़ा की पहाड़ी से गिट्टियां का लेना इन्जीनियर्स द्वारा रिजेक्ट किया हुआ है ? यदि रिजेक्ट किया हुआ है, तो क्या इस पहाड़ी की गिट्टियां प्रयोग में लाई गई हैं ?

उत्तर

(1) इन दोनों कार्यों का ठेका एक से अनुबन्ध के अन्तर्गत श्री रामस्वरूप गर्ग को दिनांक 2-2-80 को रु० 90,568 का दिया गया था।

(2) जी नहीं।

ठेका केवल रिमेटलिंग एवं सरफेश पेंटिंग का हुआ है। रिमेटलिंग की मोटाई कुटाई होने के पश्चात् 75 एम० एम० होती है

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

और उसके पश्चात् सरफेश पेन्टिग की तह डाली जायगी जिसकी मोटाई 10 एम. एम. के करीब होगी।

(3) जी नहीं। अरावली (चरप पहाड़ी) रसिया की पहाड़ी के अलावा घाटा, इन्द्रौली खो और ओलिन्दा की पहाड़ी से ही गिट्टी आती है।

(4) जी नहीं। मेसेडा पहाड़ी का सड़क के मैटीरियल इत्यादि के लिये खनन नहीं किया गया है, अत: इसका मैटीरियल प्रयोग में नहीं लिया गया है।

तहसील करौली में सर्वेक्षणाधीन सिंचाई योजनायें

591. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) तहसील करौली में कितनी सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण हो चुका है व कितनों पर कार्य चल रहा है?

(2) क्या यह सही है कि विनेगा की नदी, डोवलानाला, सीसनी की नदी व नामही नदी का सर्वेक्षण हो चुका है?

(3) यदि हां, तो इस कार्य पर कितना व्यय होगा व कार्य कब से प्रारम्भ होगा?

उत्तर

(1) करौली तहसील में एक माध्यम (दुर्गसी घाटा) एवं दो लघु (खडा एवं रतियापुरा-गुलाब सागर मिलाने की योजना) सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है एवं आकलंन तैयार किया जा रहा है। एक मध्यम सिंचाई योजना (पांचना सिंचाई योजना) पर कार्य चल रहा है।

(2) सिर्फ डोबला नाले का सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। अन्य योजनाओं पर सर्वेक्षण कार्य नहीं हुआ है।

(3) डोवला नाले का सर्वेक्षण, आकंलन एवं लाभ लागत अनुपात के अनुमान का कार्य पूर्ण होने तथा योजना के लाभदायक होने पर योजना की प्राथमिकता एवं वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने पर निर्णय लिया जा सकेगा।

अजमेर नगर की बाढ़ समस्या का स्थायी समाधान

592. **श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर की निचली बस्तियां सदैव बाढ़ के प्रकोप से पीड़ित रहती हैं? यदि हां, तो भविष्य में इसकी सुरक्षा हेतु आगामी क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है और इसके लिये कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जावेगी? कृपया पूर्ण ब्यौरे सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1975 में उर्स के समय करोड़ों रुपयों की जनधन की हानि हुई थी? यदि हां, तो सरकार

(श्री भगवानदास शास्त्री)

की इस भयंकर समस्या से निपटने के लिये क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर नगर की निचली बस्तियां सदैव बाढ़ के प्रकोप से पीड़ित रहती हैं। इन बस्तियों की बाढ़ से सुरक्षा हेतु कुछ स्थानों पर नगर-परिषद् के माध्यम से नालों की दीवारे ऊंची की गई हैं, तथा आनासागर फीडर की नाड़ियों का निर्माण कार्य एवं आनासागर तालाब पर स्लूस गेट का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। तारागढ़ फ्लड मोडरेशन बांध (इन्दर कोट) का कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों पर वर्ष 1975-76 से 1980-81 तक रु० 23.78 लाख व्यय होने की सम्भावना है। अजमेर शहर को बाढ़ से बचाने हेतु रु० 870/– लाख की विभिन्न विभागों द्वारा एक सम्मिलित योजना बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा 306.65 लाख रु. की राशि के संलग्न सूची के अनुसार कार्य प्रस्तावित हैं। इनकी प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11-3-1981 को दे दी गई है।

(2) जी हां। वर्ष 1975 में उर्स के समय आई बाढ़ से काफी जन धन की हानि हुई थी। इस भयंकर समस्या से निपटने के लिए वर्ष 1975-76 में रु. 69.00 लाख की योजना बनाई गई थी, जिसमें से सिंचाई विभाग द्वारा रु. 20.70 लाख के कार्य करवाए जा चुके हैं।

कमरतोड़ महंगाई को नियंत्रित करने के संदर्भ में कारगर कदम उठाना

593. **श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)** : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में अभी गेहूं, चना, ज्वार चावल, सभी प्रकार की दालों तथा खाने का तेल आदि अनिवार्य खाद्य पदार्थों के क्या-क्या भाव हैं ?

(2) क्या यह सही है कि निरन्तर बढ़ रही महंगाई से आम जनता परेशान है ? यदि हां, तो कमर तोड़ महंगाई को नियंत्रित करने के लिये सरकार क्या कारगर कदम उठा रही है।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) माह फरवरी, 81 के द्वितीय पक्ष तक भावों में वृद्धि का जो रुख था, जो अब कुछ गिरावट के साथ स्थिर है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्रसारित विभिन्न आदेशों की कड़ाई से पालना की जा रही है।

सूची

क्रम. संख्या नाम आवश्यक वस्तु	औसत दर (माह मार्च, 81 के द्वितीय सप्ताह)
खाद्यान्न एवं अन्य वस्तु	**कीमत रुपयों में प्रति क्विंटल**
1. गेहूं (लाल)	163–170
2. गेहूं (सफेद)	180–304
3. जौ	145–156
4. ज्वार	139–156
5. बाजरा	145–154
6. मक्का	153–155
7. चना	338–355
8. चावल	224–556
9. शक्कर	748–761
खाद्य तेल	**कीमत रुपयों में प्रति किलो ग्राम**
1. सरसों का तेल	13·36–13·57
2. मूंगफली का तेल	13·54–14·42
3. तिल्ली का तेल	13·50-13·98
4. वनस्पति	13 46–14'17
दालें	**कीमत रुपयों में प्रति किलो ग्राम**
1. दाल अरहर	4·56–4·68
2 दाल मूंग	5·34–5·61
3. दाल मसूर	4·43
4. दाल चना	5 51

जावर माइन्स द्वारा गोव ग्रावर कारखाने हेतु अवाप्त भूमि

388. **श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जावर माइन्स कारखाने व माइन्स के उपयोग के लिये माइन्स से कितने किलो मीटर दूर तक भूमि किसानों को आवंटित नहीं की जा सकती ? इस सम्बन्ध में वर्ष 1960 से 1980 तक कितनी बार नोटिफिकेशन जारी किये गये ? कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जावर माइन्स द्वारा गोव जावर कारखाने के उपयोग के लिए किसानों की भूमि अवाप्त की गई है ? यदि हां, तो भूमि का प्रति बीघा किसानों को क्या मुआवजा दिया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि अवाप्त की गई भूमि उपयोग में नहीं आने पर जावर माइन्स प्रशासन द्वारा किसानों से मुआवजा वापस जमा कराने को कहा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जावर माइन्स कारखाना एवं माइन्स के उपयोग के लिये जो भी भूमि लीज क्षेत्र में आती है उसको छोड़कर अन्य क्षेत्र में किसानों को भूमि नियमानुसार आवंटित की जा सकती है। जहां तक 1960 से 1980 तक की अवधि में नोटिफिकेशन जारी किये जाने का प्रश्न है इसका सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है।

(2) जी हां। जावर माइन्स द्वारा गोव ग्रोवर कारखाने के उपयोग के लिये किसानों को भूमि अवाप्त की गई है। इस भूमि का मुआवजा किसानों को भूमि की किस्म के अनुसार 500/– रुपये से लेकर 1400/– रुपये प्रति बीघा की दर से दिया गया है।

(3) जी हां। इस विषय में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी को प्रार्थना की गई कि उनकी परियोजना में कुछ तकनीकी कारणों से परिवर्तन होने के कारण जिस भूमि की उन्हें आवश्यकता नहीं है वह भूमि मुआवजे की राशि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को लौटा कर वापस काश्तकारों के नाम परिवर्तित कर दी जावे। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने काश्तकारों को भी इस विषय में सूचित किया है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25 मार्च, 1981)

मदिरा विक्रय के लाइसेन्स

466. **श्री रामलाल (मेड़ता) :** क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार की यह नीति है कि 1 अप्रेल, 1980 को राज्य में पूर्ण मद्य निषेध घोषित होने के उपरान्त मद्यपान के आदि व्यक्तियों को मदिरा विक्रय के लिये लाइसेन्स उन्हीं अनुज्ञाधारियों को दिये जावेंगे, जिनके पास 1979 में ठेके रहे हैं ?

(श्री रामलाल मेड़ता)

(2) यदि हां, तो इन नियमों का करौली, नागौर, मेड़ता, अलवर, भरतपुर, हिन्डौन, सवाई माधोपुर आदि स्थानों पर लाइसेंन्स देते वक्त उल्लंघन क्यों किया गया ?

(3) किन निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिये किन आबकारी अधिकारियों ने सरकार की उपरोक्त घोषित नीति का उल्लंघन किया ? सरकार ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। यदि उनके विरूद्ध पुरानी वाकियात न हो, और कोई मुकदमा दर्ज न हो।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26 मार्च, 1981)

प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में अनुसूचित जाति एवं जन जातियों की सुरक्षा हेतु स्थापित प्रकोष्ठ की उपलब्धि

493. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) व श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति व जन जातियों की सुरक्षा की व्यवस्था हेतु उप खण्ड स्तर पर प्रकोष्ठों का गठन किया गया है ? यदि हां, तो जिला चित्तौड़गढ़ के उपखण्ड प्रतापगढ़ में प्रकोष्ठ में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? प्रकोष्ठ के द्वारा किन किन प्रार्थना-पत्रों पर मौके पर जाकर निपटारा किया गया ? कृपया माह जुलाई, 1980 से जनवरी, 1981 तक विवरण सहित ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

प्रतापगढ़ उपखण्ड स्तर पर रेवेन्यू कम पुलिस प्रकोष्ठ दिनांक 25-4-80 के राज्या-देशों के अनुसरण में स्थापित किया हुआ है। इस प्रकोष्ठ में 8 प्रतिवेदन-पत्र प्राप्त हुये। इन सबका निस्तारण किया जा चुका है। मौके पर निस्तारण करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 573 की सूची

परिशिष्ट "अ"

1.	पद का नाम	भर्ती की प्रक्रिया	सीधी भर्ती हेतु योग्यता एवं अनुभव	पद जिसे पदोन्नति होनी हैं और पदोन्नति हेतु अनुभव	सीधी भर्ती हेतु आयु (अधिकतम)
1	2	3	4	5	6
			जन सम्पर्क विभाग		
1.	उप महा प्रबन्धक	100 प्रतिशत पदोन्नति		वरिष्ठ जन सम्पर्क अधिकारी 3 वर्ष के अनुभव सहित	प्रसंग 153)78
2.	वरिष्ठ जन सम्पर्क अधिकारी	100 प्रतिशत पदोन्नति	,,	जन सम्पर्क अधिकारी 3 वर्ष के अनुभव सहित	

1	2	3	4	5	6
3.	जन सम्पर्क अधिकारी	100 प्रतिशत पदोन्नति	1. पत्रकारिता में डिप्लोमा एवं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला वाणिज्यों विज्ञान में स्नातकोत्तर अथवा कम से कम द्वितीय श्रेणी स्नातक 2. किसी भी राजकीय उपक्रम अथवा राज्य सरकार के विभाग में जनसम्पर्क एवं श्रमिक समस्याओं का 3 वर्ष का अनुभव ।	सहायक जन सम्पर्क अधिकारी 3 वर्ष के अनुभव सहित	30 वर्ष प्रसंग 187)77
4.	सहायक जन सम्पर्क अधिकारी	100 प्रतिशत पदोन्नति	,,	वरिष्ठ स्वागतकर्ता 3 वर्ष के अनुभव सहित	
5.	वरिष्ठ स्वागतकर्ता	100 प्रतिशत पदोन्नति	,,	स्वागतकर्ता 3 वर्ष के अनुभव सहित	

1	2	3	4	5	6
6.	स्वागतकर्ता	100 प्रतिशत सीधी भर्ती	1. कला, वाणिज्य अथवा विज्ञान में उपाधि 2. विभागीय उम्मीदवारों के मामले में छूट सम्भव		28 वर्ष

विशेष विवरण—विभागीय उम्मीदवार जो कि हायर सैकण्डरी तक योग्यता रखते हैं वह भी इस पद हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। उनके मामलों में आयु की अधिकतम सीमा 35 वर्ष होगी।

(198)

परिशिष्ट-4

तारांकित प्रश्न संख्या 583 की सूची

न्यायालय तहसीलदार एवं अतिक्रमण निरोधक अधिकारी
नगर विकास, न्यास जयपुर

क्रमांक एफ 6 (एस.पी.) निशा/जोन नं. 5/नविज/80 दिनांक 2-6-80

नोटिस अन्तर्गत धारा 91 ए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 विरूद्ध श्री उमराव चन्द डागा

अजमेर रोड, ई.एस.आई. हॉस्पिटल के सामने, जयपुर।

नगर विकास न्यास के निरीक्षक/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निरीक्षण एवं जांच के दौरान यह पाया है कि आपने भूखण्ड संख्या/खसरा नम्बर ....योजना/क्षेत्र अजमेर रोड में बिना पूर्व अनुमति के/जयपुर नगर के मास्टर प्लान के उल्लंघन में योजना के नियम उपनियम व निर्धारित सेट बैक्स/बिल्डिंग लाइन्स/स्ट्रीट अलाटमेन्ट के प्रतिकूल निम्न निर्माण कार्य कर रहे हैं/कर लिया है। अतः आपको राजस्थान नगर विकास न्यास अधिनियम 1959 को धारा 91 ए के अन्तर्गत परन्तुक के प्रावधानों के अन्तर्गत अवसर प्रदान किया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति से 3 दिन में कारण बतावें कि क्यों न आपके द्वारा आरम्भ किये गये/किये जा रहे/सम्पूर्ण किये गये अनधिकृत निर्माण कार्य एवं आपके हर्जे खर्चे पर ध्वस्त कर दिया जावे। यदि आपने निर्धारित अवधि में 23-6-80 को उपस्थित होकर कोई कारण लिखित या मौखिक से नहीं बताया तो यह समझ लिया जावेगा कि आपको इस विषय में कोई कारण नहीं बताना है और आपके उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अधीन अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त किये जाने का आदेश जारी कर दिया जावेगा जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

विवरण अनधिकृत निर्माण

बिना न्याय की स्वीकृति के अपने भूखण्ड पर लगभग 50×10 में तीन कोटरियां व 45×25 में एक टिन शैड उत्तरी कम्पाउन्ड वाल पर तथा 25×15 व 20×30 के गोदाम तथा 50×60 में लगभग एक टिन शेड दक्षिणी क.वा. पर बनाकर अनधिकृत निर्माण कर रखा है।

नोटिस आज मेरे दस्तखत एवं मोहर द्वारा दिनांक 4-6-80 का जारी किया गया।

ह० पृथ्वीसिह आर्य
तहसीलदार
अतिक्रमण निरोधक अधिकारी,
नगर विकास न्यास, जयपुर-4

परिशिष्ट–5

तारांकित प्रश्न संख्या 584 की सूची

सूची परिवाद विरुद्ध श्री श्रवणराम उ. नि. जिला बीकानेर जो सन् 1976 से अब तक प्राप्त हुई,

क्रम सं०	प्राप्ति दिनांक	विवरण परिवाद	किस अधिकारी द्वारा जांच की गई	नतीजा जांच	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1.	3–3–78	श्री बख्तावरसिंह निवासी हादा का परिवाद विरूद्ध श्रवणराम बाबत ऊंटनी चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं करने	वि. जा. नियम 16 सी.सी.ए. रूल्स के की जाकर उ. नि. को दोष मुक्त किया (सतर्कता द्वारा)	दोष मुक्त किया गया।	—
2,	4–1–78	मु० बन्सा पत्नि पहलवान नि० सावकला बाबत उससे 500) रु० रिश्वत लेने।	पु० अ० बीकानेर	आरोप निराधार पाये गये	—

1	2	3	4	5	6
3.	4–1–78	परि० द्वारा नब्बी नि० सवाई कला बाबत उससे 400) रुपये रिश्वत लेने।	पु. अ. बीकानेर	आरोप निराधार पाये गये	—
4.	4–1–78	परि० आतन पुत्र झांगो खाँ राव कला बाबत रु० 1200) रिश्वत लेने।	"	"	—
5.	19–9–78	परि० श्री मोहन शर्मा पत्रकार अखबार क्रान्ति बिगुल बाबत उसे धमकियां देने व 186 का इस्तगासा झूंठा पेश करने।	सी. ओ. सिटी बीकानेर	असत्य पाया गया	—
6.	26–12–79	परिवाद श्री लेखाराम पुत्र कुभाराम विश्नोई बाबत मुल्जिम पार्टी से मिल कर मुकदमा दर्ज न करने।	"	आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये	—
7.	9–1–30	परि० श्री अर्जुनसिंह सरपंच ग्राम पं० रोड़ा बाबत सीमेंट के किस्से में गलत मुकदमा दर्ज कर चालान करने।	"	आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये	—
8.	22-9-80	परि० मोहन शर्मा पत्रकार भद्र थानेदार ने स्थानान्तरण कैन्सिल करा लेने।	"	"	—
9.	12-9-80	परि० मु० दुर्गाकंवर बाबत विपक्ष पार्टी से मिल कर उसका मुकदमा खराब कर देने।	"	"	—

1	2	3	4	5	6
10.	24-1-80	श्री भगवाबाराम चौधरी का परिवाद बाबत राजनैतिक कारणों से झूठा मुकदमा दर्ज करने के संबंध में।	सी. ओ. साउथ बीकानेर	आरोप निराधार पाये गये।	—
11.	29-1-80	परि० श्री चांदरतन श्रीमाल नत्थूसरगेट बाबत उसके मकान विपक्षी पार्टी से मिल कर गलत कुर्की करवाने बारे में।	श्री गिरधारीसिंह, सी.आई. बीकानेर	जांच जारी है।	—
12.	29-11-80	परि० जन सेवक बाबत नोखा मण्डी में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में।	"	जांच से आरोप सही पाये गये 17 सी.सी.ए. के तहत कार्यवाही की जा रही है।	—
13.	18-2-81	परि० श्री नानूराम बाबत उसमें 500) रिश्वत ले लेने के बारे में।	"	जांच जारी है।	—

(202)

श्रीमान निदेशक महोदय,
सतर्कता विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः—थानेदार बज्जू श्री श्रवण कुमार व डीवाई. एस. पी. (साउथ) भंवरों साहब के द्वारा रिश्वत लेने व मनमानी तानाशाही के विरूद्ध जांच करवाने व तबादला कराने हेतु।

श्रीमान जी,

सेवा में निवेदन है कि ग्राम हदा तहसील कोलायत का रहने वाला हूं। मेरी एक सांड सांगाराम राईका ने चोरी कर ली है जिसको श्री कल्याण सिंह ने ले जाते हुए देखा था। इस वाके के बाबत में थानेदार बज्जू श्री श्रवण कुमार के पास मुकदमा दर्ज करवाने गया जिस पर थानेदार ने कहा कि अदालत से हुकम लाने पर ही मुकदमा दर्ज होगा। मैंने अदालत में इस्तगासा कर मुकदमा करने का हुकम 6-7-77 को प्राप्त कर बज्जू लेकर गया। मेरे बज्जू थाने ता. 8-7-77 को पहुंचने पर थानेदार श्री श्रवण कुमार ने कहा कि बीकानेर से जीप लाओ तब तफतीश के लिए चलेंगे। मैं बीकानेर जाकर एक जीप जोंगा नं. 4516 ड्राइवर सुगनाराम को किराये कर बज्जू पहुंचा जिस पर थानेदार श्रवण कुमार व साथ में मुंशी श्री भूपराम सिपाही गंगाराम तथा प्रभू सिंह सिपाही को साथ में लेकर जीप में गांव चारनवाला पहुंचे। गांव में पहुंचने पर थानेदार ने पूछा कि गंगाराम कहां है इस पर गांव में खड़े बच्चों ने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले यहां खड़ा था लेकिन जीप की आवाज सुनकर गांव के बाहर उत्तर की तरफ दौड़ गया इस पर थानेदार ने सिपाहियों को लेकर जीप से सांगाराम के पैरों के खोज पर पीछा किया व सांगाराम को गांव के करीब 1-1।। मील दूर पकड़ लिया। इस पर थानेदार ने कहा कि चोर यही है वरना भागता नहीं। सांगाराम मुल्जिम से धमका कर पूछा ताछा की तब सांगाराम ने हाथा जोड़ी की कि मुझे मारो मत सांड मैंने ही चोरी किया है मेरे से गलती हो गई है मुझे मारो मत मुझे माफ करो मैं सांड वापस ला दूंगा और थानेदार सांगाराम को जीप से बैठाकर गांव में ले आये और वहां से थाने बज्जू आ गये बज्जू पहुंचने पर थानेदार ने कहा कि गवाह लाओ तभी गिरफ्तार करूंगा मैं तारीख 10-1-77 को सुबह गवाह कल्याणसिंह को ले आया। कल्याणसिंह के बयान लेने के बाद मैंने थानेदार को कहा कि मुल्जिम को गिरफ्तार कर अदालत से रिमाण्ड लो। थानेदार ने कहा कि अभी पूछताछ कर रहे हैं। मुल्जिम को थानेदार तीन दिन तक बैठाये रखा। चौथे दिन सांगाराम के रिश्तेदार वगैरह पैरवी करने बज्जू पहुंच गये। उनके द्वारा थानेदार से पता नहीं क्या बातचीत हुई मुझे थानेदार ने बुलाकर कहा कि सांड असली अब मिल नहीं सकता क्योंकि कई महीने हो चुके हैं आप मुल्जिम पार्टी से पंचायती फैसला कर लो। इन लोगों से एवज में सांड दिला दूंगा। मैंने कहा जैसे आपकी मर्जी हो मुझे आप पर भरोसा है। इसके बाद थानेदार ने मुझे कहा कि आप जाओ सांड राईका आपको दे देंगे। मैं वहां से अपने गांव आ गया। इसके कुछ दिन बाद मैं बज्जू

थानेदार के गया तब थानेदार ने कहा कि आपका मुकदमा झूठा है आपके खिलाफ दफा 211 की कार्यवाही होगी। मुझे दबाव देकर कहा कि 1000/– रु. देओगे तो बचा सकता हूं वरना 211 की कार्यवाही होगी। तब मैंने डरते हुए कि शायद मुझे उलटा मुकदमे में थानेदार फंसा न ले थानेदार को बड़ी मुश्किल से 500/– रु. के लिए राजी किया। मेरे पास रुपये जेब में नहीं थे सो एक दिन की मोहलत मांग कर गांव से वापस बज्जू रुपये लेकर पहुंचा। थानेदार अपने क्वार्टर में था मेरे जाने पर थानेदार ने क्वार्टर से बाहर आकर कहा कि रुपये ले आये मैंने कहा हां ले आया हूं और मैंने नरसीराम पुत्र जासूराम नायक सा. जो कि मेरे साथ आया था के रूबरू 500/– रु. सौ सौ के पांच नोट थानेदार के हाथ में दे दिये। थानेदार ने कहा कि अब आप जाओ सांड अपने आप सीगाराम के रिश्तेदार घर पहुंचा देंगे और आपके खिलाफ 211 की कार्यवाही नहीं होगी। इस पर मैं वापस गांव आ गया।

प्रार्थी ने थानेदार की शिकायत उच्चाधिकारियों से की परन्तु यह जांच डीवाई. एस. पी. बीकानेर (साउथ) जौहरी साहब को सौंपी यहां तक कि गवाहों के भी झूठे बयान लिये। जौहरी साहब के बाबत भी आम चर्चा है कि यह रिश्वत लेते हैं और रिश्वत लेकर मुकदमा को रफा दफा कर देते हैं। यही प्रार्थी के मुकदमा में किया है। इस प्रकार के थानेदार व डीवाई. एस. पी. साहब जौहरी साहब ने मुल्जिम से सांठ गांठ कर ली और मुकदमा को अनुचित रूप से बचा दिया जो कतई गैर इन्साफी है व मुल्जिमान से सांठ गांठ करके किया है।

अर्ज है कि थानेदार व डीवाई. एस. पी. (साउथ) ने मेरे साथ अन्याय व धोखा किया। मुझे भरोसा दिलाकर जीप किराये पर मंगाई जिसका किराया मुझे 375/– रु. देने पड़े व इस डर के कि कहीं थानेदार मुल्जिम पार्टी से मिल कर 211 की कार्यवाही न कर दें। थानेदार के मांगने पर 500/– रु. दिये इसलिए उक्त दोनों अधिकारियों के खिलाफ जांच कराई जावे एवं उन्हें वर्तमान पदों से हटाया जावे ताकि जांच में दखल न दे सकें एवं मुकदमा की तफतीश अन्य अधिकारी से कराई जाने की कृपा करें और जौहरी साहब ने थानेदार साहब से सांठ गांठ करके प्रार्थी के खिलाफ जांच की है जिसको निष्पक्ष अधिकारी से कराई जावे।

अतः यह भी निवेदन है कि नरसीराम नायक जो गवाह है उसको श्री जौहरी साहब ने मेरा हाल बताया है जो बिलकुल गलत है इसकी जांच गांववासियों से की जा सकती है।

दिनांक 3-3-78 प्रार्थी

हस्ताक्षर

(बख्तावर सिंह पुत्र भोजराज सिंह राजपूत भू. पू.
सरपंच ग्राम पंचायत इंदा।)

पुलिस अधीक्षक,
बीकानेर ।

विषयः—थानेदार श्रवण राम द्वारा रिश्वत लेने बावत ।

श्रीमान जी,

सेवा में निवेदन है कि थानेदार श्रवणराम सिपाही धीसूसिंह, भीरू पुत्र मेवा मेरे खेत में करीबन 5 माह पूर्व आये । थानेदार ने मुझे बुलाकर कहा कि तुम अपनी लड़की कर्मा से पेशा करवाती हो तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है इसलिये तुम मां बेटी का अदालत में चालान पेश होगा । मैंने थानेदार को कहा कि मेरी भी इज्जत है इस तरीके से लोगों के कहने से मुझे अकेले में बेइज्जत नहीं करें । इस पर सिपाही धीसू व भीरू मुझे अलग ले गये और कहा कि तेरी शिकायत है इसलिये जांच तो होगी ही अगर तुम रुपये 500/– दे दो तो तुम्हारी जान छुड़वा सकते हैं । मामला रफा दफा हो सकता है ।

अर्ज है कि मैंने मेरी इज्जत से डरते हुए 500/– रु. देने की हां भरी और घर से 500/– रुपये लाकर कालू पुत्र रखिया के सामने लाकर थानेदार को साथ में धीसूसिंह सिपाही भी था दिये । धीसूसिंह ने पैसे गिनकर थानेदार को दिये । थानेदार ने रुपये जेब में डाल लिये । इसके बाद थानेदार जी ने मुझे हिदायत की कि अगर शिकायत की तो तुम मां बेटी को ऐसा कसाऊंगा कि उम्र भर याद रखेगी । अर्ज है कि इतने दिन थानेदार श्रवण राम ने वज्जे रहते में आपके सामने पेश हो शिकायत नहीं कर सकी । अब प्रार्थना है कि थानेदार श्रवण राम, सिपाही धीसू सिंह व भीरू पुत्र मेवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करें तथा मुल्जिमान को पूरी सजा दिलवायें ।

मुझे पूरा भरोसा है कि आप जैसे ईमानदार अफसर मुझ बेवा को सही न्याय दिला कर मेरे रुपये वापस दिलायेंगे तथा सही जांच करवाई जावेगी ।

प्रार्थिणी
बंसा पत्नि पहलवान
गांव राव कला
थाना वज्जू ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक,
बीकानेर।

विषय: —थानेदार श्रवणराम द्वारा रिश्वत लेने बाबत बगैर जुर्म हथकड़ी लगाने।

श्रीमान जी,

थानेदार श्रवणराम सिपाही धीसू सिंह व दो अन्य सिपाही नाम-नामालूम ग्राम से करीबन दो माह पहले सवाई कलां गांव में आये। सिपाही धीसू सिंह मुझे बुला कर मुझे थानेदार के सामने ले गया। थानेदार ने मुझे डांट पिलाई कि आवारागर्दी करते हो तुम्हारे थाने में ले जाकर चुतड़ लाल कर दूंगा और सिपाहियों को कहा कि नव्वी को हथकड़ी लगा दो। इस पर धीसू सिंह सिपाही ने मेरे हथकड़ी लगा दी इसके बाद मुझे लगासर ले गये वहां थोड़ी देर रुक कर पीये, दिल्लू खां की ढाणी ले गये और मुझे एक कोने में बिठा दिया।

इसके बाद धीसू सिपाही तंग करने लगा और कहा कि 500/– रुपये थानेदार जी को दो तो तुम्हारी जान छूट सकती है। धीसू ने मुझे मां बहन की गालियां निकाली और कहा कि आवारागर्दी करते हो और हां भी नहीं भरते हो तुम्हें थाने चलने पर मजा मिलेगा। इस पर मैंने रुपये देने की हां भर ली पर रुपये अपने पास नहीं होने की अर्ज की। इस पर धीसू सिंह ने कहा कि अगर यहीं छूटना है तो किसी से उधार लेकर रुपये ला दो। इस पर मैंने मियां जानमंद पुत्र मियां पूनू से 400/– रुपये उधार लिये और जानमंद के रूबरू धीसू सिंह को गिनाये और धीसू सिंह ने हमारे (मेरे व जानमंद के) सामने थानेदार श्रवणराम को दिये। थानेदार ने रुपये जेब में डाल लिये इसके बाद थानेदार ने कहा कि अगर शिकायत की तो जान से मार दूंगा। इस पर जानमंद को जामिन के तौर पर बीच में लिया कि शिकायत नहीं करेगा। मेरी हथकड़ी निकाली।

निवेदन है कि थानेदार, धीसू सिंह को तुरन्त निलम्बित कर सही जांच आप स्वयं करावें तथा हमें न्याय का विश्वास होगा व मेरे रुपये 400/– वापस दिलवाये जावें।

प्रार्थी

अ. नि. नव्वी पुत्र पानापड़ी हाट

सा. सवाई कला थाना बज्जू

पुलिस अधीक्षक,
बीकानेर।

विषय: थानेदार श्रवणराम द्वारा रिश्वत लेने बाबत।

श्रीमान जी,

पुलिस थाना वज्जू खां भूतपूर्व थानेदार श्रवणराम आज से करीबन 5 माह पूर्व मेरे खेत में गया। थानेदार के साथ घीसू सिंह व भीरू भी था। खेत में पहुंचते ही घीसू सिंह ने मुझे धक्का मार कर मां बहन की गालियां निकाली और कहा कि तुम आवारागर्दी करते हो। पहले नाजायज ताल्लुक औरतों से करते हो फिर उनका बच्चा (गर्भपात) गिरवाते हो। थानेदार ने पूछा क्या यही वह बदमाश आतनीया है तो घीसू सिंह व भीरू ने हां भरी। इसके बाद थानेदार मुझे बुरी तरह गन्दी गन्दी गालियां निकालने लगा। इस पर घीसू सिंह व भीरू मुझे अलग ले गये कहा कि तुझे थानेदार जी गिरफ्तार करेंगे तेरे खिलाफ शिकायत है। अगर तुम 500/– रुपये देवो तुम्हारी जान छुड़वा सकते हैं। मेरे मना करने पर कि मेरा कोई कसूर नहीं है दोनों मुझे दबाते रहे व मैंने डरते हुए अपनी इज्जत बचाने के लिये 1200/– रुपये की हां भरी। इस पर दोनों ने तुरन्त पैसे लाने के लिये कहा तो मैंने अपने झोंपड़े से पैसे लाने की छुट्टी मांगी वहां पर पीरू पुत्र साम भी मेरे से मिलने आया हुआ था। उसने भी मेरे से यह वाका पूछा तब मैंने कहा बाद में बताऊंगा तथा उसे साथ ले मैंने 1200/– रुपये घीसू सिंह के हाथ में दिये। घीसू सिंह ने रुपये गिनकर थानेदार जी को दिये जिस पर भीरू ने कहा कि थानेदार जी रुपये 1200/– बहुत है अब इसके कागज फाड़ दीजिये। थानेदार जी पीरू की बात मानते हुए रुपये घीसू सिंह से ले जेब में डाल लिये उस समय पीरण पुत्र शमद भी मौजूद खड़ा था।

निवेदन है कि अब तक थानेदार वज्जू में ही लगा हुआ था इसलिये डरते हुए शिकायत नहीं की थी अब उसकी बदली हो चुकी है। थानेदार को तुरन्त निलम्बित करें वरना वह अपने प्रभाव से फिर दबाव जांच के दौरान गवाहों पर डालेगा व मेरे रुपये मुझे वापस दिलवाये जावें। कृपया जांच आप स्वयं करें तो ही हमें जांच पर पूर्ण विश्वास रहेगा व मुझे आप सही न्याय दिलवा कर मुल्जिम थानेदार, घीसू सिंह सिपाही व पीरू को सजा दिलवायेंगे।

प्रार्थी
अ. नि. आतन पुत्र भंगी खां
मकवल सा. राव कलां थाना वज्जू

क्रान्ति विगुल
सम्पादक, मोहनलाल शर्मा

प्रधान कार्यालय जस्सूसर गेट के बाहर
वैध मघारोप कालोनी,
बीकानेर दि० 9-8-78

श्रीमान मुख्य मंत्री महोदय,
राज० जयपुर।

श्रीमान ग्रह मंत्री महोदय,
राज० जयपुर।

विषय—पुलिस थानेदार से मेरी सुरक्षा की जावे।

माननीय महोदय,

मैं बीकानेर से समाचार पत्र क्रान्ति विगूल का संचालन संवादक का कार्य करता हूं और मैंने क्रान्ति विगूल के अंक 4 दि० 13 जून, 78 के अन्तिम पेज पर बीकानेर जिले के त० कोलायत के भारत पाक सीमा पर लगे गांव बज्जू के पुलिस थानेदार श्रवण कुमार आडे द्वारा वहां के नागरिकों के साथ की गई घिनौनी हरकतों व देश के साथ की गई गद्दारी का समाचार प्रकाशित किया था। थानेदार श्रवण कुमार के खिलाफ भारी जन आक्रोश था और उस पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप थे जिस पर उक्त थानेदार का राज्य सरकार ने वहां से झुंझनू पुलिस लाइन तबादला करके उस पर पाबन्दी लगाई थी कि झुंझनू एस. पी. की इजाजत बगैर वह झुंझनू से बाहर नहीं जा सकेगा।

परन्तु उक्त थानेदार कभी झुंझनू गया ही नहीं और अपना तबादला येन केन वापस बीकानेर में ही नया शहर थाने में करवा लिया। मेरे द्वारा क्रान्ति विगूल में प्रकाशित समाचार से थानेदार श्रवण कुमार काफी नाराज हुए और मेरे को कहा कि आप उस समाचार का प्रतिवाद छापो। मैंने कहा वह समाचार गलत नहीं है इसलिये प्रतिवाद कैसे छाप सकता हूं जिस पर थानेदार साहब काफी नाराज होकर गुस्से में गालियां निकालने लगे और कहा कि समुन्दर में रह कर मगरमच्छ से वैर मत करो अन्यथा मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और गालियां निकालते हुए जाते आते, यह कह गये कि ऐसा फंसाऊंगा कि पत्रकारिता भूला दूंगा और मेरे खिलाफ उन्होंने धारा 186 के तहत पुलिस विभाग द्वारा बिलकुल मनगढंत इस्तगासा दायर कर दिया है जिसका मुझे पता चला तो मैं अपनी फरियाद लेकर एस०पी० व डी०एस०पी० से मिला। परन्तु उन्होंने कुछ भी मदद करने से इन्कार कर दिया। जब उक्त थानेदार श्रवण कुमार मिला तो उसने कहा कि अभी तो केवल इस्तगासा ही किया है मैं एस०एच०ओ० हूं जान से भी मरवा दूं तो मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है।

मैं जस्सूर गेट बाहर थाना नया शहर की सीमा का वासिन्दा हूं और समाचार पत्र क्रान्ति बिगुल का कार्यालय भी नहीं है और थानेदार श्रवण कुमार आडे नया शहर थाने का एस०एच०ओ० है जो मुझे कभी भी मरवा सकता है और मेरे पर झूंठे मामले बनवा सकता है। मैंने जीवन में कभी भी ऐसा और कोई कार्य नहीं किया जिस पर किसी प्रकार का मुकदमा व पुलिस में मामला हुआ हो। मैंने डकैत इसतहारी मुल्जिम व काला बाजारियों को पकड़वा कर पुलिस की मदद करने पर पुलिस पुरस्कार पिछले साल जरूर मिला था। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे पर झूंठे मनगढंत किये गये इस्तगासा की जांच करवा कर और इस आपात काल का नशे चढ़े पुलिस थानेदार श्रवण कुमार से मेरी जान माल की सुरक्षा की गारन्टी दी जाकर स्वतन्त्र पत्रकारिता की।

एस०डी० मोहनलाल शर्मा

श्रीमान पुलिस अधीक्षक,
बीकानेर।

विषय— एस. एच. ओ. पुलिस थाना नोखा श्रवणराम ने अपराधी सहीराम के खिलाफ बावजूद लिखित दरख्वास्त के मुकदमा दर्ज नहीं करके तथा उससे साज बाज करके मुल्जिम सहीराम को छोड़ दिया मुल्जिम सहीराम तथा एस. एच. ओ. श्रवणराम के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने हेतु।

श्रीमान जी,

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि प्रार्थी की दुकान वाके ग्राम देवला त० नोखा में सहीराम पुत्र लादूराम नि० मोडू त० कोलायत हाल सेगला ने दि० 11-9-79 दिन में अनधिकृत व चोरी की नीयत से प्रवेश कर रुपया 1400) नाते सौ सौ के तथा चांदी के पुराने कलदार रुपये सात चाँदी की चौवन्नी अठन्नी के सिक्के करीबन भरी चार तथा एक चांदी का रुपया दुमडिया व चांदी का कडीया तुला हुआ करीबन 10 भरी इन चीजों के साथ एक वाउचर दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति ग्राम जेगला का व बदनीयती से चोरी करके कोल की जेब में से ले गया। इस घटना की बाबत मुल्जिम सहीराम ने प्रार्थी व नैनूराम उप सरपंच मौतबीरान हरभज पुत्र श्री कानाराम लादूराम पुत्र मंगलाराम आदि के सम्मुख जुर्म स्वीकार कर भी लिया तथा यह भी स्वीकार किया कि इस चोरी के माल से रेडियो इत्यादि बीकानेर से 12-9-79 को खरीद लाया है। रिपोर्ट मत करो 4-5 रोज में 1400) रुपये नकद कलदार व चांदी के कीमत के बदले वर्तमान चालू नकदी दे दूंगा। इस पर अपराधी ने मुल्जिम के आश्वासन देने पर मोतबिरान के कहने पर दिनांक 18-9-79 तक रिपोर्ट नहीं की परन्तु मुल्जिम ने दिनांक 18-9-79 तक उक्त चोरी शुदा माल नहीं दिया इस पर दिनांक 19-9-79 को प्रार्थी ने पुलिस थाना नोखा के एस०एच० ओ० श्री श्रवणराम को लिखित दरख्वास्त उक्त घटना की बाबत दी तथा एस०एच०ओ० ने अलग से एक कागज पर प्रार्थी के हस्ताक्षर भी करवाये थे एस०एच०ओ० श्री श्रवणराम ने प्रार्थी को कहा कि घटना स्थल पर आज नहीं जा सकता क्योंकि मुकाम के मेले के अवसर पर 21-9-79 तक प्रबन्ध में लगा हुआ हूं। आप चलो इस पर प्रार्थी अपने गांव आ गया। एस०एच०ओ० श्री श्रवणराम दिनांक 23-9-79 को प्रार्थी के ग्राम वाया घटना स्थल का नकशा मौका बनाया गया तथा इस मुकदमे से सम्बन्धित गवाहान के बयान लिये और उनके व प्रार्थी के कुछ कागजों पर हस्ताक्षर इत्यादि भी घटना स्थल पर करवाये तत्पश्चात श्री श्रवणराम मुल्जिम के घर गया तथा मुल्जिम के बाबत पूछताछ की थी घर पर मुल्जिम की माता मिली थी प्रार्थी कुछ रोज पश्चात् थाना गया तथा मुकदमे की प्रगति से बाबत पूछताछ की, श्री श्रवणराम ने मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया इसलिये

मुझे संदेह हुआ इस पर प्रार्थी बीकानेर कचहरी आया तथा नौखा थाना के न्यायालय न्यायिक दण्डनायक प्रथम वर्ग खण्ड बीकानेर शहर से मालूम किया तो पता चला कि श्री श्रवणराम एस०एच०ओ० ने प्रार्थी का मुकदमा दिनांक 19-9-79 की दरख्वास्त पर दर्ज ही नहीं किया तथा तमाम कार्यवाही एस०एच०ओ० द्वारा घटना स्थल पर की गई जो फर्जी तथा दिखावा मात्र थी क्योंकि विना प्रथम सूचना दर्ज किये श्री श्रवणराम घटना स्थल का नक्शा मौका बयानात गवाहान तथा मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं कर सकता है और श्री श्रवणराम लोक सेवक होते हुए प्रार्थी को धोखा देने की नीयत से जान बूझ कर तथा मुल्जिम सहीराम से साज बाज करके प्रार्थी की दरख्वास्त संघीय अपराध की होने के होते हुए भी ऐसे प्रथम सूचना के रूप में दर्ज नहीं की तथा प्रार्थी के से मुगालते में रख कर मुल्जिम को जुर्म से वचाने का प्रयत्न रचा जो कानूनन श्री श्रवणराम के खिलाफ जुर्म वनता है । इस वावत प्रार्थी श्री श्रवणराम द्वारा की गई फर्जी कार्यवाही की बाबत मौतविरान की शहादत पेश करने को तैयार है । श्री श्रवणराम द्वारा गैर कानूनी एवं फर्जी कार्यवाही मुल्जिम सहीराम को बचाने के नीयत से की गई जिससे मुल्जिम से चोरी शुदा माल बरामद नहीं हो सका । जिससे प्रार्थी को भारी नुकसान जान बूझ कर श्री श्रवणराम एस०एच०ओ० ने पहुंचाया । इस बाबत मुकदमा दर्ज किया जाकर निष्पक्ष एवं ईमानदार उच्च पुलिस अधिकारी से तफतीश करने के आदेश फर्मावें तथा मुल्जिम सहीराम के खिलाफ अनधिकृत रूप से चोरी की नीयत से दुकान में प्रवेश करने तथा उक्त वर्णित नकदी व चांदी की बदनीयती से चोरी किये जाने का मुकदमा दर्ज किया जाकर तफतीश आप स्वयं अथवा ईमानदार उच्च पुलिस अधिकारी से कराई जावे ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके और चोरी शुदा माल बरामद हो सके । आप की अति कृपा होगी ।

दिनांक 18-10-79

एस०डी० लेखाराम
लेखाराम पुत्र श्री कुमाराम जाति विश्नोई
सा० जंगला त० नौखा जिला, बीकानेर ।

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु—

1. श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस (सी. आई. डी.) बीकानेर ।
2. श्री महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर ।
3. श्रीमान सम्पतराम गृह मंत्री महोदय, राज्य सरकार सचिवालय, जयपुर ।
4. श्रीमान गृह संचिव (होम सक्रेट्री) सचिवालय, जयपुर ।
5. श्री रामकृष्ण दास गुप्ता एम. एल. ए. कोलायत निर्वाचन क्षेत्र, बीकानेर ।

श्रीमान मुख्य मंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार,
जयपुर ।

विषय—पुलिस नोखा के क्रम में ।

महोदय जी,

श्री श्रवणकुमार एस. एच. ओ. नोखा के लिये 'आपसे निवेदन है कि सभी मुकदमों में गलत तरह से लोगों को परेशान करता है । इसके लिये पहले ही काफी दफा विभाग को कहा जा चुका है । वह दीपावली के दिन सरनाड़ा के सीमेन्ट के किस्से में गलत रूप से मुकदमा बना कर चालान किया गया जबकि यह मोल की सीमेन्ट फ्री सैल की है तथा उस गरीब ने एस. एच. ओ. साहब को कहा कि मैं केशरीचन्द भूरा से खरीद कर लाया हूं । इसकी रसीद भी बतला दी परन्तु महज परेशान करने के लिये ऐसा किया गया और घूस खाने के लिये गलत कार्य प्रायः निरन्तर किये जाते हैं ।

कृपया इसे ध्यान देकर एस. एच. ओ. के खिलाफ कार्यवाही की जावे तथा उन्हें लाइन हाजिर किया जावें ।

एस०डी०
अर्जुनसिंह सरपंच
ग्राम पंचायत, रोड़ा ।

212

श्रीमान मुख्य मन्त्री महोदय,
राजस्थान सरकार,
जयपुर ।

विषय—महाभ्रष्ट व अत्याचारी पुलिस थानेदार श्रवण राम का वापस झुन्झुनू से बीकानेर किये गये स्थानान्तरण को पुनः निरस्त किये जाने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पुलिस थानेदार श्रवण राम राजस्थान पुलिस का सर्वाधिक बदमाश थानेदार है । यह पिछले काफी वर्षों से बीकानेर में विभिन्न पुलिस थानों में रहा है और यह जिस किसी भी थाने में रहा वहां इसने बेघड़क होकर पैसा मारा है । लोगों को मुकदमे में हेरा फेरी करके झूठ को सच्चा व सच्चा को झूठ बनाना गरीब लोगों को जबर्दस्ती थाने बुलाना, औरतों को हथकड़ी लगाने का भय दिखा कर उनसे पैसे बंटोरना गलत मुकदमे बना कर फंसाना इत्यादि ऐसे घृणित कार्य जो कि रेगिस्तानी इलाके में डाकू करते थे परन्तु श्रवण राम थानेदार जन सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस महकमे में रह कर ऐसे ही जन विरोधी कार्य करता है । जिसकी बेशुमार शिकायतें भी पुलिस अधिकारियों को की जाती हैं परन्तु थानेदार श्रवण राम को पुलिस अधिकारियों व जनता पार्टी सरकार का संरक्षण प्राप्त था इसलिये शिकायते रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती थीं ।

सन् 1977 में कांग्रेस सरकार ने इस भ्रष्ट थानेदार का बीकानेर से झुन्झुनू तबादला कर दिया था परन्तु यह झुन्झुनू गया भी नहीं और जनता पार्टी की सरकार बनते ही तबादला वापस निरस्त करवा कर बीकानेर में ही रहा और जनता पार्टी के तीन वर्ष के शासन काल में इसने बीकानेर में बेघड़क होकर उत्पात मचाई और उसने अपने समर्थन में वीकानेर के पुलिस कर्मचारियों को भड़का कर वीकानेर जिला प्रशासन व पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन व नारे वाजी करवाई । पुलिस विभाग के लोगों द्वारा इस प्रकार किये गये खुल्ले प्रदर्शन व नारे बाजी की मिसाल आज तक इस अनुशासित महकमे में देखने सुनने में नहीं आयी है । परन्तु प्रदेश में जनता पार्टी का शासन था इसलिये थानेदार श्रवण राम को सब कुछ लूट करने की छूट थी ।

सन् 80 में प्रदेश में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई और इस भ्रष्ट थानेदार का पुनः बीकानेर से झुन्झुनू तबादला कर दिया गया परन्तु ताज्जुब की बात है कि इस बार भी यह झुन्झुनू गया भी नहीं और अपना तबादला वापस निरस्त करवा कर पुनः बीकानेर के महत्वपूर्ण पुलिस थाना नौखा मण्डी में लग गया । लोगों में ऐसी चर्चा है कि इस बार थानेदार ने किसी राजनेता को 20 हजार रुपये देकर अपना तबादला पुनः बीकानेर में नौखा मण्डी थाने में करवाया है ।

थानेदार श्रवणराम पिछले काफी समय से थाना नौखा मण्डी में इंचार्ज थे और इनके कार्यकाल में थाना नौखा मण्डी इलाके में हत्याएं, बलात्कार, चोरियां आदि भयंकर अपराधों में रिकार्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई थी जिसका उदाहरण नहीं मिल सकता । इस बात का नौखामण्डी थाने का रिकार्ड साक्षी है जो आप स्वयं देख कर अन्दाज लगा सकते हैं कि यह अपराधों को रोकने में बिलकुल असफल रहा है ।

इसने अपने पिछले कार्यकाल में नौखा मण्डी में रह कर वहां के अनेक लोगों को जुल्म का शिकार बनाया जिसके कारण नौखा मण्डी अदालत में इनके आपस में मुकदमे भी चल रहे हैं और यह थानेदार उनसे रंजिश भी रखता है । इस थानेदार का तबादला बीकानेर से वापस करके झुन्झुनू नहीं भेजा गया तो इसके परिणाम अत्यन्त बुरे होंगे जो जनता व सरकार के लिये खतरनाक साबित हो सकते हैं ।

अतः आपसे निवेदन है कि थानेदार श्रवणराम का झुन्झुनू से बीकानेर जो वापस तबादला किया गया है उसे पुनः निरस्त करके ऐसे भ्रष्ट व अत्याचारी थानेदार को अविलम्ब झुन्झुनू भेजा जाकर इसके कारनामों की उच्च स्तरीय जांच करवा कर ऐसे भ्रष्ट व अत्याचारी थानेदार को बर्खास्त करके पुलिस विभाग से जनता का दिन प्रति दिन उठते जा रहे विश्वास को पुनः कायम किया जावे । अन्यथा बीकानेर के नागरिकों को मजबूर होकर आन्दोलन करना पड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी आपकी व आपकी सरकार को होगी ।

भवदीय,
एस. डी.
मोहन शर्मा, पत्रकार
राजस्थान पुलिस द्वारा पुरस्कृत
बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. पुलिस महानिरीक्षक, राज. जयपुर
2. उप महानिरीक्षक, पुलिस बीकानेर रेंज, बीकानेर
3. पुलिस महानिरीक्षक, बीकानेर
4. प्रधान मन्त्री, भारत सरकार, नई दिल्ली
5. गृह मन्त्री, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

भवदीय,
एस. डी.
मोहन शर्मा पत्रकार
राजस्थान पुलिस द्वार पुरस्कृत, बीकानेर

२१४

प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

श्रीमान मुख्य मन्त्री महोदय,
राज. जयपुर।

विषय:—मु०नं० 155 ता० 3–8–79 अन्तर्गत धारा 447/354/147 148/149/323 आई. पी. सी. थाना पुलिस, नौखा जिला बीकानेर।

श्रीमान् मान्यवर महोदय,

प्रार्थी की प्रार्थना निम्न प्रकार है:—

1. यह है कि मैं एक विधवा अबला बेसहारा राजपूत जाति की हूं और भाम्बसर गांव थाना व तहसील नौखा की निवासी हूं। मेरी काश्त की भूमि खसरा नं. 279 रकबा 139 बीघा 17 बिस्वा कदीमी खातेदारी कब्जा काश्त की है। गांव का सरपंच पुरखाराम पुत्र हरदास जाति जाट सा. भामटसर मुझे गरीब समझ कर उक्त भूमि को हथियाना चाहता है। हांलाकि इसी भय से मेरी प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) बीकानेर ने ता. 19-7-78 को निषेधाज्ञा जारी की और सरपंच को सूचित किया कि वह मेरे कब्जे व काश्त में कोई हस्तक्षेप न करे, निषेधाज्ञा की प्रतिलिपि शामिल है।

2. यह कि निषेधाज्ञा की कोई परवाह न कर सरपंच ने अपने गुण्डों सहित जिनकी कुल तादाद 12 थी मेरे खेत में दाखलत कर हथियारों से मुसलाह होकर मुझ गरीब औरत को सख्त मजरुब किया और मेरे कपड़े फाड कर मुझे नंगा कर दिया। मुझे अस्पताल में बीकानेर इलाज के लिए भर्ती करवाया गया और मुल्जिमान के विरूद्ध मु. नं. 155 ता. 3-8-79 अन्तर्गत धारा 447/354/147/148/149/323 आई. पी. सी. का अभियोग दर्ज कर श्री अब्दुल करीम एस. आई. सैकिण्ड अफसर ने तफतीश की। तफतीश मुआयना डाकटरी घटना स्थल के अवलोकन व चश्मदीद गवाहान के बयानात से वाका सही पाया गया मगर श्री सरवण कुमार भारसाधक पदाधिकारी मुल्जिमान से मिला हुआ है और उनसे रिश्वत खाकर मामले को लम्बा कर खुर्द बुर्द करना चाहता है और तत्काल चालान पेश नहीं किया और बिना वजह विलम्ब किया। इस पर मैने वृत्त अधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियोग का चालान तत्काल करने की व्यवस्था करवायें और उन उच्च अधिकारियों ने फौरन कार्यवाही करने का आदेश थाना अधिकारी को दिया किन्तु उसने कोई परवाह न कर चालान पेश नहीं किया और मुल्जिम को मौका देकर अपना प्रभाव वपन को इस्तेमाल कर मिसल को कार्यालय श्री एस. पी. सी. आई. डी. (क्राइम) जयपुर में

मंगवा ली जिसे भी डेढ़ माह का समय होने चला है अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे अभियुक्तो का हौसला बढ़ा है और मुझे मेरे रिश्तेदारों को कतल करने की धमकी दे रहे हैं और मुझे पूरा पूरा अन्देशा है कि तत्कालि एवं प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की गई तो मुझे ही जान से खतम कर दिया जावेगा।

श्री सरवण कुमार को तत्काल वहां से हटाया जाकर उसके बारे में जांच करवाई जावे एवं मेरे अभियोग के बारे में जल्द जांच करवा कर सही निर्णय करवाने की कृपा करें जिससे मेरे साथ इन्साफ हो।

प्रार्थी
नि. अंगूठा

(मुस्मात दुर्गा कंवर बेवा केसरी सिंह जाति राजपूत)
सा० भामटसर तह० व थाना नोखा जिला बीकानेर

प्रतिलिपि—

1. श्रीमान गृह मन्त्री महोदय, राज., जयपुर
2. श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय, राज., जयपुर
3. श्रीमान अतिरिक्त महानिरीक्षक, सी. आई. डी. एवं क्राइम
4. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. एण्ड क्राइम, राज. जयपुर

216

माननीय श्री नाथुराम मिर्धा साहब, राज्य मन्त्री, भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय:—श्री एस० एच० ओ० नोखा श्रवण राम का तबादला करने व जांच के सम्बन्ध में

महोदय,

निवेदन है कि पी. एस. नोखा के एस. एच. ग्रो. श्री श्रवणराम ने मेरे विरूद्ध व दो तीन आदमी ग्रौर भी हैं, के खिलाफ आज से करीबन एक माह पूर्व एक एफ. आर. आर. दर्ज की गई जो धारा 379 आई. पी. सी. के तहत झूंठी व पार्टी बाजी से करके कार्यवाही कर रहे हैं। श्री एस. एच. ग्रो. ने राजनीति व पार्टी बाजी से अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करके आज तक हमें इस वाके पर मालूम नहीं होने दिया लेकिन तीन चार रोज से मुझे मेरे घर पर गिरफ्तार करने के लिए तथा मेरे साथियों को भी गिरफ्तार करने कि कोशिश की तब हमें यह सारा षड़यंत्र का पता लगा ग्रौर उसके बाद हम लोग भाग कर नोखा मण्डी से अन्य जगह चले गये। पुलिस के हाथ नहीं लगे व अब हमारे घरवालों को तंग कर रहे हैं ग्रौर हमें बेइज्जत करने के लिए गिरफ्तार करने के तलाश में लगे हुए हैं।

अतः अर्ज है कि वायरलैस मैसेज द्वारा जांच सी. आई. डी. द्वारा कार्यवाही जाकर श्रवण राम एस. एच. ग्रो. नोखा व श्री कल्याण सिंह एस. आई. व फूला राम सिपाही को तुरन्त लाइन हाजिर करने का आदेश फर्मायें ताकि हमारी इज्जत बचाई जा सके तो आपकी अति कृपा होगी।

ह०/–
भगवान राम चोधरी नोखा
सरपंच सर्किल नोखा मण्डी बीकानेर

नोट—नकल मुताबिक असल के है।
ह०/–

श्रीमान पी० एन० खन्ना साहब,
आई० पी० एस०, पुलिस अधीक्षक,
बीकानेर राजस्थान।

विषय:—एस० एच० ओ० श्री श्रवणराम द्वारा अतिक्रमणकारी विश्वनाथ तथा बद्रीप्रसाद के साथ मिल कर किये गये घोर अन्याय की जांच करके रिपोर्ट देने के क्रम में।

मान्यवर जी,

सादर निवेदन है कि मेरे बार-बार निवेदन करने तथा पत्र दिये जाने के बावजूद भी जांच की रिपोर्ट नही दी जा रही है और मुझे न्याय से वंचित रखा जा रहा है। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप कृपा करके इन बिन्दुओं की जांच करके मुझे जांच की रिपोर्ट दिलवाने की मेहरबानी करें। मैं आपका ता जिन्दगी आभारी रहूंगा।

1. दि. 13–5–78 को श्री श्रवण राम एस. एच. ओ. हैड कानि० नं० 34 सरताज मोहम्मद, नुरुदीन, मूलचन्द, मदन सिंह तथा माणक चन्द को श्री विश्वनाथ पुरोहित मलू महाराज एवं बद्री प्रसाद अपनी जीप नं० डी. एल ई 5568 में लेकर आये तथा उन्होंने आकर हमारे को जबरदस्ती हमारे मकान से निकाल कर चाबियां अपने साथ ले गये।

2. मैं दि. 21–5–78 को थाने पर चाबियां मांगने गया तो श्री श्रवण राम ने कहा कि जब मैंने चाबियां रोजनामचे में दर्ज कर दी हैं इसलिए मैं अब नहीं दे सकता।

3. दि. 14–7–78 को श्री श्रवण राम ने अदालत में एक झूठा शपथ पत्र पेश किया जिसमें लिखा कि मकान के मसले को लेकर दोनों पार्टियां आपस में झगड़ा करती हैं जिससे मोहल्ले में शान्ति भंग होती है इसलिए मकान को सील कुर्क कर लिया जावे। यह तथ्य बेबुनियादी तथा बिलकुल गलत एवं रिकार्ड के विपरीत हैं क्योंकि श्रवण राम ने हमारे से पूरे मकान की चाबियां दि. 13–5–78 को ही ले ली थी और अपने साथ ले गये जो कि रोजनामचा में दर्ज की हुई हैं। बद्री प्रसाद उसी दिन श्री कोलायत जी चला गया तो फिर दो महीनों के बाद मकान में झगड़ा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

4. श्री श्रवण राम ने ता० 15–7–78 को अदालत से मकान कुर्क का आदेश ले लिया था और ता० 7–8–78 को रात्रि में श्रवण राम, मूलचन्द, सरताज, माणक चन्द आये हमारी पेशी 8–8–78 को थी उनके पास पूरे मकान की चाबियां थीं। उन्होंने एक कमरा सील करके बाकी सभी चाबियां विश्वनाथ के कहने पर बद्री प्रसाद को दे दीं ताकि वह अदालत में अपने आपको काबिज साबित कर सकें।

218

5. अदालत के आदेश में स्पष्ट लिखा था विवादास्पद मकान को पूरा सील किया जावे मगर श्रवण राम ने पूरा मकान सील नहीं किया है और बद्री प्रसाद मकान का उपभोग कर रहा है। इस प्रकार वह आदेशों की अवहेलना की है और हमारे साथ अन्याय किया है। इस प्रकार इन सभी तथ्यों की जांच करके मुझे रिपोर्ट देवें जिससे की मुझे न्याय मिल सके और 145 की कार्यवाही समाप्त की जाकर हमें मकान दिलाया जावे ताकि मकान का उपभोग कर सकें। न्याय की आशा के साथ अग्रिम धन्यवाद सहित।

नोट—नकल मुताबिक असल के है।

ह०/-

प्रार्थी

ह०/- चान्द्ररतन

चान्द्ररतन श्री पाली नृधूसर गेट बाहर

बीकानेर

सेवा में,

श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक,
बीकानेर रेंज, बीकानेर

विषय—नौखा मण्डी में हो रहे, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप जैसे महान डी. आई. जी. पी. के बीकानेर रेंज में होते हुए भी नौखा मण्डी में गरीब जनता के प्रति थानेदार श्री श्रवण राम की स्वार्थ प्रथा एवं लालच के कारण भारी अत्याचार हो रहा है। यहां तक की लोग बाग (गुण्डे तत्व) सरे आम किसी भी इज्जतदार व्यक्ति को बेइज्जत करने में नहीं हिचकिचाते हैं और उनके खिलाफ थाने में जाकर शिकायत की जाती है तो थानेदार साहब फर्माते हैं कि थाने से बाहर निकल जाओ वरना मार-मार कर हिस बना दूंगा। इस पर गरीब शिकायत कर्ता अपनी मजबूरी लेकर वापस चुपचाप अपने घर पर आ जाता है तथा आगे शिकायत करने से भी हिचकिचाता है क्योंकि थानेदार साहब बड़े रोब से फर्माते हैं कि तुम्हारे जैसे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मैं डी. आई. जी. बीकानेर जैसों को भी कुछ भी नहीं समझता डी. आई. जी. ने मेरे खिलाफ काफी ताकत लगाई फिर भी श्रवणराम तो डी. आई. जी. के छाती पर नौखा में ही वापस आ गया है। अब हमारा आपसे निवेदन है कि निम्न शिकायतों पर गुप्त रूप से किसी भी उच्च अफसर द्वारा जांच करवा कर सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। नागौर तथा बीकानेर पुलिस की सख्ताई के कारण सट्टा जुआ नागौर बीकानेर में बन्द हो गया, परन्तु नौखा में माहवार एक हजार रुपये किश्त थानेदार साहब के नजराना पेशगी पर खुले आम चल रहा है तथा शराब बन्दी होने पर भी नौखा में शराब के ठेके 300/–रु० माहवार तक देकर चलाये जा रहे हैं। जिससे शराबी लोग पीकर के शरारत करते रहते हैं व जनता को परेशान करते हैं। जनता को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अतः निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही कर जनता को राहत दिलावें।

भवदीय,
जन सेवक

नोट—नकल मुताबिक असल के है।

सेवा में,

1. श्रीमान आई० जी० पुलिस रेंज, जयपुर
2. श्रीमान गृह सचिव, जयपुर
3. श्रीमान डी. आई. जी. बीकानेर
4. श्रीमान एस. पी. साहब, बीकानेर

विषय—थाना पुलिस नोखा के थानेदार श्री श्रवण राम द्वारा प्रार्थी से 800/– रु. हड़प कर लिए और मुकदमा में सामने वाली पार्टी से अनुचित लाभ प्राप्त करके प्रार्थी की घड़ी नहीं दी। थानेदार जी के खिलाफ जांच बैठाई जावे।

श्रीमान जी,

सेवा में निवेदन है कि प्रार्थी गांव सुरपुरा तह० नौखा जिला बीकानेर का वासिन्दा है एवं गरीब मेघवाल है, कुछ अर्सो पहले मुल्जिम उमाराम वगैरह ने प्रार्थी को बुरी तरह से मारपीट करके उसका हाथ तोड़ दिया और उसके हाथ की घड़ी छीन ली जिसकी बाबत प्रार्थी ने थाना पुलिस नोखा में मुकदमा दर्ज कराया और सारी हकीकत बता दी थी। मुल्जिमान काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं। और प्रार्थी को मारपीट करके पहले ही थानेदार जी जाकर मिल लिए। प्रार्थी ने थानेदार जी से घड़ी छीनने की व मारपीट की पूरी कहानी बतादी थी लेकिन अब थानेदार जी कहते हैं कि घड़ी छीनने की बात मुकदमे में लिखी हुई है।

सही हालत है कि थानेदार जी आज तक कहते रहे कि मैं मुल्जिमान से घड़ी ले लूंगा और गिरफ्तार कर लूंगा। प्रार्थी को थानेदार जी ने कहा कि मुकदमा में मुल्जिमान की जमानते रुकवाना जरूरी है उसके लिए 1100 रु० देने होंगे। 500 रु० हाकम के लिए लगेंगे व 600 रुपया का ऊपर खर्च लगेगा। इस प्रकार करके प्रार्थी से थानेदार नौखा श्रवण राम ने 800 रु० ले लिये और 300 रु० का और तकादा कर रहे हैं। उधर मुल्जिमान से साठ गांठ कर गये और उनसे मिल करके मुकदमा में प्रार्थी व उसके गवाह के कोई बयान तक नहीं लिखे गये। इतने दिन तक तो यह कहते रहे कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए हाकम से मिलना पड़ेगा जिसके लिए रुपये चाहिये तब वारन्ट मिलेगा। अब जब थानेदार जी ने आगे कोई कार्यवाही नहीं की तो प्रार्थी ने कहा कि उसके रु० क्यों लिए तब थानेदार जी ने 300 रु० मांगे और नहीं मिलने पर मुकदमा रफा दफा कर दूंगा। घड़ी छीनने का मुकदमा तो पहले ही रफा दफा कर चुके हैं। इस प्रकार थानेदार जी श्री श्रवण राम ने प्रार्थी से 800 रु० हड़प कर लिए हैं, वापस दिलावे जावें।

अतः प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन है कि थानेदार श्री श्रवण राम के खिलाफ जांच कराई जाकर के प्रार्थी के रु. वापस दिलाये जावें एवं प्रार्थी की घड़ी मुल्जिमान से जांच कराई जाकर बन्द कराने की कृपा करें।

दिनांक 18-11-80

प्रार्थी अ० निशानी नानूराम
नानूराम पुत्र हीरा राम मेघवाल
नि० सुरपुरी जिला बीकानेर

नोट—नकल मुताबिक असल के है।
ह०/–

(222)

परिशिष्ट

तारांकित प्रश्न 583 की सूची

विभिन्न जिलाधीशों एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा सभी श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 1980-81 में भवन अग्रिम हेतु स्वीकृत ऋण की सूची

जिलाधीश, अजमेर

1. राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

क्र० सं० 1	नाम 2	राशि 3	प्रयोजन 4
1.	श्री गोपाल दास, अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन विभाग, माउन्ट आबू ।	46,000/—	भवन निर्माण
2.	श्री नरेश नाथ तनखा, राजकीय खनिज विकास निगम, जयपुर ।	9,000/—	,,
3.	श्री ज्ञानचन्द जैन, अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, सवाई माधोपुर ।	35,000/—	,,
5.	श्री एस. एम. भण्डारी, अतिरिक्त जिलाधीश, (विकास) चित्तौड़गढ़	12,500/—	,,
	योग :—	1,02,500/—	

11—अन्य राजपत्रित अधिकारी

1.	श्री आदित्य कुमार तिवारी, शिक्षा प्रसार अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केन्द्र, अजमेर ।	21,000/—	भवन निर्माण
2.	श्री महेश नारायण माथुर, प्रधानाध्यापक, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर ।	36,000/—	,,
3.	श्री जगदीश प्रसाद भवरिया, प्राध्यापक, राजकीय महाविद्यालय, उदयपुर	27,000/—	,,

1	2	3	4
4.	श्री लक्ष्मीनारायण पुरोहित सहायक कोषाधिकारी, अजमेर।	24,000/—	भवन निर्माण
5,	श्री चैन सिंह मेहता, सहायक लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग, अजमेर।	18,000/—	,,
6.	श्री हरिशंकर उग्र, प्राध्यापक, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर	35,000/—	,,
7.	श्री घनश्याम नारायण माथुर प्राध्यापक, रा० मा० वि० बिलिया (नागौर)।	25,000/—	,,
8.	श्री शिवचरण गर्ग, व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर।	35,000/—	,,
9.	श्री सुखदेव प्रसाद माथुर, सहायक प्रधानाध्यापक, रा० उ० मा० वि० अजमेर।	36,000/—	,,
10.	श्री रविन्द्र नाथ माथुर, सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, जोधपुर।	8,000/—	,,
11.	डा० ए०पी० माथुर, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर।	6,000/—	,,
12.	श्रीमती प्रेमकला मित्तल, व्याखत्री, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर।	36,000/—	,,
13.	श्री पारस मल दूबड़, प्रधानाध्यापक, रा० मा० वि० अन्टाली, जिला भीलवाड़ा	10,000/—	,,
14.	श्री वेदप्रकाश, प्राध्यापक राजकीय महाविद्यालय, अलवर।	6,500/—	,,
15.	श्री दामोदर सिंह गौड़, वैद्य, प्रभारी, राज० आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भिनाय।	6,600/—	,,

1	2	3	4
16.	श्री वेदप्रकाश त्रिपाठी, प्राध्यापक, राज० महाविद्यालय, अजमेर ।	6,5000/—	भवन निर्माण
17.	श्री किशन ईणानी, प्रधानाध्यापक, राजकीय विद्यालय, चौरू तह. फागी जयपुर ।	8,000/—	,,
18.	श्री कमला कान्त शर्मा, प्राध्यापक, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर ।	11,200/—	,,
19.	श्री आर० डी० शुक्ला, ,,	8,200/—	,,
20.	श्री एम० एल० शर्मा, ,,	10.900/—	,,
21.	श्री सूरज प्रकाश माथुर, प्राध्यापक, एस० डी० कालेज, ब्यावर ।	28,000/—	,,
22.	श्री डी०सी०गोयल, ,, राजकीय पोलिटेक्निक, अजमेर ।	25,000/—	,,
23.	श्री बाल किशन, ,, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर ।	31,000/—	,,
24.	श्री रूप प्रकाश सक्सेना, प्रधानाध्यापक राजकीय मा० विद्यालय, भावता ।	31,000/—	,,
25.	श्री ऋषि कुमार तिवारी, अनुसंधान सहायक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उदयपुर ।	19,000/—	,,
26.	श्री अभय देव शर्मा, प्राध्यापक, रा० महा वि० अजमेर ।	35,000/—	,,
27.	श्रीमती इन्द्रा दीक्षित, ,,	8,700/—	,,
28.	श्री पारम मल जैन, प्राध्यापक रा० महा वि०, किशनगढ़ ।	10,000/—	,,
29.	श्री ए० के० सक्सेना, युवा समन्वयक, नेहरू युवक केन्द्र, जोधपुर ।	41,000/—	,,
30.	डा० राजेश चन्द्र नाग, अमृत कोर अस्पताल, ब्यावर ।	30,000/—	,,
31.	श्री एस० पी० भार्गव, उप प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, कोटपुतली । =	6,800/—	,,
		योग:–6,40,300/–	

जिलाधीश, अलवर

1. अन्य राजपत्रित अधिकारी

क्र० सं० 1	नाम 2	राशि 3	प्रयोजन 4
1.	श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता, प्रवक्ता, राजऋषि कालेज, अलवर।	27,000/—	भवन निर्माण
2.	श्री कृष्ण मुरारी लाल गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, सिटी डिस्पेन्सरी, अलवर।	33,000/—	,,
3.	श्री अशोक कुमार, प्रवक्ता राजऋषि कालेज, अलवर।	41,000/—	,,
4.	श्री प्रमोद कुमार, ,,	33,000/—	,,
5.	श्री देवेन्द्र कुमार, ,,	50,000/—	,,
6.	श्री योगेश चन्द्र जोशी, प्रथम श्रेणी चिकित्सक, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी अलवर।	26,000/—	,,
7.	श्री मनजीत सिंह, प्रवक्ता, राजऋषि कालेज, अलवर।	45,000/—	,,
8.	डा० एल० के० जोशी, वरिष्ठ विशेषज्ञ, नेत्र सामान्य चिकित्सालय, अलवर।	6,000/—	,,
9.	डा० बी० एस० यादव चिकित्सा अधिकारी, टी. बी. क्लिनिक, अलवर।	4,755/—	,,
10.	श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव, प्रवक्ता, पोलिटेक्निक कालेज, अलवर।	15,000/—	,,
11.	श्री राधेश्याम जैन, प्रवक्ता, राजऋषि कालेज, अलवर।	15,000/—	,,
12.	श्री ओम प्रकाश जैन, सहायक कृषि आयोजना अधिकारी, कृषि एम० एफ. डी. ए. अलवर।	15,000/—	,,
13.	श्री सत्येन्द्र सिंह चौधरी, सहायक जिला कृषि अधिकारी, वडोदामेव।	15,000/—	,,

226

क्र० सं० 1	नाम 2	राशि 3	प्रयोजन 4
14.	श्री रामेश्वर दयाल, प्रवक्ता, महाविद्यालय, दौसा ।	6,000/—	भवन निर्माण
15.	श्री जी. एल. अरोड़ा, प्रवक्ता, पौलिटेक्निक कालेज, अलवर ।	20,000/—	,,
16.	श्री रामावतार शर्मा, सचिव, सैनिक मण्डल, अलवर ।	5,000/—	,,
17.	श्री बाल कृष्ण वर्मा, प्रवक्ता, राजऋषि कालेज, अलवर ।	20,000/—	,,
18.	श्रीमति मुन्नी शर्मा, प्रवक्ता, राजकीय गौरी देवी महाविद्यालय, अलवर ।	20,000/—	,,
19.	श्री राजेन्द्र कुमार भार्गव, प्रवक्ता, कला महाविद्यालय, अलवर ।	20,000/—	,,
20.	श्री भगवान राम हल्दिया, ,,	20,000/—	,,
21.	श्रीमती महेशकुमारी सिंह, ,,	20,000/—	,,
22.	श्रीमती मंजुला पाण्डे, प्रवक्ता गौरी देवी महिला महा वि. अलवर	14,000/—	,,
		योग–4,73,755/—	

जिलाधीश, बाड़मेर

1. अन्य राजपत्रित अधिकारी

1.	श्री एम. एल. सोनी, प्रवक्ता, राजकीय राजकीय महाविद्यालय, अजमेर	70,000/—	भवन निर्माण नियम 3 (i) (ii) में शिथिलता दी गई ।

जिलाधीश, भरतपुर

1. अन्य राजपत्रित अधिकारी

1.	श्री गनपत लाल व्यास, प्रधानाध्यापक, राज. उच्च माध्य. विद्यालय, वैर	8,540/—	मरम्मत
2.	श्री डा. गोपालराम सिंघल, नेत्र विशेषज्ञ, जनरल अस्पताल, भरतपुर	7,700/—	,,
3.	श्री प्रकाश चन्द जैन, प्र. ध्या,, राज. मा. वि. जघीना	6,800/—	,,

क्र० सं०	नाम	राशि	प्रयोजन
4.	श्री जगदीश प्रसाद, प्र. व्या. रा. उ. मा. विद्यालय राजगढ़, अलवर	50,000/—	भवन निर्माण
5.	श्री हरिदत्त शर्मा, प्र. व्या. रा. मा. वि. कदूर, अलवर	58,800/—	"
6.	श्री बलवन्त कुमार जैन, व्याख्याता एम. एस. जे. कालेज, भरतपुर ।	58,800/—	"
7.	श्री रमेश चन्द्र झा, "	58,800/—	"
8.	श्री सत्यवृत शर्मा, "	52,000/—	"
9.	श्री ललितनारायण माथुर, "	60,000/—	"
10.	श्री डा. वी. एल. वेघला, चिकित्सा अधिकारी सेपऊ	59,400/—	"
11.	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी, जिलाधीश कार्यालय, भरतपुर ।	9,850/—	मरम्मत
		योग : 4,30,690/—	

जिलाधीश, बीकानेर

1. राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी

1.	श्री महावीर जैन, जिला आबकारी अधिकारी, बीकानेर ।	30,000/—	भवन निर्माण
2.	श्री आनन्द कुमार हेमकार, स्माल सेविंग, राज. जयपुर ।	10,000/—	"
		योग : 40,000	

अन्य राजपत्रित अधिकारी

1.	श्री महेश चन्द्र दाधीच, व्याख्याता, मेडिकल कालेज, बीकानेर ।	7,200/—	भवन निर्माण
2.	डा. देवेन्द्र सिंह राजवंशी, पशु चिकित्सालय, बीकानेर	20,000/—	"
3.	डा. अल्ताफ अहमद, पशु चिकित्सालय, बीकानेर ।	33,000/—	"
4.	श्री सत्यपाल आहुजा, सहायक अनुसंधान अधिकारी, बीकानेर ।	40,000/—	भवन निर्माण नियम 3(i) (ii) में छूट दी गई है ।

228

क्र० सं० 1	नाम 2	राशि 3	प्रयोजन 4
5.	श्री मानदान बिट्टू, प्र. ग्र. राज. फोर्ट उ. मा. वि. बीकानेर	15,000/—	भवन निर्माण
6.	डा. सरोज कच्छावा, व्याख्याता, मेडिकल कालेज, बीकानेर 1	11,600/—	"
7.	श्री विजय कुमार अरोड़ा, व्याख्याता, डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर	26,000/—	"
8.	श्रीमती क्षमा शर्मा, पुरालेखा अधिकारी, राज० राज्य अभिलेखागार, बीकानेर	20,000/—	"
9.	डा० गौरीशंकर विजय, व्याख्याता, मेडिकल कालेज, बीकानेर ।	27,000/—	"
10.	श्री निरंजन प्रसाद भार्गव, प्रोफेसर, डुंगर महाविद्यालय, बीकानेर।	19,120/—	"
11.	श्री श्याम सुन्दर गोस्वामी, सांख्यिकी अधिकारी, निदेशक, शिक्षा विभाग, राज० बीकानेर ।	5,000/—	"
12.	श्री महादेव प्रसाद जोशी, व्याख्याता, डुंगर महाविद्यालय, बीकानेर ।	11,260/—	"
13.	श्री हरिशंकर अग्रवाल, व्याख्याता, राज० बी० एड० कालेज, बीकानेर ।	12,000/—	"
14.	श्री चन्द्र दत्त शर्मा, स० अभियन्ता सा. नि. वि. (भवन एवं पथ) बीकानेर	8,700/—	"
15.	श्री मूलचन्द महात्मा, प्र. अ. राज. मा. वि. पाचू (नौखा)	9,000/—	भवन निर्माण नियम3 (i)(ii) में छूट दी गई है ।
16.	श्री मूल चन्द बिस्सा, सहायक आबकारी अधिकारी, नागौर	6,500/—	भवन निर्माण
17.	श्री सगल सिंह, सहायक ड्रिल अभियन्ता, खान विभाग, बीकानेर ।	8,000/—	"
18.	श्री मोहन लाल माथुर, पशु चिकित्सालय, देशनोक, बीकानेर	6,000/—	"
19.	डा. एस. भट्टाचार्य, प्रोफेसर, मेडिकल कालेज बीकानेर ।	12,000—	"

क्र० सं०	नाम	राशी	प्रयोजन
1	2	3	4
20.	डा. कृपाल सिह, सी. एम. एच. एस. श्री गंगानगर।	10,000/—	भवन निर्माण
21.	श्री शिवकरण पुनिया, उप निदेशक सांख्यिकी, सी. ए. डी., आर. पी. सी. बीकानेर।	10,000/—	,,
22.	श्री प्रेम कुमार बंसल, स. अभियन्ता सी. ए. डी., आर. सी. पी. बीकानेर।	9,000/-	,,
23.	श्री रविन्द्र कुलश्रेष्ठ, व्याख्याता, डुंगर कालेज, बीकानेर।	10,000/—	,,
24.	श्री के. पी. सोनी, व्याख्याता, डुंगर कालेज, बीकानेर।	9,000/-	,,
25.	श्री डा. सत्य प्रकाश, सी. एम. एच. ओ. श्री गंगानगर	12,000/—	,,
26.	श्री सत्य देव सांखला, उप निदेशक, (कृषि) कोटा।	10,000/—	,,
27.	श्री बृज लाल विश्नोई, स. निदेशक, राज. रा. अभिलेखागार, बीकानेर।	10,000/-	,,
28.	श्री अभिमन्यु सिंह, स. कमान्डेट, आर. ए. सी. बीकानेर।	13,000/-	,,
29.	डा० धनश्याम गुप्ता, सी. एम. एच ओ., गंगा शहर बीकानेर।	7,000/—	,,
30.	डा० दुर्गा गहलोत, व्याख्याता, मेडिकल कालेज, बीकानेर।	13,000/—	,,
31.	श्री शोभामल भारवानी, स. अभियन्ता सी. ए. डी. आर. सी. पी. बीकानेर	12,000/-	,,
32.	श्री कैलाश नारायण, स. अभियन्ता, बीकानेर।	5,000/-	,,
33,	श्री विश्वनाथ आर्य, अ० अभियन्ता, 16 वां खण्ड आर. सी. पी. बीकानेर	13,000/-	,,
34.	डा० मोहन लाल चौधरी. सी.एम.एच. ओ०, अनूपगढ़, गंगानगर।	13,000/—	,,

1	2	3	4
35.	डा. प्रेम कुंवर राठौड़, पी.बी.एम. चिकित्सालय, बीकानेर	13,000/-	भवन निर्माण
36.	श्री सूरज नारायण बन्सल, अ. अभियन्ता (भवन एवं पथ), बीकानेर।	13,000/-	,,
37.	डा. ज्ञान प्रकाश भटनागर, डी.एच.ओ. बीकानेर।	12,000/-	,,
38.	श्री ओम प्रकाश वर्मा, स. अभि. सी.ई.आर.पी.पी.पी. बीकानेर।	11,000/-	,,
39.	श्री रघुवीर सिंह, स. अभि. ,,	14,000/-	,,
40	डा. बृजसिंह पंवार, सी.एम.एच.ओ. सीकर।	13,000/-	,,
41.	श्री भगत राम डालमिया, मुख्य लेखाधिकारी, जयपुर।	13,000/-	,,
42.	डा. कृष्णलाल शर्मा, डी. एच. ओ. सीकर।	12,000/-	,,
	योग :—	5,54,380/-	

जिलाधीश, चित्तौड़गढ़

1. अन्य राजपत्रित अधिकारी

1.	श्री पूरनमल कानूनगो. व्याख्याता	60,000/-	भवन निर्माण
2.	श्री उदयलाल, व्याख्याता	8,000/-	मरम्मत
3.	श्री सुरेन्द्र सिंह जैन, व्याख्याता	56,000/-	भवन निर्माण
4.	श्री वसुने चन्द्र जोशी, व्याख्याता	56,000/-	भवन निर्माण
5.	श्री ओम प्रकाश राठी, व्याख्याता	56,000/-	भवन निर्माण
6.	डा. एल. एल. लढ़ा	40,000/-	भवन निर्माण
		2,76,000/-	

231

1	2	3	4
	जिलाधीश चूरू		
	1. राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी		
	I. श्री जी.खीन, उप पंजीयक सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर	18,000/-	भवन निर्माण
	II. अन्य राजपत्रित अधिकारी		
	1. श्री के.एल. सीवर प्रवक्ता, राजकीय कालेज, सरदारशहर	18,000/-	भवन निर्माण
	2. श्री ओमप्रकाश शर्मा, राजकीय कालेज, सुजानगढ़	8,800/-	भूखण्ड क्रय
	3. श्री के.सी. शर्मा, उप.म. चि. एवं स्वा.अधि. चूरू	7,700	मरम्मत
	4. श्री हरिराम शर्मा, प्र.अ.रा.मा.वि. भूखरड़ी	7,000/-	मरम्मत
	5. श्री ज्ञानचन्द छालड़े, प्रवक्ता-लोहिया महाविद्यालय, चूरू	10,000/-	भूखण्ड क्रय
		योग—51,500/-	
	जिलाधीश डूंगरपुर		
	I. अन्य राजपत्रित अधिकारी		
	1. श्री रामलाल भरासिया, व्याख्याता राज. महाविद्यालय, डूंगरपुर।	7,500/-	भवन निर्माण
	2. श्री हरिशचन्द्र रोत ,,	23,000/-	,,
	3. श्री प्रभाशंकर भट्ट ,,	27,000/-	,,
	4. श्री वजीर मोहम्मद शेख ,,	27,000/-	,,
		योग—84,500/-	

1	2	3	4
	जिलाधीश-गंगानगर		
I.	**राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी**		
1.	श्री गुरूचरणसिंह, एस.डी.एस, रायसिंह नगर	10,500/-	भूखण्ड क्रय
II.	**अन्य राजपत्रित अधिकारी**		
1.	डा. एस.वी. सिंह, उप सी.एम.एच. ओ. (मलेरिया) गंगानगर	57,600/-	भवन निर्माण
2.	श्री देवत राम सहा.अभि.फील्ड टैस्टिग आर.सी.पी. । सी.ए.डी. डीवी. । सूरतगढ़	30,000/-	,,
3.	श्री एस.के. भवन, सहा.ले. एम.सी. गंगानगर	40,400/-	,,
4.	श्री कुलवन्तसिंह भाटिया, लेखाधिकारी	11,800/-	मरम्मत
5.	श्री देवन चन्द, सहा.ले. कोषालय गंगानगर	8,400/-	,,
6.	श्री एच.के.भारद्वाज, उप.सी.एम.एच.ओ. (एच.) गंगानगर ।	4,600/-	आवासन मण्डल में पंजीयन राशि जमा
		योग—1,56,800/-	
	जिलाधीश–जयपुर		
I.	**राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी**		
1.	श्री रामेश्वरलाल जूनवाल, जिला आबकारी अधिकारी, गंगानगर	34,00/-	भवन निर्माण
2.	श्री अश्वनी कुमार गुप्ता सचिव राजस्थान हैण्डलूम बोर्ड, जयपुर ।	70,000/-	,,
		योग—1,04,000/-	
II.	**राजस्थान पुलिस सेवा अधिकारी**		
1.	श्री रणधीरसिंह, अति.पुलिस अधी. जयपुर	50,000/-	भवन निर्माण

1	2	3	4
III.	अन्य राजपत्रित अधिकारी		
1.	श्री पी.एन. माथुर, इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर, जयपुर	28,320/-	भवन निर्माण
2.	श्री नाथूलाल वर्मा, प्र.अ.उ.मा. विद्यालय	20,000/-	"
3.	श्री राजेशकुमार शर्मा, वैद्य, विधान सभा, चिकित्सालय	35,400/-	"
4.	श्रीमती अमृतवालिया, व्याख्याता सुदर्शन कालेज, बीकानेर ।	60,000/-	"
5.	श्री मुकुट बिहारी लाल शर्मा, सहा. निदे.अभि. बीकानेर ।	30,000/-	"
6.	श्री वी.डी. पुरोहित, मुख्य अधीक्षक मोटर गैरेज, जयपुर ।	70,000/-	"
7.	श्री वी.के. गर्ग, सहा.अभि.राज. नि. विभाग	55,000/-	"
8.	श्री हरिशचन्द गुप्ता, सहा.अभि. राज. स्टेट ब्रिज कारपो. (प्रतिनियुक्ति)	68,000/-	"
9.	श्री सीताराम व्याख्याता, वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा ।	54,000/-	"
10.	श्री डा. हरीश सक्सेना, व्याख्याता मेडिकल कालेज, जयपुर ।	16,480/-	"
11.	श्री एच.एस. माथुर, वरिष्ठ नगर नियोजक भूमि एवं कर विभाग, जयपुर ।	70,000/-	"
12.	श्री जर्नादनसिंह, निरीक्षक, पुलिस	26,700/-	"
13.	श्री श्रीमती एस. विश्नोई, व्याख्याता, सुदर्शन कालेज, बीकानेर ।	65,400/-	"
14.	श्री सुरेशचन्द माथुर, प्रधानाध्यापक राज.उ.मा.विद्यालय, नलबडी	50,000/-	"
	योग—	6,47,300/-	"

1	2	3	4
	जिलाधीश–जालौर		
I.	**अन्य राजपत्रित अधिकारी**		
1.	डा. ओ.पी. शर्मा, बागरा	7,000/-	भवन निर्माण
2.	श्री किशोरचन्द चौधरी, सहायक लेखाधिकारी, पी एच.ई.डी. जोधपुर	4,600/-	,,
		योग—11,600/-	
	जिलाधीश–झालावाड़		
I.	**अन्य राजपत्रित अधिकारी**		
1.	श्री वी.पी. बालेश्री, प्रध्यापक	30,000/-	भवन निर्माण
	जिलाधीश–झुंझूनू		
I.	**अन्य राजपत्रित अधिकारी**		
1.	डा. सत्यनारायण शर्मा, काश (नागोर)	40,000/-	भवन निर्माण
2.	श्री हरफूलसिंह, प्रा.अ.राज.मा.स्कूल मण्डावर	30,000/-	,,
		योग—70,000/-	
	जिलाधीश–जोधपुर		
I.	**राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी**		
1.	श्री छगनलाल जैन उपायुक्त (प्र) वाणि. कर विभाग, जोधपुर ।	30,000/-	भवन निर्माण
2.	,, देवदत्त शर्मा, अति.जिला विकास अधिकारी, झुंझुनू ।	40,000/-	,,
3.	,, रामेश्वर प्रसाद त्रिवेदी, स्वा.जिला. परबतसर ।	40,000/-	,,
4.	,, हरनारायण माथुर, राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर ।	13,300/-	,,

1	2	3	4
5.	श्री जीवनसिंह माहेच्छा, प्रबन्ध संचालक राज. स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन जयपुर।	25,060	भवन निर्माण
6.	,, शेरनाथ, प्रशासक नगर परिषद, जोधपुर	12,810/-	,,
	योग—	1,61,174/-	
II.	राजस्थान पुलिस अधिकारी		
1.	श्री आर.एस. गुप्ता, अपर अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरीक्षक विभाग, जोधपुर।	11,000/-	भवन निर्माण
III.	अन्य राजपत्रित अधिकारी		
1.	श्री ए.एस. सिंघवी, अधी.अभि., जनस्वा.अभि.विभाग, जयपुर।	60,000/-	भवन निर्माण
2.	,, डी.एस.व्यास, रीडर, एस.एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर।	40,000/-	,,
3.	,, डा.पी.एम. भण्डारी, टी.बी. अस्पताल, जोधपुर।	30,000/-	,,
4.	,, नरेन्द्रनाथ व्यास, राज.महा. वि. अजमेर।	40,000/-	,,
5.	,, ओम प्रकाश माथुर, प्र.रा.मा.वि. राजमथाई	16,120/-	,,
6.	,, आनन्दराज थानवी, प्र.रा.उच्च. मा. विद्यालय मण्डी	10,100/-	,,
7.	,, के.आर. जोशी, प्रोफेसर एस.एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर।	17,600/-	,,
8.	,, टी.डी. गोल्डस्मिथ, व्याख्याता पोलिटेक्निक कालेज, जोधपुर।	12,600/-	,,
9.	,, वी.के. पंवार, सहा.अभि. भूजल विभाग, जोधपुर।	24,312/-	,,

1	2	3	4
10.	श्रीमती सरला भगवत, उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्राएं) जोधपुर।	20,000/-	भवन निर्माण
11.	,, किरन चौहान, प्रधानाध्यापिका, रा.मा.वि. पूंजला बालिका	6,860/-	,,
12.	श्री जयसिंह राठौड़, सहा.पशु शल्य चि. रोहट	7,490/-	,,
13.	,, सुरेश टी. मनकानी, उम्मेद, अस्पताल, जोधपुर।	11,400/-	,,
14.	,, गौतमचन्द मेहता, तहसीलदार सिरोही	7,350/-	,,
15.	डा.ए.एन. देवड़ा, अधी,संलग्न चिकि. जोधपुर	8,260/-	,,
16.	श्री गोपालसिंह उज्जवल, अधी.अभि. सार्व. नि.वि., पाली।	25,000/-	,,
17.	,, मदनलाल शर्मा, प्रिंसिपल, रा. महात्मा गांधी उ.मा.वि. जोधपुर।	15,000/-	,,
18.	,, गोपालसिंह, कोषाधिकारी, जोधपुर	10,850/-	,,
19.	,, दुर्गालाल माथुर, सहा.अभि.,डी.पी.ए.पी. कृषि पाली	20,000/-	,,
20.	,, ओमप्रकाश माथुर, सहा.पशु शल्य चि. बीजापुर	17,000/-	,,
21.	,, भगवतीलाल शर्मा, व्याख्याता राज. महा विद्यालय, जालौर	24,000/-	,,
21.	,, अमृतकुमार व्यास, चिकि.नवचौकिया, जोधपुर।	26,400/-	,,
22.	,, शंभूलाल बोहरा, अधी.राज. पशु प्रजनन केन्द्र नागौर।	23,200/-	,,
24.	,, के वी. तनवानी, व्याख्याता, पोलिटेक्निक कालेज, जोधपुर।	18,880/-	,,
25	,, महेशचन्द व्यास, चिकि.अधिकारी. पीपाड़ शहर।	16,960/-	,,
26.	,, अमितसिंह, सहा.अभि. भूजल विभाग, जोधपुर	12,960/-	,,

2:37

1	2	3	4
27.	श्री हरिशचन्द्र परिहार, व्याख्याता डूंगर कालेज, बीकानेर।	8,400/-	भवन निर्माण
28.	,, ओमप्रकाश श्रीवास्तव, डेमोन्सट्रेटर, पोलिटेकनिक कालेज, जोधपुर।	10,880/-	,,
29.	,, राजेन्द्र तातेड़, व्याख्याता, उम्मेद अस्पताल जोधपुर।	12,960/-	,,
30.	,, गोविन्द किशोर खंतावत, सहायक कृषि रसायन, जोधपुर।	15,840/-	,,
31.	,, वी.एस. जैन, सहा.नि., नियोजन जोधपुर।	17,600/-	,,
	योग	5,98,022/-	

जिलाधीश-कोटा

I. राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी

1.	,, ताराचन्द गुप्ता, भूप्रबन्धक अधिकारी,	40,000/-	भवन निर्माण
2.	,, छोटेलाल जैन, अतिरिक्त जिलाधीश	55,000/-	,,
	योग	95,000/-	

II. अन्य राजपत्रित अधिकारी

1.	श्री बद्रीलाल साहू, सहा. लेखाधिकारी	7,600/-	भवन निर्माण
2.	,, रमेशचन्द गुप्ता, जिला क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी, कोटा।	10,000/-	,,
3.	,, श्रीमती आशालतासिंह, प्रधानाध्यापिका	[illegible]7,000/-	,,
4.	श्री दीवान बहादुर सक्सेना, प्रवक्ता	9,000/-	,,
5.	डा. श्याम बिहारी गुप्ता	14,400/-	,,
6.	श्री गोपीलल गुप्ता, प्रवक्ता	10,000/-	,,
7.	,, एच.एम. अड़वानी, विभागाध्यक्ष विद्युत	10,000/-	,,
8.	डा. कैलाश चन्द विजय	10,000/-	,,

1	2	3	4
9.	श्री बुद्धिसागर कल्काल, सहा. निदेशक	7,000/-	भवन निर्माण
10.	श्री हरिशंकर चित्तोड़िया, वरि. निदेशक, फैक्ट्रीज एवं बायलर्स ।	7,000/-	,,
11.	श्री पी.एन. चतुर्वेदी, श्रम कल्याण अधिकारी	5,000/-	,,
12.	डा. प्रमोद प्रसाद गर्ग, जूनियर स्पेशलिस्ट	15,000/-	,,
13.	श्रीमती शान्ती जैन, व्याख्यात्री	6,000/-	,,
14.	श्री रामस्वरूप भार्गव, प्रधानाध्यापक	7,000/-	,,
15.	डा. पी.बी.एल. भटनागर, व. व्याख्याता	7,000/-	,,
16.	श्री नरेशचन्द भारद्वाज	12,500/-	,,
17.	श्री के.के. तिवारी, प्रादेशिक संयुक्त श्रम आयुक्त	25,000/-	,,
18.	श्री गुरूबचनसिंह पटियाल, व. व्याख्याता	10,000/-	,,
19.	श्री रवीन्द्रकुमार मिश्रा, प्रधानाध्यापक	16,000/-	,,
20.	श्री पी.सी. गौतम, व्याख्याता	4,400/-	,,
21.	श्री जे.एस. वाजपेयी, सहा. निदेशक नियोजन	8,500/-	,,
22.	डा. त्रिप्ता	59,400/-	,,
23.	डा. नन्दकुमार जोशी	37,787/-	,,
24.	श्री चन्दनलाल दयानी, अधिशासी अभियन्ता	32,449/-	,,
25.	श्री जगदीश कुमार अरोड़ा, सहा.अभि.	30,636/-	,,
26.	श्री नेमीचन्द चतर, सहा.अभियन्ता	35,874/-	,,
27.	श्री हरिप्रकाश गुप्ता, द्रव्य अधिकारी	43,965/-	,,
28.	श्री माणकचन्द जैन, अधीक्षण अभियन्ता	60,000/-	,,
29.	श्री रमेशचन्द गुप्ता, जिला क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी	17,500/-	,,
30.	श्रीमती आशालता सिंह, प्रधानाध्यापिका	7,000/-	,,
31.	डा. नवल किशोर झालाणी	8,000/-	,,
32.	श्री श्याम बिहारी गुप्ता	14,400/-	,,

1	2	3	4
33.	श्री दीवान बहादुर सक्सेना, व्याख्याता	9,800/-	भवन निर्माण
34.	डॉ. कैलाशचन्द विजय	10,000/-	,,
35.	श्री ईश्वर चन्द	10,000/-	,,
36.	श्रीं हरिशंकर चित्तोड़िया, वरि.निरीक्षक फैक्ट्रीज एवं बायलर्स	13,000/-	,,
37.	श्री मोहनलाल गुप्ता, प्रवक्ता	10,000/-	,,
38.	श्री बी.के. गुप्ता, सहा.निदे (सांख्यिकी)	10,000/-	,,
39.	श्री पी.एन. चतुर्वेदी, श्रम कल्याण अधिकारी	6,500/-	,,
40.	डा. शान्ती जैन, व्याख्यात्री	10,000/-	,,
41.	श्री रामरूप भार्गव, प्रधानाध्यापक	10,000/-	,,
42.	डा. पी.बी.एल. भटनागर, वरि.व्याख्याता	8,000/-	,,
43.	श्री के.के. तिवाड़ी, प्रादे.संयुक्त श्रम आयुक्त	25,000/-	,,
44.	डा. नरेशचन्द भारद्वाज	12,500/-	,,
45.	श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा, प्रधानाध्यापक	8,000/-	,,
46.	श्री के.एल. गुप्ता, सहा.लेखाधिकारी	9,600/-	,,
47.	श्री एच.एस. अड़वानी, विभागाध्यक्ष विद्युत	5,000/-	,,
68.	श्री मोहनलाल गुप्ता, प्रवक्ता	7,000/-	,,
49.	श्री बी.के. गुप्ता सहा. निदेशक (सांख्यिकी)	7,100/-	,,
50.	डा. शान्ती जैन, व्याख्यात्री	10,000/-	,,
51.	श्री रामस्वरूप भार्गव, प्रधानाध्यापक	9,000/-	,,
52.	श्री गुरूबचन सिंह पटियाला, प्रवक्ता	9,000/-	,,
53.	श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा, प्रधानाध्यापक	5,000/-	,,
54.	श्री रमेशचन्द गुप्ता, जिला मूल्यांकन अधिकारी	7,000/-	,,
55.	डा. कैलाशचन्द विजय	10,000/-	,,

1	2	3	4
56.	श्री के.के. तिवारी, प्रादेशिक संयुक्त श्रम आयुक्त	5,000/-	भवन निर्माण
57.	श्री पी.बी.एल. भटनागर, वरि. व्याख्याता	7,500/-	,,
		योग—6,29,733/-	

जिलाधीश—सीकर

1. अन्य राजपत्रित अधिकारी

1.	श्री श्रीराम सैनी, व्याख्याता श्री कल्याण कालेज, सीकर	50,000/-	भवन निर्माण
2.	,, जमनाबर सैनी, व्याख्याता श्री कल्याण कालेज, सीकर	50,000/-	,,
3.	श्री दिनेशचन्द त्यागी, श्रीकल्याण कालेज, सीकर	40,000/-	,,
4.	श्री विष्णु भगवान रस्तौगी, प्र. अ. रा. मा. वि. नैछवा	20,000/-	,,
5.	श्री जगदीश प्रसाद, सहायक लेखाधिकारी, जिलाधीश, अलवर	10,000/-	भवन मरम्मत
6.	,, जगदीश प्रसाद कौशिक, व्याख्याता श्री एस. के. कालेज, सीकर	60,000/-	भवन क्रय हेतु
7.	,, मदन लाल, व्याख्याता, राजकीय कालेज रामगढ़ सेठान	52,000/-	,,
	योग :—	2,82,000/-	

जिलाधीश - सिरोही

अन्य राजपत्रित अधिकारी

1.	श्री बलबीर चन्द मडिया, प्रधानाध्यापक, रा.उ.मा.वि. पिण्डवाड़ा	54,500/-	भवन निर्माण

1	2	3	4
	2. श्री रतनलाल सिंघल, अधी. अभि. सूरतगढ़ (गंगानगर)	15,500/-	भवन निर्माण
	योग :—	70,000/-	

णिलाधीश—टोंक

अन्य राजपत्रित अधिकारी

1.	श्री उदयपाल सिंह, प्राधानाध्यापक रा.उ.मा.वि. टोंक	9,000/-	भवन निर्माण
2.	,, खूबचन्द, प्रवक्ता, राज. महाविद्यालय, टोंक	9,000/-	,,
3.	,, सत्यनारायण पारीक, प्रवक्ता, राज. महाविद्यालय, टोंक	9,000/-	,,
4.	,, रामप्रसाद शर्मा, प्रधानाचार्य राज. उ. मा. वि., दूनी	7,000/-	,,
5.	,, गोपाल नारायण सक्सेना, उप जिला शिक्षा अधिकारी, टोंक।	15,000/-	,,
	योग :—	49,000/-	

जिलाधीश–उदयपुर

I. अन्य राजपत्रित अधिकारी

1.	श्री नवल किशोर चौरासिया, सहायक वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर।	25,000/-	भवन निर्माण
2.	,, ओम प्रकाश महात्मा, चिकित्सा अधिकारी, आर.एन.टी. मेडिकल कालेज, उदयपुर।	13,700/-	भवन निर्माण

1	2	3	4
3.	श्री शान्ति स्वरूप, प्राध्यापक, डूंगर कालेज, बीकानेर ।	50,000/-	भवन निर्माण
	योग :—	88,700/-	

पंजीयक राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

1. अन्य राजपत्रित अधिकारी

1.	श्री संकट राय, अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर	20,000/-	भवन निर्माण
2.	,, रिखबराज कुम्हावत, विभागाध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर	4,200/-	भवन मरम्मत
3.	,, संकट राय, अतिरिक्त पंजीयक राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर	10,000/-	भवन निर्माण
4.	,, जगदीशलाल जाट, एम. जी. एल. जहाजपुर	30,000/-	,,
5.	,, उमाशंकर भार्गव, प्रिन्सिपल निजी सचिव, मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।	17,800/-	भवन मरम्मत
6.	,, सत्यनारायण सहाय, प्रिसाइडिंग आफिसर, राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव ट्रिब्यूनल, जयपुर ।	16,820/-	,,
7.	,, शिवचरण लाल सिंघल, जिला सत्र न्यायाधीश, चूरू ।	45,000/-	भवन निर्माण नियम 3(1) (ii) में शिथिलता दी गई ।
8.	,, नरपती सिंह राजावत, ए.डी.जे. राजसमन्द, उदयपुर ।	40,000/-	भवन निर्माण
		1,84,520/-	

1	2	3	4
कार्मिक (क-1) विभाग सचिवालय, जयपुर			
I. भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी			
1.	श्री चन्द्र प्रकाश, जनरल मैनेजर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।	29,828/-	भूखण्ड क्रय
2.	श्री के. एल. मीना, अतिरिक्त कलेक्टर (विकास) जयपुर ।	70,000/-	भूखण्ड क्रय एवं भवन निर्माण
3.	श्री आई. ज़ी. झिंगरन, शासन सचिव, खनिज विभाग	30,400/-	भवन निर्माण हेतु
4.	श्री वी. पी. आर्य, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़	6,920/-	भू-खण्ड क्रय हेतु
5.	श्री बी. एल. मिन्हास, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर ।	70,000/-	भवन क्रय हेतु
6.	श्रीमती कुशल सिंह, अवर सचिव, भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली ।	5,000/-	हरियाणा आवासन बोर्ड से बना हुआ मकान खरीदने के लिये पंजी- हेतु
7.	श्री जगमोहन भटनागर, शासन उप सचिव, राजस्व विभाग	55,000/-	आवासन मण्डल से मकान क्रय ।
	योग :—	2,67,148/-	
II. अन्य राजपत्रित अधिकारी			
1.	श्री जे. पी. बन्सल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर ।	40,000/-	भवन निर्माण
2.	श्री गौरी शंकर पारीक, लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर	14,500/-	भूखण्ड क्रय

2441

1	2	3	4
3.	श्री बी. एस. मिश्रा, सांख्यिकी अधिकारी, आयोजना विभाग, जयपुर।	7,500/-	भवन निर्माण
4.	श्री केवल राम, शासन उप सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	16,000/-	भवन निर्माण
		78,000/-	

जिलाधीश–बांसवाड़ा

I. अन्य राजपत्रित अधिकारी

1.	श्री एन. के. मेहता, व्याख्याता	35,000/-	भवन निर्माण
2.	डा. एस. आर. सक्सेना	13,000/-	"
	योग :—	48,000/-	

(245)

परिशिष्ट 7

तारांकित प्रश्न संख्या 592 की सूचना

भाग (1) से सम्बन्धित सूचना

विशेष पोषाहार कार्यक्रम के केन्द्रों की सूची :–तहसीलवार

तहसील (पंचायत समिति)
छोटी सादड़ी

1. सिवाखेड़ी
2. ईंटों का तालाब
3. नाबनखेड़ी
4. सजनपुरा
5. छाड़कला
6. साकरिया
7. ढावटा
8. पीलीखेड़ा
9. कालाकोट
10. अबेपुर
11. भाटखेड़ी
12. बम्बोरा
13. गुड़ली
14. मालीखेड़ा
15. मेरवी
16. करणपुरा

तहसील (पंचायत समिति)
प्रतापगढ़

1. मानपुरा
2. पानड़िया
3. खतोड़ी
4. कैरवास
5. जहाजपुर
6. अक्ष्यपुर
7. वेलारा

246

8. कुलथाना
9. सनोटी
10. बिलंसरी
11. कचौटिया
12. पाडलिया
13. सुजानपुरा
14. पटेलिया
15. मांटीखेड़ी
16. वीरपुर
17. सखतल
18. साडनी
19. रजोरा
20. बजरंगगढ़
21. असावता
22, रामगढ़
23. सेमली
24. देवद
25. अरनिया
26. ठीकरिया
27. घोंटारसी
28. हथूनिया
29. सैलारपुरा
30. बसेरा
31. बरोठा
32. नाथूखेड़ी
33. अचलपुरिया
34. हाड़ीजी की पीपलिया
35. कल्याणपुरा
36. रीछावरा
37. मगरोड़ा
38. मुवासिया
39. साकरिया
40. बरखेड़ा
41. कनोरा
42. काजली

43. काजलीखेड़ा
44. सिहदपुरा
45. बोरी
46. कलसिया
47. नारायण खेड़ा
48. सेमलाप
49. खोरिया
50. चमलावदा
51. बम्बोरी
52. केसरपुरा
53. बगवास
54. ठलमू
55. टान्डा
56. कलमीपुरा
57. नकोर
58. घमोतर
59. बावड़ीखेड़ा
60. तलाया
61. मदुरातालाब
62. सरी पीपली
63. उंटाखेड़ा
64. उमरदा
65. मेरियाखेड़ी
66. पाडाखोरा
67. ठिकनिया
68. खीजनखेड़ा
69. मनोहरगढ़
70. लुहारिया
71. सामलीपठार
72. चिकलाड़
73. ग्यासपुर
74. जोलर
75. दतियार
76. मगरी
77. अचलपुर

(248)

78. छीखाखेड़ी
79. रामपुरिया
80. बडीलाक
81. कोतवाल
82. पण्डावा
83. थडा
84. कुड़ोली
85. अणगोरा
86. चौकड़ी
87. जाम्बूखेड़ा
88. हथरीकुण्डी
89. दातलाकुण्ड
90. हिंगोरिया
91. गोपालपुरा
92. टीला
93. धावडीकलां
94. भेभरिया
95. दमाखेड़ी
96. पलथान
97. मेगभर
98. नानणा
99. संचई
100. बरखेड़ी
101. टीभरवा
102. बोलड़ी
103. पठार
104. लालपुरा
105. कामलिया
106. तोफखेड़ा
107. मरदोड़ा
108. बिहारा

तहसील प्रतापगढ़, पंचायत समिति
अरनोद

1. बिरावली
2. परुनी

3. कनाड़
4. बनेड़ियाकलां
5. अचलावदा
6. बगड़ावद
7. लालगढ़
8. बड़ा धामनिया
9. झांखर
10. तलाया
11. मोहेडा
12. हिंगलाट
13. अचनेरा
14. खेमलखेड़ी
15. बडवासकलां
16. फतहगढ़
17. प्रतापपुरा
18. जीरावता
19. कचनेरा
20. डोराना
21. खरखड़ा
22. दिवाला
23. चोकली पीपली
24. बोरी
25. सेवना
26. पुनियाखेड़ी
27. रायपुर
28. लूंठवास
29. करनगढ़
30. आम्बीरामा
31. चन्देरा
32. भचण्डला
33. सरलोट
34. वीरपुरा
35. रायपुर
36. चिकली
37. गोपालपुरा

तहसील बेगू, पंचायत समिति,
भैंसरोडगढ़

1. नाहरगढ़
2. उमरचा
3. श्रीपुरा
4. पीपलदा
5. उदपुरा
6. गणेशपुरा
7. मण्डेसरा
8. चैनपुरा
9. सुठाला
10. जगपुरा
11. धावतकलां
12. जालरबावड़ी
13. झोपड़िया
14. आगरा
15. मदार चौक
16. आर. ए. पी. फेज 2
17. राजपुरा
18. पीपपुरा

(251)

भाग (2)

से संबंधित सूचना।

क्र० सं०	पंचायत समिति का नाम	वर्ष 80-01 में आवंटित राशि	वर्ष 80-81 में व्यय की गई राशि	लाभान्वितों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	प्रतापगढ़	80.000.00	30808.03	5374
2.	अरनोद	70.183.42	18796.87	2960
3.	भैंसरोडगढ़	गत वर्ष की बकाया राशि में से खर्च किया गया।	6400.17	951
4.	छोटीसादड़ी	गत वर्ष की बकाया राशि में से खर्च किया गया।	1517.02	898

परिशिष्ठ 8

तारांकि प्रश्न संख्या594 की सूची

तालिका (अ)

स्वीकृत सड़क वर्ष 1979–80

537 पूंजी पर लागत सड़क एवं पुल (ड) जिला एवं अन्य सड़कें (4) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत (योजना)

क्रमांक	नाम सड़क	स्वीकृसि का संदर्भ	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	1-2-81 तक व्यय हुई राशि
1	2	3	4	5
1.	सड़क निर्माण पहुंच मार्ग सावोरा (1853)	एफ-2 (79)पी डब्ल्यू/ए० एस०/79 दिनांक 27-7-79	8,00,000	1,49,906
2.	पहुंच मार्ग खेरली गड़ासिया (1699)	,,	12,00,000	96,090
3.	पिपरेरा (1456) एवं भटावली (1561)	,,	10,00,000	1,28,362
4.	पहुंच मार्ग कासोट (2068)	,,	3,00,000	1,78,249
5.	पहुंच मार्ग कौरर (2518)	,,	8,00,000	3,85,383
6.	पहुंच मार्ग हेलक से संघ हेलक (1656)	,,	5,00,000	1,03,243
7,	पहुंच मार्ग अमोरी (1677)	,,	6,00,000	1,85,457
8.	– ,, – अस्तादन से महरावर विरहेरु (722 1294)	,,	8,00,000	4,88,593
9.	पहुंच मार्ग जटमासी	,,	4,00,000	2,81,015
10.	पहुंच मार्ग बिलौग	,,	5,00,000	2,81,072

253

तालिका (ब)

स्वीकृत सड़क वर्ष 1980–81

537 पूंजी पर लागत-सड़क एवं पुल (ड) जिला एवं अन्य सड़कें (III) ग्रामीण सड़कें (योजना)

क्रमांक	नाम सड़क	स्वीकृति का संदर्भ	प्रशासनिक स्वीकृति की लागत	माह 11 फरवरी 81 तक हुई व्यय राशि
1	2	3	4	5
1.	सड़क निर्माण मुसावर से रणधीरगढ़ (5 कि०मी० लम्बाई)	एफ-2 (250) पी० डब्ल्यू.डी./ए.एस/80 दिनांक 21-10-80	8,00,000	30,916
2.	सड़क निर्माण मुसावर से देवली (5 कि० मी० लम्बाई)	,,	10,00,000	20,421
3.	सड़क निर्माण बल्लभगढ़ से हाथोड़ी (4-5 कि. मी. लम्बाई)	,,	10,24,000	21,415
4.	सड़क निर्माण बैर से हैलना (10-5 कि०मी० लम्बाई)	,,	23,60,000	23,525
5.	सड़क निर्माण हैलना से खेड़ली (8 कि० मी० लम्बाई)	,,	17,35,000	11,820
6.	सड़क निर्माण मुसावर से नयागांव (5 कि० मी० लम्बाई)	,,	10,00,000	798
7.	सड़क निर्माण हैलना से नदबई (10 कि० मी० लम्बाई)	,,	20,00,000	21,410

537–पूंजी पर लागत सड़कों एवं पुल (ख) जिला एवं अन्य सड़कें [III] लेबर इन्टेन्सिव कार्यक्रम के अन्तर्गत—अकाल राहत।

1.	सड़क को सुदृढ़ एवं चौड़ा करना कि० मी० 36 से 41 डीग कामा नन्दगांव रोड़।	एफ-2 (262)पी० डब्ल्यू/ए० एस/80/डी—19171 दिनांक 13-2-81	8,00,000

———

255

तालिका "स"

कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1979-80 में स्वीकृत सड़क

क्रमांक	नाम कार्य	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का सन्दर्भ	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	1·2·81 तक व्यय हुई राशि
1.	सड़क निर्माण पहुंच मार्ग सौवारा (1853)	एफ-79 पी. डब्ल्यू./ ए. एस./79 दिनांक 27·7·79	8,00,000	1,49,906
2.	पहुंच मार्ग पिपरेरा भर्टावली	— ,, —	10,00,000	1,28,362
3.	हेलक से सध हेलक	— ,, —	5,00,000	1,03,243
4.	सड़क निर्माण अमोरी	— ,, —	6,00,000	1,85,457
5.	अस्तावन से महरावर विरहेरू सड़क निर्माण	— ,, —	8,00,000	4,88,593

(256)

तारांकित प्रश्न संख्या 598 की सूची

वर्ष 80–81 में सलूम्बर तहसील की स्वीकृत हैण्ड पम्प योजनाओं की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड सं.	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	वार्सावार समाधीस	55	1241
2.	मनुपपुर	206	1477
3.	वारोदा	149	662
4.	सासेतार ढ़ंगावत	57	778
5.	वारवाल	83	982
6.	डानतारधी	19	537
7.	धीधागा करखेड़ा	130	531
8.	गाटार	184	776
9.	ईसना	8	737
10.	इसरवास डागीयाना	61	685
11.	जेलावत फाला	48	743
12.	जैतापुरा	7	591
13.	जम्वारा	38	733
14.	काड़ूनी	25	594
15.	कान्त	10	704
16.	कारकोली	1	656
17.	लकाया	59	562
18.	लोडा	12	761
19.	माकारसीमा	40	641
20.	ग्राता सूचा	193	627
21.	माराला	98	542
22.	साजनेल	204	608
23.	तालाब	22	514
24.	थारा	110	808
25.	हारमात्या कालान	183	523

1	2	3	4
26.	कारामालू	161	516
27.	ववोलरी	123	880
28.	कुन्डली	159	556
29.	मान्डली	173	518
30.	नोती	140	997
31.	पारीडा	143	561
32.	लायरा	186	824
33.	रान्डेला	148	514
34.	शेषपुर	132	799
35.	थारोडा	111	571
36.	गूड	116	672
37.	अमालवा	210	719
38.	वुदेल	207	942

परिशिष्ट–10

तारांकित प्रश्न संख्या 471 की सूची

आबकारी विभाग राजस्थान, उदयपुर

20,000/–रुपये से अधिक के बकाया के मामलों की सूची

जयपुर ग्रामीण

क. सं.	नाम बाकीदार	बर्ष	राशि
1	2	3	4
1	श्री केशुमल पुत्र तारा चन्द, श्री मुख्तयार सिंह पुत्र केहरी सिंह, श्री तेजपाल पुत्र थानजी, श्री हाकिम सिंह नोका सिंह	68-69	61,28·00
2	उपरोक्त	69-70	34,254·00
3	श्री भवरु खां पुत्र नूर मोहम्मद	69-70	53,917·56
4	श्री गोविन्द प्रसाद पुत्र किशन लाल श्री इब्राहिम पुत्र गबीर खां	69	21,311·11
4	श्री बेलाराम पुत्र आलम चन्द सिंघी	70-71	65,166·43
6	श्री भवरु खां पुत्र जमाल खां पुत्र भीमसिंह	70-71	28,937·66
7	श्री रिछ पाल सिंह पुत्र तख्त सिंह	70-71	20,400·00
8	श्री लक्ष्मी नारायण पुत्र गौरी शंकर	68-69	20,869·59
9	श्री फैज खां पुत्र हमीर खां, हकिम अली पुत्र गनी खां श्री नूर मोहम्मद पुत्र जवीन खां	77-78	47,547·64
10	श्री भवंर लाल पुत्र मूल जी	69-70	34,096 43
11	श्री शिव कुमार पुत्र राम कुमार	72-73	29,984·96
12	श्री बुन्दे खां पुत्र अब्दुल खां	75-76	26.102·62
13	श्री उत्तम चन्द पुत्र यासीन खां	78-79	21,165·00
14	श्री नियाकत अली पुत्र अनु खां	78-76	41,262·40

(259)

1	2	3	4
	जयपुर नगर		
15	फ्रेण्डस एण्ड कम्पनी, जयपुर	67-68	12,10,875·43
16	श्री निजामुदिन मिरू	67-68	42,199·27
17	श्री न्यूफ्रेण्डस कम्पनी, जयपुर	68-69	8,01,314·77
	श्री गंगानगर		
18	श्री जय मल सिंह पुत्र	69-70	1,02,172·00
19	श्री केसरी सिंह व अन्य	69-70	64,124·00
20	श्री हजारी खां व अन्य	69-70	55,237·00
21	श्री कमरूदीन व अन्य	69-70	55,010·00
22	श्री बलदेव राज पुत्र सूरज प्रकाश	70-71	1,44,009·00
23	श्री राम चरण एण्ड पार्टनर्स	70-71	1,14,414·00
24	श्री राम चरण एण्ड पार्टनर्स	70-71	1,13,509·00
25	श्री कमरूदीन एण्ड पार्टनर्स	70-71	33,318·00
26	श्रीमती कमला देवी एण्ड पार्टनर्स	77-78	1,84,190·00
27	श्री अमर कुमार एण्ड पार्टनर्स	78-79	9,13,906·00
	बीकानेर		
28	श्री जुमरदीन पुत्र अजीम खां श्री अब्दुल पुत्र जुमरदीन	67-68	44,840·00
29	श्री मांगी लाल पुत्र महताब खां ओंकार मल पुत्र बख्शी राम सुजान खां पुत्र नथूखां	67-68	42,239·00
30	श्री कमरूदीन पुत्र अब्दुल्ले खां बदरु खां पुत्र लूणे खां	67-68	35,312·00
31	श्री लालू खां पुत्र अकबर खां यासीन खां पुत्र लालू खा	67-68	34,358·00

1	2	3	4
32	श्री जीतू खां पुत्र नथू खां कमरुदीन पुत्र अब्दुले	67-68	32,086·00
33	श्री लालू खां पुत्र नथू खां सूरजबान पुत्र अलादीन	67-68	69,770·00
34	श्री मोहम्मद हुसैन भूखान खां	68-69	85,402·00
35	श्री मालू खां, लालू खां	69-70	75,722·00
36	श्री रुकनदीन	68-69	37,094·00
37	श्री मोला बक्श पुत्र सुलेमान	68-69	1,01,087·00
	उपरोक्त	69-70	60,596·00
38	श्री भूरान खां मोहम्मद हुसैन	69-70	54,629·00
39	श्री रुकदीन खां पुत्र बूने खां	69-70	33,228·00
40	श्री मालू खां लालू खां	69-70	85,814·00
41	श्री तिलोक चन्दु पुत्र सूरज मल	69-70	30,359·00
42	उपरोक्त	70-71	63,957.00
43	श्री मोला बक्श पुत्र सुलेमान, भूरान खां	70-71	1,09,931·00
44	शकूर अहमद गफर खां	70-71	
45	श्री सिराजुदीन रमजू खां	70-71	84,840 00
46	श्री बाबूलाल पुत्र टीकाराम	67-68	20,012 00
47	श्री प्यारे लाल पुत्र सांवलिया श्री जगन्नाथ पुत्र सम्पतराम	67-68	27,499·00
48	राजेन्द्र सिंह पुत्र किशोरी सिंह श्री कोदू मता दखन्नद	73-74	23,057·00
49	श्री प्रेम चन्द पुत्र राजू मल	64-65	23,372 00
50	श्री प्यारे लाल पुत्र सावलिया	67-68	95,679·00
51	श्री ईश्वर चन्द पुत्र गोखल राम	78-79	20,479·00
52	हिरेश किशन पुत्र कन्हैया लाल श्री राधे श्याम पुत्र यादराम	67-68	26,815·00

1	2	3	4
53	श्री रंग चन्द निवूमता	67-68	33,103·00
54	श्री गिरधारी लाल पुत्र निरूध श्री जहांगीर पुत्र लम्मरण सिंह	67-68	22,018·00
55	श्री लांगामल पुत्र सेवक राम	72-73	41,223·00
56	श्री ,, ,,	73-74	47,423·00
57	श्री रमेश कुमार पुत्र सुखालाल श्री पन्नालाल पुत्र रामेश्वर लाल	78-79	36,460·00
58	श्री पदम कुमार पुत्र चट्टाजी तलाव श्री बाल कन्द पुत्र छानु मल श्री माधोपुराम पुत्र हीरो मल	78-79	1,66,841·00
59	श्री पूरन चन्द पुत्र रामजीलाल श्री जनाल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह	78-79	1,22,443·00
60	श्री ,, ,,	78-79	51,894·00
61	श्री ,, ,,	78-79	1,32,918·00
62	श्री ,, ,,	,, ,,	1,01,037·00
63	श्री प्रेम शंकर पुत्र नाथू लाल	67-68	23,420 00
64	श्री नारायण सिंह पुत्र चन्द्र सिंह	67-68	76,350·00
65	श्री प्रहमूाद पुत्र लाखा खटीक	67-68	26,658·00
66	श्री रामनिवास पुत्र नारायण	67-68	1,56,604 00
67	श्री त्रिलोक चन्द पुत्र रूप चन्द	67-68	1,06,407·00
68	श्री ,, ,,	67-68	55,827 00
69	श्री प्रभु लाल पुत्र नाथु लाल	68-69	45,352·00
70	श्री प्रहलाद पुत्र लाखा खटीक	68-69	20,551·00
71	श्री राम करण पुत्र कन्हैया लाल श्री रहमान पुत्र मकमूद अली	70-71	1,34,009·00
72	श्री बिरधी चन्द नाथु लाल	75-76	96,979·00
73	श्री राम गोपाल पुत्र जगन्नाथ	67-68	1,17,179 00
74	श्री फूल चन्द पुत्र नगा राम	67-68	20,353·00

262

1	2	3	4
75	श्रीमती भगवती देवी पत्नी भागीरथ	67-68	69,775·00
	जिला जोधपुर		
76	श्री भूर चन्द पुत्र कुन्दन मल	68-69	21,598·00
77	श्री तारा चन्द पुत्र बरदी चन्द	70-71	48,23·00
78	श्री पुखराज पुत्र मोहन लाल	63-64	51,803·00
79	श्री लाल चन्द एण्ड पार्टी	63-64	3,46,441·00
80	श्री भंवर लाल पुत्र हंस राज	,, ,,	24,187·00
81	श्री ओटा राम पुत्र गिरधारी लाल	75-76	67,881 00
82	श्री मदन लाल पुत्र शिवकरण टांक	75-76	57,240·00
	जिला पाली		
83	श्री हीरा लाल पुत्र भागुजी	75-76	47,065 00
	जिला नागौर		
84	श्री भूरान खां पुत्र मादर खां	65-66	35,261·00
85	श्री केसरी मल पुत्र दान मल	66-69	27,442·00
86	श्री मिरजे खां पुत्र दिने खां	69-70	34,987·00
87	श्री भोमा राम पुत्र भूरान खां	65-66	49,477·00
	जिला अजमेर		
88	श्री अमर सिंह वगैरह	63-64	1,01,871·00
89	श्री प्रभु लाल वगैरह	67-68	13,90,745·00
90	श्री फूल चन्द पुत्र सन्तोष	67-68	94,721·00
91	श्री ,, ,,	67-68	45,311 00
92	श्री मीठूं मल पुत्र गंगा राम	67-68	32,767·00
93	श्री भीम सिंह सत्य नारायण राम चन्द्र	67-68	20,740·00
94	श्री ,, ,,	67-68	1,04,715·00

1	2	3	4
95	श्री भीम सिंह सत्यनारायण रामचन्द्र	67-68	46,231·00
96	श्री मिचूं मल पुत्र मेघा राम	68-69	44,762·00
97	श्री हीरा नन्द पुत्र घनश्याम दास	2/71 से 3/72	37,240·00
98	श्री छगनी राम पुत्र शिवनारारण	73-74	68,168·00
99	श्री शुभु नाथ उर्फ भैरू नाथ	67-68	1,29,759·00
100	श्री मदन लाल पुत्र किशन लाल	67-68	1,04,554·00
101	श्री मांगी लाल पुत्र भूरजी	67-68	90,631·00
102	श्री हीरा लाल पुत्र दुर्गालाल	67-68	76,257 00
103	श्री लक्ष्मी चन्द्र पुत्र गोकुल	67-68	27,89·00
106	श्री शंभू नाथ पुत्र भैरूं नाथ	68-69	1,16,405.00
107	श्री गुलाब खां पुत्र मोहम्मद कासम	,,	21,974·00
108	श्री मदन लाल पुत्र किशन लाल	68-69	1,04,845·00
109	श्री मोला बक्ष वगैरहा	68-69	3,54,483·00
110	श्री हीरा लाल पुत्र हजारी मल	69-70	41,055·00
111	श्री शुभ नाथ पुत्र भैरूं लाल	69-70	78,031·00
112	श्री मदन लाल पुत्र किशन लाल	69-70	59,093·00
113	श्री सुजान सिंह एण्ड पार्टी	77-78	20,498·00
114	श्री नवरतन मल पुत्र हनुमान प्रसाद	77-78	87,470·00
	जिला टोंक		
115	श्री दुर्गा लाल कंवरी जी लाल	67-68	1,11,016·00
116	श्री भूरा लाल पुत्र लक्ष्मी चन्द	,,	24,380·00
	जिला भीलवाड़ा		
117	श्री रामदयाल पुत्र लादू राम श्री बाबू लाल पुत्र मांगी लाल श्री हनुमान पुत्र लाभ चन्द श्री बाल मुकन्द पुत्र नारायण लाल	67-68	22,212·00

1	3	3	4
118	श्री मोती लाल पुत्र देवी लाल श्री चुन्नी लाल पुत्र देवी लाल श्री भंवर लाल पुत्र मांगी लाल	67-68	1,53,786·00
119	श्री किश्त राय पुत्र ताराचन्द सिंधी	67-68	28,326·54
120	श्री मोती लाल पुत्र तारा चन्द	67-68	24,955·83
121	श्री किश्त राय पुत्र तारा चन्द	,,	21,809·54
जिला उदयपुर			
122	श्री राम चन्द्र पुत्र परसराम श्री कालु राम पुत्र डूगर राम	65-66	21,671·00
123	श्री नारायण लाल पुत्र शिवराम शराब दुकान देबारी	68-69	21,671·00
124	श्री मोती लाल पुत्र उदय लाल श्री खेम राज पुत्र गणेश कुराबड	67-68	22,676·00
125	श्री देवी लाल पुत्र नाथु लाल सलुम्बर	67-68	20,240·00
126	श्री देवी किशन पुत्र गणेश भटेबर	76-77	29,168·00
127	श्री फतेह राम पुत्र लक्ष्मण कानांड	67-68	27,398·00
128	श्री बिहारी लाल पुत्र कालूराम भीम	69-70	48,966·00
129	श्री भंवर दास पुत्र रामस्वरूप उजाली की वासन	70-71	56,990·00
130	श्री बिहारी लाल कालू रामभी	67-68	60,040·00
131	श्री कुन्दन लाल पुत्र उकार लालभोईवाड़ा	63-64	31,554·00
132	श्री घनश्याम पुत्र माणक लाल सूरजपोल	63-64	22,892·00
133	फतेह लाल पुत्र शंकर लाल दूला	64-66	20,055·00
134	श्री रतन लाल पुत्र सुन्दर लाल हाथी पोल	68-69	47,766·00
135	श्री फजल हुसन अकबर अली सूरजपोल	68-69	62,619·00
136	श्री मोहन लाल हीरा लाल भोई वाडा	68-69	56,059·00
137	श्री चैन सिंह गणेश लाल खेरादीवाडा	69-70	27,760·00

1	2	3	4
138	श्री हर लाल पुत्र चिमनारामजी गीवाडा	69-70	31,353·00
139	श्री परसम राय पुत्र मेरू लाल सूरजपोल	,,	38,121·00
140	श्री मांगी लाल मेरू लाल सूरज पोल	,,	78,129·00
141	श्री फजल हुसेन परसराय सुन्दर लाल	67-68	58,132·00
142	श्री हर लाल पुत्र चिमना राम जोगीवाडा	67 68	57,309·00
143	श्री गणपत लाल मोहन लाल श०दु०पुरा	,,	26,892·00
144	श्री छोगा लाल एवं रतन लाल हाथीपोल	,,	56,774 00
145	श्री चैन सिंह गणेश लाल खेरादीवाड़ा	,,	44,874·00
146	श्री मोहन लाल पुत्र हीरा लाल भोईवाडा	,,	62,376·00
147	श्री सोहन लाल सीताराम जावरपाल	78-,9	51,139 00
148	श्री मोडी राम शवराम प्रजापत, राजनगर (जल चक्की)	77-78	89,532·00
149	श्री श्रवण कुमार रतन लाल रावतभाटा	67-68	47,582·00
150	श्री रूप सिंह जोरावर ग्रुपकपासन	69-70	20,382·00
151	श्री गणपत सिंह पृथ्वी सिंह मंडल विनोबा	67-68	20,970·00
152	श्री तख्त सिंस पृथ्वी सिंह	67-68	23,853 00
153	श्री प्रताम मल राधा मल छोटी सादड़ी	68-69	49,231·00
	जिला चितौड़ गढ़		
154	श्री द्वारका प्रशाद पुत्र किशन लाल केसुन्दा श्राचाय	67-68	54,022·00
155	श्री तारा चन्द पुत्र दौलत राम शेखाना चन्द्रेरा तलादू	77-78	37,659·00
156	श्री घनश्याम पुत्र नारायण बरनिया भादसोड़ा कन्नोज	69-70	24,118·00
157	श्री मेरू लाल पुत्र नारायण सूरजपोल	67-78	1,44,904 00

266

1	2	3	4
	प्रताप गढ़		
158	श्री मंगल जी पुत्र गंगा राम लोटसाथथ नागरी	68-69	28,913·00
159	श्री शंकर लाल राजपुरीया	68-69	39,414·00
160	श्री राम चन्द कालू राम अरनोद	67-68	25,758·00
	उपायुक्त मद्यनिषेध उदयपुर		
161	श्री नारायण पुत्र चौथक लाल श्री वरन लाल पुत्र हुगनी रान कलाल	62·62	30,782·00
162	श्री वृश लाल पुत्र हुगनी राम कलाल नि० सिरोही	67-68	1,01,217·00
163	श्री अम्बा लाल पुत्र छगन लाल जयसवाल नि० मन्दसोर	62-63	25,613·00
164	श्री वली पुत्र गंगा विष्णु टांक नि० भीलवाड़ा	67-68	91,646·00
165	श्री चन्दन मल पुत्र राधाकिशन टांक नि० भीलवाड़ा	67-68	15,888 00
166	श्री शंकर लाल पुत्र मनजी कलाल नि. बांसवाड़ा	67-68	26,198·00
167	श्रीमती बखत पुत्री उदय जी कलाल नि० पोटाला	67-68	26,406·00
168	श्री बालाकिशन जी नाथु लाल दुली चुन्द	67-68	1,70,972·00
169	श्री मूल चन्द पुत्र मुगनी कलाल नि० बांसवाड़ा	67-68	38,126·00
	जिला कोटा		
170	श्री लादू राम पुत्र गोकुल जी कलाल राज मल पुत्र राम लाल	62-63	39,625 00
171	श्री भैरू लाल कालूजी, बाबू लाल पुत्र भूरा लाल सुरेन्द्र प्रताप पूत्र लालू राम	67·68	10,47,198·00

1	2	3	4
	कालू राम पुत्र रघु नाथ		
172	श्री मेरू लाल पुत्र बालू राम	68-69	2,52,104·35
	श्री सुरेन्द्र प्रताप पुत्र बालू राम		
	श्री कालू राम पुत्र रघुनाथ		
173	श्री लादू राम पुत्र गोकुल जी कलाल	72-73	58,777·43
174	श्री लादूराम ,,	,,	1,00,643·68
175	शंकर लाल पुत्र मेरू लाल	73-74	4,00,449·70
176	,, ,,	,,	2,61,292·03
177	श्री शंकर लाल मेरू लाल	73-74	4,78,912·07
178	श्री मांगी लाल पुत्र घुर्लासिह	67-68	61,399·53
179	श्री प्रभु लाल पुत्र गोपी लाल	67-68	67,944·98
	श्री रतन लाल पुत्र नानू राम रावतभाटा	67-68	67,944·98
180	श्री शिव कुमार पुत्र मूलचन्द	77-78	45,800·00
181	श्री गिरजानन्द पुत्र मूल चन्द	67-68	40,452·00
182	श्री द्वारका प्रसाद पुत्र पेसू मल सिंघी	67-58	61,841·81
183	श्री ज्ञानी मल पुत्र पेसू मल सिंघी	67-68	1,41,030·60
184	श्री रमेश चन्द्र पुत्र मुंशी राम	77-78	44,000·68
185	श्री गोविन्द लाल पुत्र मंवर लाल	68-69	32,133·71
186	श्री राम चन्द पुत्र केशो लाल	68-69	43,803·00
	गोविन्द लाल पुत्र मंवर लाल		
187	श्री हुकम चन्द पु. मंवर चन्द	,,	25,230·14
188	श्री गोविन्द लाल पुत्र मंवर लाल	68-69	20,632·76
	हुकम चन्द पुत्र धंवर लाल		
189	श्री किशन लाल पुत्र खान चन्द खत्री	69-70	20,310·58
190	श्री यासिन खां पु. जमाल खां		
	श्री छतर सिंह पुत्र रघुराजसिंह	70-71	21,802·89
191	श्री रघु नाथ पुत्र ग्यारसो लाल	70-71	28,424·53
192	श्री वहीद अहमत पुत्र अहमद खां	77-78	63,540·40

1	2	3	4
193	श्री गुरु देव सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह	67-68	45,125·70
194	चतुरभुज पुत्र रति राम	67-68	30,096·35
	मथु मलपुत्र मोतिया	67-68	30,096·35
195	श्री गुरुदयाल सिंह पुत्र गजत राम पन्जाबी	67-68	63,877·78
196	श्री राम चन्द पुत्र धन्ना लाल राम चन्द्र पुत्र केसु मल प्रभु लाल पुत्र हिरा लाल	67-68	29,834·10
197	,, ,,	67-68	20,203·33
198	,, ,,	67-68	21,355·36
199	श्री अमर सिंह पुत्र गंगा सिंह	67-68	30,096·85
200	श्री ईश्वर लाल पुत्र केशब लाल	72-73	25,916·75
201	श्री सम्पट मल पु दयाल दास सिंघी ब्रज मोहन पुत्र कन्हैया लाल	67-68	1,55,755·29
202	श्री जेठा नन्द पुत्र गोकुल दास	67-68	38,249·20
203	झमटू मत्र पुत्र दयाल दास श्री ब्रज मोहन पुत्र कन्हैया लाल	68-69	1,63,138·27
204	श्री रतन लाल पुत्र किशन लाल	70-71	41,125·13
205	श्री हासन पुत्र सामन दास	70-71	48,699·83
206	,, ,	,,	29,204·39
207	,, ,,	,,	26,721·54
208	श्री किशन लाल पुत्र गोपी लाल	67-68	32,629·84
209	श्री भंवर लाल पुत्र जगन्नाथ	67-68	35,781·35
210	श्री गजानन्द पुत्र राम नारायण दीन दयाल/नन्द कुमार	70-71	46,010·66
211	श्री प्यारे लाल पुत्र अम्बा लाल गोपाल पुत्र चतरभुज	67-68	94,181·38
212	श्री ,, ,,	68 69	66,321·79
213	श्री कजोड़ मल दुर्गा लाल	71-72	62,892·45

(2.69)

1	2	3	4
214	श्री कृपा राम पुत्र बाल मुकन्द कश्मीरी लाल पुत्र हंस राज इन्द्र मोहन पुत्र हंस राज	67-68	32,856 00
215	श्री इन्द्र सिंह पुत्र मल्ली सिंह	67-68	21,819 92
216	श्री प्रीतम सिंह पुत्र मालक सिंह	68-69	41,379·30
217	श्री ,, ,,	68-69	34,136·55
218	श्री कृपा राम पुत्र बाल मुकन्द श्री कश्मीरी लाल पुत्र हंस राज इन्द्र मोहन पुत्र हंस राज	68-69	32,856·52
219	प्रीतम सिंह पुत्र मालक सिंह	69-70	46,667·46
220	श्री कृपा राम पुत्र बाल मुकन्द श्री जगदीश पुत्र दीन चन्द श्री किशन लाल पुत्र घली लाल	68-69	28,140·00
221	श्री कन्हैया लाल पुत्र छोटू	77-78	21,059·52
222	श्री शंकर लाल चम्पा लाल श्री गणपत लाल पुत्र खूबी लाल	68-69	20,421·54

218

बकाया राशि जमा कराने के फलस्वरूप जिन व्यक्तियों को अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये गये उनकी सूची

क्रम संख्या	नाम दुकान	नाम उस व्यक्ति का जिसे स्वीकृत की गई।
1	2	3
		जयपुर नगर
1.	सांगानेर	1. श्री सुन्दर लाल
		2. श्री घनश्याम दास
2.	आमेर	1. श्री श्याम कुमार
		2. श्रीमती शान्ता देवी
		3. श्रीमती आशा देवी
3.	दूदू	1. श्री रेवा चन्द व पार्टी
4.	शाहपुरा	1. श्री रामनिवास व पार्टी
5.	चाकसू	1. श्री कैलाश चन्द
		2. श्री कन्हैया लाल
		3. श्री मदन लाल
6.	लालसोठ	1. श्री मदन लाल
7.	फुलेरा	1. श्री भागचन्द
		2. श्रीमती शारदा देवी
8.	झोटवाड़ा	1. श्री गुलाबचन्द
		2. श्रीमती सुनीता देवी
		3. श्री इब्राहिम अली खां
		4. श्रीमती रेशमी बानू
		5. श्रीमती गीता देवी
9.	मोहर पुर	1. श्री सूरज मान
		2. श्री जीवन अली
10.	ई० आ० ट्रेडर्स यूनिट नं० 526	इंगलिश वाइन ट्रेडर्स यूनिट नं० 526
11.	कालाडेरा	श्री फूलचन्द पुत्र ज्वार मीणा नि० नोपुरा
12.	नारायणा	श्री यासीन पुत्र मालूखा नि० बगरू
13.	बगरू	श्री छोटू खां पुत्र मालूखां नि० बगरू

1	2	3
14.	गोविन्दगढ़	श्री दुर्गाराम पुत्र कानाराम निवासी सामोद
15.	आन्तेला	श्री मुरारी लाल एण्ड पार्टी, जयपुर
16.	जयपुर नगर की दो दुकानें (बनीपार्क व आई रोड़)	जीत मोहम्मद एण्ड पार्टी
जयपुर ग्रामीण		
17.	विसाना	श्री कालम खां पुत्र खाजू खां
18.	गोठड़ा	श्री फैजू खां पुत्र हमीर खां
19.	खेतड़ी	श्री महावीर पुत्र रामजीलाल
20.	महरोली	श्री घनसी राम पुत्र रामजीलाल
21.	सूरजगढ़	श्री जगदीश पुत्र कन्हैयालाल
22.	मन्ड्रेला	श्री जमाल खां पुत्र बोने खां
23.	बिसाऊ	श्री भंवरलाल पुत्र लाल मोहम्मद
24.	सीकर	श्री टीकम दास पुत्र सीताराम
25.	चिड़ावा	श्री मुख्तयार हुसैन पुत्र मोहम्मद
26.	श्री माधोपुर	श्री रामेश्वर लाल पुत्र मोती लाल
27.	नीम का थाना	श्री रमेश चन्द पुत्र रामस्वरूप गुप्ता
जिला भरतपुर		
28.	रूपवास	श्री सत्यनारायण पुत्र भागीरथ
		श्री सोहन सिंह पुत्र बुद्ध सिंह
30.	थानागाजी	श्री परसादयाल पुत्र श्योदयाल
31.	कोटकासिम	श्री सीताराम एण्ड पार्टी, खैरथल
32.	खैरथल	1. श्री रूपचन्द पुत्र सन्तराम
		2. श्री जेठाराम पुत्र बिल्समल
33.	बौली	1. श्री दशरथ सिंह पुत्र बदनसिंह
		2. श्री बाबूलाल पुत्र रूपचन्द
34.	चौथ का बरवाड़ा	1. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र चुन्नीलाल
		2. श्री रामनिवास पुत्र नाथूलाल
35.	वामनवास	श्री हजारीलाल पुत्र मूलचन्द

(272)

1	2	3
36.	महुआ	श्री सोहनलाल पुत्र रामजीलाल
37.	कस्बा (सवाई माधोपुर)	श्री बाबूलाल पुत्र बजरंग लाल
38.	स्टेशन सवाई माधोपुर	श्री संतोष लाल पुत्र श्री हकीमुद्दीन
जिला बीकानेर		
39.	बीदासर	श्री हमीम मोहम्मत पुत्र मतक खां
40.	छापर	श्री मांगीलाल पुत्र तूरानसी
41.	राजलदेसर	श्री सफीक मोहम्मद पुत्र राकां खां
42.	रतनगढ़	श्री राजेन्द्र कुमार, श्री बाबू खां, श्री भैरू खां।
43.	कोलायत	श्री उमानुद्दीन पुत्र मालू खां
44.	छतर खां	श्रीमती जरीना पत्नि चान्दसाईमानुदीन
45.	नायालर	श्री बीसराजमा पुत्र चन्दन खां
46.	येशनोक	श्री अयूब खां पुत्र भवरू खाँ
47.	बाजूवाला	श्रीमती हसीना पत्नि हुसैन खां
48.	पूगाल	श्री रमजान अली पुत्र हुसैन खां
49.	गंगाशहर	श्री सिकन्दर खां पुत्र इब्राहिम खां
50.	साहबा	श्री शिवप्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण
51.	सुजानगढ़	श्री नवाब अली पुत्र मोहम्मद खां. श्री जाकिर हुसैन पुत्र करने खां, जबरूदीन पुत्र परबू खा
52.	गंगा शहर	श्री नारायण चन्द पुत्र रामलाल मूलचन्द पुत्र कानाराम सत्यनारायण पुत्र किशनलाल
53.	सरदार शहर	भंवरी पत्नि भंवरू खां चेतनदास पत्र आनन्दास
54.	कोलायत	शंकर लाल पुत्र भंवर लाल
55.	बाजूवाला	रूपचन्द पुत्र कानाराम भंवर लाल पुत्र हुसैन खां
56.	छतरगढ़	शिव कुमार पुत्र रामलाल, अनवर अली सुभेन खां

(273)

1	2	3
57.	राजगढ़	कमरूदीन पुत्र दुले खां
58.	तारानगर	सुरवरूश सिंह नुत्र हेमूमल
		कान सिंह पुत्र भागचन्द
59.	हुनरगढ़	हाकम अली पुत्र हुसैन खां
60.	भुजपुर नगर	दया शंकर पुत्र लक्ष्मीनारायण सोनी
जिला गंगानगर		
61.	लालगढ़	मै. रामनाथ माणकचन्द
62.	पक्का सदारणा	श्री रणमीतराव
63.	हिन्दुमलसीट	श्री मदन लाल
64.	इबसी	श्री दबरू खां
65.	फैकाना	सत्तारदीन
66.	बखनों	फरीद खां
67.	तलेवाड़ा	फतेह मोहमम्द
68.	मुकलावा	श्री विजय कुमार
69.	गोलवाड़ा	दलवन्त सिंह
70.	गणेशगढ़	हाकिम सिंह
71.	गंगासिहपुर	मुरमीत सिंह
72.	केसरी सिंह पुर	मै. बनवारी लाल रामलाल
73.	रायसिंह	इमामुद्दीन
74.	सूरतगढ़	श्री सफी मोहम्मद
जिला जोधपुर		
75.	जोधपुर 1	श्री श्यामलाल एण्ड पार्टी, जोधपुर
76.	,, 2	,, ,, ,,
77.	,, 3	,, ,, ,,
78.	घुन्धाला	श्री मांगीलाल पुत्र शंकरलाल
		जोसासा० घुन्धाला
79.	बोरून्दा	श्री रामलाल पुत्र गिरधारी लाल
80.	बावड़ी	श्री धनराज पुत्र हरनारायण
81.	भोपालगढ़	मदन लाल पुत्र मांगीलाल कलाल
82.	साण्डेराव	श्री फतेहराज पुत्र लालू जी कलाल

1	2	3
83.	बाली	श्री रहन सिंह पुत्र भंवर लाल कलाल
84.	सेन्दड़ा	श्री रमेश चन्द्र पुत्र जगन्नाथ टांक
85.	कुशालपुरा	श्री पन्नालाल पुत्र नन्दराम
86.	वर	श्री कस्तूरचन्द पुत्र नन्दराम
87.	गुन्दोज	श्री मोहनलाल पुत्र बिरदा कलाल
88.	वेड़ा	श्री पृथ्वी राज हरीराम पुत्र हनुमान जी
89.	बाबन्डेरी	श्री बंशी सिंह पुत्र मांगीलाल
90.	चावेन्डरी	श्री प्रकाश पुत्र मांगीलाल
91.	आउवा	श्री शंकर लाल पुत्र बस्तीराम श्री जवर लाल पुत्र उदयराम
92.	सोजत सिटी	श्री गुलाब चन्द पुत्र मांगीलाल
93.	सोउ	श्री भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र
94.	कुचेरा	श्री जेराघम पुत्र चन्द्राराम
95.	नागौर	श्री भिरजेखां पुत्र दिनेखां
96.	जायल	श्री भवरू लाल पुत्र शिवनारायण
97.	बोरावंड	श्री रमेशचन्द्र पुत्र पिरू लाल
98.	जसनगर	श्रीमती बिदाम पत्नि भंवरलाल
99.	थावला	श्री दीपचन्द पुत्र बन्नालाल
100.	जोधपुर शहर	इंगलिश वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन, जोधपुर
101.	गोपालगढ़	श्री देवीलाल पुत्र मदनलाल कलाल
102.	ओसियां	श्री कन्हैया लाल पुत्र पुखराज
103.	सुमेरपुर	श्री हीरालाल पुत्र नाथू जी व अन्य
104.	रानी	श्री कैलाश पुत्र मदनलाल शर्मा
105.	फालना	श्री समप्त राज पुत्र मिश्रीलाल
106.	हरवगढ़	श्री मोडाराम पुत्र हेमा जी
107.	मारवाड़ ज०	श्री गोपाल सिंह पुत्र भंवरलाल
108.	रायपुर	श्री श्यामलाल पुत्र शंकरलाल
109.	पाली सिटी	श्री शंकरलाल पुत्र उदराम, श्रीमती भंवरी देवी पत्नि लालचंद, श्रीमती गीता देवी पत्नि अशोक कुमार
110.	मकराना	श्री सिकन्दर खां पुत्र भवरू खां, श्रीमती छोटी पत्नि वद्रदिन

1	2	3
111.	लाडनूं	श्री फखरूद्दीन पुत्र मांगीलाल, श्रीमती नीलम पत्नि राजुदीन

जिला कोटा

1	2	3
112.	कोटा नं. 3	मोहम्मद युसूफ एण्ड पार्टी, जयपुर
113.	कोटा नं. 4	,, ,, ,,
114.	कोटा रिटेल वाइन नं. 2 अंग्रेजी	रिटेल वाइन अंग्रेजी एसोसियेशन
115.	बारां	गोपाल लाल पुत्र भैरू लाल
116.	रामगंज मण्डी	हरजेन्द्र सिंह शिखा मेवा लाल गूजर
117.	सामोद	भंवरलाल पुत्र रतनलाल
118.	झालावाड़	जगदीश पुत्र जगन्नाथ गूजर देवली
119.	झालरापाटन	,, ,, ,,
120.	पचपाहड	भंवर लाल-पुत्र नारायण कलाल पचापादड
121.	लडीपुर	किशन लाल पुत्र मूलचंद
122.	कैथून	
123.	छबड़ा	रमेश चन्द्र पुत्र नीता राम खत्री छबड़ा
124.	मंगवार	राधेश्याम पुत्र धूली लाल
125.	अटरू	रामप्रसाद पुत्र नन्द किशोर
126.	घटावा	अम्बालाल पुत्र भूरालाल
127.	अकलेरा मनोहर थाना	पन्नालाल पुत्र मोतीलाल
128.	सुल्तानपुर	मोतीलाल पुत्र रावजी खां
129.	बूंदी	लादूराम पुत्र कन्हैयालाल, रमेश चन्द्र पुत्र किशनलाल
130.	,,	,, ,, ,,
131.	,,	,, ,, ,,
132.	,,	,, ,, ,,
133.	कैथून	हीरालाल मसन्द वाइन स्टोर कोटा

जिला उदयपुर

1	2	3
133.	उदयपुर नगर	श्री उगमसिंह पुत्र मोहनलाल सिदायत सा० जोधपुर

1	2	3
134.	बल्लभनगर	श्री मिठलल पुत्र सामाण कलाल श्रीमती लेहरी बाई पत्नि खामाण जी
135.	प्रतापगढ़	फतेहलाल पुत्र शंकरलाल
136.	टाटगढ़	सुगन चंद व नंद लाल पिता रामचन्द्र टांक
137.	रावतभाटा	बसन्तलाल पुत्र कालूराम
138.	चित्तौड़गढ़	लादूराम पुत्र पूनम चंद
139.	वस्सी	किशनलाल आर्य
140.	देवगढ़	बालकिशन पिता बिहारीलाल सा. भीम

उपायुक्त (म० नि०) उदयपुर

141.	बाड़मेर	मांगीलाल पुत्र रणजी कलाल राजपूत सा० जोधपुर
142.	बालोतरा	जगदीश चन्द्र पुत्र मोतीलाल कलाल नि० बाली
143.	पोकरण	मनोहर सिंह पुत्र रूपचन्द मेवाड़ा
144.	पादरू	बलवन्त सिंह पुत्र शिवनाथ सिंह राजपूत सा० जारवाल
145.	सोयधरी	धनराज पुत्र रेवा शंकर मेवाड़ा

जिला सिरोही

146.	भिंडार	भंवरलाल पुत्र मोतीलाल कलाल
147.	सिरोही	बाबूलाल पुत्र हुगनी राम कलाल
148.	जवाल	राधेश्याम पुत्र भंवरलाल
149.	स्वरूपगंज	छगनलाल पुत्र पन्नालाल कलाल
150.	आबूरोड	धनराज पुत्र पूनम चंद
151.	पिण्डवाड़ा	जेठालाल पुत्र धन्नालाल कलाल

जालौर

152.	आटोर	मोहनलाल
153.	सिंधाना	जगदीश कुमार पुत्र भंवरलाल
154.	गुडाबालोना	नरपसिंह पुत्र लालजी कलाल

(277)

1	2	3
155.	सांचोर	
156.	डूंगरपुर	कमल प्रकाश बन्शी लाल कलाल
157.	सिमलवाड़ा	शंकरलाल पुत्र सोमा कलाल
158.	बिछीवाहा	शंकरलाल पुत्र बराजी
159.	गलियाकोट	कुन्दन जी पुत्र अमाजी पटेल
	ओवरी	नाथू जी, लालजी० हवजी, भटिवानी
160.	बांसवाड़ा	सजवन्त सिंह सरदार सिंह
161.	कोटड़ा	बलवन्त सिंह पुत्र हिम्मत सिंह
162.	शिवगंज	प्रेमला पुत्र नानी कलाल
163.	आबूरोड	गंगादेवी पत्नि बाबूलाल
164.	सिवाना	राजेन्द्र प्रसाद रेवा शंकर
165.	जसवन्तपुरा	जेठमल पुत्र चेलाराम

अतारांकित प्रश्न संख्या 592 की सूची

सिंचाई विभाग द्वारा करवाये जाने वाले कार्य

1. तारागढ़ पहाड़ी के नालों का डाईवर्शन कार्य	103·82 लाख
2. कल्याणीपुरा नालों का डाईवर्शन कार्य	74·23 लाख
3. चैक डैमस का निर्माण कार्य	102·99 लाख
4. आना सागर फीडर व एस्केप चैनल का कुछ कार्य एवं तारागढ़ बांध का डाईवर्शन कार्य सिंचाई विभाग के माध्यम से।	25·61 लाख
कुल	306·65 लाख